CHAHAL ACADEMY

मासिक पत्रिका
दिसम्बर 2025

समसामयिकी

सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा + मुख्य परीक्षा + साक्षात्कार की एकीकृत तैयारी के लिए

विशेष आकर्षण

मासिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न
दिसम्बर

THE HINDU

The Indian EXPRESS
JOURNALISM OF COURAGE

**प्रारंभिक परीक्षा के नवीनतम पैटर्न पर आधारित बहुवैकल्पिक अभ्यास प्रश्न*

- DHRUV64
- ASPIRE योजना
- असम ST दर्जा विवाद
- गैंडों का विश्रृंगीकरण
- सरदार वल्लभभाई पटेल
- 100 गांव सुनामी-तैयार होंगे
- भारत के पूंजी बाज़ार: घरेलू बचतों पर आधारित
- गिग श्रमिक
- भारत–रूस संबंध
- अलकनंदा गैलेक्सी
- रुद्रेश्वर (रामप्पा) मंदिर
- SHANTI विधेयक, 2025
- भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
- जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (CCPI) 2026

अनुक्रमणिका

राजव्यवस्था एवं शासन 1

विकसित भारत–रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक 1
संचार साथी और साइबर सुरक्षा बनाम निगरानी पर बहस 1
कर्नाटक का हेट स्पीच और हेट क्राइम्स (निवारण) विधेयक, 2025 4
ऑनलाइन अश्लीलता और अशिष्टता पर सरकारी दिशानिर्देश 5
ऐप-आधारित संचार सेवाओं में SIM बाइंडिंग 6
असम ST दर्जा विवाद: विरोध और सरकारी सिफारिशें 7
राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, 2025 8
दिव्यांग कैदियों के साथ दुर्व्यवहार पर जेल अधिकारियों को RPwD अधिनियम के तहत दंड 8
सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानूनों में संशोधन) विधेयक, 2025 9
सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (SHANTI) विधेयक, 2025 10
विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान (VBSA) विधेयक, 2025 11
भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 13
ऑस्ट्रेलिया द्वारा 16 वर्ष से कम आयु वालों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध 14

अंतर्राष्ट्रीय संबंध 16

भारत–रूस संबंध 16
भारत–न्यूज़ीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 17
ब्रिक्स अध्यक्षता हस्तांतरण 18
भारत–बांग्लादेश संबंधों पर हालिया घटनाक्रम 19
भारत–जॉर्डन संबंध 21
भारत–ओमान संबंध 22
भारत–इथियोपिया संबंध 24
जैविक हथियार अभिसमय (BWC) के आधुनिकीकरण में भारत की भूमिका 25
श्रीलंका के लिए भारत का पुनर्निर्माण पैकेज 26

अर्थव्यवस्था एवं कृषि 28

भारत के पूंजी बाज़ार: घरेलू बचतों पर आधारित 28
छोटे-मूल्य वाले रिटेल डिजिटल भुगतान में वृद्धि 28
भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना 29
साकलेशपुर–सुब्रह्मण्य घाट सेक्शन का विद्युतीकरण 30
मसाला बॉन्ड्स 31
भारत में निजी निवेश की मंदी 32
UPI को दुनिया की सबसे बड़ी रियल-टाइम भुगतान प्रणाली के रूप में मान्यता 33
राष्ट्रीय किसान दिवस (किसान दिवस) और सतत कृषि 34

पर्यावरण एवं भूगोल 37

अरावली पहाड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट निर्णय 37
आर्कटिक का पिघलना: जलवायु चिंताएँ और भारत के रणनीतिक हित 38
तीन नई पतंगा (मॉथ) प्रजातियों की खोज 39
भारत में ट्रेन–हाथी टक्कर घटनाएँ 40
गैंडों का विश्रृंगीकरण (Dehorning Rhinos) 41
अफ्रीका महाद्वीप का विभाजन 41
जेमिनिड्स उल्का वर्षा 43
दक्षिणी महासागर कार्बन 'विसंगति' 44
सुबनसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना 45

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 47

DHRUV64 47
डॉप्लर वेदर रडार (DWRs) 48
ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 संचार उपग्रह 49
अलकनंदा गैलेक्सी 50
स्पॉन्ज से जुड़े सूक्ष्मजीव (Sponge-Associated Microbes) 51
शुष्कन (डाइबैक) 51

रक्षा एवं सुरक्षा 53

अभ्यास एकुवेरिन – भारत–मालदीव 53
अभ्यास डेज़र्ट साइक्लोन 53
भारतीय तटरक्षक जहाज़ सार्थक की ईरान के चाबहार बंदरगाह पर पहली ऐतिहासिक यात्रा 53
भारतीय सेना ने एएच–64ई अपाचे आक्रमण हेलीकॉप्टरों की अंतिम खेप शामिल की 54
आईएनएएस 335 (ऑस्प्रे) 54
आकाश-एनजी 55

सामाजिक मुद्दे 57

गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिक 57
सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) दिवस 58
बाल तस्करी पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय 59

इतिहास एवं संस्कृति 60

रुद्रेश्वर (रामप्पा) मंदिर 60
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) के 100 वर्ष 60
सोलापुर में 2,000 वर्ष प्राचीन भारत के सबसे बड़े वृत्ताकार चक्रव्यूह/भूलभुलैया (Labyrinth) की खोज 61
पेरुम्बिडुगु मुथारैयार II (सुवरन मारन) 62
संथाली भाषा में भारत का संविधान 63
हड़प्पा स्थल राखीगढ़ी के विकास हेतु केंद्र द्वारा ₹500 करोड़ का आवंटन 63

सरकारी योजनाएं 64

शक्ति (SHAKTI) स्कॉलर्स फेलोशिप 64
आदि संस्कृति डिजिटल प्लेटफॉर्म 65
ASPIRE योजना: ग्रामीण नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहन 66
NUDGE पहल: स्वैच्छिक कर अनुपालन हेतु डेटा एनालिटिक्स का उपयोग 67

महत्वपूर्ण रिपोर्ट 69

जल शक्ति मंत्रालय ने 'गतिशील भूजल संसाधन मूल्यांकन प्रतिवेदन 2025' जारी किया ... 69
जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (CCPI) 2026 70
भारत की रोजगार संभावनाएं: रोजगार के मार्ग (NCAER 2025) 70
स्वच्छ सर्वेक्षण का 10वां संस्करण 71

समाचारों में चर्चित व्यक्तित्व 73

सरदार वल्लभभाई पटेल 73
स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती 73
डॉ. राजेंद्र प्रसाद 74
विनोद कुमार शुक्ल 75

विविध 76

बॉन्डी बीच 76
वीर बाल दिवस 76
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 76
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा INS वाग्शीर पर भ्रमण 77
पंजाब ने अमृतसर, आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो को 'पवित्र शहर' का दर्जा प्रदान किया 77
ईसाइयों के कथित उत्पीड़न पर नाइजीरिया में अमेरिका के प्रहार 77
सोमालीलैंड को इजराइल की मान्यता 77
अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस IDPD 2025 78
तमिलनाडु के पांच उत्पादों को जी.आई. टैग प्राप्त हुआ 79
100 गांव सुनामी-तैयार होंगे 79

दिसम्बर 2025 'द हिन्दू' व 'इंडियन एक्सप्रेस' से दैनिक अभ्यास प्रश्न 80

दैनिक वस्तुनिष्ठ अभ्यास प्रश्न 80
उत्तर कुंजी 93

इकाई 1

राजव्यवस्था एवं शासन

विकसित भारत–रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक

चर्चा में क्यों: केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), 2005 में एक बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया है, जिसे विकसित भारत–रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक (VB-GRAMG) कहा गया है। इस विधेयक का उद्देश्य विकसित भारत @2047 के दृष्टिकोण के साथ ग्रामीण रोज़गार को संरेखित करना है और ढांचे को अधिकार-आधारित, मांग-आधारित प्रणाली से बदलकर एक केंद्रीय रूप से नियंत्रित, आपूर्ति-आधारित योजना बनाना है।

पृष्ठभूमि: एक नज़र में MGNREGA

- MGNREGS दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य आजीविका सुरक्षा बढ़ाना और ग्रामीण गरीबी को कम करना है।
- यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), 2005 के तहत लागू किया गया है।
- यह अधिनियम रोज़गार को एक वैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता देता है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत नकारात्मक अधिकार से हटकर सरकार पर काम उपलब्ध कराने की एक सकारात्मक वैधानिक जिम्मेदारी बनाता है।
- यह योजना उन ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष 100 दिनों के रोज़गार की गारंटी देती है, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं।
- अधिनियम यह प्रावधान करता है कि मांग करने के 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराया जाए, जिससे यह आर्थिक संकट के समय एक सामाजिक सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है।
- कम से कम एक-तिहाई लाभार्थी महिलाएं होनी चाहिए, जिससे कार्य तक लैंगिक समावेशी पहुंच सुनिश्चित होती है।
- MGNREGA की धारा 3(1) के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष "100 दिनों से कम नहीं" का काम प्रदान किया जाता है, जो सॉफ्टवेयर प्रतिबंधों के कारण एक वास्तविक ऊपरी सीमा बन गया है।
- सरकार विशेष परिस्थितियों में अतिरिक्त 50 दिनों का काम देने की अनुमति दे सकती है, जैसे कि वन क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति परिवारों के लिए या सूखा और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान, जैसा कि धारा 3(4) में प्रावधान है।

ढाँचा परिवर्तन

सरकार ने VB-G RAM G विधेयक को सांसदों के बीच प्रसारित किया है और इसे 'विकसित भारत @2047' के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करने वाले कानून के रूप में प्रस्तुत किया है।

विधेयक (VB-G RAM G) की प्रमुख विशेषताएँ

1. गारंटीकृत कार्यदिवसों में वृद्धि

- यह विधेयक प्रति ग्रामीण परिवार प्रति वर्ष गारंटीकृत रोज़गार के दिनों को **100 से बढ़ाकर 125** करने का प्रस्ताव करता है।
- हालांकि, ऐतिहासिक आंकड़े बताते हैं कि प्रति परिवार प्रदान किया गया **औसत रोज़गार केवल लगभग 50 दिन** ही रहा है, जिससे इस वृद्धि के वास्तविक प्रभाव पर सवाल उठते हैं।

2. मांग-आधारित से आपूर्ति-आधारित मॉडल की ओर बदलाव

- MGNREGA मांग पर रोज़गार प्रदान करता है, जिससे काम का कानूनी अधिकार सुनिश्चित होता है। VB-G RAM G विधेयक **मानक आवंटन** (normative allocation) लागू करता है, जिसके तहत केंद्र राज्य-स्तरीय बजट पहले से तय करेगा।
- निर्धारित बजट से अधिक होने वाला कोई भी खर्च पूरी तरह राज्य को स्वयं वहन करना होगा, जिससे प्रभावी रूप से काम के अधिकार को कमजोर किया जाता है।

3. राज्यों पर बढ़ा हुआ वित्तीय बोझ

- नई फंड-शेयरिंग व्यवस्था के तहत पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों से **90:10** का योगदान और अन्य सभी राज्यों एवं विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों से **60:40** का योगदान अनिवार्य होगा।

- पहले राज्यों पर केवल लगभग **10%** लागत का बोझ होता था।
- प्रस्तावित फंडिंग पैटर्न से राज्यों पर प्रतिवर्ष लगभग **₹30,000 करोड़** का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ने की संभावना है।

4. नियंत्रण का केंद्रीकरण

- यह विधेयक केंद्र सरकार को यह तय करने का अधिकार देता है कि किन ग्रामीण क्षेत्रों को योजना के तहत रोज़गार मिलेगा।
- यह केंद्र को यह भी अधिकार देता है कि धन कहाँ और कैसे खर्च होगा, जिससे राज्यों की स्वायत्तता और पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका कम हो जाती है।

5. कृषि के व्यस्त मौसम में रोक

- VB-G RAM G विधेयक के तहत बुवाई और कटाई के दौरान योजना को **60 दिनों के लिए स्थगित** किया जा सकता है।
- इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण अवधियों में कृषि श्रम की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
- हालांकि, यह प्रावधान ग्रामीण परिवारों के लिए 125 दिनों की रोज़गार गारंटी तक पहुँच को प्रभावी रूप से कम कर सकता है।

6. तकनीकी संहिताकरण

- आधार-आधारित भुगतान प्रणाली, मोबाइल ऐप आधारित उपस्थिति और कार्यस्थलों की जियो-टैगिंग जैसे तकनीकी उपाय अब कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिए गए हैं।
- इन उपायों का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना है, लेकिन इससे कुछ लाभार्थियों के लिए बहिष्करण का जोखिम भी पैदा होता है।

7. जॉब कार्ड का प्रतिस्थापन

- यह विधेयक मौजूदा जॉब कार्ड्स को **ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्ड** से बदलने का प्रस्ताव करता है, जो **तीन वर्षों** के लिए मान्य होंगे।
- इसमें संवेदनशील वर्गों के लिए विशेष ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्ड भी प्रस्तावित किए गए हैं, जिनमें **एकल महिलाएं, दिव्यांग व्यक्ति, बुज़ुर्ग, मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर, विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह (PVTGs) और ट्रांसजेंडर व्यक्ति** शामिल हैं।

8. मजदूरी और बजट प्रावधान

- यह विधेयक **₹240 प्रति दिन** की न्यूनतम मजदूरी का प्रस्ताव करता है, जो कई राज्यों में वैधानिक न्यूनतम मजदूरी से अब भी कम है।
- योजना के लिए अनुमानित वार्षिक आवश्यकता **₹1.51 लाख करोड़** है, जिसमें राज्यों का हिस्सा शामिल है, जबकि केंद्र का योगदान लगभग **₹95,692 करोड़** होने का अनुमान है।

मुख्य चिंताएँ और आलोचना

- आलोचकों का तर्क है कि यह विधेयक अधिकार-आधारित गारंटी को हटाकर सीमित आवंटन प्रणाली लागू करता है, जिससे **काम के अधिकार को कमजोर** किया जाता है।
- मांग-आधारित रोज़गार से मानक आवंटन की ओर बदलाव से **श्रमिकों की एजेंसी और जवाबदेही** कम होती है।
- राज्यों पर बढ़ता **वित्तीय बोझ** चिंता का विषय है, खासकर घटते राजकोषीय क्षेत्र और बढ़ते कर्ज स्तर के संदर्भ में।
- नियंत्रण का बढ़ता **केंद्रीकरण**, सहकारी संघवाद को कमजोर करता है और स्थानीय सरकारों की भूमिका को कम करता है।
- अनिवार्य **आधार-आधारित भुगतान प्रणाली** से वास्तविक लाभार्थियों के बहिष्करण का खतरा बढ़ सकता है।
- कृषि मौसम के दौरान **60 दिनों के ठहराव** का प्रावधान, विभिन्न फसल चक्र वाले क्षेत्रों को असमान रूप से प्रभावित कर सकता है, जिससे रोज़गार तक पहुंच सीमित हो सकती है।

आगे की राह

ग्रामीण रोज़गार योजनाओं की मांग-आधारित प्रकृति को बनाए रखना आवश्यक है ताकि काम के कानूनी अधिकार की रक्षा हो सके। केंद्र सरकार को मजदूरी भुगतान की मुख्य जिम्मेदारी अपने पास बनाए रखनी चाहिए ताकि राज्यों पर वित्तीय दबाव कम हो। न्यायसंगतता सुनिश्चित करने के लिए मजदूरी दरों को वैधानिक न्यूनतम मजदूरी के अनुरूप किया जाना चाहिए। तकनीकी हस्तक्षेपों का उपयोग दक्षता बढ़ाने के साधन के रूप में होना चाहिए, न कि समावेशन में बाधा के रूप में। स्थानीय विकास प्राथमिकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर योजना और कार्यान्वयन को मजबूत किया जाना चाहिए।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न. विकसित भारत–रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक के अंतर्गत MGNREGA की तुलना में कौन-कौन से प्रमुख परिवर्तन प्रस्तावित किए गए हैं? ग्रामीण रोज़गार पर इनके संभावित प्रभावों की चर्चा कीजिए। (150 शब्द,10 अंक)

संचार साथी और साइबर सुरक्षा बनाम निगरानी पर बहस

चर्चा में क्यों: केंद्र सरकार ने मोबाइल फोन निर्माताओं को 'संचार साथी' इंस्टॉल करने के अपने आदेश को वापस ले लिया है, जो 2026 से प्रभावी होना था। यह फैसला लगभग 48 घंटे के भीतर लिया गया, क्योंकि डेटा संग्रह की अस्पष्ट प्रक्रियाओं, सहमति की कमी, निगरानी और असीमित डेटा भंडारण को लेकर विभिन्न हितधारकों ने चिंता जताई थी।

संचार साथी क्या है?

- संचार साथी दूरसंचार विभाग द्वारा विकसित एक **सरकार संचालित साइबर सुरक्षा प्लेटफॉर्म** है।
- यह **मोबाइल एप्लिकेशन और वेब पोर्टल** दोनों के रूप में उपलब्ध है और मोबाइल उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाने का उद्देश्य रखता है।
- इसका उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को **धोखाधड़ी, प्रतिरूपण और मोबाइल चोरी** से बचाने में मदद करना है।
- यह पहल भारत में **1.2 अरब मोबाइल उपभोक्ताओं** के संदर्भ में शुरू की गई है, जहाँ दूरसंचार से जुड़े अपराध एक बड़ा प्रशासनिक चुनौती बन चुके हैं।

संचार साथी की प्रमुख विशेषताएँ

1. चक्षु (Chakshu) फीचर

- चक्षु फीचर उपयोगकर्ताओं को **संदिग्ध कॉल, SMS या WhatsApp संदेशों** की रिपोर्ट करने की सुविधा देता है, जो धोखाधड़ी, प्रतिरूपण या स्कैम से जुड़े हो सकते हैं।
- यह उन संदेशों की रिपोर्टिंग की अनुमति देता है जो स्वयं को DoT, TRAI या कानून प्रवर्तन एजेंसियों के रूप में प्रस्तुत करते हैं।
- यह फीचर साइबर अपराध रिपोर्टिंग प्रणाली का विकल्प नहीं है, और उपयोगकर्ताओं को वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट **1930 हेल्पलाइन या cybercrime.gov.in** पर ही करनी होती है।

2. खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन को ब्लॉक करना

- यह प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को **खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन** को 24 घंटे के भीतर भारतीय टेलीकॉम नेटवर्क पर ब्लॉक करने की सुविधा देता है।
- जैसे ही फोन ट्रैसेबल होता है, सिस्टम एक रिपोर्ट तैयार करता है जिसे उपयोगकर्ता और स्थानीय पुलिस के साथ साझा किया जाता है, जिससे रिकवरी में सहायता मिलती है।
- सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस प्रणाली की मदद से **सात लाख से अधिक चोरी हुए मोबाइल फोन** बरामद किए जा चुके हैं।

3. मोबाइल कनेक्शन की ट्रैकिंग

- संचार साथी उपयोगकर्ताओं को अपने नाम पर पंजीकृत **मोबाइल कनेक्शनों की संख्या जांचने** की सुविधा देता है।
- इससे बिना अनुमति जारी किए गए सिम कार्ड की पहचान करने में मदद मिलती है और प्रति व्यक्ति कनेक्शन की सीमा सुनिश्चित होती है।
- यह ऐप फोन के IMEI **नंबर** के सत्यापन की सुविधा भी देता है, जिससे नकली या क्लोन किए गए उपकरणों की पहचान संभव होती है।

मुख्य चुनौतियाँ और चिंताएँ

1. निजता और उपयोगकर्ता की सहमति

- अनिवार्य प्री-इंस्टॉलेशन, सूचित और स्वैच्छिक उपयोगकर्ता सहमति के सिद्धांत को कमजोर करता है।
- सिस्टम-स्तरीय पहुंच, ऐप परमिशन से जुड़े मानक सुरक्षा उपायों को दरकिनार करने के जोखिम को बढ़ाती है।
- डेटा संरक्षण कानूनों के तहत सरकारी एजेंसियों को दी गई छूट, बिना निगरानी के राज्य निगरानी को लेकर चिंताओं को बढ़ाती है।

2. डेटा एक्सेस का दायरा

- एंड्रॉइड डिवाइस पर यह ऐप कॉल मैनेज करने, SMS भेजने, कॉल व मैसेज लॉग एक्सेस करने, फाइल पढ़ने और कैमरा उपयोग करने की अनुमति मांगता है।
- इतनी व्यापक अनुमतियाँ अत्यधिक डेटा संग्रह और संभावित दुरुपयोग को लेकर चिंता पैदा करती हैं।
- iOS डिवाइस पर प्लेटफॉर्म-स्तरीय कड़े प्राइवेसी नियंत्रणों के कारण एक्सेस सीमित होता है, जिससे उपयोगकर्ता सुरक्षा असमान हो जाती है।

3. प्राइवेसी पॉलिसी में कमियाँ

- ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी उपयोगकर्ताओं को अपने व्यक्तिगत डेटा को सुधारने या हटाने के अधिकार को स्पष्ट रूप से नहीं बताती।
- डेटा कितने समय तक रखा जाएगा या कब हटाया जाएगा, इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है।
- ऑप्ट-आउट या अनइंस्टॉल करने की स्पष्ट व्यवस्था का अभाव, उपयोगकर्ता की स्वायत्तता को कमजोर करता है।
- "कोई डेटा संग्रह नहीं" जैसे दावे ऐप की वास्तविक अनुमतियों और कार्यप्रणाली से विरोधाभासी प्रतीत होते हैं।

4. उद्योग और सुरक्षा से जुड़ी चिंताएँ

- स्मार्टफोन निर्माताओं ने चिंता जताई है कि अनुपालन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में गहरे स्तर पर बदलाव करने पड़ेंगे।
- ऐसे बदलाव सुरक्षा कमजोरियों को बढ़ा सकते हैं और डिवाइस की अखंडता से समझौता कर सकते हैं।
- यह निर्देश अतिरिक्त अनुपालन लागत बढ़ा सकता है और सुरक्षा मानकों को खंडित कर सकता है।

5. लोकतांत्रिक और अंतरराष्ट्रीय चिंताएँ

- सरकारी ऐप्स का अनिवार्य प्री-इंस्टॉलेशन उदार लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असामान्य माना जाता है।
- इस तरह की प्रथाएँ अधिकतर रूस जैसे सत्तावादी (authoritarian) शासन वाले देशों में देखी जाती हैं।
- ये तुलनाएँ भारत की डिजिटल गवर्नेंस रूपरेखा की भविष्य की दिशा को लेकर आशंकाएँ उत्पन्न करती हैं।

संवैधानिक और नीतिगत निहितार्थ

- यह विवाद संविधान के **अनुच्छेद 21** से जुड़ा है, जो पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ मामले में मान्यता प्राप्त **निजता के अधिकार** की रक्षा करता है।
- सार्थक सहमति के बिना अनिवार्य इंस्टॉलेशन, **समानुपातिकता (proportionality)**, **आवश्यकता (necessity)** और **प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों (procedural safeguards)** को लेकर गंभीर चिंताएँ उत्पन्न करता है।
- यह प्रकरण **मिशन क्रीप (mission creep)** पर बहस को भी पुनर्जीवित करता है, जहाँ दूरसंचार कानूनों का उपयोग डिजिटल इकोसिस्टम के व्यापक पहलुओं को नियंत्रित करने के लिए किया जा रहा है।

निष्कर्ष

संचार साथी, अत्यधिक जुड़े हुए समाज में बढ़ती **टेलीकॉम से जुड़ी धोखाधड़ी और मोबाइल चोरी** की समस्या से निपटने का एक वास्तविक प्रयास है। हालाँकि, इसे अनिवार्य रूप से गैर-हटाए जाने योग्य बनाए जाने का प्रारंभिक निर्देश **पारदर्शिता, सहमति और निजता संरक्षण** में गंभीर खामियाँ उजागर करता है।

बाद में इसे वैकल्पिक बनाए जाने से यह स्पष्ट होता है कि **अनिवार्य अनुपालन के बजाय विश्वास-आधारित डिजिटल शासन** की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हुए, साइबर सुरक्षा को मजबूत करना **मजबूत डेटा संरक्षण मानदंडों, स्पष्ट कानूनी निगरानी और मौलिक अधिकारों के सम्मान** के साथ संतुलित होना चाहिए, ताकि सार्वजनिक हित राज्य निगरानी से अलग पहचाना जा सके।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न. संचार साथी पहल से उत्पन्न निजता और निगरानी से संबंधित चिंताओं की समीक्षा कीजिए तथा साइबर सुरक्षा को मजबूत करने में इसके उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। (150 शब्द)

कर्नाटक का हेट स्पीच और हेट क्राइम्स (निवारण) विधेयक, 2025

चर्चा में क्यों: कर्नाटक हेट स्पीच और हेट क्राइम्स (निवारण) विधेयक, 2025 के माध्यम से हेट स्पीच को लक्षित करने वाला समर्पित कानून पेश करने वाला कर्नाटक भारत का पहला राज्य बन गया है। यह विधेयक विशेष रूप से डिजिटल क्षेत्र में घृणा-आधारित अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने और सांप्रदायिक वैमनस्य को रोकने के लिए कठोर दंडात्मक प्रावधानों और निवारक शक्तियों के माध्यम से व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करता है।

भारत में हेट स्पीच पर मौजूदा कानूनी ढांचा

- वर्तमान में भारत में हेट स्पीच को एक अलग अपराध के रूप में परिभाषित या दंडित करने वाला कोई स्वतंत्र कानून नहीं है।
- कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ मुख्य रूप से **भारतीय न्याय संहिता (BNS)** के अंतर्गत प्रावधानों के समूह पर निर्भर करती हैं, जिनका उद्देश्य मुख्य रूप से **सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना** है, न कि गरिमा या समानता की रक्षा करना।

मुख्य प्रावधानों में शामिल हैं:

- **BNS की धारा 196**, जो धर्म, जाति, भाषा या जन्म स्थान जैसे आधारों पर समूहों के बीच शत्रुता फैलाने को दंडित करती है।
- **BNS की धारा 299**, जो जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों को अपराध मानती है, जिनका उद्देश्य धार्मिक भावनाओं को आहत करना हो।
- **BNS की धारा 353**, जो ऐसे बयानों या झूठी सूचनाओं को दंडित करती है जो अपराध को भड़का सकती हैं या सार्वजनिक व्यवस्था भंग कर सकती हैं।

इन सभी अपराधों को **संज्ञेय (cognizable)** माना गया है और इनमें **अधिकतम तीन वर्ष की कैद** का प्रावधान है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़े दर्शाते हैं कि इन प्रावधानों के तहत **दोषसिद्धि दर कम बनी हुई है**, जो कानून की अनुपस्थिति के बजाय **प्रवर्तन और साक्ष्य से जुड़ी चुनौतियों** को उजागर करता है।

हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट की भूमिका

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार हेट स्पीच की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है।
- **अक्टूबर 2022** में न्यायालय ने कहा कि "घृणा का माहौल व्याप्त है" और पुलिस अधिकारियों को शिकायत की प्रतीक्षा किए बिना कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
- ये निर्देश **अप्रैल 2023** में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तारित कर दिए गए।
- हालांकि, बाद के निर्णयों में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वह **हेट स्पीच की प्रत्येक घटना की निगरानी नहीं कर सकता**, और यह जिम्मेदारी पुलिस अधिकारियों व उच्च न्यायालयों की है, जैसा कि **तेहसीन पूनावाला दिशा-निर्देशों** में दोहराया गया है।

राष्ट्रीय स्तर पर हेट स्पीच को परिभाषित करने के प्रयास

- **विधि आयोग की 267वीं रिपोर्ट (2017)** में घृणा और हिंसा को भड़काने वाले कृत्यों को अपराध घोषित करने हेतु नए प्रावधान जोड़ने की सिफारिश की गई थी।
- **2022 में**, एक निजी सदस्य विधेयक के रूप में **हेट स्पीच और हेट क्राइम्स (निवारण) विधेयक** राज्यसभा में पेश किया गया, जिसमें हेट स्पीच और हेट क्राइम की व्यापक परिभाषा प्रस्तावित की गई थी।
- इन प्रयासों में से कोई भी अंततः कानून का रूप नहीं ले सका, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी स्थिति यथावत बनी हुई है।

कर्नाटक हेट स्पीच विधेयक की प्रमुख विशेषताएँ

1. हेट स्पीच और हेट क्राइम की परिभाषा

- यह विधेयक **हेट स्पीच** को किसी भी ऐसे सार्वजनिक अभिव्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो शब्दों, संकेतों, दृश्य प्रस्तुति या इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से की जाए और जिसका उद्देश्य **हानि, वैमनस्य, घृणा या दुर्भावना** फैलाना हो।
- यह **"हेट क्राइम"** को एक पृथक अपराध के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसे हेट स्पीच के संप्रेषण, प्रचार, उकसावे या प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है।
- "पूर्वाग्रही हित (prejudicial interest)" की परिभाषा में **धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, यौन अभिविन्यास, दिव्यांगता, भाषा, जनजाति, जन्म स्थान या निवास स्थान** के आधार शामिल किए गए हैं।

2. अपवाद

- यह विधेयक वास्तविक कलात्मक अभिव्यक्ति, शैक्षणिक या वैज्ञानिक शोध, निष्पक्ष और तथ्यात्मक रिपोर्टिंग तथा धर्म-प्रचार (proselytisation) को अपवाद के रूप में मान्यता देता है, जिससे वैध अभिव्यक्ति की रक्षा हो सके।

3. दंड

- यह विधेयक **न्यूनतम एक वर्ष के अनिवार्य कारावास** का प्रावधान करता है, जिसे **सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है**, साथ ही पहली बार अपराध करने वालों पर **₹50,000 का जुर्माना** लगाया जा सकता है।
- बार-बार अपराध करने की स्थिति में सजा **दो से दस वर्ष तक के कारावास** और **₹1 लाख तक के जुर्माने** तक हो सकती है।
- ये दंड BNS के तहत निर्धारित सज़ाओं की तुलना में काफी अधिक हैं, जहाँ सामान्यतः कारावास की सीमा तीन वर्ष तक होती है।

4. सामूहिक और संस्थागत दायित्व

- यह विधेयक **सामूहिक उत्तरदायित्व (collective liability)** की अवधारणा प्रस्तुत करता है, जिसके तहत संगठनों और संस्थानों को हेट क्राइम के लिए आपराधिक महसूस किया जा सकता है।
- पदाधिकारियों और प्रभारी व्यक्तियों को तब तक दोषी माना जाएगा जब तक वे यह सिद्ध न कर दें कि उन्हें अपराध की जानकारी नहीं थी या उन्होंने समुचित सावधानी बरती थी।
- यह प्रावधान **प्रमाण के भार (burden of proof)** को अभियुक्त पर स्थानांतरित करता है, जिससे प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।

5. सरकार की टेकडाउन शक्तियाँ

- यह विधेयक राज्य सरकार को ऐसे ऑनलाइन कंटेंट को **ब्लॉक या हटाने** का अधिकार देता है जिसे हेट क्राइम से संबंधित माना जाए।
- एक नामित अधिकारी मध्यस्थों और सेवा प्रदाताओं को ऐसे कंटेंट को हटाने का निर्देश दे सकता है, जिससे अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने में कार्यपालिका का विवेकाधिकार बढ़ जाता है।

संवैधानिक और कानूनी चिंताएँ

- यह विधेयक संविधान के **अनुच्छेद 19(1)(a)** के अंतर्गत प्रदत्त **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता** को लेकर चिंताएँ उत्पन्न करता है।
- अत्यधिक व्यापक और अस्पष्ट परिभाषाएँ **अनुच्छेद 19(2)** के तहत निर्धारित युक्तिसंगत प्रतिबंधों के उल्लंघन का जोखिम पैदा करती हैं।

- **श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015)** के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि अस्पष्ट दंडात्मक प्रावधान असंवैधानिक होते हैं।
- बढ़ी हुई सज़ाएँ "**जेल नहीं, जमानत" (bail, not jail)** के सिद्धांत के भी विपरीत प्रतीत होती हैं, जैसा कि अरनेश कुमार दिशानिर्देशों में कहा गया है।
- यह आशंका भी व्यक्त की जा रही है कि इस कानून का **चयनात्मक रूप से दुरुपयोग** हो सकता है, जैसा कि अतीत में देशद्रोह और UAPA जैसे विशेष कानूनों के साथ देखा गया है।

संघीय और नीतिगत प्रभाव

- यह विधेयक स्पष्ट रूप से कहता है कि यह **मौजूदा कानूनों के अतिरिक्त** लागू होगा, जिससे प्रवर्तन में सुधार के बजाय **अपराधीकरण में वृद्धि** हो सकती है।
- अन्य राज्यों ने हेट स्पीच से निपटने के लिए **मौजूदा दंडात्मक प्रावधानों** या **राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों** का सहारा लिया है, जिससे एकरूपता को लेकर प्रश्न उठते हैं।
- कर्नाटक का यह कानून समान राज्य-स्तरीय कानूनों के लिए **आधिकारिक निर्णय (precedent)** बन सकता है, जिससे पूरे भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े मानक **खंडित** हो सकते हैं।

व्यापक सामाजिक संदर्भ

- भारत में हेट स्पीच का गहरा संबंध **सामाजिक ध्रुवीकरण, राजनीतिक लामबंदी और डिजिटल एम्प्लीफिकेशन** से है।
- आपराधिक कानून केवल **निवारक (deterrent)** की भूमिका निभा सकता है और पूर्वाग्रह की गहरी सामाजिक-राजनीतिक जड़ों को समाप्त नहीं कर सकता।
- दीर्घकालिक समाधान के लिए **शिक्षा, संवाद, सामुदायिक सहभागिता और राजनीतिक जवाबदेही**, कानूनी सुरक्षा उपायों के साथ आवश्यक हैं।

निष्कर्ष

कर्नाटक हेट स्पीच और हेट क्राइम्स (निवारण) विधेयक, 2025 का उद्देश्य हेट स्पीच पर अंकुश लगाना और कमजोर वर्गों की सुरक्षा करना है, जो एक मजबूत निवारक संकेत देता है। हालाँकि, इसकी **व्यापक परिभाषाएँ, कठोर दंड, सामूहिक उत्तरदायित्व और कार्यपालिका को दी गई व्यापक शक्तियाँ** संवैधानिक चिंताएँ उत्पन्न करती हैं। भारत जैसे बहुलतावादी लोकतंत्र में **सामाजिक सौहार्द और मौलिक स्वतंत्रताओं के बीच संतुलन** बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि अत्यधिक सख्त कानून घृणा से निपटने के बजाय असहमति को दबाने का माध्यम बन सकते हैं।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न. भारत में हेट स्पीच सामाजिक सौहार्द को कैसे प्रभावित करती है? राज्यों द्वारा हाल में उठाए गए विधायी कदमों के संदर्भ में इसकी समीक्षा कीजिए। (150 शब्द)

ऑनलाइन अश्लीलता और अशिष्टता पर सरकारी दिशानिर्देश

चर्चा में क्यों: भारत सरकार ने एक सुरक्षित, भरोसेमंद और जवाबदेह डिजिटल इकोसिस्टम बनाने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए। सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील सामग्री, गलत सूचना, साइबर अपराध और हानिकारक कंटेंट को लेकर बढ़ती चिंताओं के कारण सलाहकारी और नियामक कदम उठाए गए हैं। **50 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं** वाले प्लेटफॉर्म्स को अब **स्थानीय अनुपालन अधिकारी नियुक्त करने**, अवैध सामग्री को शीघ्र हटाने और **अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करने** का निर्देश दिया गया है।

कानूनी ढांचा

1. **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act), 2000**

- निजता के उल्लंघन (धारा 66E) और अश्लील सामग्री के प्रसारण (धारा 67, 67A, 67B) को दंडित करता है।
- साइबर अपराधों की जांच और तलाशी के लिए अधिकारियों को अधिकार देता है (धारा 78, 80)।

2. **आईटी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021**

- मध्यस्थों पर **सम्यक् तत्परता** (due diligence) की बाध्यता लगाता है।
- अश्लील, पोर्नोग्राफिक, बच्चों के लिए हानिकारक, भ्रामक, प्रतिरूपण करने वाली या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली सामग्री पर प्रतिबंध लगाता है।
- अवैध सामग्री को **72 घंटे** (निजता/नग्नता से जुड़े मामलों में **24 घंटे**) के भीतर हटाने के लिए शिकायत निवारण अधिकारियों की नियुक्ति अनिवार्य करता है।
- **ट्रेसबिलिटी**, **ऑटोमेटेड कंटेंट डिटेक्शन**, **अनुपालन रिपोर्ट**, और **स्थानीय कार्यालय** स्थापित करने को महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों (SSMIs) के लिए अनिवार्य बनाता है।

3. **भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023**

- ऑनलाइन अश्लीलता, साइबर-सक्षम अपराधों और गलत सूचना के लिए दंड को सख्त बनाता है।

4. **OTT प्लेटफॉर्म विनियमन**

- IT नियम, 2021 का भाग-III **आचार संहिता (Code of Ethics)** प्रदान करता है।
- अश्लीलता कानूनों का पालन न करने पर **40 से अधिक OTT प्लेटफॉर्म्स** को ब्लॉक किया जा चुका है।

उपायों की आवश्यकता

- **संवेदनशील वर्गों की सुरक्षा:** महिलाओं और बच्चों को उत्पीड़न तथा यौन शोषण से बचाना।
- **गलत सूचना से निपटना:** सामाजिक अशांति को रोकना और सार्वजनिक व्यवस्था की रक्षा करना।
- **जवाबदेही सुनिश्चित करना:** अवैध सामग्री के लिए मध्यस्थों को कानूनी रूप से जिम्मेदार बनाना।
- **नैतिकता बनाए रखना:** डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर शालीनता और नैतिक मूल्यों की रक्षा करना।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा:** ऐसे कंटेंट के प्रसार को रोकना जो सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है।

चुनौतियाँ

- **सामग्री की विशाल मात्रा:** प्रतिदिन अरबों पोस्ट होने से निगरानी कठिन हो जाती है।
- **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता:** नियमन और संवैधानिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाना।
- **वैश्विक प्लेटफॉर्म्स:** विदेशी स्वामित्व वाले प्लेटफॉर्म्स पर कार्रवाई करना चुनौतीपूर्ण रहता है।
- **तकनीकी सीमाएँ:** डीपफेक, AI-जनित कंटेंट और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग से मॉडरेशन जटिल हो जाता है।

- **उपयोगकर्ता जागरूकता:** कई उपयोगकर्ता अनजाने में अवैध या हानिकारक सामग्री साझा कर देते हैं।

हालिया सरकारी कदम

- सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म्स को **अश्लील या पोर्नोग्राफिक कंटेंट हटाने** के लिए परामर्श जारी किए गए।
- प्लेटफॉर्म्स को **अनुपालन ढांचे की समीक्षा** करने और कंटेंट मॉडरेशन को मजबूत करने का निर्देश दिया गया।
- IT नियम, 2021 में संशोधन का प्रस्ताव, ताकि **मानहानिकारक, राष्ट्रविरोधी या नैतिक रूप से हानिकारक सामग्री** को शामिल किया जा सके।
- अनुपालन न करने वाले मध्यस्थों के लिए **धारा 79 के तहत सेफ हार्बर सुरक्षा समाप्त** करने का प्रावधान।

आगे की राह

- **तकनीकी प्रवर्तन:** कंटेंट की पहचान और हटाने के लिए AI और स्वचालित उपकरणों का उपयोग।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही:** प्लेटफॉर्म्स द्वारा शिकायत निवारण प्रणाली और अनुपालन रिपोर्ट बनाए रखना।
- **कानूनी स्पष्टता:** साइबर अपराध और ऑनलाइन अश्लीलता के लिए अभियोजन तंत्र को सुदृढ़ करना।
- **जन-जागरूकता:** उपयोगकर्ताओं को जिम्मेदार ऑनलाइन व्यवहार के लिए शिक्षित करना।
- **संतुलित विनियमन:** अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाए रखते हुए हानिकारक या अवैध सामग्री को रोकना।

निष्कर्ष

भारत की बहु-स्तरीय नियामक व्यवस्था **डिजिटल स्वतंत्रता और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन** स्थापित करने का प्रयास करती है। IT अधिनियम, IT नियम 2021, BNS 2023 और OTT प्लेटफॉर्म्स की निगरानी के माध्यम से एक **सुरक्षित, जवाबदेह और नैतिक डिजिटल वातावरण** बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रभावी प्रवर्तन यह सुनिश्चित करता है कि बड़े डिजिटल मध्यस्थ बिना जवाबदेही के कार्य न करें और नागरिकों तथा सामाजिक मूल्यों की रक्षा हो सके।

ऐप-आधारित संचार सेवाओं में SIM बाइंडिंग

चर्चा में क्यों: दूरसंचार विभाग (DoT) ने हाल ही में WhatsApp, Telegram, Signal, Snapchat, Arattai, ShareChat, JioChat और Josh जैसी प्रमुख ऐप-आधारित संचार सेवाओं (ABCS) को निर्देश जारी किए हैं, जिनमें **SIM बाइंडिंग** और **नियत अंतराल पर लॉगआउट** को अनिवार्य किया गया है। इसका उद्देश्य दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग को रोकना है। यह कदम **टेलीकॉम साइबर सुरक्षा नियम, 2024 (2025 में संशोधित)** के अंतर्गत सरकार द्वारा साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों का हिस्सा है।

SIM बाइंडिंग क्या है?

- SIM बाइंडिंग यह सुनिश्चित करती है कि कोई मैसेजिंग या कम्युनिकेशन ऐप केवल उसी डिवाइस पर कार्य करे जिसमें रजिस्ट्रेशन के समय उपयोग किया गया मूल SIM कार्ड मौजूद हो।
- यदि SIM कार्ड हटा दिया जाए, बदला जाए या निष्क्रिय हो जाए, तो ऐप काम करना बंद कर देगा।
- वर्तमान में ऐप्स OTP या QR कोड के माध्यम से पहचान सत्यापित करते हैं, जिससे SIM के बिना भी उपयोग संभव हो जाता है — और इसी का साइबर अपराध में दुरुपयोग किया गया है।

SIM बाइंडिंग के पीछे का तर्क

1. **साइबर धोखाधड़ी को रोकना**
- मूल SIM के बिना चल रहे अकाउंट्स का उपयोग सीमा-पार घोटालों, फिशिंग, डिजिटल गिरफ्तारी, निवेश धोखाधड़ी और प्रतिरूपण में किया जाता है।

2. **ट्रेसेबिलिटी सुनिश्चित करना**
- लगातार SIM लिंक होने से साइबर अपराधों के स्रोत का पता लगाने में मदद मिलती है और गुमनाम खातों की निगरानी आसान होती है।

3. **रिमोट अकाउंट दुरुपयोग को कम करना**
- लंबे समय तक लॉग-इन रहने वाले वेब सेशन धोखेबाज़ों को विदेश से अकाउंट नियंत्रित करने की सुविधा देते हैं।
- हर 6 घंटे में स्वतः लॉगआउट से पुनः प्रमाणीकरण आवश्यक होगा, जिससे अकाउंट टेकओवर की संभावना कम होगी।

4. **बैंकिंग सुरक्षा के अनुरूपता**
- बैंकिंग और UPI ऐप्स पहले से ही अनधिकृत पहुंच रोकने के लिए SIM–डिवाइस बाइंडिंग का उपयोग करते हैं।

DoT द्वारा जारी प्रमुख निर्देश

- **निरंतर SIM लिंकिंग:** ऐप को उपयोगकर्ता पंजीकरण के समय उपयोग किए गए SIM से लगातार जुड़ा रहना होगा।
- **आवधिक वेब लॉगआउट:** ऐप के वेब संस्करण को हर **6 घंटे** में लॉगआउट होना होगा, और दोबारा QR कोड से लॉग-इन करना होगा।
- **कार्यान्वयन समय-सीमा:**
  - निर्देश लागू करने के लिए **90 दिन**
  - DoT को अनुपालन रिपोर्ट सौंपने के लिए **120 दिन**

उपयोगकर्ताओं और उद्योग पर प्रभाव

सकारात्मक प्रभाव:

- ऐप-आधारित संचार में **सुरक्षा और जवाबदेही में वृद्धि**।
- **धोखाधड़ी और प्रतिरूपण की संभावना में कमी**, जिससे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर नागरिकों का भरोसा बढ़ेगा।

चुनौतियाँ / चिंताएँ

- **तकनीकी व्यवहार्यता:** iOS और Android सिस्टम स्वाभाविक रूप से सख्त SIM बाइंडिंग का समर्थन नहीं करते; इसके लिए टेलीकॉम ऑपरेटरों के साथ IMSI/ICCID सत्यापन में सहयोग की आवश्यकता हो सकती है।
- **निजता संबंधी चिंताएँ:** पहचान को SIM से जोड़ने से गुमनामी कम हो सकती है, जिससे पत्रकारों, व्हिसलब्लोअर्स और संवेदनशील वर्गों पर प्रभाव पड़ सकता है।
- **मल्टी-डिवाइस एक्सेस:** कई डिवाइस (लैपटॉप, टैबलेट, eSIM) उपयोग करने वाले यूज़र्स को बार-बार लॉगिन करना पड़ सकता है, जिससे विशेषकर पेशेवर उपयोग में कार्यप्रवाह बाधित हो सकता है।
- **यात्रा और रोमिंग:** अंतरराष्ट्रीय स्तर पर SIM बदलने वाले उपयोगकर्ताओं को सेवा में व्यवधान का सामना करना पड़ सकता है।
- **धोखाधड़ी की निरंतरता:** फर्जी पहचान या म्यूल अकाउंट्स का उपयोग करने

वाले अपराधी SIM बाइंडिंग को दरकिनार कर सकते हैं, जिससे इसकी प्रभावशीलता सीमित हो सकती है।

सरकार और उद्योग का दृष्टिकोण

- **DoT:** SIM बाइंडिंग को 2024 में साइबर धोखाधड़ी से हुए **₹22,800 करोड़ के नुकसान** के अनुपात में एक उचित कदम मानता है।
- **COAI (टेलीकॉम ऑपरेटर्स):** समर्थन करता है, और इसे **ट्रेसेबिलिटी और राष्ट्रीय सुरक्षा** के लिए आवश्यक बताता है।
- **ऐप कंपनियाँ:** मिश्रित प्रतिक्रिया; अनुपालन, उपयोगकर्ता सुविधा और वैश्विक संचालन के बीच संतुलन बनाने में चुनौतियाँ।

निष्कर्ष

SIM बाइंडिंग दूरसंचार साइबर सुरक्षा में एक **महत्वपूर्ण कदम** है, जिसका उद्देश्य सीमा-पार धोखाधड़ी को रोकना और ऐप-आधारित संचार में जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

हालाँकि यह तकनीकी और संचालन संबंधी चुनौतियाँ उत्पन्न करता है, फिर भी यह बैंकिंग क्षेत्र में पहले से मौजूद सुरक्षा प्रथाओं के अनुरूप है। इस पहल की सफलता **उद्योग सहयोग, प्रभावी तकनीकी क्रियान्वयन और उपयोगकर्ता की निजता तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन** पर निर्भर करेगी।

स्रोत: The Hindu | Indian Express

असम ST दर्जा विवाद: विरोध और सरकारी सिफारिशें

चर्चा में क्यों: असम सरकार के मंत्रियों के समूह (GoM) ने राज्य विधानसभा में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें छह समुदायों — **ताई अहोम, चाय उत्पादन सम्बन्धी जनजातियाँ (आदिवासी), मोरान, मोटोक, चुटिया और कोच-राजबोंगशी** — को अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा देने की सिफारिश की गई है।

GoM रिपोर्ट का उद्देश्य

GoM का गठन निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया गया था:

- छह समुदायों द्वारा ST दर्जे की मांग की जांच करना।
- असम में मौजूदा ST समुदायों के अधिकारों, सामाजिक-आर्थिक और शैक्षणिक हितों की रक्षा करना।
- नए ST वर्ग के सृजन की स्थिति में OBC आरक्षण व्यवस्था में संशोधन का सुझाव देना।
- नए समुदायों को शामिल करते हुए मौजूदा जनजातीय समुदायों के हितों की सुरक्षा के उपाय सुझाना।

रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें:

1. अनुसूचित जनजातियों (ST) का **तीन-स्तरीय वर्गीकरण** प्रस्तावित किया गया है — **ST (मैदानी क्षेत्र-P), ST (पर्वतीय क्षेत्र-H), और नई ST (घाटी) श्रेणी**।
2. **ST (घाटी)** श्रेणी में **अहोम, चुटिया, चाय उत्पादन सम्बन्धी जनजातियाँ और कोच-राजबोंगशी** को शामिल किया जाएगा (अविभाजित गोलपाड़ा को छोड़कर)।
3. **मोरान, मोटोक और कोच-राजबोंगशी (अविभाजित गोलपाड़ा)** को **BTC से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC)** प्राप्त होने पर ST (मैदानी) श्रेणी में शामिल किया जा सकता है।
4. **ST (घाटी)** समुदायों के लिए राज्य सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में अलग आरक्षण कोटा होगा।
5. मौजूदा **ST(P) और ST(H)** समुदायों की राज्य स्तर पर पूर्ण सुरक्षा बनी रहेगी।
6. केंद्र सरकार की आरक्षण व्यवस्था में ये सभी समुदाय **एक साझा राष्ट्रीय ST पूल** के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा करेंगे।
7. छठी अनुसूची वाले लोकसभा क्षेत्रों — **कोकराझार (ST-P)** और **दीफू (ST-H)** — को यथावत आरक्षित रखा जाएगा। ST (घाटी) के लिए अतिरिक्त सीटें **संवैधानिक संशोधन** के माध्यम से आरक्षित की जाएंगी।

प्रस्तावित अंतरिम उपाय

- मौजूदा OBC वर्गों को **सात उप-श्रेणियों** में विभाजित किया जाएगा ताकि अनुपातिक आरक्षण सुनिश्चित हो सके।
- आरक्षण लाभों के उचित वितरण के लिए **व्यापक सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण** कराया जाएगा।
- OBC समुदायों को **पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों** में भी आरक्षण दिया जाएगा।
- जनजातीय भूमि के गैर-जनजातीय लोगों को हस्तांतरण को रोकने के लिए कानून बनाने की सिफारिश की गई है।

प्रतिक्रियाएँ और चिंताएँ:

- मौजूदा ST समुदायों जैसे **बोड़ो, राभा और मिसिंग** ने इस कदम का विरोध किया है, यह कहते हुए कि इससे उनके आरक्षण लाभ और सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा कमजोर होगी।
- **ऑल असम ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन** (AATSU) जैसे संगठनों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर कहा है कि ये छह समुदाय **लोकुर समिति द्वारा निर्धारित मानदंडों** पर खरे नहीं उतरते।
- यदि सरकार जनजातीय चिंताओं का समाधान किए बिना आगे बढ़ती है, तो **आंदोलन और विरोध प्रदर्शन**, जिनमें सड़क और रेल रोको शामिल हैं, की संभावना जताई गई है।

महत्व

- यह रिपोर्ट **समावेशन और संरक्षण के बीच संतुलन** स्थापित करने का प्रयास करती है, और असम में जातीय प्रतिनिधित्व की जटिलताओं को उजागर करती है।
- यह विविध राज्य में **आरक्षण राजनीति, सामाजिक-आर्थिक समानता और चुनावी दबावों** के प्रबंधन की चुनौती को रेखांकित करती है।
- यह मुद्दा **ST और OBC वर्गीकरण** पर चल रही व्यापक राष्ट्रीय बहस को भी दर्शाता है और **साक्ष्य-आधारित, पारदर्शी नीति निर्माण** की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

आगे की राह

- सरकार को सभी हितधारकों, विशेष रूप से मौजूदा अनुसूचित जनजाति (ST) समुदायों के साथ **परामर्श सुनिश्चित करना** चाहिए।
- किसी भी संवैधानिक संशोधन से पहले **व्यापक सामाजिक-आर्थिक और मानवशास्त्रीय अध्ययन** किया जाना चाहिए।
- मौजूदा जनजातीय समुदायों के **अधिकारों, संस्कृति और भूमि** की रक्षा के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश और सुरक्षा प्रावधान लागू किए जाने चाहिए।

राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, 2025

चर्चा में क्यों: एक निजी सदस्य का बिल जिसका शीर्षक **"राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, 2025"** है, लोकसभा में पेश किया गया। इस बिल का उद्देश्य कर्मचारियों को उनके आधिकारिक कार्य समय और छुट्टियों के बाद काम से संबंधित संचार से अलग रहने का वैधानिक अधिकार देना है, तथा इसके क्रियान्वयन की निगरानी के लिए **कर्मचारी कल्याण प्राधिकरण (Employees' Welfare Authority)** की स्थापना करना है।

राइट टू डिस्कनेक्ट क्या है?

यह बिल **राइट टू डिस्कनेक्ट** को इस रूप में परिभाषित करता है कि कर्मचारी आधिकारिक कार्य समय के बाद कॉल, ईमेल या अन्य कार्य-संबंधित संचार का उत्तर देने से स्वयं को अलग रख सकता है।

हालाँकि नियोक्ता संपर्क कर सकते हैं, लेकिन कर्मचारी उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं होंगे और इस अधिकार का प्रयोग करने पर उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती।

बिल के पीछे का तर्क

1. **कार्य-जीवन संतुलन की सुरक्षा:** लंबे समय तक डिजिटल रूप से जुड़े रहने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, जिससे बर्नआउट और उत्पादकता में कमी आती है।
2. **कर्मचारी कल्याण सुनिश्चित करना:** कार्य समय के बाद उपलब्धता को अनिवार्य के बजाय वैकल्पिक बनाकर कर्मचारी कल्याण को संस्थागत रूप देना।
3. **वैश्विक प्रथाओं के अनुरूप:** यूरोप जैसे देशों में कार्य समय के बाद नियोक्ता का नियंत्रण कार्य समय माना जाता है, जिससे निर्धारित विश्राम अवधि सुनिश्चित होती है।
4. **संवैधानिक संबंध:** अनुच्छेद 21 (गरिमा के साथ जीवन का अधिकार) का समर्थन करता है, डिजिटल युग में व्यक्तिगत स्वायत्तता की रक्षा करके।

बिल के प्रमुख प्रावधान

1. **लागू क्षेत्र:** उन सभी कर्मचारियों पर लागू होगा जिनके कार्य में निरंतर डिजिटल उपलब्धता की आवश्यकता होती है।
2. **अनुशासनात्मक कार्रवाई से छूट:** इस अधिकार का प्रयोग करने पर कर्मचारियों को बर्खास्तगी, पदावनति या लाभ रोकने जैसी कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा।
3. **कर्मचारी कल्याण प्राधिकरण:** एक केंद्रीय निकाय जो राष्ट्रीय दिशानिर्देश तैयार करेगा, क्रियान्वयन की निगरानी करेगा और कर्मचारी कल्याण को बढ़ावा देगा।
4. **व्यक्तिगत चार्टर/नीतियाँ:** 10 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों को कार्य समय के बाहर अनुमत संचार को स्पष्ट करने वाली नीतियाँ बनानी होंगी। रिमोट और टेलीवर्क करने वाले कर्मचारी भी इसमें शामिल होंगे।
5. **ओवरटाइम भुगतान:** जो कर्मचारी स्वेच्छा से निर्धारित समय से अधिक काम करते हैं, वे सामान्य वेतन दर पर ओवरटाइम के हकदार होंगे (हालाँकि यह वर्तमान श्रम कानूनों से विरोधाभासी है, जिनमें ओवरटाइम के लिए दोगुना वेतन निर्धारित है)।
6. **कर्मचारी कल्याण समितियाँ एवं डिजिटल डिटॉक्स केंद्र:** कंपनियों को जागरूकता सत्र, काउंसलिंग और कार्य समय के बाद की प्रथाओं पर वार्षिक रिपोर्टिंग की सुविधा प्रदान करनी होगी।
7. **दंड:** अनुपालन न करने पर कुल कर्मचारी वेतन का 1% तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

तुलनात्मक दृष्टिकोण

- **केरल बिल:** नियोक्ता के प्रतिनिधियों से होने वाले संचार और स्पष्ट अनुशासनात्मक कार्रवाई को शामिल करते हुए व्यापक परिभाषा।
- **फ्रांस और बेल्जियम:** केवल एक निश्चित आकार से बड़ी कंपनियों पर लागू; नियोक्ता के नियंत्रण में कार्य समय के बाद की उपलब्धता को कार्य समय माना जाता है।
- **जर्मनी:** कार्य समय और विश्राम अवधि पर सख्त नियम, जिसमें स्टैंडबाय समय भी शामिल है।

चुनौतियाँ / चिंताएँ

1. **समान रूप से लागू होना:** स्वास्थ्य सेवा, मीडिया, आपातकालीन सेवाओं जैसे क्षेत्रों में 24×7 उपलब्धता की आवश्यकता हो सकती है।
2. **छोटे संगठन:** एकसमान नियम कम स्टाफ वाली छोटी कंपनियों पर बोझ डाल सकते हैं।
3. **ओवरटाइम टकराव:** सामान्य वेतन पर भुगतान मौजूदा श्रम कानूनों से टकराता है।
4. **व्यावहारिक क्रियान्वयन:** शिकायत निवारण, बातचीत की प्रक्रिया, बहु-समय क्षेत्रीय संचालन और डिजिटल संदर्भ में "कार्य" की परिभाषा को लेकर स्पष्टता का अभाव।
5. **संवैधानिक अस्पष्टता:** अनुच्छेद 21 से संबंध स्पष्ट है, लेकिन स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है।

सरकार और उद्योग का दृष्टिकोण

- **सरकार:** इसे कर्मचारी कल्याण और डिजिटल युग के श्रम सुधार की दिशा में एक कदम मानती है।
- **उद्योग:** मिश्रित प्रतिक्रिया; संचालन की व्यवहारिकता, दंड और वैश्विक कार्यबल अनुपालन को लेकर चिंताएँ।

निष्कर्ष

राइट टू डिस्कनेक्ट बिल कार्य और निजी जीवन के बीच अंतर को मान्यता देता है, खासकर बढ़ते डिजिटल कार्यस्थल के संदर्भ में। यह वैश्विक रुझानों के अनुरूप है और कर्मचारी कल्याण को बढ़ावा देता है, लेकिन इसकी लागू सीमा, परिभाषाएँ और प्रवर्तन तंत्र को और स्पष्ट करने की आवश्यकता है। यह बिल भारत में डिजिटल श्रम, कार्य-जीवन संतुलन और संवैधानिक अधिकारों पर व्यापक चर्चा की एक शुरुआत के रूप में देखा जा सकता है, जो भविष्य में श्रम कानूनों की दिशा तय कर सकता है।

दिव्यांग कैदियों के साथ दुर्व्यवहार पर जेल अधिकारियों को RPwD अधिनियम के तहत दंड

चर्चा में क्यों: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2 दिसंबर 2025 को दिए गए एक ऐतिहासिक आदेश में कहा कि जो जेल अधिकारी दिव्यांग कैदियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं या उनकी उपेक्षा करते हैं, उन्हें **दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम (RPwD Act), 2016** के तहत दंडित किया जाएगा। यह आदेश **सत्यन नारवूर** द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) पर पारित किया गया, जिसमें प्रोफेसर जी.एन. साईबाबा और स्टैन स्वामी की मौतों को उजागर किया गया था, जिनकी मृत्यु अमानवीय जेल परिस्थितियों और दिव्यांगता संबंधी सुविधाओं की कमी के कारण हुई थी।

सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख निर्देश

1. **शिकायत निवारण:**

- प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को दिव्यांग कैदियों के लिए एक **स्वतंत्र और सुलभ शिकायत निवारण तंत्र** स्थापित करना होगा।
- यह तंत्र उपेक्षा या दुर्व्यवहार से संबंधित शिकायतों का **तत्काल पंजीकरण, निगरानी और समयबद्ध निपटान** सुनिश्चित करेगा।

2. **सहायक उपकरण और सुगम्यता:**

- जेल प्रशासन को **चलने में सहायक उपकरण, सहायक डिवाइस और अन्य दिव्यांगता-सहायक साधन** उपलब्ध कराने होंगे।
- जेलों को **व्हीलचेयर-फ्रेंडली स्थान, सुलभ शौचालय, रैंप और संवेदी-सुरक्षित वातावरण** के साथ पुनः अनुकूलित किया जाएगा।

3. **समावेशी शिक्षा:**

- दिव्यांग कैदियों को केवल उनकी दिव्यांगता के आधार पर **शैक्षिक अवसरों से वंचित नहीं किया जा सकता**।
- जेलों को समावेशी शिक्षा तक **सार्थक पहुँच सुनिश्चित करने हेतु सुविधाएँ विकसित करनी होंगी**।

4. **विस्तारित मुलाक़ात अधिकार:**

- बेंचमार्क दिव्यांगता वाले कैदियों को **भावनात्मक सहयोग और उनकी विशेष आवश्यकताओं की निगरानी** हेतु बढ़ी हुई पारिवारिक मुलाक़ात का अधिकार होगा।
- राज्यों को ऐसी मुलाक़ातों के लिए **उचित प्रक्रियाएँ (modalities)** निर्धारित करनी होंगी।

5. **दंडात्मक प्रावधान:**

- **RPwD अधिनियम की धारा 89** के अंतर्गत, अधिनियम का उल्लंघन करने वाले जेल अधिकारियों पर निम्न दंड लगाए जा सकते हैं:
  - प्रथम अपराध पर **₹10,000 का जुर्माना**
  - बाद के अपराधों पर **₹50,000 से ₹5 लाख तक का जुर्माना**

6. **अनुपालन रिपोर्ट:**

- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को **चार माह के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट** प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें न्यायालय के निर्देशों के क्रियान्वयन और सहायक उपकरणों के रखरखाव की जानकारी हो।

7. **पूर्व निर्देशों का विस्तार:**

- **एल. मुरुगानंथम् बनाम तमिलनाडु (2025)** मामले में दिए गए निर्देश, जिनमें जेलों की सुगम्यता से संबंधित दिशा-निर्देश थे, अब **पूरे देश में लागू होंगे**।

महत्व

- **मानवाधिकार संरक्षण:** यह पुनः पुष्टि करता है कि दिव्यांग कैदियों को हिरासत में होने के बावजूद **गरिमा, सुगम्यता और भेदभाव-रहित व्यवहार** का अधिकार है।
- **न्यायिक सक्रियता:** यह RPwD अधिनियम के तहत **मौलिक अधिकारों की रक्षा में न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका** को दर्शाता है।
- **सार्वभौमिक सुगम्यता:** यह रेखांकित करता है कि सुगम्यता कोई विकल्प नहीं बल्कि **संवैधानिक अधिकार** है, जो सभी सार्वजनिक संस्थानों पर लागू होता है।
- **त्रासदियों की रोकथाम:** इसका उद्देश्य साईबाबा और स्वामी जैसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकना है, जहाँ दिव्यांगता संबंधी सुविधाओं की कमी के कारण गंभीर परिणाम हुए।

चुनौतियाँ / चिंताएँ

- पुरानी जेलों का नवीनीकरण और सहायक उपकरणों की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करना **काफी संसाधन-साध्य** हो सकता है।
- सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुपालन की निगरानी करना **प्रशासनिक रूप से चुनौतीपूर्ण** हो सकता है।
- जेल कर्मचारियों में जागरूकता सुनिश्चित करना और दंडात्मक प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन करना **संस्थागत प्रतिरोध** का सामना कर सकता है।

निष्कर्ष:

सर्वोच्च न्यायालय ने RPwD अधिनियम के अंतर्गत कैदियों को दिए गए वैधानिक संरक्षण को विस्तारित करते हुए एक ऐतिहासिक मिसाल स्थापित की है। यह निर्णय सुनिश्चित करता है कि कारावास किसी व्यक्ति से उसकी **गरिमा, शिक्षा और सुगम्यता के अधिकार** नहीं छीन सकता। यह फैसला इस बात पर बल देता है कि सुगम्यता एक **मौलिक अधिकार** है और संस्थानों को दिव्यांग व्यक्तियों के साथ इसे वैकल्पिक मानने के बजाय सक्रिय रूप से लागू करना होगा।

सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानूनों में संशोधन) विधेयक, 2025

चर्चा में क्यों: सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानूनों में संशोधन) विधेयक, 2025 को **17 दिसंबर 2025** को संसद द्वारा पारित किया गया। यह विधेयक तीन प्रमुख कानूनों में संशोधन करता है:

- बीमा अधिनियम, 1938
- भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) अधिनियम, 1956
- बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) अधिनियम, 1999

इसका मुख्य उद्देश्य भारत की बीमा प्रणाली का आधुनिकीकरण करना, कवरेज को गहरा करना, नियामकीय निगरानी को मजबूत करना और इस क्षेत्र में **ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस** को बढ़ावा देना है।

मुख्य विशेषताएँ

1. **तीव्र विकास और विदेशी निवेश**

- यह विधेयक भारतीय बीमा कंपनियों में **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को 100% तक** अनुमति देता है, जो पहले 74% था।
- इससे **स्थिर और दीर्घकालिक निवेश**, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा **वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं** को अपनाने में मदद मिलेगी।
- यह कदम प्रतिस्पर्धा बढ़ाएगा, उत्पाद नवाचार को प्रोत्साहित करेगा और नागरिकों को बेहतर सेवाएँ उपलब्ध कराएगा।
- विदेशी पुनर्बीमा कंपनियों के लिए **नेट ओन्ड फंड (NOF)** की आवश्यकता ₹5,000 करोड़ से घटाकर **₹1,000 करोड़** कर दी गई है, जिससे अधिक पुनर्बीमाकर्ताओं को भारत में प्रवेश के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

2. **व्यापार करने में सुगमता**

- बीमा मध्यस्थों के लिए अब **एकमुश्त लाइसेंसिंग प्रणाली** होगी और लाइसेंस को सीधे रद्द करने के बजाय **निलंबित** किया जा सकेगा, जिससे अनुपालन का बोझ कम होगा।
- बीमाकर्ताओं को अब **इक्विटी ट्रांसफर (5% तक)** के लिए पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे संचालन अधिक सुगम होगा।
- LIC को विदेशों में ज़ोनल कार्यालय खोलने की स्वायत्तता दी गई है और उसके विदेशी कार्यालयों को स्थानीय कानूनों एवं विनियमों के अनुरूप किया जाएगा, जिससे परिचालन दक्षता बढ़ेगी।

3. **पॉलिसीधारक संरक्षण में वृद्धि**

- **पॉलिसीधारक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (Policyholders' Education and Protection Fund – PEPF)** की स्थापना की जाएगी, ताकि नागरिकों में बीमा के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके।
- बीमाकर्ताओं और मध्यस्थों को **DPDP अधिनियम, 2023** के अनुरूप डेटा सुरक्षा, गोपनीयता और सटीकता सुनिश्चित करनी होगी।
- IRDAI को जनहित में निर्देश जारी करने का अधिकार दिया गया है, जिसमें बीमाकर्ताओं या मध्यस्थों से **गलत तरीके से अर्जित लाभ की वापसी (disgorgement)** भी शामिल है।
- दंड प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाया गया है, जिसमें **अधिकतम जुर्माना ₹10 करोड़** तक बढ़ाया गया है तथा दंड लगाने के मानदंड स्पष्ट रूप से निर्धारित किए गए हैं।

4. **परिचालन और नियामकीय सुधार**

- विनियमन निर्माण के लिए **मानक संचालन प्रक्रिया (SOPs)** लागू की गई हैं, जिससे पारदर्शिता और परामर्शात्मक प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके।
- अब **ऑनलाइन प्रीमियम भुगतान** को जोखिम ग्रहण करने के लिए कानूनी मान्यता दी गई है।
- IRDAI को विलय (mergers) और समामेलन (amalgamations) को स्वीकृति देने तथा पात्रता मानदंड, शक्तियाँ और बीमांकिक (actuaries) के कार्य निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है।
- स्वास्थ्य बीमा और बीमा व्यवसाय जैसे प्रमुख शब्दों की परिभाषाओं को आधुनिक प्रथाओं के अनुरूप अद्यतन किया गया है।

छूटे हुए अवसर

1. **समग्र बीमा लाइसेंस का अभाव**

- यह विधेयक **कॉम्पोज़िट लाइसेंस** की अनुमति नहीं देता, जिससे बीमाकर्ता जीवन और गैर-जीवन दोनों क्षेत्रों में कार्य कर सकते।
- इस प्रावधान के अभाव से क्षेत्र की **खंडित (siloed) संरचना** बनी रहती है, जिससे उत्पाद एकीकरण, ग्राहक सुविधा और क्रॉस-सेलिंग के अवसर सीमित हो जाते हैं।

2. **नए प्रवेशकों के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकता में कोई कमी नहीं**

- वर्तमान पूंजी सीमा (बीमाकर्ताओं के लिए ₹100 करोड़, पुनर्बीमाकर्ताओं के लिए ₹200 करोड़) में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
- ऊँची प्रवेश बाधाएँ छोटे, विशिष्ट या क्षेत्रीय बीमाकर्ताओं के प्रवेश को रोकती हैं, जिससे **नवाचार, वित्तीय समावेशन और कम सेवा प्राप्त क्षेत्रों में कवरेज** सीमित रह जाता है।

3. **अन्य चूक**

- बीमाकर्ताओं को म्यूचुअल फंड, ऋण और क्रेडिट कार्ड जैसे अन्य वित्तीय उत्पाद वितरित करने की अनुमति से संबंधित प्रावधान शामिल नहीं किए गए हैं।
- यह विधेयक बड़ी कंपनियों के लिए **कैप्टिव इंश्योरेंस संस्थाओं** की अनुमति नहीं देता, जिससे भारत में कॉरपोरेट जोखिम प्रबंधन का आधुनिकीकरण हो सकता था।

प्रभाव

- FDI उदारीकरण और विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के लिए आसान प्रवेश से **पूंजी प्रवाह, प्रौद्योगिकी अपनाने और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं** को बढ़ावा मिलने की संभावना है।
- नियामकीय सुधार **पॉलिसीधारक संरक्षण, जवाबदेही और पारदर्शिता** को मजबूत करते हैं।
- LIC को मिली परिचालन स्वतंत्रता और मध्यस्थों के लिए सरल लाइसेंसिंग से **दक्षता और सेवा वितरण** में सुधार होगा।
- कॉम्पोज़िट लाइसेंस की अनुपस्थिति और न्यूनतम पूंजी सीमा में कमी न होने से **नवाचार, प्रतिस्पर्धा और वित्तीय समावेशन** सीमित रहते हैं, जिससे संरचनात्मक समस्याएँ बनी रहती हैं।

निष्कर्ष

सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानूनों में संशोधन) विधेयक, 2025 भारत के बीमा क्षेत्र के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालाँकि यह विधेयक नियामकीय निगरानी, पॉलिसीधारक संरक्षण और परिचालन दक्षता को मजबूत करता है, लेकिन कॉम्पोज़िट लाइसेंस की अनुपस्थिति और उच्च पूंजी आवश्यकताएँ यह दर्शाती हैं कि **गहन संरचनात्मक सुधार अभी भी लंबित हैं**। इन उपायों का सफल क्रियान्वयन भारत को एक **प्रतिस्पर्धी, समावेशी और तकनीकी रूप से उन्नत बीमा पारिस्थितिकी तंत्र** बनाने में मदद कर सकता है, जिससे कवरेज, दक्षता और वित्तीय क्षेत्र की मजबूती बढ़ेगी।

सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (SHANTI) विधेयक, 2025

चर्चा में क्यों: भारत सरकार ने संसद में सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (SHANTI) विधेयक, 2025 पेश किया है। यह विधेयक परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010 को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव करता है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के कड़े रूप से विनियमित परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सीमित निजी भागीदारी को सक्षम बनाना तथा वर्ष 2047 तक 100 GW परमाणु ऊर्जा क्षमता के राष्ट्रीय लक्ष्य को समर्थन देना है।

भारत में परमाणु ऊर्जा की वर्तमान स्थिति

- परमाणु ऊर्जा भारत के कुल विद्युत उत्पादन में लगभग 3% का योगदान देती है (2024–25)।
- भारत की **स्थापित परमाणु क्षमता लगभग 8.78 GW** है।
- चल रही रिएक्टर परियोजनाओं के साथ क्षमता **2031–32 तक 22.38 GW** होने का अनुमान है।
- सरकार ने **परमाणु ऊर्जा मिशन** की घोषणा की है, जिसके तहत **2047 तक 100 GW** क्षमता हासिल करने का लक्ष्य है, जिसमें **स्वदेशी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMRs)** की तैनाती भी शामिल है।

SHANTI विधेयक की आवश्यकता

- भारत की बढ़ती ऊर्जा मांग, डेटा सेंटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए **विश्वसनीय, चौबीसों घंटे उपलब्ध ऊर्जा** की आवश्यकता है।
- मौजूदा कानूनों के तहत परमाणु ऊर्जा गतिविधियाँ मुख्यतः **केंद्र सरकार तक सीमित** हैं, जिससे पूंजी जुटाने और विस्तार की गति बाधित होती है।
- **निजी क्षेत्र की भागीदारी** को निर्माण जोखिम साझा करने, समय-सीमा घटाने और क्षमता विस्तार के लिए आवश्यक माना गया है।
- एक **एकीकृत और आधुनिक कानूनी ढाँचे** की आवश्यकता थी ताकि
  - नियामकीय अस्पष्टता कम हो,

- सुरक्षा शासन में सुधार हो, और
- निवेश को आकर्षित किया जा सके।

SHANTI विधेयक के प्रमुख प्रावधान

- यह विधेयक **सार्वजनिक और निजी कंपनियों**, तथा **संयुक्त उपक्रमों** को लाइसेंस शर्तों के तहत **परमाणु विद्युत संयंत्रों के निर्माण और संचालन** की अनुमति देता है।
- निजी संस्थाओं को **परमाणु ईंधन, प्रौद्योगिकी, उपकरण और खनिजों के परिवहन, भंडारण, आयात और निर्यात** की अनुमति होगी, जो सरकारी स्वीकृति के अधीन होगी।
- सभी परमाणु गतिविधियों के लिए **परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड** (AERB) से अनिवार्य सुरक्षा स्वीकृति आवश्यक होगी।
- यह विधेयक AERB को **वैधानिक दर्जा** प्रदान करता है, जिससे परमाणु सुरक्षा नियामक के रूप में उसकी कानूनी शक्ति मजबूत होगी।
- कुछ **अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण गतिविधियाँ** जैसे समृद्धिकरण (enrichment), समस्थानिक पृथक्करण (isotopic separation), प्रयुक्त ईंधन का पुनःप्रसंस्करण, उच्च-स्तरीय अपशिष्ट प्रबंधन और भारी जल उत्पादन **केवल केंद्र सरकार के नियंत्रण में** रहेंगी।

दायित्व और जवाबदेही ढाँचा

- यह विधेयक उस पुराने प्रावधान को हटाता है जिसमें **उपकरण की खराबी या घटिया सेवाओं के लिए आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध स्वतः कार्रवाई (operator recourse)** की अनुमति थी।
- अब ऑपरेटर की देयता को रिएक्टर के आकार के आधार पर निर्धारित किया गया है, जो पहले की समान सीमा (flat cap) को प्रतिस्थापित करता है:
  - **₹3,000 करोड़ तक** – 3,600 MWe से अधिक क्षमता वाले रिएक्टरों के लिए
  - **₹1,500 करोड़** – 1,500–3,600 MWe रिएक्टरों के लिए
  - **₹750 करोड़** – 750–1,500 MWe रिएक्टरों के लिए
  - **₹300 करोड़** – 150–750 MWe रिएक्टरों के लिए
  - **₹100 करोड़** – छोटे रिएक्टरों, ईंधन चक्र सुविधाओं (पुनःप्रसंस्करण संयंत्रों को छोड़कर) और परमाणु सामग्री के परिवहन के लिए
- केंद्र सरकार, सार्वजनिक हित में, ऑपरेटर की सीमा से अधिक देयता स्वयं वहन कर सकती है।
- निजी ऑपरेटरों के लिए **बीमा या वित्तीय सुरक्षा बनाए रखना अनिवार्य** होगा, जबकि केंद्र सरकार की संस्थाओं को इससे छूट दी गई है।

संस्थागत और विवाद निवारण प्रावधान

- विधेयक में **परमाणु ऊर्जा निवारण सलाहकार परिषद (Atomic Energy Redressal Advisory Council)** की स्थापना का प्रावधान है, जो शिकायतों के निवारण और सरकारी आदेशों की समीक्षा करेगी।
- गंभीर परमाणु क्षति से जुड़े मामलों के लिए **परमाणु क्षति दावा आयोग (Nuclear Damage Claims Commission)** की स्थापना की जाएगी।
- परमाणु घटनाओं से संबंधित मुआवज़ा दावों का निपटारा **दावा आयुक्तों** द्वारा किया जाएगा।
- **विद्युत अपीलीय अधिकरण** को इस विधेयक के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकरण नामित किया गया है।
- केंद्र सरकार को अपनी देयताओं की पूर्ति के लिए **परमाणु दायित्व कोष (Nuclear Liability Fund)** स्थापित करने का अधिकार दिया गया है।

विधेयक का महत्व

- यह विधेयक भारत के परमाणु कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करता है और उसे **स्वच्छ ऊर्जा एवं डीकार्बनाइजेशन लक्ष्यों** के अनुरूप बनाता है।
- यह संभावित परमाणु संचालकों के दायरे का विस्तार करता है, जिससे **बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश** संभव हो सकेगा।
- यह संवेदनशील परमाणु क्षेत्रों में **निजी भागीदारी और रणनीतिक सरकारी नियंत्रण** के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है।
- सुरक्षा, दायित्व और विवाद निवारण तंत्र को एकीकृत कर, यह **परियोजना में देरी और लेन-देन लागत** को कम करने का लक्ष्य रखता है।

चिंताएँ और चुनौतियाँ

- **सीमित ऑपरेटर दायित्व (capped liability)** से पीड़ितों को पर्याप्त मुआवज़ा और पर्यावरणीय क्षति की भरपाई को लेकर चिंता उत्पन्न होती है।
- आपूर्तिकर्ता दायित्व हटाए जाने से **आपूर्तिकर्ताओं की जवाबदेही कमजोर** हो सकती है और जोखिम असमान रूप से सार्वजनिक क्षेत्र पर स्थानांतरित हो सकता है।
- वैधानिक दर्जा होने के बावजूद, **AERB की नियामकीय स्वतंत्रता** केंद्र सरकार के प्रभाव के कारण चिंता का विषय बनी हुई है।
- कुछ परमाणु गतिविधियों को **RTI प्रावधानों से छूट** दिए जाने के कारण पारदर्शिता से जुड़े प्रश्न उठते हैं।

आगे की राह

- **AERB की कार्यात्मक और वित्तीय स्वतंत्रता** को सुदृढ़ करना जनविश्वास बनाने के लिए आवश्यक है।
- **निजी और विदेशी निवेश** के लिए स्पष्ट और पारदर्शी नियम बनाए जाने चाहिए ताकि अनिश्चितता कम हो।
- मजबूत **बीमा और मुआवज़ा तंत्र** सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जिससे नागरिकों और पर्यावरण को पर्याप्त सुरक्षा मिल सके।
- **संसदीय निगरानी और सार्वजनिक संवाद** को बढ़ाया जाना चाहिए ताकि जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।
- **स्वदेशी रिएक्टर डिज़ाइन और SMRs** पर निरंतर ध्यान भारत को उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकी में अग्रणी बना सकता है।

निष्कर्ष

SHANTI विधेयक, 2025 भारत के परमाणु शासन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतीक है, क्योंकि यह रणनीतिक सरकारी नियंत्रण बनाए रखते हुए क्षेत्र को **नियंत्रित निजी भागीदारी** के लिए खोलता है। सशक्त नियामकीय निगरानी और पारदर्शी प्रशासन के साथ लागू किए जाने पर, यह विधेयक भारत के **दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा और ऊर्जा सुरक्षा लक्ष्यों** को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, विशेष रूप से **2047 तक 100 GW परमाणु क्षमता** के लक्ष्य को हासिल करने में।

विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान (VBSA) विधेयक, 2025

चर्चा में क्यों: **विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान (VBSA) विधेयक, 2025** को दिसंबर 2025 में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। विपक्ष के कड़े विरोध के बाद सरकार ने इस विधेयक को **संयुक्त संसदीय समिति (JPC)** को विस्तृत समीक्षा के

लिए भेज दिया। यह विधेयक **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020** के अनुरूप भारत की उच्च शिक्षा नियामक व्यवस्था में व्यापक सुधार करने का लक्ष्य रखता है।

विधेयक का उद्देश्य

- उच्च शिक्षा में **अत्यधिक विनियमन, नियंत्रण की पुनरावृत्ति और अनेक नियामकों** की समस्या को दूर करना।
- एक **"हल्का लेकिन सख्त" (light but tight)** नियामक ढाँचा स्थापित करना, जो स्वायत्तता, पारदर्शिता, जवाबदेही और नवाचार को बढ़ावा दे।
- भारत की उच्च शिक्षा शासन व्यवस्था को **21वीं सदी के विकसित भारत के आकांक्षात्मक लक्ष्यों** के अनुरूप बनाना।

मुख्य प्रावधान

- यह विधेयक **तीन मौजूदा कानूनों को निरस्त** करने का प्रस्ताव करता है:
  - विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) अधिनियम, 1956
  - अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) अधिनियम, 1987
  - राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) अधिनियम, 1993
- इसके स्थान पर एक शीर्ष छत्र निकाय के रूप में **विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान (VBSA)** की स्थापना की जाएगी।
- VBSA निम्नलिखित तीन परिषदों के माध्यम से कार्य करेगा:
  - विकसित भारत शिक्षा विनियमन परिषद
  - विकसित भारत शिक्षा मानक परिषद
  - विकसित भारत शिक्षा गुणवत्ता परिषद

तीनों परिषदों के कार्य

- **नियामक परिषद** संस्थानों को डिग्री प्रदान करने की अनुमति देगी और अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
- **मानक परिषद** अधिगम परिणाम, पाठ्यक्रम ढाँचा और संकाय योग्यता निर्धारित करेगी।
- **मान्यता परिषद** उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक समान मान्यता ढाँचा विकसित और पर्यवेक्षण करेगी।

दायरा और लागू क्षेत्र

- यह विधेयक निम्न पर लागू होगा:
  - **राष्ट्रीय महत्व के संस्थान (INIs)** जैसे IITs, IIMs, NITs, IISERs
  - केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय और डीम्ड विश्वविद्यालय
  - तकनीकी और शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान
- यह **चिकित्सा, विधि, दंत, फार्मेसी और पशु चिकित्सा संस्थानों** पर लागू नहीं होगा, क्योंकि ये अलग नियामक निकायों द्वारा शासित हैं।

नियुक्ति और प्रशासनिक संरचना

- VBSA में **एक अध्यक्ष और 12 सदस्य** होंगे, जिन्हें **केंद्र सरकार की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति** द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
- प्रत्येक परिषद में **14 सदस्य** होंगे, जिनकी नियुक्ति केंद्रीकृत प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी।
- नियामक और मानक परिषदों में **एक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नामित सदस्य** रोटेशनल बेसिस पर शामिल होगा।

वित्तपोषण और अनुदान

- मौजूदा UGC के विपरीत, **VBSA को अनुदान वितरित करने की शक्ति नहीं होगी**।
- अनुदानों का आवंटन **शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित तंत्रों** के माध्यम से किया जाएगा।
- यह विधेयक **विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान कोष (Viksit Bharat Shiksha Adhishthan Fund)** की स्थापना करता है, जिसे मुख्यतः **केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित** किया जाएगा।

शक्तियाँ, दंड और प्रवर्तन

- **नियामक परिषद** को ₹10 लाख से लेकर ₹2 करोड़ तक का **भारी दंड** लगाने का अधिकार होगा, जो मौजूदा UGC दंडों से कहीं अधिक है।
- यह विधेयक **केंद्र सरकार को VBSA और उसकी परिषदों को बाध्यकारी नीति निर्देश जारी करने का अधिकार** देता है।
- केंद्र सरकार अपने निर्देशों का पालन न होने पर **आयोग या परिषदों को निलंबित** कर सकती है।

मौजूदा व्यवस्था से भिन्नता

- वर्तमान में UGC, AICTE और NCTE स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, जिससे अक्सर **नियमों का दोहराव और टकराव** होता है।
- मान्यता प्रणाली **NAAC और NBA** के बीच बंटी हुई है, और कई प्रतिष्ठित संस्थान अब भी मान्यता के दायरे से बाहर हैं।
- यह विधेयक **विनियमन, मानक निर्धारण और मान्यता** को एक ही ढांचे के अंतर्गत लाता है, जिससे **एकरूपता और स्पष्टता** सुनिश्चित होती है।

समर्थन में तर्क

- यह विधेयक नियमन को सरल बनाता है और **अनावश्यक अनुमोदनों व निरीक्षणों को कम करता है**।
- यह सभी संस्थानों में **समान शैक्षणिक मानक और मान्यता मानदंड** स्थापित करता है।
- विनियमन और वित्तपोषण को अलग करने से **हितों के टकराव** से बचाव होता है।
- विशेषज्ञों का मानना है कि इससे उच्च शिक्षा प्रशासन में **दक्षता, पूर्वानुमेयता और नीति-संगति** में सुधार होगा।

चिंताएँ और आलोचनाएँ

- विपक्षी दलों का आरोप है कि इससे **अत्यधिक केंद्रीकरण** होगा और संघवाद कमजोर होगा।
- शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रत्यक्ष वित्तीय नियंत्रण से **विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता प्रभावित** हो सकती है।
- सभी राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों को एक साझा नियामक ढांचे में लाना उनकी **वैधानिक स्वायत्तता** को कमजोर कर सकता है।
- हिंदी शब्दावली के अत्यधिक प्रयोग से **भाषाई थोपे जाने (linguistic imposition)** की चिंता व्यक्त की गई है।
- मान्यता ढाँचे, दंड और स्वायत्तता से जुड़े कई अहम प्रावधानों को **भविष्य के नियमों और कार्यकारी निर्देशों** पर छोड़ दिया गया है।

संघवाद और स्वायत्तता से जुड़े मुद्दे

- राज्य सरकारों को आशंका है कि **राज्य कानूनों के अंतर्गत स्थापित विश्वविद्यालयों पर उनका नियंत्रण कम हो जाएगा**।
- शिक्षक और छात्र संगठन मानते हैं कि यह विधेयक **अत्यधिक नौकरशाही और राजनीतिक हस्तक्षेप** को बढ़ावा दे सकता है।
- आलोचकों का कहना है कि **संरचना और नियुक्तियाँ पूरी तरह केंद्र-नियंत्रित** हैं, जिससे संस्थागत स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है।

आगे की राह

- **संस्थागत स्वायत्तता और अकादमिक स्वतंत्रता** की रक्षा के लिए स्पष्ट सुरक्षा उपाय आवश्यक हैं।
- शासन संरचनाओं में **राज्यों, शिक्षकों और शिक्षाविदों का अधिक प्रतिनिधित्व** वैधता बढ़ा सकता है।
- **पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ वित्तपोषण तंत्र** विकसित किए जाने चाहिए ताकि राजनीतिक हस्तक्षेप से बचा जा सके।
- **संघीय संतुलन, भाषाई समावेशन और नियामकीय स्वतंत्रता** से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए JPC प्रक्रिया का प्रभावी उपयोग किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

VBSA विधेयक, 2025 भारत की उच्च शिक्षा नियामक व्यवस्था को NEP 2020 के अनुरूप पुनर्गठित करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यद्यपि यह सरलीकरण, एकरूपता और दक्षता का वादा करता है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि **केंद्रीकृत शक्तियों का उपयोग कैसे किया जाता है और स्वायत्तता की रक्षा कैसे की जाती है**। यह विधेयक भारत के उच्च शिक्षा सुधारों में एक निर्णायक मोड़ पर है, जिसके **संघवाद, अकादमिक स्वतंत्रता और शिक्षा की गुणवत्ता** पर दीर्घकालिक प्रभाव होंगे।

भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

चर्चा में क्यों: हाल ही में रणवीर इलाहाबादिया बनाम भारत संघ (2025) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन सामग्री के लिए तटस्थ और स्वायत्त नियामक निकायों के गठन का सुझाव दिया। न्यायालय ने यह भी अनुशंसा की कि सरकार नियामकीय दिशा-निर्देशों का मसौदा प्रकाशित करे और सार्वजनिक टिप्पणियाँ आमंत्रित करे। इन टिप्पणियों से यह बहस शुरू हो गई है कि क्या न्यायालयों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए या अनजाने में उसे नियंत्रित करने का जोखिम उठाना चाहिए।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है?

- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है विचारों, मतों, विश्वासों और सूचनाओं को बिना अनुचित हस्तक्षेप के भाषण, लेखन, कला या डिजिटल माध्यमों के माध्यम से व्यक्त करने का अधिकार।
- यह **लोकतंत्र की आधारशिला** है, जो असहमति, जवाबदेही, सूचित निर्णय-निर्माण और विचारों के मुक्त आदान-प्रदान को सक्षम बनाती है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 19(1)(a)** सभी नागरिकों को **वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता** की गारंटी देता है।
- **अनुच्छेद 19(2)** केवल कुछ विशिष्ट आधारों पर **युक्तिसंगत प्रतिबंध** लगाने की अनुमति देता है, जैसे:
  - भारत की संप्रभुता और अखंडता
  - राज्य की सुरक्षा
  - सार्वजनिक व्यवस्था
  - शालीनता या नैतिकता
  - मानहानि
  - न्यायालय की अवमानना
  - अपराध के लिए उकसावा (Incitement to an offence)
- अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत दिए गए आधार सुविस्तृत (exhaustive) हैं, न कि व्याख्यात्मक (illustrative), जैसा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पष्ट किया गया है।

मौजूदा कानूनी और नियामक ढांचा

- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000:**
  - **धारा 67** — अश्लील सामग्री से संबंधित प्रावधान।
  - **धारा 66, 66E और 66F** — हैकिंग, निजता के उल्लंघन और साइबर आतंकवाद से संबंधित प्रावधान।
- **भारतीय न्याय संहिता:**
  - **धारा 294, 295 और 296** — अश्लीलता और आपत्तिजनक कृत्यों से संबंधित प्रावधान।
- **आईटी (मध्यस्थ दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021:**
  - केंद्र सरकार के अंतर्गत **निगरानी तंत्र** प्रदान करते हैं।
  - प्रकाशकों और मध्यस्थों पर दायित्व लगाते हैं, जिनमें **पूर्व प्रतिबंध (prior restraint)** जैसे प्रावधान शामिल हैं, जिनकी व्यापक आलोचना हुई है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा में न्यायालयों की भूमिका

- **संवैधानिक पंच:** न्यायालयों का दायित्व है यह जांचना कि अभिव्यक्ति पर लगाए गए प्रतिबंध **उचित और संवैधानिक रूप से वैध** हैं या नहीं।
- **पूर्व प्रतिबंध के विरुद्ध संरक्षक:** न्यायिक समीक्षा को पूर्व-सेंसरशिप और व्यापक प्रतिबंधों को रोकना चाहिए।
- **सत्ता के पृथक्करण का सिद्धांत:** कानून निर्माण और नीति निर्माण विधायिका एवं कार्यपालिका के क्षेत्र में आते हैं, न कि न्यायपालिका के।
- **अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत अधिकार संतुलन:** न्यायालय केवल उन्हीं आधारों पर अधिकारों का संतुलन कर सकते हैं जो संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेखित हैं।

नियमन में न्यायिक विस्तार से उत्पन्न चिंताएँ

1. **क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण**
   - रणवीर इलाहाबादिया मामले में न्यायालय ने एफआईआर के मूल मुद्दे से आगे बढ़कर कार्यवाही के दायरे का विस्तार किया।
   - सामग्री विनियमन मुख्यतः **विधायी कार्य** है, जिसके लिए नीति निर्माण और तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है।
2. **पूर्व प्रतिबंध का जोखिम**
   - नए नियमों पर न्यायिक ज़ोर **पूर्व-सेंसरशिप** को जन्म दे सकता है, जिसका न्यायालय स्वयं ऐतिहासिक रूप से विरोध करता रहा है।
3. **अस्पष्टता और व्यक्तिपरकता**
   - "नैतिकता" या "आपत्तिजनकता" जैसे मानकों पर आधारित नियम **अस्पष्ट** होते हैं, जिससे मनमाना प्रवर्तन संभव हो जाता है।
4. **अभिव्यक्ति पर दमनकारी प्रभाव**
   - नियमन, अभियोजन या सामग्री हटाने का भय **वैध असहमति और आलोचना को हतोत्साहित** करता है।

प्रमुख न्यायिक दृष्टांत

- **सहारा इंडिया बनाम SEBI (2012):**
  - पूर्व-सेंसरशिप से बचना चाहिए; स्थगन आदेश अंतिम उपाय होने चाहिए।

- **कौशल किशोर बनाम उत्तर प्रदेश (2023):**
  - ➢ अनुच्छेद 19(2) के आधार **सम्पूर्ण हैं**, न्यायालय द्वारा कोई अतिरिक्त प्रतिबंध नहीं जोड़े जा सकते।
- **कॉमन कॉज़ बनाम भारत संघ (2008):**
  - ➢ न्यायालयों को नीति मामलों में अपनी संस्थागत सीमाओं को पहचानना चाहिए।
- **आदर्श कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बनाम भारत संघ (2018):**
  - ➢ सामग्री विनियमन केवल वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा विधि प्रक्रिया के तहत ही किया जा सकता है।
- **श्रेय सिंघल बनाम भारत संघ (2015):**
  - ➢ आईटी अधिनियम की धारा 66A को अस्पष्टता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव के कारण निरस्त किया गया।

तुलनात्मक अंतरराष्ट्रीय प्रथाएँ

- **यूरोपीय संघ (डिजिटल सर्विसेज़ एक्ट, 2022):**
  - ➢ सामग्री हटाने की प्रक्रियाओं पर केंद्रित।
- **यूनाइटेड किंगडम (ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट, 2023):**
  - ➢ सामग्री हटाने और जुर्माने पर जोर देता है।
- **ऑस्ट्रेलिया (ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट, 2021):**
  - ➢ पूर्व-सेंसरशिप के बिना अनुपालन न करने पर दंड का प्रावधान।
- इसके विपरीत, **चीन और रूस** निगरानी और पूर्व-सेंसरशिप पर निर्भर हैं, जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कमजोर होती है।
- अध्ययन दर्शाते हैं कि लोकतांत्रिक पतन (democratic backsliding) में न्यायालयों का दुरुपयोग संभव है, जिससे संयम की आवश्यकता रेखांकित होती है।

आगे की राह

- न्यायालयों को **न्यायिक संयम** अपनाना चाहिए और स्वयं को संवैधानिक समीक्षा तक सीमित रखना चाहिए।
- अभिव्यक्ति पर कोई भी प्रतिबंध **सटीक, सीमित और अनुच्छेद 19(2) के अनुरूप** होना चाहिए।
- **पूर्व-कार्रवाई की बजाय पश्च-उपचार (post-facto remedies)** को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- भारत को ऐसे **लोकतांत्रिक वैश्विक सर्वोत्तम अभ्यास** अपनाने चाहिए जो नियमन और स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखें।
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित न्यायशास्त्र को यह दोहराना चाहिए कि **स्वतंत्रता नियम है और प्रतिबंध अपवाद**।

निष्कर्ष

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र की **जीवनरेखा** है, जिसे अनुच्छेद 19(1)(a) द्वारा संरक्षित किया गया है और केवल अनुच्छेद 19(2) के तहत ही सीमित किया जा सकता है। न्यायालयों को **संरक्षक** की भूमिका निभानी चाहिए, न कि नियामक की, ताकि संवैधानिक निष्ठा और लोकतांत्रिक जवाबदेही बनी रहे। जैसा कि संविधान सभा की बहसों में चेतावनी दी गई थी, सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका **प्रतिबंधों की तर्कसंगतता की जांच करना है, उन्हें गढ़ना नहीं**।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: भारत में वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों के आधार सुविस्तृत हैं।
2. सर्वोच्च न्यायालय सार्वजनिक नैतिकता के हित में अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगाने के लिए नए आधार जोड़ सकता है।
3. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A को इसकी अस्पष्टता और अत्यधिक व्यापक प्रकृति के कारण निरस्त किया गया था।
4. अभिव्यक्ति पर पूर्व प्रतिबंध (prior restraint) भारतीय न्यायालयों द्वारा मान्यता प्राप्त विनियमन की पसंदीदा विधि है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) 1, 2 और 3

(c) 2 और 4 केवल (d) 1, 3 और 4 केवल

उत्तर: (ब)

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: "न्यायालयों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में कार्य करना चाहिए, न कि उसके नियामक के रूप में।" ऑनलाइन सामग्री विनियमन पर हाल की न्यायिक टिप्पणियों के संदर्भ में इस कथन की समीक्षा कीजिए। अपने उत्तर में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 तथा संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का उल्लेख कीजिए। (250 शब्द)

ऑस्ट्रेलिया द्वारा 16 वर्ष से कम आयु वालों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध

चर्चा में क्यों: ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया उपयोग के लिए **न्यूनतम 16 वर्ष की आयु** निर्धारित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। यह कदम वैश्विक इंटरनेट शासन में एक निर्णायक बदलाव को दर्शाता है और इससे **बाल सुरक्षा, प्लेटफ़ॉर्म जवाबदेही और डिजिटल अधिकारों** को लेकर बहस तेज हुई है।

ऑस्ट्रेलियाई कानून की प्रमुख विशेषताएँ

- यह प्रतिबंध **ऑनलाइन सेफ्टी संशोधन (सोशल मीडिया न्यूनतम आयु) अधिनियम** के माध्यम से लागू किया गया है।
- कानून के अनुसार, निर्दिष्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खाता रखने के लिए **न्यूनतम आयु 16 वर्ष** निर्धारित की गई है।
- प्लेटफॉर्म्स को यह सुनिश्चित करने के लिए **"उचित कदम" (reasonable steps)** उठाने होंगे कि 16 वर्ष से कम आयु के उपयोगकर्ताओं के मौजूदा खाते पहचाने जाएँ और निष्क्रिय किए जाएँ।
- कानून प्लेटफॉर्म्स को यह भी बाध्य करता है कि वे तकनीकी तरीकों से नाबालिगों को नए खाते बनाने या प्रतिबंधों से बचने से रोकें।
- प्लेटफॉर्म्स को **शिकायत निवारण और सुधार तंत्र** स्थापित करना होगा ताकि खातों को अनुचित रूप से हटाए जाने से बचाया जा सके।
- माता-पिता **16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया उपयोग की अनुमति नहीं दे सकते**, अर्थात अभिभावकीय सहमति को भी मान्यता नहीं दी गई है।
- नियमों का पालन न करने पर **33 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक का जुर्माना** लगाया जा सकता है।

प्रतिबंध के अंतर्गत आने वाले प्लेटफ़ॉर्म

- यह प्रतिबंध **Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat, X, Reddit, Twitch, Threads और Kik** जैसे प्लेटफ़ॉर्म्स पर लागू होता है।
- ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने कहा है कि यदि बच्चे अन्य सेवाओं की ओर स्थानांतरित होते हैं तो **कवर्ड प्लेटफ़ॉर्म्स की सूची में संशोधन किया जा सकता है**।
- **डेटिंग प्लेटफ़ॉर्म, गेमिंग सेवाएँ और AI चैटबॉट्स** को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है।

बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध का औचित्य (ऑस्ट्रेलिया)

- **बाल संरक्षण:** यह प्रतिबंध बच्चों को ऑनलाइन दबावों और जोखिमों से बचाने के उद्देश्य से लाया गया है।
- **हानिकारक प्रभावों का जोखिम:** सोशल मीडिया बच्चों को **साइबरबुलिंग, ग्रूमिंग, स्टॉकिंग और हानिकारक कंटेंट** के संपर्क में लाता है।
- **साइबरबुलिंग की व्यापकता:** सरकारी सर्वेक्षणों के अनुसार **50% से अधिक ऑस्ट्रेलियाई युवा** सोशल मीडिया पर साइबरबुलिंग का अनुभव कर चुके हैं।
- **मानसिक स्वास्थ्य जोखिम:** एल्गोरिदम आधारित प्लेटफ़ॉर्म अत्यधिक स्क्रीन टाइम को बढ़ावा देते हैं, जिससे मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- **YouTube की छूट समाप्त:** बच्चों को हानिकारक सामग्री के संपर्क में लाने वाला सबसे अधिक उद्धृत प्लेटफ़ॉर्म पाए जाने के बाद YouTube की छूट हटा दी गई।

प्रौद्योगिकी कंपनियों की प्रतिक्रिया

- प्रमुख तकनीकी कंपनियों ने सार्वजनिक रूप से कानून का विरोध किया है, हालांकि उन्होंने इसके अनुपालन की पुष्टि की है।
- **Meta** ने ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष से कम आयु के उपयोगकर्ताओं के खाते निष्क्रिय करना शुरू कर दिया है।
- **YouTube** ने तर्क दिया है कि बिना खाता बनाए बच्चों को प्लेटफ़ॉर्म से हटाने से अभिभावकीय नियंत्रण और सुरक्षा फ़िल्टर हट जाते हैं।
- **Snap** ने कहा है कि किशोरों को सोशल नेटवर्क से पूरी तरह हटाने से वे कम सुरक्षित और कम नियंत्रित प्लेटफ़ॉर्म्स की ओर जा सकते हैं।
- **X (पूर्व ट्विटर)** ने चिंता जताई है कि यह कानून बच्चों की **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना तक पहुँच** को प्रभावित कर सकता है।

क्रियान्वयन से जुड़ी चुनौतियाँ

- **आयु सत्यापन** इस प्रतिबंध को लागू करने में सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है।
- सरकारी रिपोर्टों में पाया गया है कि **चेहरे की पहचान (facial recognition)** आधारित आयु अनुमान प्रणालियाँ अक्सर उच्च स्तर की त्रुटि दर दिखाती हैं।
- बच्चों की आयु सत्यापित करने के लिए **निजता, निगरानी और बायोमेट्रिक डेटा के उपयोग** को लेकर गंभीर चिंताएँ हैं।
- प्लेटफ़ॉर्म्स ने संकेत दिया है कि जिन उपयोगकर्ताओं को गलती से चिन्हित किया गया है, वे **सरकारी पहचान पत्र या तृतीय-पक्ष टूल्स** के माध्यम से अपनी आयु सत्यापित कर सकेंगे।

वैश्विक प्रभाव

- ऑस्ट्रेलिया का यह निर्णय अन्य देशों के लिए एक **मॉडल** के रूप में काम कर सकता है, जो बच्चों की सोशल मीडिया तक पहुँच को विनियमित करना चाहते हैं।
- विशेष रूप से यूरोप में कई सरकारों ने संकेत दिया है कि वे ऑस्ट्रेलिया की नीति का अध्ययन कर समान उपाय अपनाने पर विचार करेंगी।
- यह प्रतिबंध इंटरनेट के "**फ्री-रेंज युग**" के अंत का संकेत देता है और डिजिटल शासन में **राज्य के बढ़ते हस्तक्षेप** को दर्शाता है।

भारत के साथ तुलना

- भारत में वर्तमान में बच्चों की सोशल मीडिया तक पहुँच पर **प्रत्यक्ष प्रतिबंध** नहीं है।
- **डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम, 2023** के तहत, बच्चों के व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण से पहले **सत्यापन योग्य अभिभावकीय सहमति** आवश्यक है।
- भारतीय कानून बच्चों को लक्षित **व्यवहार-आधारित ट्रैकिंग और विज्ञापन** पर प्रतिबंध लगाता है।
- ऑस्ट्रेलिया की पहुँच-आधारित पाबंदी के विपरीत, भारत का ढाँचा **डेटा संरक्षण और सहमति** पर केंद्रित है।
- भारतीय प्रावधान अधिसूचित तो हो चुके हैं, लेकिन **अभी पूर्ण रूप से लागू नहीं हुए हैं**।

नैतिक और नीतिगत बहस

- समर्थकों का तर्क है कि यह प्रतिबंध **बाल सुरक्षा को प्राथमिकता देता है** और प्लेटफ़ॉर्म्स को ऑनलाइन नुकसान के लिए जिम्मेदार बनाता है।
- आलोचकों का मानना है कि पूर्ण प्रतिबंध से बच्चों की **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और डिजिटल सहभागिता** सीमित हो सकती है।
- यह भी आशंका जताई जा रही है कि कठोर नियम बच्चों को **अधिक असुरक्षित और अनियमित ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स** की ओर धकेल सकते हैं।

निष्कर्ष

16 वर्ष से कम आयु के उपयोगकर्ताओं के लिए ऑस्ट्रेलिया का सोशल मीडिया प्रतिबंध **डिजिटल शासन में एक ऐतिहासिक हस्तक्षेप** है। इसने बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी परिवारों से हटाकर **प्लेटफ़ॉर्म्स और राज्य** पर डाल दी है। इसकी दीर्घकालिक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि यह **बाल संरक्षण, निजता, अनुपातिकता और मौलिक अधिकारों** के बीच संतुलन कैसे स्थापित करता है।

इकाई 2

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

भारत–रूस संबंध

चर्चा में क्यों: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा, जो यूक्रेन युद्ध के बाद उनकी पहली यात्रा थी, ऐसे समय में हुई जब रूस पर पश्चिमी प्रतिबंध लगे हुए हैं, भारत–अमेरिका व्यापार संबंधों में तनाव है, और भारत–अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर बातचीत जारी है।

यात्रा से क्या हासिल हुआ?

- इस यात्रा ने वैश्विक भू-राजनीतिक दबावों के बावजूद **भारत–रूस विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी** की पुनः पुष्टि की।
- इसने संकेत दिया कि भारत **अमेरिका और यूरोपीय संघ के दबाव में रूस को छोड़ने को तैयार नहीं है**।
- शिखर सम्मेलन का फोकस किसी बड़े नए समझौते की बजाय **प्रतीकात्मकता और निरंतरता** पर अधिक रहा।

समझौते और सहयोग के क्षेत्र

- भारत और रूस ने **2030 रणनीतिक आर्थिक सहयोग रोडमैप** को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई।
- रूस में श्रम की कमी को देखते हुए **भारतीय कुशल श्रमिकों को सक्षम बनाने हेतु श्रम गतिशीलता समझौते** (Labour Mobility Agreement) की घोषणा की गई।
- रूस में **उर्वरक संयंत्र स्थापित करने** के लिए भारतीय और रूसी उर्वरक कंपनियों के बीच एक **समझौता ज्ञापन** (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।
- **समुद्री सहयोग, बंदरगाहों और सीमा शुल्क** से जुड़े समझौते किए गए।
- दोनों देशों ने **चेन्नई–व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर** और **अंतरराष्ट्रीय उत्तर–दक्षिण परिवहन गलियारे** (INSTC) के माध्यम से संपर्क बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई।
- भारत और रूस ने **राष्ट्रीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार के निपटान** को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।

भारत–रूस पारस्परिक लॉजिस्टिक सहायता समझौता

- यह समझौता भारत और रूस को एक-दूसरे की सशस्त्र सेनाओं को **ईंधन भरने, मरम्मत और रखरखाव** जैसी पारस्परिक लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करने की अनुमति देता है।
- यह युद्धपोतों और सैन्य विमानों को एक-दूसरे के **हवाई क्षेत्र, बंदरगाहों और नामित सैन्य ठिकानों** के उपयोग की अनुमति देता है।
- यह समझौता **संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण कार्यक्रम, मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों** के दौरान लागू होगा।
- इसके तहत भारत को **प्रशांत क्षेत्र के व्लादिवोस्तोक से लेकर आर्कटिक क्षेत्र के मुरमान्स्क तक** रूसी सैन्य ठिकानों तक पहुँच प्राप्त होगी।
- यह समझौता भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना की **परिचालन क्षमता, सहनशक्ति और तैयारी** को मजबूत करता है।
- यह भारत द्वारा संचालित **रूसी मूल के रक्षा प्लेटफार्मों** के रखरखाव और सेवा को समर्थन देता है।
- यह समझौता बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में भारत की **रणनीतिक स्वायत्तता** की नीति को सुदृढ़ करता है।
- यह अमेरिका के साथ भारत के लॉजिस्टिक समझौतों के समान है, लेकिन **भारत–रूस द्विपक्षीय रक्षा संबंधों के अनुरूप अनुकूलित** किया गया है।

क्या कमी रही?

- **रक्षा खरीद, अंतरिक्ष सहयोग या परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं** पर कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई।
- द्विपक्षीय व्यापार में तेल के प्रभुत्व के बावजूद **तेल खरीद पर कोई नया प्रतिबद्धता** नहीं हुई।
- **वायु रक्षा प्रणालियों, विमान, ड्रोन और मिसाइलों** से जुड़े अपेक्षित समझौते साकार नहीं हो पाए।

यूक्रेन युद्ध और भारत की स्थिति

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया कि **"भारत तटस्थ नहीं है, बल्कि शांति के पक्ष में है।"**
- राष्ट्रपति पुतिन ने शांति प्रयासों के लिए तत्परता व्यक्त की, जिसमें **अमेरिका के नेतृत्व वाला शांति प्रस्ताव** भी शामिल है।
- पश्चिमी प्रतिबंधों और टैरिफ़ के कारण भारत पर आर्थिक लागत पड़ी है, जिससे **2025 में रूसी तेल आयात में तेज गिरावट** आई है।
- भारत ने **CAATSA प्रतिबंधों** के जोखिम को कम करने के लिए संवेदनशील घोषणाओं से बचने का प्रयास किया है।

यात्रा का रणनीतिक महत्व

- इस यात्रा ने भारत को **संवेदनशील कूटनीतिक समय में पश्चिम को उकसाए बिना रूस के साथ संबंध संतुलित रखने** में मदद की।
- इससे भारत की यह क्षमता मजबूत हुई कि वह **प्रतिस्पर्धी शक्ति गुटों के साथ एक साथ संबंध बनाए रख सकता है**।
- यह समय-निर्धारण महत्वपूर्ण था क्योंकि भारत **ईयू नेताओं की यात्रा, भारत–ईयू शिखर सम्मेलन और अमेरिका व ईयू के साथ व्यापार वार्ताओं** की तैयारी कर रहा है।

भारत–रूस संबंध: वर्तमान स्थिति

- राजनीतिक और रणनीतिक संबंध **मजबूत और स्थिर** बने हुए हैं, जो पारस्परिक विश्वास पर आधारित हैं।
- आर्थिक संबंध **असंतुलित** हैं, जहाँ व्यापार मुख्य रूप से **रूसी कच्चे तेल के निर्यात** पर निर्भर है और भारतीय निर्यात सीमित है।
- रक्षा सहयोग **मजबूत लेकिन सीमित** बना हुआ है, जिसका कारण प्रतिबंध, देरी और भारत की विविधीकरण रणनीति है।
- दोनों देश **बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था** की परिकल्पना साझा करते हैं, जिसे **BRICS, SCO और G20** के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है।

आगे की राह

- भारत यूक्रेन संघर्ष के **समाप्त होने की आकांक्षा** रखता है ताकि रणनीतिक और आर्थिक दबाव कम हो सकें।
- आगे की चुनौती यह है कि **पश्चिम के साथ संबंधों को नुकसान पहुँचाए बिना आर्थिक और तकनीकी सहयोग को गहरा किया जाए**।
- पुतिन की यात्रा ने भारत को **"विन–विन संतुलन"** हासिल करने में मदद की, जिसमें रूस के साथ संबंध बनाए रखते हुए **रणनीतिक स्वायत्तता** भी सुरक्षित रही।

निष्कर्ष

पुतिन की 2025 की यात्रा ने किसी बड़े परिवर्तन की बजाय **कूटनीतिक आश्वासन** प्रदान किया, यह दर्शाते हुए कि भारत–रूस संबंध **अल्पकालिक भू-राजनीतिक दबावों के बजाय दीर्घकालिक रणनीतिक गणनाओं** से संचालित होते हैं।

भारत–न्यूज़ीलैंड मुक्त व्यापार समझौता

चर्चा में क्यों: भारत–न्यूज़ीलैंड मुक्त व्यापार समझौता दिसंबर 2025 में संपन्न हुआ, जिससे यह भारत के सबसे तेज़ी से तय होने वाले FTAs में से एक बन गया, जिसे घोषणा के केवल नौ महीनों के भीतर पूरा किया गया।

समझौते के अंतर्गत प्रमुख सहमतियाँ

बाज़ार पहुँच और शुल्क प्रतिबद्धताएँ

- न्यूज़ीलैंड समझौते के लागू होने की तिथि से भारत के **100% निर्यात पर शून्य-शुल्क (zero-duty) बाज़ार पहुँच** प्रदान करेगा।
- भारत न्यूज़ीलैंड से आयात पर **95% शुल्क लाइनों में रियायत** देगा, जिनमें से **57% शुल्क लाइनें तुरंत शून्य-शुल्क** हो जाएँगी।
- घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए भारत ने **संवेदनशील क्षेत्रों में चरणबद्ध शुल्क कटौती और सुरक्षा प्रावधान** बनाए रखे हैं।

निवेश प्रतिबद्धताएँ

- न्यूज़ीलैंड ने **15 वर्षों में भारत में 20 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश** की प्रतिबद्धता जताई है।
- समझौते में **क्लॉबैक तंत्र (clawback mechanism)** शामिल है, ताकि तय समयसीमा में निवेश लक्ष्य पूरे न होने पर जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।
- निवेश का फोकस **सेवाएँ, कौशल विकास, रोज़गार सृजन और 118 क्षेत्रों में वृद्धि** पर होगा।

सेवाएँ, कौशल गतिशीलता और पारंपरिक ज्ञान

- इस FTA में स्वास्थ्य और पारंपरिक चिकित्सा सेवाओं पर एक समर्पित परिशिष्ट (annex) शामिल है, जो न्यूज़ीलैंड द्वारा इस प्रकार की पहली प्रतिबद्धता है।
- यह समझौता आयुर्वेद, योग, आयुष सेवाओं, वेलनेस टूरिज़्म और पारंपरिक चिकित्सा विशेषज्ञों के लिए व्यापार को सुगम बनाता है।
- आईटी विशेषज्ञ, इंजीनियर, स्वास्थ्यकर्मी, योग प्रशिक्षक, शेफ और संगीत शिक्षक जैसे भारतीय पेशेवरों को बेहतर गतिशीलता सुविधाओं का लाभ मिलेगा।

शिक्षा और जन-से-जन संपर्क

- न्यूज़ीलैंड में पढ़ रहे भारतीय छात्रों को **सप्ताह में 20 घंटे तक काम करने** की अनुमति होगी।
- पढ़ाई के बाद कार्य वीज़ा की अवधि बढ़ाई गई है —
  - STEM स्नातकों के लिए 3 वर्ष तक,
  - डॉक्टोरल स्नातकों के लिए 4 वर्ष तक।
- समझौते के तहत हर वर्ष **5,000 कुशल वीज़ा** भारतीय पेशेवरों के लिए और **1,000 वर्किंग हॉलिडे वीज़ा** भारतीय युवाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं।

एमएसएमई और श्रम-प्रधान क्षेत्रों को लाभ

- यह FTA वस्त्र, परिधान, चमड़ा, फुटवियर, आभूषण, इंजीनियरिंग वस्तुएँ और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ जैसे **श्रम-प्रधान क्षेत्रों** के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है।
- MSMEs को क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, सरल कस्टम प्रक्रियाओं और बेहतर बाज़ार पहुँच के माध्यम से समर्थन मिलेगा।
- यह समझौता भारत में रोज़गार सृजन और समावेशी विकास को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है।

समझौते से बाहर रखे गए क्षेत्र

- भारत ने **दूध, पनीर, मक्खन, दही, प्याज़, चीनी, खाद्य तेल, मसाले और रबर** जैसे प्रमुख कृषि उत्पादों को शुल्क रियायतों से बाहर रखा है।
- इन अपवर्जनों का उद्देश्य **भारतीय किसानों, छोटे उत्पादकों और कृषि-आधारित उद्योगों की सुरक्षा** करना है।
- न्यूज़ीलैंड, एक प्रमुख डेयरी निर्यातक होने के बावजूद, इन अपवर्जनों को स्वीकार किया, जिससे यह उसका **पहला ऐसा FTA बना जिसमें डेयरी को शामिल नहीं किया गया**।

कृषि सहयोग ढाँचा

- यह समझौता **सेब, कीवीफ्रूट और शहद** के लिए लक्षित कृषि-प्रौद्योगिकी कार्ययोजनाओं का प्रावधान करता है।
- इन पहलों का उद्देश्य **उत्पादकता बढ़ाना, गुणवत्ता मानकों में सुधार, पौधरोपण सामग्री, बागवानी प्रबंधन, कटाई-पश्चात प्रक्रियाएँ और खाद्य सुरक्षा** को सुदृढ़ करना है।
- **उत्कृष्टता केंद्र (Centres of Excellence)** और क्षमता निर्माण कार्यक्रम भारतीय किसानों को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से जोड़ने में सहायता करेंगे।

FTA का रणनीतिक महत्व

व्यापार विविधीकरण और आर्थिक रणनीति

- यह FTA ओशिनिया और प्रशांत द्वीप बाज़ारों में भारत की उपस्थिति को मजबूत करता है, जहाँ न्यूज़ीलैंड एक **रणनीतिक प्रवेश द्वार** के रूप में कार्य करता है।
- भारत–न्यूज़ीलैंड द्विपक्षीय व्यापार वर्तमान में लगभग **1.3 अरब अमेरिकी डॉलर** है, और यह समझौता अगले पाँच वर्षों में इसे **दोगुना करने** का लक्ष्य रखता है।
- यह समझौता **अमेरिकी बाज़ार पर अत्यधिक निर्भरता कम करने** में भारत की सहायता करता है, विशेषकर टैरिफ अनिश्चितताओं और भारत–अमेरिका व्यापार वार्ताओं में ठहराव के बीच।

प्रवासी भारतीय और सॉफ्ट पावर

- भारतीय प्रवासी न्यूज़ीलैंड की कुल जनसंख्या का लगभग 5% हैं, जिनकी संख्या लगभग **3 लाख** है।
- बेहतर गतिशीलता और सेवा व्यापार **सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करते हैं** और भारत की **सॉफ्ट पावर कूटनीति** का विस्तार करते हैं।

लैंगिक आयाम

- यह FTA इस कारण उल्लेखनीय है कि इसका **वार्ता और समापन महिलाओं की प्रधानता वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल** द्वारा किया गया, जो भारत की व्यापार कूटनीति में **समावेशिता** को दर्शाता है।

भारत FTA को तेज़ी से क्यों आगे बढ़ा रहा है?

- भारत आर्थिक जुड़ाव के माध्यम से **रणनीतिक भू-राजनीतिक साझेदारियाँ** सुनिश्चित करने के लिए FTAs को आगे बढ़ा रहा है।
- FTAs भारत को **सेवाओं, डिजिटल व्यापार, निवेश और गतिशीलता** में WTO-प्लस प्रतिबद्धताओं पर बातचीत करने की अनुमति देते हैं।
- ये समझौते **मेक इन इंडिया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजनाओं और वैश्विक मूल्य श्रृंखला एकीकरण** जैसी राष्ट्रीय पहलों के अनुरूप हैं।

रणनीतिक और आर्थिक महत्व

- यह FTA **ओशिनिया और हिंद-प्रशांत (Indo-pacific) क्षेत्र** में भारत की उपस्थिति को मजबूत करता है।
- यह भारत के हालिया FTAs — **यूएई, ऑस्ट्रेलिया, यूके, ओमान और EFTA** — को पूरक बनाता है।
- यह समझौता **निर्यात विविधीकरण, सेवा क्षेत्र के प्रभुत्व और कुशल श्रमिकों की गतिशीलता** को बढ़ावा देता है।
- यह भारत की छवि को एक **नियम-आधारित और विश्वसनीय व्यापार साझेदार** के रूप में मजबूत करता है।

चुनौतियाँ

- भारत पहले से ही न्यूज़ीलैंड में **कम टैरिफ का लाभ** उठाता है, जिससे **तत्काल निर्यात लाभ सीमित** हो जाते हैं।
- **शुल्क स्तरों में असमानता** के कारण न्यूज़ीलैंड को वस्तु व्यापार में अधिक लाभ मिल सकता है।
- वास्तविक लाभ **प्रभावी कार्यान्वयन, नियामकीय सहयोग और निजी क्षेत्र की भागीदारी** पर निर्भर करेगा।

आगे की राह

- भारत को **अनुसंधान एवं विकास, गुणवत्ता मानकों और प्रौद्योगिकी अपनाने** में निवेश के माध्यम से घरेलू प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना चाहिए।
- **मज़बूत नियम-आधारित व्यवस्थाएँ, एंटी-डंपिंग सुरक्षा उपाय और प्रभावी विवाद निवारण तंत्र** सुनिश्चित किए जाने चाहिए।
- MSMEs और संवेदनशील क्षेत्रों को **प्रशिक्षण, अवसंरचना सहायता और बाज़ार जानकारी** के माध्यम से वैश्विक बाज़ारों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए।
- समझौते से दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए **निरंतर निगरानी और संस्थागत सहयोग** आवश्यक है।

निष्कर्ष

भारत–न्यूज़ीलैंड FTA लेन-देन आधारित व्यापार समझौतों से आगे बढ़कर **दीर्घकालिक आर्थिक साझेदारी** की दिशा में एक रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है। बाज़ार पहुँच, निवेश, सेवा व्यापार, गतिशीलता और कृषि सहयोग को जोड़ते हुए यह समझौता भारत की वैश्विक आर्थिक उपस्थिति को सशक्त बनाता है। यदि इसे प्रभावी रूप से लागू किया जाए, तो यह FTA **रोज़गार सृजन, निर्यात वृद्धि और 'विकसित भारत 2047' के दृष्टिकोण** को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: भारत–न्यूज़ीलैंड मुक्त व्यापार समझौते की भारत में **रोज़गार सृजन, MSME वृद्धि और सेवा-आधारित निर्यात** को बढ़ावा देने की क्षमता का आकलन कीजिए। साथ ही, उन **कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों** पर चर्चा कीजिए जो इन लाभों की प्राप्ति को प्रभावित कर सकती हैं। (250 शब्द)

ब्रिक्स अध्यक्षता हस्तांतरण

चर्चा में क्यों: ब्राज़ील ने वैश्विक अस्थिरता—जिसमें युद्ध, व्यापार संरक्षणवाद और कमजोर होती बहुपक्षीय संस्थाएँ शामिल हैं—के बीच अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद **BRICS की अध्यक्षता भारत को सौंप दी। अमेज़न की पुनर्चक्रित लकड़ी से बने गवेल (gavel)** का प्रतीकात्मक हस्तांतरण ब्राज़ील के **सततता पर ज़ोर** और BRICS प्राथमिकताओं में **निरंतरता** को दर्शाता है।

BRICS क्या है?

- BRICS **11 उभरती अर्थव्यवस्थाओं** का समूह है: ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, मिस्र, UAE, इथियोपिया, इंडोनेशिया और ईरान।
- यह **ग्लोबल साउथ** के लिए एक राजनीतिक और कूटनीतिक मंच के रूप में कार्य करता है, जो अर्थव्यवस्था, राजनीति, प्रौद्योगिकी और सामाजिक विकास में सहयोग को बढ़ावा देता है।
- उद्देश्य:
  - सदस्य देशों के बीच **आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सहयोग** को मजबूत करना।
  - अंतरराष्ट्रीय शासन में **ग्लोबल साउथ के देशों के प्रभाव को बढ़ाना**।
  - **संयुक्त राष्ट्र, IMF, विश्व बैंक और WTO** जैसी संस्थाओं में सुधार कर समानता और वैधता सुनिश्चित करना।
  - **सतत सामाजिक और आर्थिक विकास** तथा सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देना।
- उत्पत्ति:
  - BRIC की अवधारणा वर्ष **2001** में दी गई थी; औपचारिक मंत्रीस्तरीय सहयोग **2006** में शुरू हुआ।
  - **दक्षिण अफ्रीका 2011 में शामिल हुआ**; प्रमुख विस्तार **2023–25** के दौरान हुआ।
- स्वरूप:
  - यह एक **अनौपचारिक समन्वय तंत्र** है।
  - **रोटेशनल अध्यक्षता प्रणाली** अपनाई जाती है; निर्णय **सर्वसम्मति** से लिए जाते हैं।
  - गतिविधियाँ तीन स्तंभों पर आधारित हैं:
    - राजनीति और सुरक्षा,
    - अर्थव्यवस्था और वित्त,
    - जन-से-जन (People-to-People) सहयोग।

ब्राज़ील की BRICS अध्यक्षता की प्रमुख उपलब्धियाँ

1. सततता और समावेशी विकास पर ज़ोर

- ब्राज़ील ने उच्च-स्तरीय कूटनीति तक सीमित रहने के बजाय ऐसे विकास परिणामों को प्राथमिकता दी जो सीधे लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं।

- **रियो शिखर सम्मेलन (2025)** में तीन प्रमुख घोषणाएँ की गईं:
  - ➢ **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का शासन** – नैतिक और समावेशी उपयोग सुनिश्चित करने हेतु।
  - ➢ **जलवायु वित्त ढाँचा** – विकासशील देशों को सहायता प्रदान करने के लिए।
  - ➢ **स्वास्थ्य सहयोग** – सामाजिक रूप से निर्धारित बीमारियों को समाप्त करने हेतु।

2. बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करना

- ब्राज़ील ने वैश्विक बहुपक्षीय संस्थाओं में बढ़ते अविश्वास का मुकाबला करने के लिए BRICS का उपयोग किया।
- शिखर सम्मेलन में **IMF, विश्व बैंक और वैश्विक वित्तीय शासन में सुधार** के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता दोहराई गई।
- राष्ट्रपति लूला ने मौजूदा व्यवस्था की आलोचना करते हुए इसे **"रिवर्स मार्शल प्लान"** बताया, जहाँ विकासशील देश विकसित देशों को वित्तपोषित कर रहे हैं।

3. आर्थिक स्वायत्तता और विकास वित्त

- **न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB)** की भूमिका को मज़बूत किया गया ताकि अवसंरचना और सतत परियोजनाओं को वित्तपोषित किया जा सके।
- राजनीतिक शर्तों से मुक्त **विकास वित्त** पर ज़ोर दिया गया।
- वैकल्पिक विकास मॉडल के रूप में **दक्षिण–दक्षिण सहयोग (South-South Cooperation)** को बढ़ावा दिया गया।

4. बाहरी दबावों का प्रबंधन

- BRICS को अमेरिका की ओर से प्रत्यक्ष दबाव का सामना करना पड़ा, जिसमें **टैरिफ की धमकियाँ और अमेरिकी डॉलर को कमजोर करने को लेकर चेतावनियाँ** शामिल थीं।
- इसके बावजूद, ब्राज़ील ने BRICS की **एकता और विस्तार** को उसके मूल सिद्धांतों से समझौता किए बिना बनाए रखा।

भारत के लिए BRICS का महत्व

1. रणनीतिक स्वायत्तता

- BRICS भारत को **महाशक्ति प्रतिस्पर्धा के बीच स्वतंत्र विदेश नीति विकल्प** बनाए रखने में सक्षम बनाता है।
- यह भारत को **औपचारिक गठबंधनों में शामिल हुए बिना रूस और चीन के साथ संवाद** करने का बहुपक्षीय मंच प्रदान करता है।

2. वैश्विक दक्षिण में भारत की नेतृत्व भूमिका को मजबूत करना

- यह वैश्विक शासन में **विकासशील देशों के प्रतिनिधित्व** के भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
- विकसित और विकासशील दुनिया के बीच **सेतु (bridge)** के रूप में भारत की भूमिका को मजबूत करता है।
- **संयुक्त राष्ट्र, IMF और विश्व बैंक** में सुधार के लिए भारत की वकालत को समर्थन देता है।

3. आर्थिक और विकासात्मक लाभ

- **न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB)** के माध्यम से विकास वित्त के वैकल्पिक स्रोतों तक पहुँच प्रदान करता है।
- भारत के **अवसंरचना, जलवायु और नवाचार लक्ष्यों** को समर्थन देता है।
- पश्चिम-प्रभावित वित्तीय संस्थानों पर **अत्यधिक निर्भरता को कम करता है**।

4. प्रौद्योगिकी और AI शासन

- BRICS भारत को **समावेशी और नैतिक AI मानदंडों** को आकार देने का मंच प्रदान करता है।
- उभरती प्रौद्योगिकियों के कुछ गिने-चुने विकसित देशों में केंद्रीकरण को रोकता है।
- भारत के **डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल** को समर्थन देता है।

भारत की BRICS अध्यक्षता (2026): प्रमुख प्राथमिकताएँ

- भारत चार स्तंभों पर ध्यान केंद्रित करेगा:

1. **लचीलापन (Resilience)** – आर्थिक स्थिरता और आपूर्ति शृंखला की सुरक्षा।
2. **नवाचार (Innovation)** – AI, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग।
3. **सहयोग (Cooperation)** – दक्षिण–दक्षिण सहयोग को मज़बूत करना और नए सदस्यों का एकीकरण।
4. **संधारणीयता (Sustainability)** – जलवायु कार्रवाई, हरित वित्त और स्वास्थ्य सहयोग।

- भारत विस्तार और प्रभावशीलता के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करेगा, ताकि **सर्वसम्मति आधारित निर्णय-प्रक्रिया** सुनिश्चित हो सके।

आगे की चुनौतियाँ

- विस्तारित BRICS में **विविधता और भिन्न हितों का प्रबंधन**।
- बाहरी **भू-राजनीतिक दबाव** और व्यापार प्रतिबंध।
- यह सुनिश्चित करना कि BRICS केवल घोषणाओं तक सीमित न रहे, बल्कि **ठोस परिणाम** दे।

निष्कर्ष

ब्राज़ील से भारत को BRICS अध्यक्षता का हस्तांतरण, BRICS में **निरंतरता और सुदृढ़ीकरण** को दर्शाता है।

भारत की अध्यक्षता बहुपक्षवाद को मजबूत करने, ग्लोबल साउथ की आवाज़ को सशक्त बनाने और खंडित वैश्विक व्यवस्था के बीच **सतत विकास को बढ़ावा देने** का अवसर प्रदान करती है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और ग्लोबल साउथ के नेतृत्व के लिए BRICS की प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। भारत अपनी 2026 की BRICS अध्यक्षता का उपयोग इस प्रासंगिकता को ठोस परिणामों में बदलने के लिए कैसे कर सकता है? (250 शब्द)

भारत–बांग्लादेश संबंधों पर हालिया घटनाक्रम

चर्चा में क्यों: एक संसदीय समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि बांग्लादेश में हालिया घटनाक्रम **1971 के मुक्ति युद्ध के बाद भारत के लिए सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती** प्रस्तुत करते हैं।

बांग्लादेश भारत की पड़ोसी नीति और पूर्वी रणनीतिक गणना में एक **महत्वपूर्ण स्थान** रखता है।

4,096 किमी लंबी साझा सीमा, गहरे ऐतिहासिक संबंध, सांस्कृतिक निकटता और आर्थिक परस्पर निर्भरता के कारण भारत–बांग्लादेश संबंध परंपरागत रूप से दक्षिण एशिया के सबसे स्थिर संबंधों में रहे हैं।

भारत के लिए बांग्लादेश का रणनीतिक महत्व

1. **भू-रणनीतिक स्थिति**

- बांग्लादेश **दक्षिण एशिया, दक्षिण–पूर्व एशिया और बंगाल की खाड़ी** के संगम पर स्थित है।
- यह भारत की **एक्ट ईस्ट नीति** और BIMSTEC-**आधारित क्षेत्रीय एकीकरण** के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- यह भारत के भू-आवृत उत्तर–पूर्वी राज्यों को जोड़ने के लिए **सबसे छोटा पारगमन मार्ग** प्रदान करता है, जिससे संवेदनशील **सिलीगुड़ी कॉरिडोर** पर निर्भरता कम होती है।

2. **संपर्क और आर्थिक एकीकरण**

- **चटगाँव और मोंगला बंदरगाहों** तक पहुँच से भारत के उत्तर–पूर्व की आर्थिक संभावनाएँ बढ़ती हैं।
- रेल, सड़क, अंतर्देशीय जलमार्ग और तटीय शिपिंग समझौतों ने बांग्लादेश को भारत का **सबसे महत्वपूर्ण पूर्वी संपर्क साझेदार** बना दिया है।
- भारत, बांग्लादेश का **दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार** है।

3. **सुरक्षा और आंतरिक स्थिरता**

- शेख हसीना सरकार के तहत सहयोग से बांग्लादेश की धरती से संचालित **भारत-विरोधी उग्रवादी समूहों** का उन्मूलन संभव हुआ।
- बांग्लादेश में स्थिरता का सीधा प्रभाव **सीमा सुरक्षा, प्रवासन प्रबंधन और पूर्वी भारत में आतंकवाद-रोधी प्रयासों** पर पड़ता है।

4. **साझा इतिहास और सांस्कृतिक संबंध**

- **1971 के मुक्ति युद्ध** में भारत की भूमिका दोनों देशों के बीच नैतिक और ऐतिहासिक संबंधों की नींव है।
- साझा भाषाई, सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंध बांग्लादेश को अन्य पड़ोसी देशों से अलग बनाते हैं।

हालिया घटनाक्रम और उभरती चुनौतियाँ

1. **राजनीतिक संक्रमण और रणनीतिक अनिश्चितता**

- अगस्त 2024 में **शेख हसीना को पद से हटाया जाना**, उनका भारत में शरण लेना, और **मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार** का उदय — इन सबने लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक निरंतरता को बाधित कर दिया है।
- **आवामी लीग पर प्रतिबंध** और फरवरी 2026 के चुनावों से उसका बहिष्कार **लोकतांत्रिक वैधता और समावेशिता** को लेकर चिंताएँ बढ़ाता है।

2. **धार्मिक उग्रवाद का उभार**

- **जमात-ए-इस्लामी की वापसी**, समन्वित सांस्कृतिक संस्थानों पर हमले और अल्पसंख्यकों के प्रति बढ़ती असहिष्णुता, बांग्लादेश की **धर्मनिरपेक्ष नींव से पीछे हटने** का संकेत देती है।
- बढ़ता हुआ कट्टरपंथ भारत के लिए **क्षेत्रीय प्रभाव** पैदा करता है।

3. **चीन–पाकिस्तान प्रभाव का विस्तार**

- चीन की भूमिका अब केवल अवसंरचना तक सीमित न रहकर **रक्षा और रणनीतिक साझेदारी** तक फैल गई है।
- ढाका–इस्लामाबाद संबंधों में सुधार का उद्देश्य बांग्लादेश की **राष्ट्रीय कथा (national narrative)** को पुनर्लेखित करना है, जिससे 1971 की विरासत कमजोर पड़ती है।
- संभावित **चीन–पाकिस्तान–बांग्लादेश गठजोड़** भारत के पूर्वी समुद्री और सुरक्षा हितों के लिए चुनौती बन सकता है।

4. **संपर्क लाभों का क्षरण**

- यात्री रेल सेवाओं का निलंबन, बंदरगाह पहुँच में ठहराव और व्यापार में गिरावट **राजनयिक तनाव** को दर्शाते हैं।
- कभी द्विपक्षीय संबंधों का आधार रही **कनेक्टिविटी**, अब राजनीतिक अविश्वास की पहली शिकार बन गई है।

5. **जल और सीमा संबंधी संवेदनशीलताएँ**

- **गंगा जल संधि (2026)** के नवीनीकरण पर वार्ता में देरी से **कूटनीतिक शून्य** उत्पन्न होने का खतरा है।
- सीमा व्यापार में व्यवधान सीमावर्ती क्षेत्रों की **आजीविका को प्रभावित** कर रहे हैं।

भारत द्वारा उठाए गए कदम

1. **संतुलित कूटनीतिक दृष्टिकोण**

- भारत ने दोहराया है कि उसने **अपने क्षेत्र का उपयोग बांग्लादेश के खिलाफ किसी भी राजनीतिक गतिविधि के लिए नहीं होने दिया है**।
- शेख हसीना को शरण देना **मानवीय निर्णय** के रूप में प्रस्तुत किया गया है, न कि किसी राजनीतिक समर्थन के रूप में।

2. **रणनीतिक संकेत**

- भारत ने **भारतीय बंदरगाहों के माध्यम से बांग्लादेश को दी गई तृतीय-देश ट्रांजिट सुविधा को वापस लेना** एक संतुलित प्रतिक्रिया के रूप में अपनाया।
- नेपाल और भूटान के प्रति क्षेत्रीय जिम्मेदारी दर्शाने के लिए **पूर्वोत्तर के माध्यम से पारगमन की अनुमति जारी रखी गई**।

3. **कनेक्टिविटी का विविधीकरण**

- **शिलॉन्ग–सिलचर कॉरिडोर** और **कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना** को तेज़ किया जा रहा है, ताकि बांग्लादेश पर निर्भरता कम हो सके।
- म्यांमार के माध्यम से **समुद्री और स्थलीय संपर्क** को सुदृढ़ किया जा रहा है।

4. **संसदीय निगरानी**

- स्थायी समिति ने **जल बंटवारे और रणनीतिक पुनर्संतुलन** पर शीघ्र द्विपक्षीय संवाद की सिफारिश की है।

आगे की राह

1. **रणनीतिक पुनर्संतुलन, न कि अलगाव**

- भारत को बांग्लादेश में **सभी राजनीतिक और सामाजिक हितधारकों** से संवाद करना चाहिए, न कि केवल सत्ता-केंद्रित कूटनीति अपनानी चाहिए।
- बढ़ती भारत-विरोधी भावना का मुकाबला करने के लिए **युवा-केंद्रित संपर्क (youth outreach)** अत्यंत आवश्यक है।

2. **मुद्दा-आधारित सहभागिता**

- **जल-साझाकरण संधियों, व्यापार सुविधा और सीमा प्रबंधन** पर तेज़ी से वार्ता की जानी चाहिए ताकि कूटनीतिक शून्य न बने।
- **मानवीय, लोकतांत्रिक और रणनीतिक मुद्दों** को अलग-अलग रखते हुए संवाद किया जाए, जिससे शून्य-राशि (zero-sum) की धारणा न बने।

3. **बाहरी प्रभावों का संतुलन**

- चीन की अवसंरचना वित्तीय सहायता के विकल्प के रूप में **पारदर्शी और सतत समाधान** प्रस्तुत किए जाएँ।
- रणनीतिक अलगाव से बचने के लिए **आसियान, जापान और बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के देशों** के साथ सहयोग गहरा किया जाए।

4. क्षेत्रीय ढांचे को सुदृढ़ करना

- BIMSTEC को SAARC के प्रभावी विकल्प के रूप में पुनर्जीवित किया जाए।
- उप-क्षेत्रीय ढाँचों का उपयोग कर बांग्लादेश को **सहयोगात्मक क्षेत्रीय मानदंडों** से जोड़ा जाए।

5. कूटनीतिक विवेक के साथ सुरक्षा तैयारी

- पूर्वी क्षेत्र में **सीमा खुफिया तंत्र और समुद्री निगरानी** को मजबूत किया जाए।
- संसदीय समिति की चेतावनी के अनुसार, लक्ष्य किसी "मित्रवत शासन" को थोपना नहीं, बल्कि **भारत के हितों को नुकसान पहुँचाने की बांग्लादेश की क्षमता को निष्क्रिय करना** होना चाहिए।

निष्कर्ष

बांग्लादेश में वर्तमान संक्रमण भारत की पड़ोसी नीति के लिए एक **निर्णायक मोड़** है। भूगोल परस्पर निर्भरता सुनिश्चित करता है, लेकिन **राजनीतिक संरेखण सहयोग को तय करता है**। भारत पूर्वी पड़ोस में रणनीतिक जड़ता वहन नहीं कर सकता। बांग्लादेश की संप्रभुता और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का सम्मान करते हुए, नई दिल्ली को **स्पष्टता, आत्मविश्वास और रचनात्मकता** के साथ अपने दीर्घकालिक रणनीतिक हितों की रक्षा करनी होगी।

आज की चुनौती युद्ध नहीं, बल्कि **अप्रासंगिक हो जाना** है — और यही वह जोखिम है जिससे भारत को निर्णायक रूप से बचना होगा।

भारत–जॉर्डन संबंध

चर्चा में क्यों: भारत के प्रधानमंत्री ने जॉर्डन की आधिकारिक द्विपक्षीय यात्रा की और किंग अब्दुल्ला द्वितीय के साथ व्यापक चर्चा की। यह यात्रा भारत और जॉर्डन के बीच **राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ** के अवसर पर हुई। यह यात्रा **तीन-देशीय दौरे** का हिस्सा थी, जिसमें इथियोपिया और ओमान भी शामिल थे, जिसका उद्देश्य पश्चिम एशिया और अफ्रीका में भारत के कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना था।

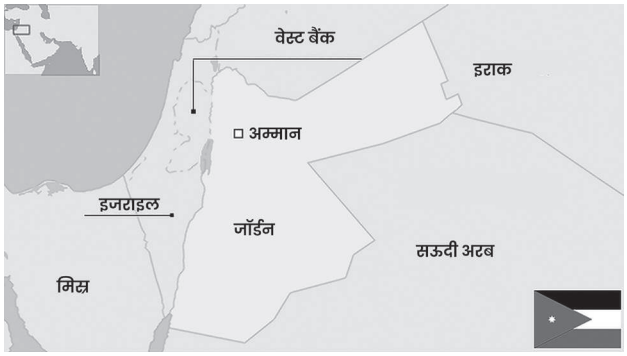

यात्रा के प्रमुख परिणाम

1. समझौते और MoU

- यात्रा के दौरान **पाँच MoU** पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें नवीकरणीय ऊर्जा, जल संसाधन प्रबंधन, डिजिटल परिवर्तन, सांस्कृतिक आदान-प्रदान तथा पेट्रा (जॉर्डन) और एलोरा (भारत) के बीच ट्विनिंग व्यवस्था शामिल है।
- ये समझौते आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने के उद्देश्य से किए गए हैं।

2. व्यापार और आर्थिक सहयोग

- भारत वर्तमान में जॉर्डन का **तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार** है, और द्विपक्षीय व्यापार 2023–24 में **2.875 अरब अमेरिकी डॉलर** तक पहुँच गया।
- जॉर्डन भारत के लिए **फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों** का प्रमुख आपूर्तिकर्ता है, जो भारत की खाद्य सुरक्षा और कृषि विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
- दोनों देशों का लक्ष्य अगले पाँच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को **5 अरब अमेरिकी डॉलर** तक बढ़ाना है।
- एक प्रमुख पहल **जॉर्डन इंडिया फर्टिलाइज़र कंपनी (JIFCO)** है, जो भारतीय किसान उर्वरक सहकारी संघ (IFFCO) और जॉर्डन फॉस्फेट माइंस कंपनी (JPMC) का संयुक्त उपक्रम है, जो भारत के लिए फॉस्फोरिक एसिड का उत्पादन करता है। इसकी प्रारंभिक लागत लगभग **860 मिलियन अमेरिकी डॉलर** थी।
- जॉर्डन के **Qualified Industrial Zones (QIZs)** में 15 भारतीय परिधान कंपनियाँ कार्यरत हैं, जिनका कुल निवेश **500 मिलियन अमेरिकी डॉलर** है और जो जॉर्डन–USA FTA के तहत निर्यात करती हैं।

3. रक्षा और सुरक्षा सहयोग

- भारत और जॉर्डन ने **2018 में रक्षा सहयोग समझौता (Defence Cooperation MoU)** पर हस्ताक्षर किए थे और दोनों देश नियमित रूप से संयुक्त सैन्य प्रतिनिधिमंडल तथा अभ्यास करते हैं।
- दोनों देश **आतंकवाद के विरुद्ध समान दृष्टिकोण** साझा करते हैं और विशेष रूप से पश्चिम एशिया और गाजा क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए समन्वय करते हैं।

4. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार

- **इंडिया–जॉर्डन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आईटी (IJCOEIT)** की स्थापना अल-हुसैन टेक्निकल यूनिवर्सिटी में की गई है, जिसे पूरी तरह भारत द्वारा वित्तपोषित किया गया है।
- यह केंद्र **साइबर सुरक्षा, वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग और बिग डेटा एनालिटिक्स** जैसी उभरती तकनीकों में जॉर्डन के पेशेवरों को प्रशिक्षित करता है।
- इसका उद्देश्य लगभग **3,000 जॉर्डन आईटी विशेषज्ञों** को प्रशिक्षित करना और दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग एवं कौशल विकास को बढ़ावा देना है।

5. शिक्षा और जन–जन संपर्क

- भारत जॉर्डन के छात्रों के लिए एक लोकप्रिय अध्ययन गंतव्य है, जहाँ **2,500 से अधिक स्नातक** भारतीय विश्वविद्यालयों से पढ़ाई कर चुके हैं।
- भारत, जॉर्डन के छात्रों को **ITEC सीटें, ICCR छात्रवृत्तियाँ और कार्यकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम** प्रदान करता है।
- लगभग **17,500 भारतीय** जॉर्डन में रहते और काम करते हैं, मुख्य रूप से वस्त्र, निर्माण, विनिर्माण, स्वास्थ्य सेवा, आईटी और शिक्षा क्षेत्रों में।
- भारत और जॉर्डन के बीच **सीधी हवाई संपर्क सुविधा (अम्मान–मुंबई)** उपलब्ध है, और जॉर्डन ने **2009 से वीज़ा ऑन अराइवल** तथा **2023 से ई-वीज़ा** सुविधा प्रदान की है।

6. सांस्कृतिक आदान-प्रदान

- भारत और जॉर्डन के बीच **नृत्य, संगीत, बॉलीवुड फ़िल्मों और योग कार्यक्रमों** के माध्यम से मजबूत सांस्कृतिक संबंध बने हुए हैं।
- उदाहरण: **जुलाई 2024 में**, असम का एक लोकनृत्य दल **38वें जेराश महोत्सव** (जॉर्डन का प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव) में प्रस्तुत हुआ।

यात्रा का महत्व

1. **कूटनीतिक**

- 75 **वर्षों के राजनयिक संबंधों** को दर्शाते हुए दीर्घकालिक द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती मिली।
- पश्चिम एशिया में **विश्वसनीय साझेदार** के रूप में भारत की भूमिका को रेखांकित किया।

2. **आर्थिक**

- भारत की **उर्वरक आपूर्ति को सुरक्षित** करता है, जो कृषि और खाद्य सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- व्यापार, निवेश और डिजिटल अवसंरचना में सहयोग को बढ़ावा देता है।

3. **रणनीतिक**

- **आतंकवाद विरोधी सहयोग** को मजबूत करता है और उग्रवाद व कट्टरपंथ से निपटने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- रक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, आईटी और महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग को प्रोत्साहित करता है।

4. **सांस्कृतिक एवं जन–जन संपर्क**

- शैक्षिक, व्यावसायिक और सांस्कृतिक संबंधों को सशक्त बनाता है।
- दोनों देशों की जनता के बीच आपसी समझ और सद्भाव को बढ़ावा देता है।

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा दर्शाती है कि **निरंतर राजनीतिक संवाद आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक साझेदारी को मजबूत करता है**। इस यात्रा ने भारत–जॉर्डन संबंधों को और सुदृढ़ किया तथा जॉर्डन को पश्चिम एशिया में भारत के एक **विश्वसनीय आर्थिक और राजनीतिक साझेदार** के रूप में स्थापित किया। साथ ही, इसने व्यापार, प्रौद्योगिकी और जन–जन संपर्क के लिए नए अवसरों के द्वार खोले।

भारत–ओमान संबंध

चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमान की यात्रा की ताकि भारत की खाड़ी नीति में ओमान के रणनीतिक महत्व को पुनः स्थापित किया जा सके, और पश्चिम एशिया में एक प्रमुख साझेदार के रूप में सल्तनत ओमान की भूमिका को रेखांकित किया जा सके। इस यात्रा के दौरान **भारत–ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते** (CEPA) पर हस्ताक्षर किए गए, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग को बढ़ाना है।

ओमान

- ओमान **पश्चिम एशिया के अरब प्रायद्वीप** में स्थित है।
- इसकी स्थलीय सीमाएँ **संयुक्त अरब अमीरात (उत्तर-पश्चिम)**, **सऊदी अरब (पश्चिम)** और **यमन (दक्षिण-पश्चिम)** से लगती हैं।
- ओमान की समुद्री सीमाएँ **अरब सागर (दक्षिण और पूर्व)** तथा **ओमान की खाड़ी (उत्तर-पूर्व)** से लगती हैं।
- यह **फ़ारस की खाड़ी के मुहाने** पर रणनीतिक रूप से स्थित है।
- ओमान की राजधानी **मस्कट** है।

भारत–ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) की प्रमुख विशेषताएँ

1. व्यापार और बाजार पहुँच

- ओमान ने अपनी 98.08% **टैरिफ लाइनों पर शुल्क-मुक्त पहुँच** प्रदान की है, जिससे भारत के 99.38% **निर्यात** को लाभ मिलेगा।
- भारत ने ओमान से आयात पर 77.79% **टैरिफ लाइनों पर शुल्क-मुक्त पहुँच** दी है, जो ओमान से भारत आने वाले 94.81% **आयात** को कवर करती है।
- संवेदनशील उत्पादों को घरेलू उद्योगों की सुरक्षा हेतु बाहर रखा गया है या नियंत्रित शुल्क-कोटा व्यवस्था के अंतर्गत रखा गया है।
- यह समझौता दोनों देशों को अपने आर्थिक हितों की रक्षा करते हुए बाजार पहुँच बढ़ाने में मदद करता है, जिससे CEPA एक संतुलित और भविष्य-उन्मुख व्यापार ढाँचा बनता है।

2. श्रम-प्रधान और रणनीतिक क्षेत्र

- वस्त्र, चमड़ा, जूते, रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, प्लास्टिक, फर्नीचर, कृषि उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरण और ऑटोमोबाइल जैसे **श्रम-प्रधान क्षेत्रों** को पूर्ण शुल्क छूट प्रदान की गई है।
- इस प्रावधान से:
  - रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे,
  - MSME क्षेत्र को समर्थन मिलेगा,
  - महिला उद्यमों को सशक्त बनाया जाएगा,
  - तथा कारीगरों की अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भागीदारी मजबूत होगी।

3. सेवाएँ और पेशेवर गतिशीलता

- ओमान ने 127 **सेवा उप-क्षेत्रों** को उदार बनाने की प्रतिबद्धता जताई है, जिनमें आईटी से जुड़ी सेवाएँ, व्यवसायिक एवं पेशेवर सेवाएँ, ऑडियोविज़ुअल और मीडिया सेवाएँ, अनुसंधान एवं विकास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाएँ शामिल हैं।
- भारतीय पेशेवरों को Mode 4 **के तहत बेहतर गतिशीलता** का लाभ मिलेगा,

जिसमें इंट्रा-कॉरपोरेट ट्रांसफरी, अनुबंध आधारित सेवा प्रदाता और स्वतंत्र पेशेवर शामिल हैं, साथ ही विस्तारित अवधि और उदार प्रवेश शर्तें भी होंगी।

- लेखांकन, कराधान, वास्तुकला, चिकित्सा और संबद्ध क्षेत्रों के कुशल पेशेवरों को ओमानी बाज़ार तक आसान पहुँच मिलेगी, जिससे द्विपक्षीय प्रतिभा विनिमय मजबूत होगा।

4. निवेश और भविष्य सहयोग

- यह समझौता ओमान के प्रमुख सेवा क्षेत्रों में **भारतीय कंपनियों के लिए 100% FDI** की अनुमति देता है, जिससे भारतीय व्यवसायों को खाड़ी क्षेत्र में विस्तार के अवसर मिलेंगे।
- दोनों देशों ने ओमान में कार्यरत भारतीय पेशेवरों के लिए **सामाजिक सुरक्षा कवरेज** पर चर्चा करने पर सहमति जताई है, जब सुल्तानत की अंशदायी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू हो जाएगी।
- यह श्रम गतिशीलता के प्रति एक **भविष्यदृष्टि आधारित दृष्टिकोण** को दर्शाता है।

5. पारंपरिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा

- ओमान ने सभी माध्यमों में **पारंपरिक चिकित्सा पर व्यापक प्रतिबद्धता** दिखाई है, जिससे भारत के **AYUSH और वेलनेस सेक्टर** के लिए बड़े अवसर खुलेंगे।
- यह समझौता **मेडिकल वैल्यू ट्रैवल** को भी बढ़ावा देता है, भारत की **सॉफ्ट पावर** को मजबूत करता है, और आधुनिक व पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणालियों में सहयोग को सुदृढ़ करता है।

भारत–ओमान संबंध

1. रणनीतिक और रक्षा सहयोग

- रक्षा सहयोग में संयुक्त अभ्यास, सैन्य कर्मियों का प्रशिक्षण, और रक्षा विनिर्माण में संभावित सहयोग शामिल है, जो भारत के एक वैश्विक रक्षा निर्माण केंद्र बनने के लक्ष्य के अनुरूप है।
- समुद्री सहयोग क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा, ब्लू इकोनॉमी और महासागरीय संसाधनों के सतत उपयोग पर केंद्रित है, जो व्यापार मार्गों की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है।
- तटीय सुरक्षा सहयोग समुद्री डकैती, संगठित अपराध और तस्करी से निपटने में सहायक है, जिससे साझा समुद्री क्षेत्रों में पारस्परिक सुरक्षा मजबूत होती है।

2. आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध

- वर्ष 2024–25 में द्विपक्षीय व्यापार **10.6 अरब अमेरिकी डॉलर** रहा, जिसे ओमान में कार्यरत **6,000 से अधिक भारतीय उद्यमों** का समर्थन प्राप्त है।
- सांस्कृतिक, शैक्षिक और समुद्री विरासत सहयोग में संग्रहालयों, कृषि (विशेष रूप से मिलेट्स की खेती), उच्च शिक्षा और प्रौद्योगिकी साझेदारी से जुड़े समझौते शामिल हैं, जो जन-जन संपर्क और संस्थागत संबंधों को मजबूत करते हैं।

3. स्वास्थ्य सेवा और सॉफ्ट पावर

- पारंपरिक और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं में सहयोग के तहत ओमान में **आयुष चेयर** और एक **सूचना केंद्र** की स्थापना की गई है, जिससे भारत की पारंपरिक चिकित्सा और वेलनेस पद्धतियों को बढ़ावा मिलता है।
- कोविड-19 महामारी के दौरान संयुक्त सहयोग ने भारत की छवि को एक **वैश्विक स्वास्थ्य नेता** और **ग्लोबल साउथ के विश्वसनीय भागीदार** के रूप में मजबूत किया।

4. क्षेत्रीय कूटनीति और सुरक्षा

- ओमान पश्चिम एशिया में **क्षेत्रीय संतुलनकर्ता (regional arbiter)** की भूमिका निभाता है, जो शांति और स्थिरता के लिए महत्त्वपूर्ण है।
- दोनों देश **आतंकवाद, उग्रवाद और कट्टरपंथ** के खिलाफ मजबूत रुख साझा करते हैं तथा **स्वतंत्र फिलीस्तीनी राज्य** की स्थापना का समर्थन करते हैं।
- गाज़ा में नागरिक सहायता सहित मानवीय सहयोग, साझा मूल्यों और क्षेत्रीय स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

दौरे के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी को भारत–ओमान संबंधों को सुदृढ़ करने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए सुल्तान हैथम बिन तारिक द्वारा **ऑर्डर ऑफ़ ओमान (प्रथम श्रेणी)** से सम्मानित किया गया।

चुनौतियाँ

- CEPA का सफल कार्यान्वयन दोनों देशों में **व्यवसायों और निजी क्षेत्र द्वारा सक्रिय उपयोग** पर निर्भर करता है।
- भारत द्वारा कुछ **संवेदनशील क्षेत्रों को बाहर रखे जाने** से व्यापार विस्तार की पूरी क्षमता सीमित हो सकती है।
- पश्चिम एशिया में **क्षेत्रीय अस्थिरता और भू-राजनीतिक तनाव** व्यापार, रक्षा और सहयोग को प्रभावित कर सकते हैं।
- ओमान विज़न 2040 और भारत के **विकसित भारत 2047** लक्ष्यों के बीच दीर्घकालिक तालमेल के लिए **सावधानीपूर्वक योजना और सतत समन्वय** आवश्यक है।

आगे की राह

- भारतीय और ओमानी व्यवसायों को वस्तु और सेवा दोनों क्षेत्रों में **CEPA के लाभों का अधिकतम उपयोग** करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- भारत और ओमान को **संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण और अवसंरचना विकास** के माध्यम से समुद्री और रक्षा सहयोग को और मजबूत करना चाहिए।
- **सांस्कृतिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य सहयोग** को और बढ़ाया जाना चाहिए ताकि भारत की सॉफ्ट पावर सुदृढ़ हो।
- पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए **क्षेत्रीय संतुलनकर्ता के रूप में ओमान की भूमिका** का लाभ उठाया जाना चाहिए।
- **प्रौद्योगिकी, कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा और सतत विकास** के क्षेत्रों में सहयोग को विस्तार देकर आपसी विकास को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

ओमान खाड़ी क्षेत्र में भारत का एक **महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार** बना हुआ है, जो पश्चिम एशिया और अफ्रीका के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है।

भारत–ओमान CEPA न केवल व्यापार और निवेश को मजबूत करता है, बल्कि रक्षा, समुद्री और सांस्कृतिक सहयोग को भी सुदृढ़ करता है, जो क्षेत्र में भारत की विकसित होती खाड़ी नीति और सक्रिय सहभागिता को दर्शाता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: ओमान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. ओमान की स्थलीय सीमा सऊदी अरब और यमन से लगती है।
2. ओमान की खाड़ी, ओमान के उत्तर-पूर्व में स्थित है।
3. ओमान रणनीतिक रूप से फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d) 1, 2 और 3

भारत–इथियोपिया संबंध

चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इथियोपिया की यात्रा की, जिससे मध्य पूर्व और अफ्रीका के साथ भारत की रणनीतिक भागीदारी को मजबूती मिली। यह इथियोपिया की उनकी पहली पूर्ण द्विपक्षीय यात्रा थी और इसके परिणामस्वरूप भारत–इथियोपिया संबंधों को **रणनीतिक साझेदारी** के स्तर तक उन्नत किया गया।

भारत–इथियोपिया संबंधों का घरेलू एवं क्षेत्रीय महत्व

- **रणनीतिक भौगोलिक स्थिति:** इथियोपिया अफ्रीका के हॉर्न क्षेत्र के चौराहे (crossroads) पर स्थित है और अफ्रीकी संघ का मुख्यालय भी यहीं है, जिससे यह अफ्रीकी कूटनीति का केंद्र बनता है।
- **भारत की हिंद महासागर भूमिका:** भारत की समुद्री केन्द्रीयता इथियोपिया की महाद्वीपीय प्रभावशीलता को पूरक बनाती है, जिससे **क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और कनेक्टिविटी** में सहयोग संभव होता है।
- **स्थिरता का आधार:** आंतरिक चुनौतियों के बावजूद, इथियोपिया एक सशक्त सैन्य शक्ति और क्षेत्रीय कूटनीतिक प्रासंगिकता बनाए हुए है।
- **BRICS और ग्लोबल साउथ का अभिसरण:** इथियोपिया की BRICS सदस्यता और G20 में भारत की नेतृत्व भूमिका साझा बहुपक्षीय प्राथमिकताओं को मजबूत करती है।

रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख स्तंभ

1. रक्षा और सुरक्षा सहयोग

- **रक्षा सहयोग समझौते** पर हस्ताक्षर, जिसमें शामिल हैं:
  - सैन्य प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण
  - साइबर सुरक्षा सहयोग
  - रक्षा उद्योग सहयोग और संयुक्त अनुसंधान
- भारत, खाड़ी और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के प्रभाव के बीच इथियोपिया को एक **वैकल्पिक, गैर-हस्तक्षेपकारी सुरक्षा साझेदार** प्रदान करता है।
- भारत के रक्षा प्लेटफॉर्म इथियोपिया की सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए **लागत-प्रभावी विकल्प** उपलब्ध कराते हैं।

2. आर्थिक और निवेश सहभागिता

- भारतीय कंपनियों ने 5 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश किया है, जिससे 75,000 से अधिक नौकरियाँ सृजित हुई हैं।
- भारत, इथियोपिया में FDI का सबसे बड़ा स्रोत है, जहाँ 600 से अधिक भारतीय कंपनियाँ कार्यरत हैं।
- उच्च संभावनाओं वाले क्षेत्र:
  - खनन (सोना, रेयर अर्थ्स, महत्वपूर्ण खनिज)
  - फार्मास्यूटिकल्स
  - कृषि-प्रसंस्करण और विनिर्माण
  - स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा
- अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र (AfCFTA) के अंतर्गत इथियोपिया पूर्वी अफ्रीका का प्रवेश द्वार (gateway) बन सकता है।

3. शिक्षा, क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी

- इथियोपिया भारत में अध्ययन करने वाले अफ्रीकी छात्रों की सबसे बड़ी संख्या भेजने वाले देशों में से एक है, जिसमें पीएचडी छात्रों की संख्या सर्वाधिक है।
- निम्नलिखित क्षेत्रों में विस्तार किया गया है:
  - ICCR छात्रवृत्तियाँ (दोगुनी की गईं)
  - ITEC प्रशिक्षण कार्यक्रम
  - AI-केंद्रित अल्पकालिक पाठ्यक्रम
- इथियोपिया के शैक्षणिक संस्थानों के विकास में भारतीय शिक्षकों की एक मजबूत विरासत रही है।
- डिजिटल स्वास्थ्य, कृषि-प्रौद्योगिकी, प्राकृतिक खेती और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में सहयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।

कूटनीतिक और प्रतीकात्मक आयाम

- असाधारण व्यक्तिगत कूटनीति ("कार डिप्लोमेसी") ने विश्वास और आत्मीयता को प्रदर्शित किया।
- इथियोपियाई संसद में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को खड़े होकर तालियों (standing ovation) से सराहा गया, जो पुनर्जीवित सद्भावना को दर्शाता है।
- इथियोपिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान — निशान ऑफ़ इथियोपिया (Nishan of Ethiopia) — से सम्मानित किया जाना आपसी सम्मान को रेखांकित करता है।
- प्रतीकात्मक पहलें जैसे:
  - पारंपरिक कॉफी समारोह में भागीदारी
  - एक पेड़ माँ के नाम (Ek Ped Maa Ke Naam) अभियान के तहत पौधारोपण
  - अदवा विजय स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करना

चुनौतियाँ और छूटे हुए अवसर

- इथियोपिया की अपेक्षाओं के बावजूद यात्रा के दौरान **औपचारिक व्यापार प्रतिनिधिमंडल की अनुपस्थिति**।
- निवेशकों की निम्नलिखित चिंताएँ बनी हुई हैं:
  - विदेशी मुद्रा की उपलब्धता
  - कराधान और नियामकीय स्थिरता
- **IMF की शर्तें** इथियोपिया की वित्तीय लचीलापन को सीमित करती हैं, जिससे निजी निवेश और अधिक आवश्यक हो जाता है।
- क्षेत्रीय जोखिम बने हुए हैं, जिनमें संवेदनशील मार्गों के माध्यम से लाल सागर तक पहुँच की इथियोपिया की कोशिश भी शामिल है।

साझेदारी को गहरा करने के लिए आवश्यक उपाय

- द्विपक्षीय ढाँचों को अद्यतन करना, जैसे:
  - डबल टैक्सेशन अवॉयडेंस एग्रीमेंट (DTAA)
  - द्विपक्षीय निवेश संधि (Bilateral Investment Treaty)
- भारतीय **SMEs** को इथियोपिया को एक क्षेत्रीय विनिर्माण केंद्र के रूप में उपयोग करने हेतु निवेश के लिए प्रोत्साहित करना।
- मानव संसाधन विकास को बढ़ाने के लिए इथियोपिया में **भारत-समर्थित शैक्षणिक संस्थानों** की स्थापना।
- **IMF मानदंडों** के अनुरूप रक्षा क्षेत्र में **Lines of Credit** का विस्तार।
- **BRICS, G20 और इंडिया–अफ्रीका फोरम समिट IV** जैसे मंचों का उपयोग संस्थागत फॉलो-अप के लिए करना।

निष्कर्ष

भारत–इथियोपिया संबंधों को **रणनीतिक साझेदारी** तक उन्नत किया जाना, भारत की अफ्रीका नीति को दर्शाता है, जो **सम्मान, विकास साझेदारी और रणनीतिक स्वायत्तता** पर आधारित है।

इथियोपिया को इससे कूटनीतिक वैधता, विविधीकृत साझेदारियाँ और विकास समर्थन प्राप्त होता है, जबकि भारत अफ्रीका के भू-राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करता है।

मजबूत राजनीतिक सद्भावना को **ठोस आर्थिक और रणनीतिक परिणामों** में बदलना अब संस्थागत फॉलो-अप, निजी क्षेत्र की भागीदारी और दीर्घकालिक क्षमता निर्माण पर निर्भर करेगा — जिससे यह साझेदारी आने वाले दशक में भारत–अफ्रीका संबंधों की **मजबूत आधारशिला** बन सकती है।

जैविक हथियार अभिसमय (BWC) के आधुनिकीकरण में भारत की भूमिका

चर्चा में क्यों: विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने जैविक हथियार अभिसमय (BWC) के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए जैव-आतंकवाद (Bioterrorism) से जुड़े खतरों पर चिंता व्यक्त की। यह वक्तव्य जैव-आतंकवाद, द्वि-उपयोग (dual-use) प्रौद्योगिकियों और मौजूदा अंतरराष्ट्रीय जैव-सुरक्षा ढांचे की सीमाओं को लेकर बढ़ती वैश्विक चिंता को दर्शाता है।

जैव-आतंकवाद का बढ़ता खतरा

- जैव-आतंकवाद का अर्थ राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्यों के लिए **जैविक एजेंटों या विषाक्त पदार्थों** को जानबूझकर फैलाना है, जिससे मनुष्यों, पशुओं या पौधों को नुकसान पहुँचे।
- संक्रामक या विषैले कारक बिना चेतावनी के फैल सकते हैं और व्यापक बीमारी, मृत्यु, घबराहट तथा अंतरराष्ट्रीय अस्थिरता पैदा कर सकते हैं।
- गैर-राज्य तत्वों की जैविक सामग्री और विशेषज्ञता तक बढ़ती पहुँच ने जैव-आतंकवाद को एक **वास्तविक और तात्कालिक खतरा** बना दिया है।
- जैव-प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और सिंथेटिक बायोलॉजी में प्रगति ने जीवन विज्ञान अनुसंधान के दुरुपयोग की बाधाओं को कम कर दिया है।

जैविक हथियार अभिसमय (BWC): भूमिका और सीमाएँ

- BWC सामूहिक विनाश के हथियारों की एक पूरी श्रेणी पर प्रतिबंध लगाने वाला **पहला बहुपक्षीय समझौता** है।
- यह जैविक हथियारों के विकास, उत्पादन, अधिग्रहण, भंडारण, हस्तांतरण और उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है।
- अपनी मानकात्मक शक्ति के बावजूद, BWC में **औपचारिक अनुपालन और सत्यापन तंत्र का अभाव** है।
- इस अभिसमय के अंतर्गत कोई स्थायी तकनीकी निकाय या संस्थागत व्यवस्था नहीं है जो उभरती वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति की निगरानी कर सके।
- **विश्वास-निर्माण उपाय (CBMs)** उपयोगी होने के बावजूद राजनीतिक रूप से बाध्यकारी नहीं हैं और आधुनिक द्वि-उपयोग जोखिमों से निपटने में अपर्याप्त हैं।

द्वि-उपयोग दुविधा और वैज्ञानिक प्रगति

- द्वि-उपयोग अनुसंधान वह वैज्ञानिक कार्य है जो शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाता है, लेकिन जिसे जानबूझकर या अनजाने में नुकसान पहुँचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
- जीन संपादन, सिंथेटिक बायोलॉजी और AI-आधारित अनुसंधान जैसी तकनीकें चिकित्सा लाभ तो बढ़ाती हैं, लेकिन सुरक्षा जोखिम भी उत्पन्न करती हैं।
- कोविड-19 के बाद उच्च-सुरक्षा प्रयोगशालाओं के विस्तार ने देशों के बीच **जैव-सुरक्षा मानकों में असमानता** को उजागर किया है।
- वैश्विक निगरानी तंत्र के विखंडन ने द्वि-उपयोग अनुसंधान के प्रभावी नियमन और निगरानी को कमजोर किया है।

BWC को सशक्त बनाने पर भारत की स्थिति

- भारत ने BWC ढांचे के भीतर **मज़बूत अनुपालन और सत्यापन तंत्र** की लगातार वकालत की है।
- भारत ने समकालीन वैज्ञानिक और सुरक्षा वास्तविकताओं के अनुरूप **उपयुक्त तंत्रों के निर्माण** का समर्थन किया है।
- भारत ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि **वैज्ञानिक और तकनीकी विकास की नियमित समीक्षा** होनी चाहिए ताकि शासन व्यवस्था नवाचार के साथ तालमेल बनाए रख सके।
- नई दिल्ली ने जैविक सामग्री और प्रौद्योगिकियों के **शांतिपूर्ण उपयोग हेतु अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सहायता** के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।

भारत की विश्वसनीयता और ग्लोबल साउथ का विश्वास

- भारत को एक **जिम्मेदार अंतरराष्ट्रीय पक्ष** के रूप में देखा जाता है, जिसका अप्रसार (non-proliferation) रिकॉर्ड मजबूत है।
- 2018 से **ऑस्ट्रेलिया ग्रुप** की सदस्यता ने संवेदनशील जैविक सामग्रियों के दुरुपयोग को रोकने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ किया है।
- BWC के प्रति भारत के सतत कूटनीतिक समर्थन ने उसे **ग्लोबल साउथ के देशों के बीच भरोसेमंद भागीदार** बनाया है।
- यद्यपि भारत को घरेलू जैव-सुरक्षा समन्वय से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, फिर भी उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर **उल्लेखनीय वैधता** प्राप्त है।

ग्लोबल साउथ को आधुनिक BWC की आवश्यकता क्यों है?

- जलवायु परिवर्तन, उभरती संक्रामक बीमारियों और सीमित स्वास्थ्य अवसंरचना के कारण ग्लोबल साउथ को **असमान रूप से अधिक जैविक जोखिमों** का सामना करना पड़ता है।
- कमजोर जैव-सुरक्षा और जैव-संरक्षा ढाँचे आकस्मिक रिसाव और जानबूझकर किए गए जैविक हमलों की संवेदनशीलता बढ़ाते हैं।
- मौजूदा वैश्विक शासन संरचनाएँ अक्सर विकासशील देशों की **विकासात्मक और क्षमता संबंधी सीमाओं** को पर्याप्त रूप से प्रतिबिंबित नहीं करतीं।
- एक **आधुनिकीकृत BWC** समान सुरक्षा, बेहतर तैयारी और क्षमता निर्माण सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है।

भारत की संभावित नेतृत्व भूमिका

- भारत जैव-सुरक्षा (biosafety) और जैव-सुरक्षा (biosecurity) मानकों पर केंद्रित **दक्षिण–दक्षिण क्षमता निर्माण पहलों** का नेतृत्व कर सकता है।
- ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के साथ अपने जुड़ाव से प्राप्त **नियामक और तकनीकी अनुभव** को साझा कर सकता है।
- भारत, BWC के भीतर **संस्थागत वैज्ञानिक सलाह तंत्र** की वकालत कर विज्ञान कूटनीति को बढ़ावा दे सकता है।
- नई दिल्ली विश्वास बहाली और जैविक हथियार शासन के **राजनीतिकरण को कम करने** के लिए क्षेत्रीय और बहुपक्षीय संवादों का नेतृत्व कर सकती है।

निष्कर्ष

BWC जैविक हथियारों के उपयोग को रोकने के लिए वैश्विक प्रयासों की **आधारशिला** बना हुआ है। उभरते जैव-आतंकवाद और द्वि-उपयोग (dual-use) चुनौतियों से निपटने के लिए इसके संस्थागत ढांचे को सशक्त बनाना अत्यंत आवश्यक है। भारत उन्नत वैज्ञानिक शासन और ग्लोबल साउथ की विविध आवश्यकताओं के बीच **सेतु की भूमिका** निभाने की विशिष्ट स्थिति में है। अपने नियामक अंतरालों को कूटनीतिक नेतृत्व में बदलकर भारत एक **आधुनिक, सुदृढ़ और समावेशी BWC** के लिए अग्रणी आवाज बन सकता है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न: जैविक हथियार सम्मेलन (BWC) को सशक्त बनाने में भारत की भूमिका का परीक्षण कीजिए। भारत अपनी विश्वसनीयता और ग्लोबल साउथ में नेतृत्व का उपयोग एक आधुनिक और समावेशी जैव-सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कैसे कर सकता है? (15 अंक, 250 शब्द)

श्रीलंका के लिए भारत का पुनर्निर्माण पैकेज

चर्चा में क्यों: भारत ने चक्रवात डित्वा के बाद श्रीलंका के लिए **450 मिलियन डॉलर का पुनर्निर्माण पैकेज** घोषित किया। यह क्षेत्रीय सहयोग और मानवीय कूटनीति में एक महत्वपूर्ण क्षण है।

पृष्ठभूमि: चक्रवात डित्वा और श्रीलंका की संवेदनशीलता

- चक्रवात डित्वा उस समय श्रीलंका से टकराया जब देश स्वतंत्रता के बाद के अपने **सबसे गंभीर आर्थिक संकट** से उबर रहा था।
- विश्व बैंक के अनुसार, इस चक्रवात से **4.1 बिलियन डॉलर** की प्रत्यक्ष क्षति हुई, जो श्रीलंका की GDP का लगभग 4% है, और इससे जीवन, बुनियादी ढांचे, कृषि, मत्स्य पालन और आजीविका प्रभावित हुई।
- विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा वित्तीय दबाव और IMF कार्यक्रम के तहत सख्ती के कारण पुनर्बहाली की चुनौती **2004 की हिंद महासागर सुनामी** से भी अधिक हो सकती है।

भारत की सहायता और 'ऑपरेशन सागर बंधु'

भारत की प्रतिक्रिया त्वरित और व्यापक रही है:

- दीर्घकालिक पुनर्निर्माण के लिए **450 मिलियन डॉलर का सहायता पैकेज**।
- **ऑपरेशन सागर बंधु** के तहत भारत ने मानवीय राहत, चिकित्सा सहायता और आवश्यक आपूर्ति प्रदान की।
- **भारतीय सेना ने कंडी (Kandy) के पास एक फील्ड हॉस्पिटल स्थापित किया**, जहां 8,000 से अधिक लोगों का इलाज किया गया और 85 कर्मियों की मेडिकल टीम तैनात की गई।
- यह सहायता श्रीलंका के 2022 के आर्थिक संकट के दौरान भारत द्वारा दी गई **4 बिलियन डॉलर की सहायता** (ऋण, मुद्रा विनिमय और स्थगित भुगतान सहित) पर आधारित है।

यह दृष्टिकोण भारत की **Neighbourhood First Policy** और **मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (HADR)** को विदेश नीति के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में दर्शाता है।

रणनीतिक और कूटनीतिक महत्व

1. **द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करना:** श्रीलंकाई नेतृत्व ने भारत की पहल को द्विपक्षीय संबंधों में "नए अध्याय" की शुरुआत बताया, जिससे राजनीतिक विश्वास मजबूत हुआ।
2. **बाहरी प्रभाव का संतुलन:** भारत का निरंतर समर्थन श्रीलंका को बाहरी रणनीतिक दबावों से संतुलन बनाने में मदद करता है, विशेषकर हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में।
3. **सॉफ्ट पावर और नैतिक नेतृत्व:** भारत की करुणामय प्रतिक्रिया एक जिम्मेदार क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उसकी विश्वसनीयता को मजबूत करती है।

भारत–श्रीलंका संबंध

व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग

- भारत श्रीलंका के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है।
- द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2023–24 में **USD 5.54 बिलियन** रहा।
- **आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते (ETCA)** पर बातचीत पाँच साल के अंतराल के बाद 2023 में फिर से शुरू हुई।
- भारत **FDI (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश)** का एक प्रमुख स्रोत है, जिसमें कुल निवेश **USD 2.25 बिलियन** है, खासकर **ऊर्जा, टेलीकॉम, बैंकिंग, हॉस्पिटैलिटी, मैन्युफैक्चरिंग और रियल एस्टेट** क्षेत्रों में।

कनेक्टिविटी और पर्यटन

कनेक्टिविटी द्विपक्षीय संबंधों का एक **मुख्य स्तंभ** बनकर उभरी है:

- **फेरी सेवाएं:** नागपट्टिनम–कांकेसंथुराई (संचालित) और रामेश्वरम–तालैमन्नार (चर्चाधीन)।
- **हवाई संपर्क:** चेन्नई–जाफना फ्लाइट्स फिर से शुरू।
- **डिजिटल कनेक्टिविटी:** UPI QR-आधारित भुगतान श्रीलंका में शुरू (2024)।
- **चर्चा के तहत रणनीतिक परियोजनाएं:** पावर ग्रिड इंटरकनेक्शन, मल्टी-प्रोडक्ट पेट्रोलियम पाइपलाइन और आर्थिक भूमि गलियारा (Economic Land Corridor)।
- भारत 2023 और 2024 में श्रीलंका का **सबसे बड़ा पर्यटक स्रोत** रहा, जो कुल पर्यटक आगमन का लगभग **20%** योगदान देता है।

विकास सहयोग

भारत श्रीलंका का **सबसे बड़ा विकास भागीदार** है:

- कुल ऋण सहायता **USD 7 बिलियन से अधिक** है।
- अनुदान सहायता लगभग **USD 780 मिलियन** है।
- प्रमुख परियोजनाओं में शामिल हैं:
  - ➢ भारतीय आवास परियोजना के तहत 60,000 घर
  - ➢ सुवा सेरिया आपातकालीन एंबुलेंस सेवा

- रेलवे आधुनिकीकरण और बंदरगाह विकास
- जाफना द्वीपों में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं
- डिजिटल पहचान परियोजना (INR 300 करोड़)

- भारत ने श्रीलंका के **2022 के आर्थिक संकट** के दौरान **USD 4 बिलियन** की सहायता प्रदान की, जिसमें **मुद्रा स्वैप, क्रेडिट लाइन और मानवीय सहायता** शामिल है।

रक्षा और सुरक्षा सहयोग

सुरक्षा सहयोग मजबूत और संस्थागत है:

- नियमित **सेवा प्रमुखों की यात्राएँ** और **वार्षिक रक्षा संवाद**।
- संयुक्त सैन्य अभ्यास: **SLINEX (नौसेना)** और **MITRA SHAKTI (सेना)**।
- **मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर** (MRCC) की स्थापना, भारतीय अनुदान के तहत।
- भारत ने समुद्री आपदाओं में **फर्स्ट रिस्पॉन्डर** की भूमिका निभाई है (MV Xpress Pearl, MT New Diamond)।
- **कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव** एक प्रमुख क्षेत्रीय सुरक्षा मंच के रूप में उभरा है।

सांस्कृतिक और जन-जन (People-to-People) संबंध

- **गहरे बौद्ध और सांस्कृतिक संबंध:** कपिलवस्तु अवशेष, कैंडी में बौद्ध संग्रहालय गैलरी, मंदिरों का जीर्णोद्धार।
- शैक्षिक और सांस्कृतिक पहल:
  - हिंदी के लिए ICCR चेयर्स
  - कोलंबो विश्वविद्यालय में समकालीन भारतीय अध्ययन केंद्र
  - भारत द्वारा पाली और सिंहला ग्रंथों का प्रकाशन
- कोलंबो–कुशीनगर बौद्ध सर्किट उड़ान का उद्घाटन।

क्षमता निर्माण और शिक्षा

- श्रीलंकाई छात्रों के लिए प्रतिवर्ष 710 छात्रवृत्तियाँ।
- ITEC कार्यक्रम के तहत प्रति वर्ष 402 प्रशिक्षण सीटें।
- नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के तहत 1,500 श्रीलंकाई सिविल सेवकों को प्रशिक्षण।
- शिक्षक प्रशिक्षण, कूटनीतिक पाठ्यक्रम और STEM क्षमता निर्माण पहल।

श्रीलंका में भारतीय समुदाय

- **भारतीय मूल के तमिल (IOTs)** (~1.6 मिलियन), मुख्य रूप से प्लांटेशन अर्थव्यवस्था से जुड़े।
- **भारतीय मूल के लोग (PIOs)** (~10,000), व्यापार और व्यवसाय में संलग्न।
- लगभग 7,500 NRI पेशेवर क्षेत्रों में कार्यरत।

आगे की राह

- **जलवायु-उत्तरदायी वित्तपोषण:** अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को ऋण स्थिरता ढांचे में जलवायु संवेदनशीलता को शामिल करना चाहिए।
- **ऋण राहत और वित्तीय स्पेस:** पुनरुद्धार प्रयासों में कठोर ऋण भुगतान की बजाय मानव कल्याण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- **क्षेत्रीय सहयोग:** भारत और श्रीलंका आपदा-रोधी अवसंरचना, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों और जलवायु अनुकूलन पर सहयोग कर सकते हैं।
- **सतत विकास पर फोकस:** पुनर्निर्माण दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता के अनुरूप होना चाहिए, न कि केवल ऋण-आधारित विकास पर।

निष्कर्ष

चक्रवात दित्वा के बाद श्रीलंका को भारत द्वारा दी गई पुनर्निर्माण सहायता केवल मानवीय राहत तक सीमित नहीं है—यह क्षेत्रीय स्थिरता, जलवायु सहनशीलता और जन-केंद्रित कूटनीति में एक रणनीतिक निवेश है। जैसे-जैसे जलवायु-जनित आपदाएँ अधिक बार होने लगेंगी, ऐसे सहयोगी ढाँचे सतत पुनर्बहाली सुनिश्चित करने और दक्षिण एशिया में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका को मजबूत करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे।

इकाई 3

अर्थव्यवस्था एवं कृषि

भारत के पूंजी बाज़ार: घरेलू बचतों पर आधारित

चर्चा में क्यों: भारत के पूंजी बाज़ार एक संरचनात्मक बदलाव से गुजर रहे हैं, जहाँ **घरेलू बचतें** धीरे-धीरे **विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI)** की जगह ले रही हैं। यह बदलाव वैश्विक पूंजी प्रवाह की अस्थिरता के प्रति जोखिम को कम करता है और वित्तीय स्थिरता को मजबूत करता है। हालांकि, जैसे-जैसे भारत **विकसित भारत 2047** की ओर बढ़ रहा है, यह चिंता बनी हुई है कि क्या यह स्थिरता—जो असमान रिटेल भागीदारी और सीमित वित्तीय क्षमता पर आधारित है—**समावेशी और सतत विकास** प्रदान कर पाएगी या नहीं।

भारतीय पूंजी बाज़ार को आकार देने वाला घरेलू धन

- **FPI प्रभाव में गिरावट:** भारतीय इक्विटी में FPI की हिस्सेदारी कई महीनों के निचले स्तर पर आ गई है, जो विदेशी पूंजी पर निर्भरता में कमी का संकेत देती है।
- **घरेलू भागीदारी में वृद्धि:** म्यूचुअल फंड और रिटेल निवेशक अब कुल बाज़ार स्वामित्व का लगभग **एक-पाँचवां हिस्सा** रखते हैं, जो पिछले दो दशकों में सबसे अधिक है।
- **SIP-आधारित स्थिरता:** रिकॉर्ड SIP निवेशों ने घरेलू निवेशकों को बाज़ार का आधार बना दिया है, जिससे वैश्विक अनिश्चितता के दौरान अस्थिरता कम हुई है।
- **नीतिगत लचीलापन:** विदेशी प्रवाह पर कम निर्भरता ने **RBI की मौद्रिक नीति** को अधिक लचीलापन दिया है, जिससे मुद्रा रक्षा की बजाय ऋण वृद्धि पर ध्यान संभव हुआ है।
- **प्राथमिक बाज़ार का विस्तार:** मजबूत IPO गतिविधि और बढ़ता निजी निवेश भारत की दीर्घकालिक विकास कहानी में बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।

घरेलू-आधारित पूंजी बाज़ार की ओर बदलाव से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ

- **असमान भागीदारी:** इक्विटी और म्यूचुअल फंड निवेश मुख्यतः उच्च आय वर्ग और शहरी परिवारों तक सीमित हैं, जिससे संपत्ति असमानता बढ़ने का जोखिम है।
- **रिटेल निवेशकों की संवेदनशीलता:** नए निवेशकों में अक्सर वित्तीय साक्षरता की कमी होती है, जिससे वे अधिक मूल्यांकन और बाज़ार सुधारों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं।
- **प्रदर्शन संबंधी समस्या:** अधिकांश सक्रिय फंड प्रबंधक शुल्क के बाद लगातार बाज़ार से बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाते, जिससे छोटे निवेशकों की संपत्ति सृजन सीमित होती है।
- **मूल्यांकन का उछाल:** महंगे IPO और प्रीमियम वैल्यूएशन से बुनियादी मजबूती बनाम सट्टेबाज़ी को लेकर चिंताएँ बढ़ती हैं।
- **नुकसान का नकारात्मक प्रभाव:** बाज़ार में गिरावट का असर नए निवेशकों पर अधिक पड़ता है, जिससे दीर्घकालिक विश्वास कमजोर हो सकता है।
- **कॉरपोरेट गवर्नेंस जोखिम:** प्रमोटर हिस्सेदारी में गिरावट पूंजी जुटाने का संकेत हो सकती है, लेकिन कमजोर निगरानी में यह अवसरवादी निकास का जोखिम भी बढ़ाती है।

भारत के पूंजी बाज़ार को मजबूत करने हेतु आवश्यक उपाय

- **वित्तीय साक्षरता बढ़ाना:** निवेशक शिक्षा को आर्थिक अवसंरचना के रूप में मानना, जिसमें दीर्घकालिक और जोखिम-समायोजित रिटर्न पर ध्यान हो।
- **कम-लागत निवेश को बढ़ावा देना:** पैसिव फंड्स और कम व्यय अनुपात को प्रोत्साहित करना ताकि लागत-जनित कमजोर प्रदर्शन की समस्या को कम किया जा सके।
- **निवेशक संरक्षण को मजबूत करना:** केवल प्रकटीकरण (disclosure) से आगे बढ़कर **न्यासीय-आधारित विनियमन** अपनाना, जो खुदरा निवेशकों के हितों की वास्तविक सुरक्षा करे।
- **गवर्नेंस मानकों को सुदृढ़ करना:** पारदर्शिता, जवाबदेही और अल्पांश शेयरधारकों के संरक्षण को सुनिश्चित करना, विशेषकर तब जब प्रमोटर हिस्सेदारी घट रही हो।
- **डेटा-आधारित समावेशन:** जेंडर और क्षेत्र-विशेष डेटा का उपयोग कर कम प्रतिनिधित्व वाले वर्गों की भागीदारी बढ़ाना।
- **समावेशन के साथ स्थिरता:** बाज़ार विकास को समावेशी विकास लक्ष्यों से जोड़ना ताकि घरेलू निवेशकों का विश्वास बना रहे।

निष्कर्ष

घरेलू पूंजी के बढ़ते उपयोग से भारत के बाज़ारों की मजबूती बढ़ी है और बाहरी संकटों के प्रति संवेदनशीलता घटी है। हालांकि, **असमान भागीदारी पर आधारित स्थिरता कमजोर होती है**। भारत के पूंजी बाज़ारों को वास्तव में **विकसित भारत 2047** के लक्ष्य का समर्थन करना है, तो नीति का फोकस केवल बचत को जुटाने पर नहीं, बल्कि **पहुँच को व्यापक बनाने, निवेशकों की सुरक्षा करने और संस्थागत मजबूती को सुदृढ़ करने** पर भी होना चाहिए।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न. भारत के पूंजी बाज़ारों में घरेलू बचत की बढ़ती भूमिका ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेश पर निर्भरता को कैसे कम किया है? यह बदलाव समावेशी और सतत विकास के लिए कौन-सी चुनौतियाँ उत्पन्न करता है? (250 शब्द)

छोटे-मूल्य वाले रिटेल डिजिटल भुगतान में वृद्धि

चर्चा में क्यों: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के अनुसार, भारत में छोटे-मूल्य वाले डिजिटल भुगतान उच्च-मूल्य लेनदेन की तुलना में तेज़ी से बढ़ रहे हैं। यह वृद्धि अर्थव्यवस्था के रिटेल और कम-मूल्य वाले वर्गों में डिजिटल भुगतान तरीकों के बढ़ते उपयोग को दर्शाती है।

डिजिटल भुगतानों की वृद्धि

- **2024–25 के दौरान**, डिजिटल भुगतानों का कुल मूल्य **17.9%** बढ़ा, जो भारत के कुल भुगतानों का **97.6%** है, जबकि चेक जैसे कागजी माध्यम घटकर केवल **2.4%** रह गए।

- लेनदेन की संख्या के लिहाज़ से, डिजिटल भुगतान **35%** बढ़े, जो दर्शाता है कि अधिक संख्या में छोटे-मूल्य के लेनदेन डिजिटल रूप से किए जा रहे हैं।
- रिटेल डिजिटल भुगतानों का औसत मूल्य **₹4,382 (2023–24)** से घटकर **₹3,830 (2024–25)** हो गया, जो छोटे-मूल्य लेनदेन के बढ़ते उपयोग को दर्शाता है।
- **यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI)** का डिजिटल लेनदेन की संख्या में सबसे बड़ा हिस्सा रहा, जबकि **RTGS** मूल्य के आधार पर सबसे आगे रहा।
- **डेबिट कार्ड** के उपयोग में थोड़ी गिरावट आई है, जबकि **क्रेडिट कार्ड** भुगतानों में हाल के वर्षों में लगातार वृद्धि हुई है।

एटीएम उपयोग में गिरावट

- **UPI-आधारित सहज और सुविधाजनक भुगतान** के बढ़ने से 2024–25 के दौरान **ATM उपयोग में मध्यम स्तर की कमी** आई है।
- एटीएम की कुल संख्या में हल्की गिरावट हुई है, मुख्यतः **ऑफ-साइट ATM** की संख्या घटने के कारण, जबकि **ऑन-साइट ATM** की संख्या बढ़ी है।
- **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSBs)** के पास सबसे अधिक ATM हैं, इसके बाद **निजी क्षेत्र के बैंक (PVBs)** और **व्हाइट-लेबल ATM** आते हैं, जिन्हें गैर-बैंक संस्थाएँ संचालित करती हैं।
- PSBs ने विभिन्न जनसंख्या वर्गों में अपेक्षाकृत समान रूप से ATM वितरित किए हैं, जबकि PVBs का फोकस मुख्यतः महानगरों, शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों पर रहा है।
- मार्च 2025 के अंत तक, लगभग **79.4% व्हाइट-लेबल ATM** ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित थे।

वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)

- RBI ने विनियमित संस्थाओं को वित्तीय क्षेत्र में **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)** से उत्पन्न **बढ़ते जोखिमों और अवसरों** के प्रति सतर्क किया है।
- AI वैकल्पिक डेटा का उपयोग कर **क्रेडिट आकलन और स्कोरिंग** को बेहतर बना सकता है, जिससे बिना पारंपरिक क्रेडिट इतिहास वाले ग्राहकों को भी ऋण मिल सके।
- AI की निरंतर सीखने की क्षमता **धोखाधड़ी और म्यूल अकाउंट्स** की वास्तविक समय में पहचान को बेहतर बनाती है, साथ ही उधारकर्ताओं की जरूरतों के अनुसार **हाइपर-पर्सनलाइज़्ड लोन समाधान** संभव बनाती है।
- क्रेडिट मूल्यांकन और **KYC (Know Your Customer)** प्रक्रियाओं का ऑटोमेशन लागत कम करता है, ऋण वितरण को तेज़ करता है और दूर-दराज़ क्षेत्रों में छोटे ऋणों को आसान बनाता है।
- AI शिकायत निवारण प्रक्रियाओं को भी सुव्यवस्थित कर सकता है, जिससे शिकायतों का समाधान अधिक प्रभावी और डेटा-आधारित बनता है।
- हालांकि, AI से जुड़े जोखिम भी हैं, जैसे मॉडल की कम व्याख्येयता, डेटा ड्रिफ्ट, ऑटोमेशन पर अत्यधिक निर्भरता, निगरानी में कौशल की कमी, एल्गोरिदमिक पक्षपात और गोपनीयता संबंधी चिंताएँ, जो क्रेडिट आकलन और सिस्टम की स्थिरता को प्रभावित कर सकती हैं।

माइक्रोफाइनेंस सेक्टर की निगरानी

- RBI ने संकेत दिया है कि **माइक्रोफाइनेंस सेक्टर दबाव में है**, और NBFC-MFI को छोड़कर कई ऋणदाताओं ने मार्च 2025 तक क्रेडिट में गिरावट दर्ज की है।
- विनियमित संस्थाओं को माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में तनाव के बढ़ने पर करीबी निगरानी रखने की सलाह दी गई है, ताकि प्रणालीगत जोखिम से बचा जा सके।
- नियामकीय उपाय, जैसे NBFCs को दिए जाने वाले बैंक ऋण पर जोखिम भार को बहाल करना और मौद्रिक नीति में ढील, से NBFCs को अपने ऋण विस्तार को बढ़ाने में मदद मिलने की संभावना है।

UPI Lite और ऑफलाइन भुगतान

- RBI ने **ऑफलाइन मोड में छोटे-मूल्य डिजिटल भुगतानों** के लिए अपने फ्रेमवर्क में संशोधन किया है, विशेष रूप से **UPI Lite भुगतान प्रणाली** के लिए।
- UPI Lite के तहत **प्रति-लेनदेन सीमा ₹500 से बढ़ाकर ₹1,000** कर दी गई है, और **प्रति भुगतान साधन कुल सीमा ₹2,000 से बढ़ाकर ₹5,000** कर दी गई है।
- इन बदलावों का उद्देश्य UPI Lite की उपयोगिता बढ़ाना है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी सीमित या उपलब्ध नहीं है, तथा ऑफलाइन डिजिटल भुगतानों को व्यापक रूप से अपनाने में सहायता करना है।
- ये संशोधन **भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 18**, जिसे **धारा 10(2)** के साथ पढ़ा जाता है, के अंतर्गत जारी किए गए हैं, जो RBI को सुरक्षित, कुशल और सुलभ भुगतान प्रणालियों को विनियमित एवं प्रोत्साहित करने का अधिकार देता है।
- बढ़ाई गई सीमाओं से **रिटेल, परिवहन और स्थानीय सेवाओं** जैसे क्षेत्रों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जहाँ छोटे-मूल्य के भुगतान अधिक होते हैं।
- यह पहल **सुरक्षित, समावेशी और डिजिटल रूप से सशक्त भुगतान इकोसिस्टम** को बढ़ावा देने के प्रति RBI की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

निष्कर्ष

RBI की रिपोर्ट छोटे-मूल्य डिजिटल भुगतानों की तेज़ वृद्धि, ATM से दूर जाने की प्रवृत्ति, और UPI Lite जैसी ऑफलाइन भुगतान प्रणालियों के बढ़ते उपयोग को रेखांकित करती है। वित्तीय सेवाओं में AI के एकीकरण तथा माइक्रोफाइनेंस सेक्टर की सतत निगरानी के साथ, यह दृष्टिकोण नवाचार, जोखिम प्रबंधन और वित्तीय समावेशन के प्रति एक दूरदर्शी सोच को दर्शाता है। ये सभी पहलें भारत के डिजिटल रूप से सशक्त और कैशलेस अर्थव्यवस्था के व्यापक लक्ष्य के अनुरूप हैं।

भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना

चर्चा में क्यों: भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए USD 4.18 ट्रिलियन GDP के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल कर लिया है। सरकार ने कहा है कि भारत 2030 तक जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की स्थिति में है, जहाँ GDP के USD 7.3 ट्रिलियन तक पहुँचने का अनुमान है। इसके साथ ही भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है, जो मजबूत घरेलू और संरचनात्मक आर्थिक बुनियाद को दर्शाता है।

आर्थिक विकास के रुझान

भारत की वास्तविक GDP वृद्धि **वित्त वर्ष 2025–26 की दूसरी तिमाही में 8.2%** रही, जो पहली तिमाही में 7.8% और वित्त वर्ष 2024–25 की चौथी तिमाही में 7.4% थी। यह लगातार छठी तिमाही में उच्च वृद्धि को दर्शाता है और वैश्विक व्यापार अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की मजबूती को दिखाता है।

सरकार ने बताया कि इस वृद्धि का प्रमुख घरेलू कारण **मजबूत निजी उपभोग** रहा। अन्य सहायक कारक हैं:

- औद्योगिक और सेवा क्षेत्र का मजबूत प्रदर्शन।
- कर, श्रम और निवेश नीतियों में निरंतर संरचनात्मक सुधार।
- अनुकूल मौद्रिक और वित्तीय परिस्थितियाँ, जिससे तरलता और ऋण प्रवाह सुनिश्चित हुआ।

वैश्विक मान्यता और भविष्य का परिदृश्य

अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने भारत की विकास दर को लेकर आशावाद व्यक्त किया है:

- **विश्व बैंक** ने 2026 के लिए **6.5% वृद्धि दर** का अनुमान लगाया है।
- **मूडीज़** का अनुमान है कि भारत 2026 में 6.4% और 2027 में 6.5% वृद्धि के साथ G20 की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा।
- **अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)** ने 2025 के लिए अनुमान बढ़ाकर **6.6%** और 2026 के लिए **6.2%** किया है।
- OECD ने 2025 में 6.7% और 2026 में 6.2% वृद्धि का अनुमान जताया है।
- S&P ने चालू वित्त वर्ष में 6.5% और अगले वित्त वर्ष में 6.7% वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया है।
- **एशियाई विकास बैंक (ADB)** ने 2025 के लिए अपना अनुमान बढ़ाकर **7.2%** कर दिया है, जबकि **फिच (Fitch)** ने FY26 के लिए वृद्धि अनुमान **7.4%** किया है।

ये अनुमान भारत की **घरेलू मांग, निवेश वातावरण और संरचनात्मक सुधारों** में व्यापक अंतरराष्ट्रीय विश्वास को दर्शाते हैं।

समष्टि-आर्थिक स्थिरता

सरकार की विज्ञप्ति में निम्नलिखित बिंदुओं को रेखांकित किया गया है:

- **महंगाई दर** निचली सहनशील सीमा से नीचे बनी हुई है, जिससे मूल्य स्थिरता सुनिश्चित होती है।
- **बेरोज़गारी में कमी** आई है, जो बेहतर रोजगार सृजन को दर्शाती है।
- **निर्यात प्रदर्शन सकारात्मक** बना हुआ है, जो वैश्विक बाज़ारों में प्रतिस्पर्धात्मकता को दर्शाता है।
- **वित्तीय परिस्थितियाँ अनुकूल** बनी हुई हैं, जिससे वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण प्रवाह मजबूत हुआ है।
- **शहरी उपभोग में वृद्धि** हुई है, जो घरेलू मांग को सहारा दे रही है।

उच्च विकास और समष्टि-आर्थिक स्थिरता का यह संयोजन भारत की भविष्य की आर्थिक दिशा के लिए एक मजबूत आधार तैयार करता है।

आगे की राह

- विकास की गति बनाए रखने के लिए मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात प्रतिस्पर्धा को मजबूत करना।
- युवाओं की रोजगार-क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों का विस्तार।
- समष्टि-आर्थिक स्थिरता बनाए रखने हेतु श्रम, कर और वित्तीय क्षेत्रों में निरंतर संरचनात्मक सुधार।
- हरित और डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़ी पहलों को बढ़ावा देना, ताकि विकास को सततता और नवाचार से जोड़ा जा सके।

निष्कर्ष

2025 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना भारत के लिए **उच्च विकास, कम महंगाई और मजबूत समष्टि-आर्थिक स्थिरता** के एक दुर्लभ *"गोल्डीलॉक्स चरण"* को दर्शाता है। निरंतर सुधारों, मजबूत घरेलू मांग और वैश्विक मान्यता के साथ, भारत **दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की मजबूत स्थिति में है**, जिसमें 2047 तक उच्च-मध्यम आय वाला देश बनना भी शामिल है — जो स्वतंत्रता की शताब्दी के साथ मेल खाता है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्र. दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत का उभरना उच्च विकास और समष्टि-आर्थिक स्थिरता के चरण को दर्शाता है। इस उपलब्धि के पीछे के प्रमुख घरेलू और संरचनात्मक कारकों की चर्चा कीजिए तथा उन चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए जिनका समाधान भारत को 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए करना होगा। (250 शब्द)

साकलेशपुर–सुब्रह्मण्य घाट सेक्शन का विद्युतीकरण

चर्चा में क्यों: भारतीय रेलवे ने कर्नाटक में स्थित **साकलेशपुर–सुब्रह्मण्य घाट सेक्शन** का सफलतापूर्वक विद्युतीकरण पूरा कर लिया है। यह 55 किमी लंबा खंड **पश्चिमी घाट** से होकर गुजरता है, जो रेलवे नेटवर्क के सबसे तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में से एक है।

ऐतिहासिक यात्रा

- **1925:** भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन **1500 वोल्ट DC सिस्टम** पर बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनस और कुर्ला हार्बर के बीच चली।
- **स्वतंत्रता के समय:** केवल **388 रूट किलोमीटर (RKM)** ही विद्युतीकृत थे; डीज़ल और कोयला इंजन प्रमुख थे।
- **2004–2014:** विद्युतीकरण की गति **1.42 किमी/दिन** रही।
- **2019–2025:** गति बढ़कर **15 किमी/दिन से अधिक** हो गई, जो आधुनिकीकरण की दिशा में निर्णायक कदम को दर्शाता है।

प्रमुख उपलब्धि

नवंबर 2025 तक:

- 69,427 RKM ब्रॉड गेज मार्ग (कुल नेटवर्क का 99.2%) विद्युतीकृत हो चुके हैं।
- 2014–2025 के बीच 46,900 RKM का विद्युतीकरण पूरा किया गया।

राज्यवार विद्युतीकरण स्थिति

- **पूर्ण रूप से विद्युतीकृत (25 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश):** 100% BG मार्ग विद्युतीकृत।
- शेष कार्य (5 राज्य, नेटवर्क का 0.8%):
  - राजस्थान: 93 RKM शेष
  - तमिलनाडु: 117 RKM शेष
  - कर्नाटक: 151 RKM शेष
  - असम: 197 RKM शेष
  - गोवा: 16 RKM शेष

रणनीतिक और आर्थिक महत्व

1. **संचालन दक्षता:** तेज़, सुरक्षित और अधिक भरोसेमंद रेल संचालन।
2. **पर्यावरणीय लाभ:** कार्बन उत्सर्जन में कमी, जिससे भारत के जलवायु लक्ष्यों को समर्थन मिलता है।
3. **ऊर्जा सुरक्षा:** डीज़ल पर निर्भरता में कमी और नवीकरणीय ऊर्जा का बढ़ता उपयोग।

4. **आर्थिक विकास:** विद्युतीकृत कॉरिडोर औद्योगिक, ग्रामीण और शहरी विकास को बढ़ावा देते हैं।
5. **वैश्विक तुलना:** भारत का **99.2% विद्युतीकरण** अधिकांश प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से आगे है:
   - स्विट्ज़रलैंड: 100%
   - चीन: 82%
   - जापान: 64%
   - रूस: 52%
   - यूके: 39%

नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण

- **सौर क्षमता (2025):** 2,626 स्टेशनों पर **898 मेगावाट** (2014 में 3.68 मेगावाट से वृद्धि)।
  - **ट्रैक्शन उपयोग:** 629 मेगावाट (70%) इलेक्ट्रिक ट्रेनों को ऊर्जा प्रदान करता है।
  - **नॉन-ट्रैक्शन उपयोग:** 269 मेगावाट स्टेशनों, वर्कशॉप्स और क्वार्टरों को बिजली देता है।
- सौर एकीकरण से ग्रिड पर निर्भरता कम होती है, बिजली लागत घटती है और कार्बन फुटप्रिंट में कमी आती है।

विद्युतीकरण में तकनीकी प्रगति

1. **सिलिंड्रिकल मैकेनाइज़्ड फाउंडेशन:** मैन्युअल श्रम कम करता है और निर्माण की गति बढ़ाता है।
2. **ऑटोमैटिक वायरिंग ट्रेनें:** कैटेनेरी और कॉन्टैक्ट वायर को एक साथ सटीक तनाव नियंत्रण के साथ स्थापित करती हैं, जिससे परियोजना समय-सीमा तेज होती है।

भारतीय रेलवे के लिए व्यापक प्रभाव

- 2014 से अब तक 46,900 किमी से अधिक रेलवे मार्गों का विद्युतीकरण किया जा चुका है, जो इससे पहले के छह दशकों की तुलना में लगभग दोगुनी गति है।
- विद्युतीकरण से ऊर्जा सुरक्षा, संचालन की विश्वसनीयता और स्थिरता में वृद्धि होती है, जिससे स्वच्छ और कुशल रेल परिवहन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है।
- 2026 तक शेष खंडों के पूर्ण होने से भारत का रेलवे नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े पूर्णतः विद्युतीकृत रेल नेटवर्कों में से एक बन जाएगा।

निष्कर्ष

भारत में रेलवे विद्युतीकरण केवल एक तकनीकी उन्नयन नहीं है, बल्कि यह स्थिरता, दक्षता और आधुनिकीकरण की दिशा में एक राष्ट्रीय आंदोलन है।

डीज़ल-आधारित नेटवर्क से लगभग पूर्णतः विद्युतीकृत प्रणाली तक का यह परिवर्तन, भारत को स्वच्छ, तेज़ और विश्वसनीय रेल परिवहन में वैश्विक मानकों के अनुरूप स्थापित करता है। यह परिवर्तन न केवल पर्यावरणीय प्रभाव को कम करता है, बल्कि देश भर में कनेक्टिविटी, ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास को भी सुदृढ़ करता है।

मसाला बॉन्ड्स

चर्चा में क्यों: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, पूर्व वित्त मंत्री टी.एम. थॉमस इसाक और KIIFB के सीईओ के.एम. अब्राहम को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। ये नोटिस **विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA)** और **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)** के निर्देशों के कथित उल्लंघन से जुड़े हैं।

KIIFB मसाला बॉन्ड जारी करना

- KIIFB ने मार्च 2019 में मसाला बॉन्ड जारी कर ₹2,150 करोड़ जुटाए।
- यह बॉन्ड 2016–2021 की CPI(M) नेतृत्व वाली वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) सरकार के दौरान जारी किया गया था, जब टी.एम. थॉमस इसाक वित्त मंत्री थे।
- यह बॉन्ड लंदन स्टॉक एक्सचेंज (LSE) और सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज (SGX) पर सूचीबद्ध किया गया था।
- जुलाई 2024 में केरल के वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल ने केरल विधानसभा को बताया कि यह बॉन्ड राशि मार्च 2024 में पूरी तरह चुका दी गई है।

ED की जांच और CAG की टिप्पणियाँ

- ED की जांच FEMA नियमों, RBI दिशानिर्देशों और धन के उपयोग (end-use of funds) में कथित उल्लंघनों पर केंद्रित है।
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने अपनी राज्य वित्त लेखा रिपोर्ट (मार्च 2019) में इस बॉन्ड को RBI द्वारा दी गई मंज़ूरी पर सवाल उठाया था।
- CAG ने कहा कि यह मंज़ूरी संविधान का उल्लंघन प्रतीत होती है और केंद्र सरकार के अधिकारों में अतिक्रमण के समान है।

ऑफ-बजट उधारी (Off-Budget Borrowings) मुद्दा

- मसाला बॉन्ड विवाद को **KIIFB द्वारा की गई ऑफ-बजट उधारी** पर चल रही व्यापक बहस से जोड़ा जाता है।
- केंद्र सरकार KIIFB की उधारियों को **राज्य की प्रत्यक्ष देनदारी** मानती है, जिससे केरल की उधारी सीमा प्रभावित होती है।
- केरल सरकार का तर्क है कि इन उधारियों को **आकस्मिक देनदारी (Contingent Liabilities)** माना जाना चाहिए, लेकिन इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया है।

ब्याज दर विवाद

- कांग्रेस-नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (UDF) ने 9.723% की ब्याज दर की आलोचना करते हुए इसे अत्यधिक बताया।
- केरल सरकार ने इस दर का बचाव करते हुए कहा कि उस समय यह उपलब्ध सर्वोत्तम दर थी।
- उस समय आंतरिक बॉन्ड बाजार में ब्याज दर 10.15% थी।
- आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के मसाला बॉन्ड पर 10.72% ब्याज दर थी।

मसाला बॉन्ड क्या हैं?

- मसाला बॉन्ड भारत में 2014 में अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) द्वारा शुरू किए गए।
- IFC ने भारत में अवसंरचना परियोजनाओं के लिए पहला मसाला बॉन्ड जारी किया।
- भारतीय संस्थाएँ विदेशी निवेशकों से धन जुटाने के लिए भारत के बाहर मसाला बॉन्ड जारी करती हैं।
- मसाला बॉन्ड विदेशी मुद्रा के बजाय भारतीय रुपये (INR) में जारी किए जाते हैं।
- यदि भारतीय रुपया अवमूल्यन करता है, तो मुद्रा विनिमय जोखिम निवेशक वहन करता है।

मसाला बॉन्ड की विशेषताएँ

- मसाला बॉन्ड भारतीय संस्थाओं द्वारा भारत के बाहर जारी किए गए रुपये-मूल्यवर्गित बॉन्ड होते हैं।

- ये ऋण साधन होते हैं, जिनसे भारतीय संस्थाएँ विदेशी निवेशकों से स्थानीय मुद्रा में धन जुटाती हैं।
- सरकारी संस्थाएँ और निजी क्षेत्र की कंपनियाँ मसाला बॉन्ड जारी कर सकती हैं।
- भारतीय परिसंपत्तियों में निवेश चाहने वाले विदेशी निवेशक मसाला बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं।
- निवेशक उन देशों के निवासी होने चाहिए जो वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (FATF) के सदस्य हों।
- निवेशक देश का प्रतिभूति नियामक अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन (IOSCO) का सदस्य होना चाहिए।
- बहुपक्षीय और क्षेत्रीय वित्तीय संस्थान, जिनमें भारत सदस्य है, भी मसाला बॉन्ड में निवेश के पात्र होते हैं।

परिपक्वता (Maturity) और रूपांतरण पर RBI के दिशानिर्देश

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के अनुसार, वित्तीय वर्ष में **USD 50 मिलियन तक के रुपये समकक्ष** मसाला बॉन्ड की **न्यूनतम परिपक्वता अवधि तीन वर्ष** होनी चाहिए।
- वित्तीय वर्ष में **USD 50 मिलियन से अधिक के रुपये समकक्ष** मसाला बॉन्ड की **न्यूनतम परिपक्वता अवधि पाँच वर्ष** होनी चाहिए।
- मूलधन और ब्याज का रूपांतरण बॉन्ड जारी करने और उसके सर्विसिंग से संबंधित लेन-देन की **निपटान तिथि पर प्रचलित बाजार विनिमय दर** पर किया जाता है।

प्राप्त धनराशि के अनुमत उपयोग

- मसाला बॉन्ड से प्राप्त राशि का उपयोग **रुपया ऋण और नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर्स** (NCDs) के पुनर्वित्तपोषण (refinancing) के लिए किया जा सकता है।
- इस राशि का उपयोग **एकीकृत टाउनशिप और किफायती आवास परियोजनाओं** के विकास के लिए किया जा सकता है।
- इस राशि का उपयोग **कॉरपोरेट्स की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं** को पूरा करने के लिए किया जा सकता है।

प्राप्त धनराशि के निषिद्ध उपयोग

- मसाला बॉन्ड से प्राप्त राशि का उपयोग **रियल एस्टेट गतिविधियों** में नहीं किया जा सकता, सिवाय एकीकृत टाउनशिप और किफायती आवास के।
- इस राशि का उपयोग **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) दिशानिर्देशों के तहत प्रतिबंधित गतिविधियों** के लिए नहीं किया जा सकता।
- इस राशि को **पूंजी बाजार में निवेश** या **घरेलू इक्विटी निवेश** के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता।
- इस राशि का उपयोग **भूमि की खरीद** के लिए नहीं किया जा सकता।
- इस राशि को किसी अन्य संस्था को **निषिद्ध उद्देश्यों** के लिए उधार नहीं दिया जा सकता।

मसाला बॉन्ड के लाभ

- **निवेशकों के लिए लाभ**
  - मसाला बॉन्ड **उच्च ब्याज दर** प्रदान करते हैं, जिससे निवेशकों को लाभ होता है।
  - मसाला बॉन्ड भारतीय अर्थव्यवस्था में **विदेशी निवेशकों का विश्वास बढ़ाते हैं**।
  - मसाला बॉन्ड भारतीय रुपये में विश्वास को बढ़ावा देकर **विदेशी निवेश प्रवाह को मजबूत करते हैं**।
  - रुपये के मूल्यवर्ग से उत्पन्न **पूंजीगत लाभ कर-मुक्त** होते हैं।
  - यदि परिपक्वता पर रुपया मजबूत होता है, तो निवेशकों को **अतिरिक्त रिटर्न** प्राप्त होता है।
- **उधारकर्ताओं के लिए लाभ**
  - मसाला बॉन्ड उधारकर्ताओं के लिए **मुद्रा जोखिम को समाप्त** कर देते हैं।
  - उधारकर्ता **रुपये के अवमूल्यन से सुरक्षित** रहते हैं क्योंकि उधारी भारतीय मुद्रा में होती है।
  - मसाला बॉन्ड अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों से **बड़ी मात्रा में धन जुटाने** में मदद करते हैं।
  - मसाला बॉन्ड भारतीय संस्थाओं को अपने **उधारी पोर्टफोलियो में विविधता** लाने में सहायता करते हैं।
  - मसाला बॉन्ड उधारी लागत को कम करते हैं क्योंकि ये **ऑफशोर बाज़ारों में 7% से कम ब्याज दर** पर जारी किए जाते हैं।
  - ऑफशोर बाज़ारों में जारी होने से उधारकर्ताओं को **वैश्विक और विविध निवेशक आधार** तक पहुँच मिलती है।

निष्कर्ष

मसाला बॉन्ड एक महत्वपूर्ण बाहरी वित्तपोषण साधन हैं, जो अवसंरचना विकास को समर्थन देते हैं और साथ ही भारतीय जारीकर्ताओं को मुद्रा विनिमय जोखिम से सुरक्षा प्रदान करते हैं।

RBI के नियमन के अंतर्गत रुपये-आधारित अंतरराष्ट्रीय उधारी को बढ़ावा देकर, मसाला बॉन्ड भारत के वैश्विक पूंजी बाज़ारों के साथ एकीकरण को सशक्त बनाते हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्र. मसाला बॉन्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) ने भारत में अवसंरचना परियोजनाओं के लिए पहला मसाला बॉन्ड जारी किया।
2. मसाला बॉन्ड विदेशी मुद्रा के बजाय भारतीय मुद्रा (INR) में जारी किए जाते हैं।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

उत्तर: (c)

भारत में निजी निवेश की मंदी

चर्चा में क्यों: भारत ने हाल के वर्षों में उच्च GDP वृद्धि दर्ज की है, जिसमें कई वर्षों तक 8% से अधिक और हाल की तिमाहियों में 8.2% की वृद्धि शामिल है। मज़बूत सार्वजनिक क्षेत्र पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) के बावजूद, **निजी निवेश अभी तक एक प्रमुख प्रेरक शक्ति के रूप में उभर नहीं पाया है**। कमजोर निजी पूंजी निर्माण से रोज़गार सृजन, दीर्घकालिक विकास और 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनने के भारत के लक्ष्य पर असर पड़ता है।

निजी निवेश में रुझान

- **CMIE के अनुसार**, घोषित निजी निवेश परियोजनाएँ लगातार **तीन वर्षों से घट रही हैं**।
- नई परियोजनाओं का मूल्य **₹32.4 लाख करोड़ (2022–23)** से घटकर **₹31.7 लाख करोड़ (2023–24)** हुआ और आगे **₹30 लाख करोड़ (2024–25)** तक गिर गया।
- निजी कैपेक्स एक दशक से अधिक समय से **GDP के लगभग 12%** पर अटका हुआ है।
- सकल स्थिर पूंजी निर्माण (GFCF) में निजी निवेश की हिस्सेदारी घटकर **2023–24 में 34.4%** रह गई, जो **2011–12 के बाद सबसे कम** है।

सरकारी कैपेक्स बनाम निजी कैपेक्स

- केंद्र सरकार ने बुनियादी ढांचे में भारी निवेश करते हुए पिछले पाँच वर्षों में कैपेक्स को लगातार बढ़ाया है।
- केंद्र का कैपेक्स **₹4.39 लाख करोड़ (2020–21)** से बढ़कर **₹10 लाख करोड़ से अधिक (2024–25)** हो गया है, और **2025–26 के लिए ₹11.21 लाख करोड़** का प्रावधान किया गया है।
- राज्यों का कैपेक्स, केंद्र से 50-वर्षीय ब्याज-मुक्त ऋण मिलने के बावजूद, अपेक्षाकृत कम बना हुआ है।
- निजी क्षेत्र का कैपेक्स, लक्ष्य के करीब होने के बावजूद, सरकारी कैपेक्स की तुलना में काफी कम है और **FY 2025–26 में इसके और घटने का अनुमान है**।

कॉरपोरेट व्यवहार और बैलेंस शीट

- कॉरपोरेट बैलेंस शीट पहले की तुलना में अधिक मज़बूत हैं, जिनमें **कम ऋण और बेहतर ब्याज कवरेज अनुपात** है।
- कंपनियाँ संयंत्र और मशीनरी में निवेश करने के बजाय **अधिशेष नकदी रखने या वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश** करना अधिक पसंद कर रही हैं।
- अध्ययनों से पता चलता है कि **2019 में कॉरपोरेट टैक्स कटौती से मुनाफा तो बढ़ा**, लेकिन यह उच्च भौतिक निवेश में परिवर्तित नहीं हुआ।
- **BSE 500 कंपनियों** में कुल परिसंपत्तियों के भीतर वित्तीय निवेशों का हिस्सा बढ़ता जा रहा है।

क्षमता उपयोग की बाधा

- कंपनियाँ क्षमता विस्तार से हिचकिचा रही हैं क्योंकि मौजूदा उत्पादन सुविधाएँ मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं।
- RBI सर्वेक्षणों के अनुसार, विनिर्माण क्षेत्र में क्षमता उपयोग **75% के स्तर को पार करने में असफल रहा है**, जो नए निवेश के लिए आवश्यक माना जाता है।
- 2012–13 के बाद से केवल **53 में से 10 तिमाहियों** में ही क्षमता उपयोग 75% से ऊपर गया है।

मांग-पक्ष की कमजोरी

- भारत की लगभग **70% GDP घरेलू उपभोग** से संचालित होती है, जिससे निवेश के लिए मांग अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है।
- कमजोर और असमान आय वृद्धि ने बड़े पैमाने पर उपभोग को सीमित किया है।
- **उच्च आय और संपत्ति असमानता** के कारण अधिकांश लोगों की क्रय शक्ति सीमित रह गई है।
- **शीर्ष 1% आबादी के पास 40% से अधिक राष्ट्रीय संपत्ति** है, जबकि निचले 50% के पास केवल लगभग 3% संपत्ति है, जिससे व्यापक मांग प्रभावित होती है।

राजकोषीय राहत का सीमित प्रभाव क्यों

- **व्यक्तिगत आयकर में राहत** और **GST दरों के युक्तिकरण** से सीमित रूप से उपलब्ध आय बढ़ी है।
- लेकिन इन उपायों का प्रभाव सीमित रहा क्योंकि बड़ी आबादी के पास खर्च करने योग्य पर्याप्त आय नहीं है।
- **समावेशी आय वृद्धि के बिना**, केवल कर राहत निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

संरचनात्मक और नीतिगत कारक

- कई क्षेत्रों में **उच्च बाज़ार संकेंद्रण और एकाधिकार प्रवृत्तियाँ** हैं, जैसे—टेलीकॉम, विमानन, बंदरगाह और धातु क्षेत्र।
- **उच्च शुल्क, लाइसेंसिंग आवश्यकताएँ और नियामकीय बाधाएँ** प्रतिस्पर्धा को कम करती हैं और लागत बढ़ाती हैं।
- **उच्च ईंधन कर** लॉजिस्टिक्स लागत बढ़ाता है, जिससे औद्योगिक प्रतिस्पर्धा प्रभावित होती है।
- **विद्युत क्षेत्र की अक्षमताएँ और क्रॉस-सब्सिडी** MSMEs की लागत बढ़ाती हैं।

'क्राउडिंग-इन' प्रभाव की विफलता

- सार्वजनिक निवेश से निजी निवेश को प्रोत्साहित करने की उम्मीद थी (मल्टीप्लायर प्रभाव के माध्यम से)।
- हालांकि स्टील और सीमेंट जैसे बुनियादी क्षेत्रों को सीमित लाभ मिला, लेकिन इसका प्रभाव अन्य उद्योगों में नहीं फैल सका।

- सार्वजनिक निवेश निजी क्षेत्र की आय वृद्धि में पर्याप्त रूप से परिवर्तित नहीं हो पाया है।

निजी निवेश में कमी विकास पर बोझ क्यों है

- कमजोर निजी निवेश से **रोज़गार सृजन सीमित** हो जाता है, विशेषकर विनिर्माण क्षेत्र में।
- इससे **सरकारी व्यय पर निर्भरता बढ़ती है**, जो दीर्घकाल में राजकोषीय रूप से संधारणीय नहीं है।
- यह **उत्पादकता वृद्धि, निर्यात प्रतिस्पर्धा और समावेशी विकास** को बाधित करता है।

निष्कर्ष

भारत में निरंतर उच्च विकास निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाले निवेश के बिना संभव नहीं है। निजी पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने के लिए **मजबूत मांग, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, समावेशी आय वृद्धि और नीतिगत स्पष्टता** आवश्यक है। असमानता, संरचनात्मक बाधाओं और कॉरपोरेट जोखिम-परहेज़ को दूर किए बिना, निजी निवेश कमजोर बना रहेगा और भारत की दीर्घकालिक विकास यात्रा पर बोझ बना रहेगा।

UPI को दुनिया की सबसे बड़ी रियल-टाइम भुगतान प्रणाली के रूप में मान्यता

चर्चा में क्यों: : भारत की **यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI)** को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने लेनदेन मात्रा के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल फास्ट-पेमेंट सिस्टम (FPS) के रूप में मान्यता दी है। IMF रिपोर्ट *"Growing Retail Digital Payments: The Value of Interoperability"* (जून 2025) के अनुसार, **ACI वर्ल्डवाइड** की *"Prime Time for Real-Time"* (2024) रिपोर्ट बताती है कि वैश्विक रियल-टाइम भुगतान लेनदेन में UPI की हिस्सेदारी लगभग **49%** है।

UPI क्या है?

- UPI एक रियल-टाइम भुगतान प्रणाली है, जिसे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के नियामकीय पर्यवेक्षण में विकसित किया है।
- यह **कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लिकेशन** में एकीकृत करने की सुविधा देता है, जिससे उपयोगकर्ताओं के लिए बैंकिंग संचालन सरल हो जाता है।
- UPI **फंड ट्रांसफर, बिल भुगतान और मर्चेंट भुगतान** जैसी कई बैंकिंग सुविधाओं को एकीकृत प्लेटफॉर्म पर जोड़ता है।
- यह प्रणाली **तत्काल, 24x7 इंटरबैंक लेनदेन** की अनुमति देती है, जिसमें छुट्टियाँ और सप्ताहांत भी शामिल हैं, जो पारंपरिक बैंकिंग चैनलों से अलग है।
- UPI को पूरे भारत में **व्यापक रूप से अपनाया गया है**, जहाँ **100 से अधिक बैंक** UPI-आधारित सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं।

वैश्विक तुलना और पैमाना

- भारत ने **जून 2025 में UPI के माध्यम से 129.3 बिलियन रियल-टाइम डिजिटल भुगतान लेनदेन** दर्ज किए, जिससे यह वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा योगदानकर्ता बना।
- यह मात्रा ब्राज़ील (**37.4 बिलियन**), थाईलैंड (**20.4 बिलियन**), चीन (**17.2 बिलियन**) और दक्षिण कोरिया (**9.1 बिलियन**) जैसी अन्य प्रमुख प्रणालियों से कहीं अधिक है।
- ये आँकड़े **इंटरऑपरेबिलिटी, बड़े पैमाने और कम-लागत पहुँच** के कारण वैश्विक डिजिटल भुगतानों में भारत के प्रभुत्व को दर्शाते हैं।

UPI की वैश्विक नेतृत्व क्षमता के प्रमुख कारण

- UPI एक मजबूत **डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI)** फ्रेमवर्क पर आधारित है।
- यह प्लेटफॉर्म **बैंकों, फिनटेक्स और भुगतान सेवा प्रदाताओं** के बीच इंटरऑपरेबिलिटी सुनिश्चित करता है, जो विश्व स्तर पर कई क्लोज़्ड-लूप प्रणालियों से अलग है।
- RBI के नेतृत्व वाला सहायक नियामकीय इकोसिस्टम और NPCI द्वारा कार्यान्वयन ने UPI के तीव्र विस्तार को संभव बनाया है।
- UPI तत्काल, कम-लागत और सुरक्षित लेनदेन की सुविधा देता है, जिससे यह उच्च-आवृत्ति, छोटे-मूल्य भुगतानों के लिए उपयुक्त बनता है।

सरकारी और संस्थागत समर्थन

- भारत सरकार, RBI और NPCI ने **डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए लक्षित नीतिगत उपाय** अपनाए हैं।
- **कम-मूल्य वाले BHIM-UPI लेनदेन** के लिए प्रोत्साहन योजना ने उपयोगकर्ताओं और व्यापारियों दोनों को रोज़मर्रा के भुगतान के लिए UPI अपनाने हेतु प्रेरित किया है।
- **पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (PIDF)** बैंकों और फिनटेक कंपनियों को **POS टर्मिनल और QR कोड** लगाने के लिए अनुदान सहायता प्रदान करता है, विशेषकर वंचित क्षेत्रों में।

ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में विस्तार

- PIDF का फोकस **टियर-3 से टियर-6 केंद्रों** पर है, जिससे **वित्तीय समावेशन और अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी** सुनिश्चित होती है।
- **31 अक्टूबर 2025 तक**, PIDF के माध्यम से लगभग **5.45 करोड़ डिजिटल टचपॉइंट्स** स्थापित किए जा चुके थे।
- **वित्त वर्ष 2024–25** तक, लगभग **56.86 करोड़ QR कोड** करीब **6.5 करोड़ व्यापारियों** तक पहुँच चुके थे, जिससे डिजिटल भुगतान की स्वीकार्यता में बड़ा विस्तार हुआ।

विभिन्न क्षेत्रों में एकीकरण

- सरकार, RBI और NPCI ने **RuPay और UPI के उपयोग को गहराई देने** के लिए इन्हें निम्न क्षेत्रों में बढ़ावा दिया है:
  - सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणालियाँ,
  - परिवहन और गतिशीलता प्लेटफॉर्म, तथा
  - ई-कॉमर्स इकोसिस्टम।
- इससे दैनिक आर्थिक गतिविधियों में **कैशलेस लेनदेन को मुख्यधारा** में लाने में मदद मिली है।

भारत के लिए महत्व

- UPI की वैश्विक नेतृत्वकारी स्थिति भारत को **प्रौद्योगिकी-आधारित वित्तीय शक्ति** के रूप में मजबूत करती है।
- यह विशेष रूप से **छोटे व्यापारियों और असंगठित क्षेत्र** के लिए वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है।
- UPI **अर्थव्यवस्था के औपचारिकीकरण**, कर अनुपालन में सुधार और **नकद पर निर्भरता कम करने** में सहायक है।

- भारत का UPI मॉडल अब **अन्य देशों के लिए रियल-टाइम भुगतान प्रणाली विकसित करने का वैश्विक सर्वोत्तम उदाहरण** माना जा रहा है।

निष्कर्ष

IMF द्वारा UPI को दुनिया की सबसे बड़ी रियल-टाइम भुगतान प्रणाली के रूप में मान्यता दिया जाना भारत की स्केलेबल, समावेशी और इंटरऑपरेबल डिजिटल भुगतान प्रणाली के निर्माण में सफलता को दर्शाता है। निरंतर नीतिगत समर्थन, बुनियादी ढाँचे का विस्तार और नवाचार भारत को वैश्विक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में अग्रणी बनाए रखेंगे।

राष्ट्रीय किसान दिवस (किसान दिवस) और सतत कृषि

चर्चा में क्यों: राष्ट्रीय किसान दिवस (किसान दिवस) भारत में हर वर्ष **23 दिसंबर** को मनाया जाता है। यह दिन भारतीय किसानों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है, जिन्हें राष्ट्र की रीढ़/आधार माना जाता है।

सतत कृषि क्या है?

- **सतत कृषि** एक ऐसी कृषि प्रणाली है जो **वर्तमान खाद्य और उत्पादन आवश्यकताओं** को पूरा करती है, बिना भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता किए।
- यह **पर्यावरणीय स्थिरता, आर्थिक व्यवहार्यता और सामाजिक-सांस्कृतिक निरंतरता** को एक साथ जोड़ती है, साथ ही प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को सुनिश्चित करती है।
- सतत कृषि भारत की **आर्थिक नीति का केंद्रीय तत्व** है और **जलवायु परिवर्तन** से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- यह भारत की **2070 तक नेट-ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन** हासिल करने की प्रतिबद्धता का समर्थन करती है।

सतत कृषि और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य (SDGs)

- सतत कृषि विभिन्न आयामों में **संयुक्त राष्ट्र के 12 सतत विकास लक्ष्यों (SDGs)** में योगदान देती है।

पर्यावरणीय प्रभाव

- SDG 6 – स्वच्छ जल और स्वच्छता
- SDG 13 – जलवायु कार्रवाई
- SDG 14 – जल के नीचे जीवन
- SDG 15 – स्थल पर जीवन

सामाजिक प्रभाव

- SDG 1 – गरीबी उन्मूलन
- SDG 2 – शून्य भुखमरी
- SDG 3 – अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण
- SDG 5 – लैंगिक समानता

आर्थिक प्रभाव

- SDG 8 – गरिमापूर्ण कार्य और आर्थिक वृद्धि
- SDG 12 – उत्तरदायी उपभोग और उत्पादन

शासन संबंधी प्रभाव

- SDG 11 – सतत शहर और समुदाय
- SDG 16 – शांति, न्याय और सशक्त संस्थान

सतत कृषि की विधियाँ

1. **जैविक खेती**

- जैविक खेती पारिस्थितिक संतुलन पर ज़ोर देती है और प्राकृतिक इनपुट्स पर निर्भर करती है, जिससे कृत्रिम उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग समाप्त हो जाता है।
- यह फसल चक्र, गोबर खाद और कम्पोस्ट जैसे तरीकों के माध्यम से मृदा के स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है।
- जैविक खेती पर्यावरण प्रदूषण और स्वास्थ्य जोखिमों को कम करती है तथा ग्रामीण आजीविका को समर्थन देती है।
- यद्यपि उत्पादन पारंपरिक खेती की तुलना में कम हो सकता है, लेकिन इसके दीर्घकालिक लाभों में बेहतर मृदा की उर्वरता, कम पर्यावरणीय क्षति और अधिक लचीलापन शामिल है।

2. **कृषि-वानिकी**

- **कृषि-वानिकी** में फसलों और पशुपालन प्रणालियों के साथ **वृक्षों का एकीकरण** किया जाता है, जिससे विविध और लचीले कृषि परिदृश्य बनते हैं।
- यह **लकड़ी, फल और वृक्ष-आधारित उत्पादों** जैसे अतिरिक्त उत्पादन के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाता है।
- कृषि-वानिकी **जैव विविधता संरक्षण** को बढ़ावा देती है, क्योंकि यह लाभकारी जीवों (जैसे प्राकृतिक कीट नियंत्रक) के लिए आवास प्रदान करती है।

3. **शून्य जुताई**

- **शून्य जुताई** का अर्थ है पारंपरिक जुताई किए बिना फसलों की खेती करना।
- बीजों को **विशेष उपकरणों** की सहायता से सीधे मृदा में बोया जाता है, जिससे **मृदा की संरचना और उर्वरता** सुरक्षित रहती है।
- यह विधि **मृदा अपरदन को कम करती है** और **जल धारण क्षमता** को बढ़ाती है, जिससे पर्यावरणीय और आर्थिक दोनों लाभ मिलते हैं।

4. **एकीकृत कीट प्रबंधन**

- IPM एक **पारिस्थितिकी-आधारित दृष्टिकोण** है, जो कीटनाशकों के उपयोग को न्यूनतम रखते हुए कीटों का प्रभावी प्रबंधन करता है।
- इसमें **जैविक नियंत्रण, कृषि पद्धतियाँ, आवास प्रबंधन और सीमित रासायनिक उपयोग** को शामिल किया जाता है।
- IPM का उद्देश्य कीटों को पूरी तरह समाप्त करना नहीं, बल्कि उन्हें **आर्थिक नुकसान की सीमा से नीचे** बनाए रखना है, जिससे **पारिस्थितिक संतुलन** बना रहता है।

5. **फसल चक्र**

- **फसल चक्र** में एक ही भूमि पर अलग-अलग मौसमों में क्रमवार विभिन्न फसलें उगाई जाती हैं।
- यह मृदा की उर्वरता बढ़ाता है, कीट एवं रोग चक्र को तोड़ता है और रासायनिक इनपुट्स पर निर्भरता कम करता है।

6. **हाइड्रोपोनिक्स**

- **हाइड्रोपोनिक्स** मृदा के बिना, **पोषक तत्वों से भरपूर जल घोल** में पौधों को उगाने की विधि है।
- यह एक **अत्यधिक जल-कुशल तकनीक** है, जिसमें पारंपरिक खेती की तुलना में बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है।
- नियंत्रित परिस्थितियाँ **भूमि क्षरण को कम करती हैं** और **कीटनाशकों की आवश्यकता को न्यूनतम** करती हैं।

7. **एक्वापोनिक्स**

- **एक्वापोनिक्स**, हाइड्रोपोनिक्स और **मत्स्य पालन** (Aquaculture) को एक **सहजीवी प्रणाली** में जोड़ता है।
- मछलियों का अपशिष्ट पौधों के लिए जैविक पोषक तत्व प्रदान करता है, जबकि पौधे पानी को शुद्ध करते हैं, जिससे **संसाधनों की दक्षता बढ़ती है**।

8. **एग्रीवोल्टाइक खेती**

- एग्रीवोल्टाइक खेती में सोलर पैनलों के नीचे फसलों की खेती की जाती है।
- यह **भूमि उपयोग दक्षता** को बढ़ाती है, क्योंकि इससे सौर ऊर्जा उत्पादन और कृषि एक साथ संभव हो पाते हैं।
- फसलों को **आंशिक छाया**, बेहतर नमी संरक्षण और **कृषि मशीनरी तक निरंतर पहुँच** का लाभ मिलता है।

राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA)

NMSA के बारे में

- राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA), राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (NAPCC) के अंतर्गत आने वाले आठ मिशनों में से एक है।
- इस मिशन का उद्देश्य स्थान-विशिष्ट एकीकृत कृषि प्रणालियों के माध्यम से कृषि को अधिक उत्पादक, सतत, लाभकारी और जलवायु-लचीला बनाना है।

प्रमुख फोकस क्षेत्र (10 आयाम)

- उन्नत फसल बीज
- पशुपालन और मत्स्य पालन
- जल उपयोग दक्षता
- कीट प्रबंधन
- उन्नत कृषि पद्धतियाँ
- पोषक तत्व प्रबंधन
- कृषि बीमा
- ऋण सहायता
- बाज़ार
- सूचना तक पहुँच और आजीविका विविधीकरण

निष्कर्ष

राष्ट्रीय किसान दिवस किसानों की खाद्य सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने में भूमिका को रेखांकित करता है। सतत कृषि जलवायु चुनौतियों, संसाधनों की कमी और ग्रामीण संकट से निपटने का एक समग्र समाधान प्रदान करती है, जिससे यह भारत की दीर्घकालिक विकास रणनीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन जाती है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

	SDG 3	लैंगिक समानता
	SDG 5	अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण
	SDG 12	उत्तरदायी उपभोग और उत्पादन

उपर्युक्त में से कितने सही सुमेलित हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (a)

इकाई 4

पर्यावरण एवं भूगोल

अरावली पहाड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट निर्णय

चर्चा में क्यों: सार्वजनिक विरोध और विशेषज्ञों की आलोचना के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों पर अपने उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें 100 मीटर ऊँचाई-आधारित परिभाषा को स्वीकार किया गया था, और इस मुद्दे पर वैज्ञानिक, पारिस्थितिक और कानूनी पहलुओं के आधार पर पुनर्विचार करने का निर्णय लिया।

अरावली की पारिस्थितिक और रणनीतिक महत्ता

अरावली पर्वतमाला, जो लगभग दो अरब वर्ष पुरानी है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है और यह दिल्ली से गुजरात तक लगभग 650 किमी तक फैली हुई है। इसका महत्व निम्नलिखित है:

- **मरुस्थलीकरण के विरुद्ध अवरोध:** थार मरुस्थल के पूर्व की ओर हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक प्रसार को रोकती है।
- **जलवायु संतुलन और वायु गुणवत्ता:** दिल्ली-एनसीआर के लिए "ग्रीन लंग्स" (हरित फेफड़े) की तरह कार्य करती है।
- **भूजल पुनर्भरण:** लूनी, साबरमती और चंबल जैसी नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों को सहारा देती है।
- **जैव विविधता पर्यावास:** पहाड़ियों, ढलानों और घाटियों के माध्यम से पारिस्थितिक संपर्क प्रदान करती है।
- **अंतरराष्ट्रीय दायित्व:** भारत मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCCD) के अंतर्गत अरावली जैसे संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा के लिए बाध्य है।

पिछले कुछ दशकों में अनियंत्रित और अवैध खनन ने इन कार्यों को गंभीर रूप से नुकसान पहुँचाया है, जिससे न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक हो गया।

परिचालन परिभाषाएँ

1. **अरावली पहाड़ियाँ**
- अरावली जिलों में कोई भी भू-आकृति जो **स्थानीय स्तर से 100 मीटर या अधिक ऊँचाई** पर हो, जिसमें पहाड़, ढलान और संबंधित भू-आकृतियाँ शामिल हैं।
- **स्थानीय उच्चावच** (Local relief) का मापन उस सबसे निचली कंटूर रेखा के सापेक्ष किया जाता है जो उस भू-आकृति को घेरे रहती है।
- यह परिभाषा **समग्र संरक्षण** सुनिश्चित करती है, जिससे मृदा की स्थिरता, जल पुनर्भरण और वनस्पति आवरण के लिए आवश्यक ढलानों व पहाड़ियों का दोहन रोका जा सके।

2. **अरावली रेंज**
- दो या अधिक अरावली पहाड़ियाँ जो **एक-दूसरे से 500 मीटर के भीतर** स्थित हों।
- इसमें घाटियाँ, बीच की ढलानें, छोटी पहाड़ियाँ और सहायक भू-आकृतियाँ शामिल हैं, जो **पारिस्थितिक संपर्क और वन्यजीव गलियारों** को बनाए रखती हैं।
- सीमाएँ **भारतीय सर्वेक्षण विभाग** की स्थल मानचित्र के आधार पर तय की जाती हैं, जिससे **निष्पक्ष, लागू करने योग्य और पारदर्शी नियमन** सुनिश्चित होता है।

सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप

मुख्य न्यायाधीश **सूर्यकांत** की अध्यक्षता वाली पीठ ने परिभाषा पर रोक लगाते हुए एक **उच्च-स्तरीय विशेषज्ञ समिति** के गठन का निर्देश दिया है, ताकि पूर्व रिपोर्ट की पुनः गहन समीक्षा की जा सके। न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि किसी भी नए प्रशासनिक या पर्यावरणीय कदम से पहले **निष्पक्ष, स्वतंत्र और वैज्ञानिक विशेषज्ञ राय** आवश्यक है।

समिति को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं:

1. परिभाषा के अंतर्गत आने वाले **विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान** करना।
2. यह निर्धारित करना कि **कौन-से क्षेत्र बाहर रखे जाएंगे**।
3. यह आकलन करना कि कवर किए गए क्षेत्रों में **नियंत्रित या सतत खनन** से प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव पड़ सकते हैं या नहीं।
4. प्रस्तावित परिभाषा के **अल्पकालिक और दीर्घकालिक पर्यावरणीय प्रभावों** का मूल्यांकन करना।
5. ऐसे **नियामकीय अंतराल और अस्पष्टताओं** को दूर करना जो पारिस्थितिक अखंडता को कमजोर कर सकते हैं।

अंतरिम उपाय

- नई समिति की रिपोर्ट आने तक, न्यायालय ने **भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI), 2010 की परिभाषा** का पालन अनिवार्य किया है, जिसके अनुसार अरावली को **तीन डिग्री तक की ढलानों वाली पहाड़ियाँ** माना गया है तथा निचले हिस्से (टो साइड) के चारों ओर **100 मीटर का बफर ज़ोन** रखा गया है।

- सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा प्रक्रिया में सहायता के लिए **एमिकस क्यूरी के. परमेश्वर** और **केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति** (CEC) को भी शामिल किया है।

महत्व

यह हस्तक्षेप वैज्ञानिक, पारदर्शी और लागू किए जा सकने वाले ढाँचों के महत्व को रेखांकित करता है। परिभाषा की पुनः समीक्षा के माध्यम से न्यायालय का उद्देश्य है:

- अरावली पर्वतमाला की पारिस्थितिक अखंडता सुनिश्चित करना।
- भूजल पुनर्भरण क्षेत्रों, जैव विविधता पर्यावासों और जलवायु-संतुलनकारी हरित पट्टियों की रक्षा करना।
- अनियंत्रित खनन और पर्यावरणीय क्षरण को रोकना।
- विकासात्मक आवश्यकताओं और संरक्षण प्राथमिकताओं के बीच संतुलन बनाना।

निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थगन और विशेषज्ञ समिति का गठन यह दर्शाता है कि भारत साक्ष्य-आधारित पर्यावरणीय शासन के प्रति प्रतिबद्ध है। अरावली की रक्षा केवल एक प्राकृतिक विरासत को बचाने का प्रयास नहीं है, बल्कि यह उत्तर-पश्चिम भारत की पर्यावरणीय स्थिरता के लिए जीवनरेखा है। न्यायालय का यह कदम एक विवेकपूर्ण दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसमें संरक्षण को वैज्ञानिक मूल्यांकन, जनहित और दीर्घकालिक स्थिरता के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है।

आर्कटिक का पिघलना: जलवायु चिंताएँ और भारत के रणनीतिक हित

चर्चा में क्यों: आर्कटिक क्षेत्र वैश्विक औसत से **दो गुना से अधिक गति** से गर्म हो रहा है, जिसे **आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन** (Arctic Amplification) कहा जाता है।

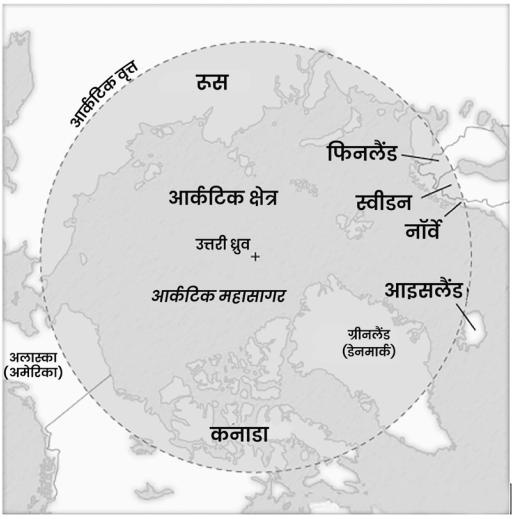

पृष्ठभूमि: आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड 2025 (NOAA) के अनुसार, आर्कटिक में पिछले 125 वर्षों का सबसे अधिक दर्ज तापमान देखा गया है, साथ ही सबसे पुरानी और सबसे सघन समुद्री बर्फ में 95% से अधिक की कमी (1980 के दशक से) और 1960 के दशक की तुलना में जून माह की बर्फीली परत में 50% की गिरावट दर्ज की गई है।

आर्कटिक के गर्म होने के प्रभाव

- **परमाफ्रॉस्ट का पिघलना**, जिससे विषैले धातु नदियों में छोड़ दी जाती हैं।
- **अटलांटिफिकेशन**, जिससे महासागरीय परिसंचरण और पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो रहे हैं।
- **फाइटोप्लैंकटन उत्पादकता में वृद्धि**, जिससे मत्स्य संसाधन और खाद्य सुरक्षा प्रभावित हो रही है।
- **वैश्विक जलवायु पर प्रभाव**, जिसमें **भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून की बढ़ती अस्थिरता** शामिल है।

हालाँकि ये परिवर्तन जलवायु जोखिमों को बढ़ाते हैं, लेकिन साथ ही ये **आर्थिक और रणनीतिक अवसर** भी उत्पन्न कर रहे हैं, जैसे नए समुद्री मार्गों का खुलना और आर्कटिक में प्राकृतिक संसाधनों तक पहुँच।

आर्कटिक का भू-राजनीतिक महत्व

आर्कटिक का शासन **आर्कटिक काउंसिल (8 परिधीय देश)** द्वारा किया जाता है, लेकिन बढ़ती वैश्विक रुचि ने इसे **भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र** बना दिया है:

1. **संसाधनों तक पहुँच:** खनिज, तेल और गैस से समृद्ध होने के कारण आर्कटिक आर्थिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण बन रहा है।
2. **समुद्री व्यापार: नॉर्दर्न सी रूट** (NSR) यूरोप और पूर्वी एशिया के बीच यात्रा समय को **स्वेज नहर की तुलना में लगभग 40% तक कम** करता है।
3. **रणनीतिक साझेदारियाँ:** गैर-आर्कटिक देश जैसे **चीन और भारत** व्यापार, निवेश और वैज्ञानिक सहयोग के माध्यम से प्रभाव बढ़ा रहे हैं।
4. **राजनीतिक विखंडन:** रूस–यूक्रेन युद्ध के बाद रूस का अलग-थलग पड़ना और **नाटो का विस्तार (फिनलैंड 2023, स्वीडन 2024)** आर्कटिक शासन में अनिश्चितता बढ़ा रहा है।

भारत की आर्कटिक नीति और हित

भारत 2007 से आर्कटिक क्षेत्र में सक्रिय रूप से संलग्न है। भारत ने **स्वालबार्ड में हिमाद्री शोध स्टेशन (2008)** की स्थापना की और **आर्कटिक काउंसिल में पर्यवेक्षक का दर्जा (2013)** प्राप्त किया। भारत की **आर्कटिक नीति (2022)** छह प्रमुख स्तंभों पर आधारित है:

1. वैज्ञानिक अनुसंधान और सहयोग
2. जलवायु और पर्यावरण संरक्षण
3. आर्थिक और मानव विकास
4. परिवहन और कनेक्टिविटी
5. शासन और अंतरराष्ट्रीय सहयोग
6. राष्ट्रीय क्षमता निर्माण

प्रमुख पहलें

- 2021 से रूस के साथ नॉर्दर्न सी रूट (NSR) अवसंरचना विकास में सहयोग।
- चेन्नई–व्लादिवोस्तोक समुद्री मार्ग (2024) को क्रियान्वित करना, जिससे भारत–यूरोप व्यापार समय लगभग 2 सप्ताह कम होगा।
- आर्कटिक वार्मिंग का भारतीय मानसून पर प्रभाव संबंधी शोध (NCPOR, 2024)।

चुनौतियाँ

- **तेज़ी से पिघलती समुद्री बर्फ और परमाफ्रॉस्ट**, जिससे आर्कटिक पारिस्थितिकी तंत्र और वहाँ के स्वदेशी समुदायों की जीवनशैली पर गंभीर खतरा।
- **जलवायु फीडबैक लूप्स** (जैसे अल्बीडो में कमी) का बढ़ना, जिससे वैश्विक जलवायु प्रणाली और मौसम चक्र अस्थिर हो सकते हैं।
- **भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि**, विशेष रूप से चीन की *पोलर सिल्क रोड* महत्वाकांक्षाओं और रूस की नए निवेश साझेदारों की तलाश के कारण।

- **खंडित शासन संरचनाएँ और अतिव्यापी क्षेत्रीय दावे**, जिससे रणनीतिक अनिश्चितता और संघर्ष का जोखिम बढ़ता है।
- **नौवहन मार्गों, खनिजों और ऊर्जा संसाधनों तक बढ़ती पहुँच**, जिससे पर्यावरणीय क्षरण और अस्थिर दोहन की आशंका बढ़ जाती है।

आवश्यक उपाय

- भारत को आर्कटिक क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान और जलवायु निगरानी को मजबूत करना चाहिए, इसके लिए अंटार्कटिका और हिमालय क्षेत्रों में अपने अनुभव का उपयोग करना चाहिए।
- क्रायोस्फियर अध्ययन, जैव विविधता आकलन और दीर्घकालिक जलवायु मॉडलिंग पर अधिक ज़ोर दिया जाना चाहिए, ताकि साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को समर्थन मिल सके।
- भारत को आर्कटिक और गैर-आर्कटिक देशों दोनों के साथ सक्रिय कूटनीतिक जुड़ाव बढ़ाना चाहिए, ताकि सहयोग और विश्वास निर्माण को बढ़ावा मिले।
- अंतरराष्ट्रीयकृत आर्कटिक शासन, UNCLOS के पालन और संसाधन-साझाकरण मानदंडों की वकालत स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।
- आर्कटिक क्षेत्र में सतत और सुरक्षित आर्थिक सहभागिता के लिए अवसंरचना, प्रौद्योगिकी और अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों में रणनीतिक निवेश आवश्यक है।

आगे की राह

- **वैज्ञानिक नेतृत्व:** नीति निर्माण को प्रभावित करने और दक्षिण एशिया पर जलवायु प्रभावों की निगरानी हेतु आर्कटिक अनुसंधान में भारत की उपस्थिति का विस्तार।
- **रणनीतिक कूटनीति:** रूस के साथ द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना तथा आर्कटिक काउंसिल के माध्यम से बहुपक्षीय सहभागिता बढ़ाना।
- **सतत विकास:** पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना और अनियंत्रित दोहन से बचना।
- **जलवायु अनुकूलन:** कृषि और जल संसाधनों पर जोखिम कम करने के लिए आर्कटिक अनुसंधान को **भारतीय मानसून पूर्वानुमान** से जोड़ना।

निष्कर्ष

भारत की आर्कटिक सहभागिता **विज्ञान कूटनीति, जलवायु सुरक्षा और आर्थिक रणनीति** का संतुलित मिश्रण है। यह तेजी से गर्म हो रहे और भू-राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है।

तीन नई पतंगा (मॉथ) प्रजातियों की खोज

चर्चा में क्यों: भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (ICAR–IARI) के शोधकर्ताओं ने **भारतीय हिमालयी क्षेत्र** में पतंगों (मॉथ) की तीन नई प्रजातियों की खोज की है।

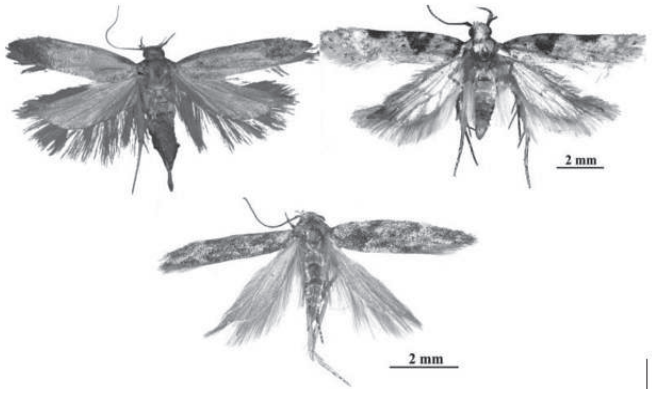

नव-खोजी गई पतंगा प्रजातियाँ

- खोजी गई तीन नई प्रजातियाँ हैं: **Gelechia adi sp. nov., Gelechia bilobuncusa sp. nov., और Istrianis ladakhensis sp. nov.**
- ये तीनों प्रजातियाँ **भारतीय हिमालय क्षेत्र की स्थानिक** हैं, अर्थात् ये दुनिया में केवल यहीं पाई जाती हैं।

खोज की भौगोलिक अवस्थिति

- **Gelechia adi** की खोज **अरुणाचल प्रदेश के रामसिंग क्षेत्र**, अपर सियांग ज़िले में की गई।
- **Gelechia bilobuncusa** की पहचान **हिमाचल प्रदेश** में की गई।
- **Istrianis ladakhensis** की खोज **केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख** में हुई, जो अत्यधिक ठंडे मौसम और अधिक ऊँचाई वाला क्षेत्र है।

खोज में प्रयुक्त विधियाँ

- शोधकर्ताओं ने **रात्रि में मरकरी-वाष्प लैंप (mercury-vapour lamps)** का उपयोग किया ताकि रात्रिचर पतंगों को आकर्षित किया जा सके — यह कीटविज्ञान सर्वेक्षणों में एक मानक तकनीक है।
- एकत्र किए गए नमूनों का **DNA बारकोडिंग** के माध्यम से विश्लेषण किया गया, जिससे आनुवंशिक चिन्हों के आधार पर प्रजातियों की पहचान संभव हो सकी।
- टीम ने **विस्तृत आकृतिक (morphological) विश्लेषण** भी किया, जिसमें पंखों के पैटर्न और प्रजनन अंगों का उच्च-शक्ति माइक्रोस्कोप से अध्ययन किया गया, ताकि यह पुष्टि की जा सके कि ये प्रजातियाँ पहले अज्ञात थीं।

नई प्रजातियों की विशिष्ट विशेषताएँ

- **Gelechia adi** की पहचान इसके **आइवरी-सफेद अग्रपंखों**, आधार पर गहरे काले धब्बे और त्रिकोणीय काले निशानों से होती है।
- **Gelechia bilobuncusa** के पंख हल्के भूरे रंग के होते हैं जिन पर अनियमित काले शल्क होते हैं, और इसका नाम इसके **द्विखंडी (bilobed) जननांग संरचना** के आधार पर रखा गया है।
- **Istrianis ladakhensis** में ऊँचाई वाले क्षेत्रों के अनुरूप अनुकूलन दिखाई देता है, इसके पंख हल्के भूरे रंग के होते हैं जिन पर गहरे स्लेटी, सफेद और नारंगी रंग के धब्बे होते हैं।

नामकरण का सांस्कृतिक और वैज्ञानिक महत्व

- **Gelechia adi** का नाम अरुणाचल प्रदेश की **आदि जनजाति** के सम्मान में रखा गया है, जो स्थानीय स्वदेशी समुदायों के प्रति सम्मान को दर्शाता है।
- **Gelechia bilobuncusa** का नाम एक विशिष्ट शारीरिक संरचना से लिया गया है, जो पारंपरिक वर्गिकी परंपरा के अनुरूप है।
- **Istrianis ladakhensis** का नाम इसके **प्रकार स्थल** लद्दाख के आधार पर रखा गया है, जिससे प्रजाति का भौगोलिक संबंध स्पष्ट होता है।

पारिस्थितिक और वैज्ञानिक महत्व

- यह खोज **Gelechiidae कुल** की समझ को बेहतर बनाती है, जो पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेषकर **पौधा–कीट अंतःक्रियाओं** में।
- भारत पहले ही **13,000 से अधिक तितली और पतंगा प्रजातियों** का घर है, और ऐसी खोजें संकेत देती हैं कि कई प्रजातियाँ अभी भी अज्ञात हैं।
- जैव विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अध्ययन और पारिस्थितिकी प्रबंधन के लिए **निरंतर टैक्सोनॉमिक शोध** अत्यंत आवश्यक है।

संरक्षण और भविष्य का अनुसंधान

- तीनों नई प्रजातियों के **टाइप सैंपल** को **नेशनल पूसा कलेक्शन, नई दिल्ली** में सुरक्षित रखा गया है।
- इससे दीर्घकालिक संरक्षण, सत्यापन और भविष्य के वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उपलब्धता सुनिश्चित होती है।
- भविष्य के अध्ययन इन प्रजातियों की **पारिस्थितिक भूमिका और संरक्षण स्थिति** के आकलन में सहायक हो सकते हैं।

भारत में ट्रेन–हाथी टक्कर घटनाएँ

चर्चा में क्यों: हाल ही में दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस असम के होजाई ज़िले में हाथियों के एक झुंड से टकरा गई, जिससे सात हाथियों की मौत हो गई और ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतर गए, हालांकि किसी यात्री को चोट नहीं आई।

प्रमुख तथ्य

- भारत में दुनिया के **52,000 एशियाई हाथियों में से आधे से अधिक** (Elephas maximus) पाए जाते हैं।
- **2010 से 2020 के बीच**, भारत में **1,160 हाथियों की मृत्यु गैर-प्राकृतिक कारणों से** हुई (MoEFCC डेटा)।
- **विद्युत करंट से मौत** (741) सबसे बड़ा कारण था, इसके बाद **ट्रेन टक्कर** (186 **मौतें**) रहीं।
- ट्रेन से जुड़ी मौतें अक्सर **हाई-वोल्टेज ओवरहेड रेलवे लाइनों** के कारण भी होती हैं।

ट्रेन–हाथी टक्कर क्यों होती है?

- रेलवे लाइनें **हाथियों के पर्यावास और प्रवासन गलियारों** से होकर गुजरती हैं, जिससे टकराव का खतरा बढ़ जाता है।
- रैखिक परिवहन अवसंरचना (Linear Infrastructure) **पर्यावासों को खंडित** कर देती है, जिससे हाथी छोटे वन क्षेत्रों में फँस जाते हैं और भोजन व पानी की कमी होती है।
- हाथी अक्सर रेलवे ट्रैक पार करने में हिचकिचाते हैं, जिससे **रुकने और टकराने का जोखिम बढ़ जाता है**।
- **2017 के एक अध्ययन** में पाया गया कि टक्कर की घटनाएँ **रात के समय अधिक होती हैं**, और **नर हाथी** फसल-लूट के दौरान अधिक प्रभावित होते हैं।

शमन के लिए दिशा-निर्देश

- **IUCN एशियन एलिफेंट ट्रांसपोर्ट वर्किंग ग्रुप (2023)** ने *Handbook to Mitigate the Impacts of Roads and Railways on Asian Elephants* जारी की।
- इस पुस्तिका में **परिहार (Avoidance)** को प्राथमिकता दी गई है, अर्थात जहाँ संभव हो, अवसंरचना को हाथियों के पर्यावास और प्रवासन मार्गों से दूर रखा जाए।
- जहाँ परिहार संभव न हो, वहाँ **समग्र शमन उपाय** अपनाए जाने चाहिए।

संरचनात्मक शमन उपाय

- **वन्यजीव क्रॉसिंग संरचनाएँ** सबसे प्रभावी शमन उपाय मानी जाती हैं।
- इनमें **अंडरपास (पुलों या फ्लाईओवर के नीचे)** और **ओवरपास (टनल या कॉरिडोर)** शामिल होते हैं।
- जब इन्हें **वन्यजीव बाड़ (wildlife fencing)** के साथ जोड़ा जाता है, तो ये संरचनाएँ **वन्यजीव मृत्यु दर को 98% तक कम** कर सकती हैं।
- हाथियों के लिए बनाए गए क्रॉसिंग **खुले और पर्याप्त चौड़े** होने चाहिए, ताकि उन्हें घुटन या बंद स्थान का अहसास न हो।
- हैंडबुक में हाथियों के लिए **न्यूनतम 6–7 मीटर ऊँचाई** की सिफारिश की गई है।
- क्रॉसिंग का स्थान **हाथियों की गतिविधियों पर आधारित वैज्ञानिक अध्ययनों** के अनुसार तय किया जाना चाहिए, जिसमें **कैमरा ट्रैप और GPS टेलीमेट्री** का उपयोग हो।
- बाड़ का उद्देश्य हाथियों को रोकना नहीं, बल्कि उन्हें **निर्धारित क्रॉसिंग की ओर मार्गदर्शित करना** होना चाहिए।

प्रौद्योगिकी आधारित समाधान

- **अर्ली वार्निंग सिस्टम** प्रभावी गैर-संरचनात्मक उपाय के रूप में उभर रहे हैं।
- इंजन-आधारित प्रणालियाँ **फॉरवर्ड लुकिंग इन्फ्रारेड (FLIR) कैमरों** का उपयोग करती हैं, जो रात या कोहरे में भी **750 मीटर तक बाधाओं का पता लगा सकती हैं**।
- स्थल आधारित प्रणालियों में **इन्फ्रारेड कैमरे और ध्वनिक/भूकंपीय सेंसर** शामिल हैं, जो संवेदनशील क्रॉसिंग क्षेत्रों में लगाए जाते हैं।
- **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग** वास्तविक खतरों को झूठे अलार्म से अलग करने में मदद करते हैं, जिससे विश्वसनीयता बढ़ती है।

भारतीय रेलवे की पहलें

- भारतीय रेलवे ने चुनिंदा स्थानों पर **AI-आधारित अर्ली वार्निंग सिस्टम** तैनात किए हैं।
- **2023 में**, नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे (NFR) ने हाथियों की आवाजाही की निगरानी के लिए AI का उपयोग शुरू किया।
- इसी प्रकार की प्रणाली **2024 में केरल–तमिलनाडु सीमा** पर भी शुरू की गई।
- इन पहलों के शुरुआती परिणाम उत्साहजनक रहे हैं, हालांकि **व्यापक स्तर पर अपनाने की आवश्यकता** अभी भी बनी हुई है।

निष्कर्ष

ट्रेन–हाथी टक्कर एक गंभीर **संरक्षण और अवसंरचना शासन** से जुड़ा मुद्दा है। पर्यावासों से बचाव, वैज्ञानिक रूप से डिज़ाइन की गई क्रॉसिंग संरचनाएँ और प्रौद्योगिकी-आधारित अर्ली वार्निंग सिस्टम मिलकर सबसे प्रभावी समाधान प्रदान करते हैं। रेलवे, वन विभाग और संरक्षण एजेंसियों के बीच **मज़बूत समन्वय** सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न. रेलवे जैसी रैखिक अवसंरचना भारत में मानव–वन्यजीव संघर्ष का एक प्रमुख कारण बनकर उभरी है। इस संदर्भ में, ट्रेन–हाथी टकराव के कारणों पर चर्चा कीजिए तथा यह विश्लेषण कीजिए कि संस्थागत समन्वय, वैज्ञानिक योजना और प्रौद्योगिकी-आधारित हस्तक्षेप किस प्रकार अवसंरचना विकास से समझौता किए बिना वन्यजीव संरक्षण सुनिश्चित कर सकते हैं। (15 अंक, 250 शब्द)

गैंडों का विश्रृंगीकरण (Dehorning Rhinos)

चर्चा में क्यों: गैंडे, जो विश्व के दूसरे सबसे बड़े स्थलीय स्तनधारी हैं, अपने सींगों के उच्च मूल्य के कारण अवैध शिकार के गंभीर खतरे का सामना कर रहे हैं। गैंडे के सींग केराटिन से बने होते हैं और पारंपरिक चिकित्सा में औषधीय गुणों के वैज्ञानिक प्रमाण न होने के बावजूद इन्हें प्रतिष्ठा के प्रतीक के रूप में उपयोग किया जाता है। वैश्विक स्तर पर अवैध शिकार के कारण गैंडों की संख्या में तीव्र गिरावट आई है, और 2024 तक दुनिया में 28,000 से भी कम गैंडे शेष रह गए हैं।

अवैध शिकार संकट:

- **ग्रेटर क्रूगर रिज़र्व (दक्षिण अफ्रीका)** में 2017–2023 के बीच **1,985 गैंडे मारे गए** (~6.5% प्रतिवर्ष)।
- **74 मिलियन डॉलर** एंटी-पोचिंग रणनीतियों (रेंजर गश्त, AI निगरानी, ट्रैकिंग डॉग्स) पर खर्च होने के बावजूद अवैध शिकार जारी है।
- **एशिया (वियतनाम, चीन)** में उच्च मांग और स्थानीय समुदायों में गरीबी अवैध शिकार को बढ़ावा देती है।

रणनीति के रूप में डीहॉर्निंग:

- इसमें गैंडों को बेहोश कर उनके **सींग का 90–93% हिस्सा हटाया जाता है,** जबकि दोबारा बढ़ने के लिए जर्मिनल लेयर सुरक्षित रखी जाती है।
- यह प्रक्रिया **तनाव कम करने के लिए सावधानीपूर्वक** की जाती है — गैंडों की आँखों पर पट्टी बाँधी जाती है, कानों में ईयरप्लग लगाए जाते हैं और सींग के कटे हिस्से पर संक्रमण से बचाव हेतु कोटिंग की जाती है।

डीहॉर्निंग का प्रभाव:

- **ग्रेटर क्रूगर के 11 रिज़र्व (2017–2023)** में किए गए अध्ययन में पाया गया:
  - डीहॉर्निंग किए गए क्षेत्रों में **अवैध शिकार में 75% की कमी**।
  - जहाँ डीहॉर्निंग अचानक (1–2 महीने में) की गई, वहाँ **78% तक कमी**।
  - व्यक्तिगत गैंडों पर अवैध शिकार का जोखिम **95% तक कम** हुआ।
- डीहॉर्निंग **लागत-प्रभावी** है — कुल एंटी-पोचिंग बजट का केवल **1.2%** खर्च कर बेहतर परिणाम मिले।

चुनौतियाँ:

- शिकारी पकड़ना कठिन है क्योंकि **प्रणालीगत भ्रष्टाचार और कमजोर न्याय व्यवस्था** मौजूद है।
- **समुदाय की भागीदारी और रेंजर कल्याण** अत्यंत महत्वपूर्ण हैं; काज़ीरंगा नेशनल पार्क में स्थानीय भागीदारी से गैंडों की मौतें न्यूनतम रहीं।
- डीहॉर्निंग कोई **जादुई समाधान (silver bullet)** नहीं है — छोटे बचे हुए सींग भी शिकारियों को आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन यह एक **प्रभावी दीर्घकालिक निवारक उपाय** है।

वैश्विक गैंडा स्थिति

- गैंडे कभी यूरोप, एशिया और अफ्रीका में पाए जाते थे, लेकिन आज दुनिया में केवल लगभग 27,000 गैंडे ही शेष हैं।
- अवैध शिकार और पर्यावास विनाश उनके अस्तित्व के लिए सबसे बड़े खतरे हैं।
- तीन प्रजातियाँ — ब्लैक, जावा और सुमात्रा गैंडा — गंभीर रूप से संकटग्रस्त (Critically Endangered) हैं।
- जावा गैंडा अब केवल इंडोनेशिया के जावा द्वीप के एक राष्ट्रीय उद्यान में ही पाया जाता है, जबकि इसका मुख्यभूमि उप-प्रजाति विलुप्त हो चुकी है।
- ग्रेटर वन-हॉर्न्ड (भारतीय) गैंडे की संख्या 20वीं सदी में लगभग 200 से बढ़कर आज लगभग 4,000 हो गई है।
- अफ्रीका में दक्षिणी श्वेत गैंडा अब 'निकट संकटग्रस्त' श्रेणी में है, जबकि पश्चिमी काला गैंडा और उत्तरी श्वेत गैंडा जंगल से विलुप्त हो चुके हैं।

भारतीय गैंडा (Rhinoceros unicornis)

- यह इंडो-नेपाल तराई, उत्तरी पश्चिम बंगाल और असम में पाया जाता है।
- यह एशियाई गैंडों में सबसे बड़ा होता है और नर व मादा दोनों में एक सींग होता है।
- ऊँचाई: 1.7 मीटर, लंबाई: 3.5 मीटर, वज़न: 1,800–2,800 किलोग्राम।
- यह अच्छा तैराक, सूंघने और सुनने की क्षमता मजबूत, दृष्टि कमजोर होती है, तथा 55 किमी/घंटा तक दौड़ सकता है।
- स्वभाव से एकाकी, पूरे वर्ष प्रजनन करता है, और गर्भकाल 16 महीने का होता है।
- मादा 5–6 वर्ष में तथा नर 7–10 वर्ष में प्रजनन योग्य हो जाते हैं।

पर्यावास और संरक्षित क्षेत्र

- हिमालय की तराई तथा गंगा–ब्रह्मपुत्र घाटियों में **घासभूमि और आर्द्रभूमि** को प्राथमिकता देता है।
- **वर्तमान वितरण:** इंडो–नेपाल तराई, असम और पश्चिम बंगाल में छोटे–छोटे क्षेत्रों में पाया जाता है।
- भारत में प्रमुख संरक्षित क्षेत्र:
  - काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, पॉबितोरा वन्यजीव अभयारण्य, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान (असम)
  - जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान (पश्चिम बंगाल)
  - दुधवा राष्ट्रीय उद्यान (उत्तर प्रदेश)
- अस्थायी आबादी कतरनियाघाट वन्यजीव अभयारण्य (उत्तर प्रदेश) और वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व (बिहार) में देखी गई है।

निष्कर्ष

डीहॉर्निंग, समुदाय की भागीदारी, AI आधारित निगरानी और रेंजरों के समर्थन के साथ मिलकर गैंडा संरक्षण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। यह साक्ष्य-आधारित हस्तक्षेपों, लागत-प्रभावी रणनीतियों और मैदान स्तर पर कार्यरत संरक्षणकर्मियों की भूमिका के महत्व को रेखांकित करता है।

अफ्रीका महाद्वीप का विभाजन

चर्चा में क्यों: अफ्रीका एक बड़े भूवैज्ञानिक परिवर्तन से गुजर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप भविष्य में यह महाद्वीप दो भू-भागों में विभाजित हो सकता है। नए चुंबकीय आँकड़ों से पृथ्वी की परत में धीमी लेकिन लगातार दरार पड़ने के संकेत मिले हैं, जिससे अगले **5–10 मिलियन वर्षों** में एक नया महासागरीय बेसिन बनने की संभावना है।

प्रमुख वैज्ञानिक निष्कर्ष

- महाद्वीपीय विभाजन उत्तर-पूर्व से दक्षिण की ओर बढ़ रहा है, जिसे वैज्ञानिकों ने "जैकेट की ज़िप खुलने" जैसा बताया है।
- यह प्रक्रिया तीव्र ज्वालामुखीय गतिविधि और लगातार भूकंपीय घटनाओं के साथ हो रही है।
- उत्तरी रिफ्ट खंड में गति लगभग 5–16 मिलीमीटर प्रति वर्ष आंकी गई है।
- यद्यपि ये परिवर्तन मानव समय-सीमा में स्पष्ट नहीं दिखते, लेकिन भूवैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

अफ्रीका का भविष्य का भूगोल

- विभाजन के बाद अफ्रीका दो अलग-अलग भूभागों में बंट जाएगा।
- पश्चिमी भूभाग में मिस्र, अल्जीरिया, नाइजीरिया, घाना और नामीबिया शामिल होंगे।
- पूर्वी भूभाग में सोमालिया, केन्या, तंजानिया, मोज़ाम्बिक और इथियोपिया के कुछ हिस्से शामिल होंगे।
- इन दोनों क्षेत्रों के बीच एक नया महासागरीय बेसिन बनने की संभावना है।

प्लेट टेक्टोनिक्स की भूमिका

- यह पूर्वानुमान **प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत** पर आधारित है, जिसके अनुसार महाद्वीप गतिशील होते हैं और निरंतर गति में रहते हैं।
- लाखों वर्षों में टेक्टोनिक प्लेटें टूटती हैं और एक-दूसरे से अलग होती हैं, जिससे सागर नितल प्रसरण के माध्यम से नई महासागरीय परत बनती है।
- अफ्रीका का विभाजन **महाद्वीपीय रिफ्टिंग** का एक सक्रिय उदाहरण है।

पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट प्रणाली (East African Rift System – EARS)

- पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट एक विशाल टेक्टोनिक दरार है, जो **जॉर्डन से मोज़ाम्बिक तक लगभग 4,000 मील** तक फैली हुई है।
- इसकी चौड़ाई लगभग **30–40 मील** है और यह वह क्षेत्र दर्शाती है जहाँ महाद्वीपीय भूपर्पटी कम सघन और कमजोर हो रही है।
- समय के साथ यह दरार **लेक मलावी और लेक तुर्काना** को काटती हुई आगे बढ़ने की संभावना रखती है।

अफ़ार क्षेत्र: विभाजन का केंद्र

- **अफ़ार क्षेत्र** लाल सागर, अदन की खाड़ी और पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट के संगम पर स्थित है।
- यह एक **ट्रिपल जंक्शन** का प्रतिनिधित्व करता है, जहाँ तीन रिफ्ट प्रणालियाँ मिलती हैं:
  - मुख्य इथियोपियाई रिफ्ट
  - लाल सागर (रेड सी) रिफ्ट
  - अदन की खाड़ी रिफ्ट
- वैज्ञानिक अफ़ार क्षेत्र को **महाद्वीपीय विभाजन के सबसे शुरुआती और स्पष्ट संकेतों वाला क्षेत्र** मानते हैं।

चुंबकीय प्रमाण और सागर नितल प्रसरण

- शोधकर्ताओं ने **1968–69 के हवाई चुंबकीय सर्वेक्षणों** से एकत्र किए गए डेटा का विश्लेषण किया।
- इन आंकड़ों में **चुंबकीय क्षेत्र व्युत्क्रमण** दर्ज हैं, जो वृक्षों के छल्लों या बारकोड जैसे होते हैं।
- ये चुंबकीय संकेत अफ्रीका और अरब के बीच **सागर नितल प्रसरण** के स्पष्ट प्रमाण देते हैं।

पृथ्वी की आंतरिक संरचना

- पृथ्वी तीन संकेंद्रित परतों से बनी है: **भूपर्पटी, मैंटल और कोर**।
- **लिथोस्फियर (भूपर्पटी + ऊपरी मैंटल)** कठोर होती है और टेक्टोनिक प्लेटों में विभाजित होती है।
- ये प्लेटें **एस्थेनोस्फियर** नामक अर्ध-द्रव, लचीली परत पर तैरती हैं।
- प्लेटों की गति **मैंटल संवहन धाराओं** द्वारा संचालित होती है।

प्लेट सीमाओं के प्रकार

- **अभिसारी सीमाएँ:** प्लेटों के टकराने से बनती हैं, जिससे पर्वत और गर्त बनते हैं।
- **अपसारी सीमाएँ :** प्लेटें अलग होती हैं और नई भूपर्पटी बनती है, जैसे रिफ्ट क्षेत्रों में।
- **संरक्षी सीमाएँ:** प्लेटें एक-दूसरे के समानांतर फिसलती हैं, जिससे भूकंप आते हैं।
- अफ्रीका का विभाजन **अपसारी सीमा** पर हो रहा है।

महाद्वीपीय विस्थापन और प्लेट विवर्तनिकी

- **1912 में अल्फ्रेड वेगेनर** ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार सभी महाद्वीप पहले जुड़े हुए थे।
- **आर्थर होम्स** ने बाद में मैंटल संवहन धाराओं द्वारा महाद्वीपों की गति को समझाया।
- **1960 के दशक में हैरी हेस** ने पुराचुंबकीय साक्ष्यों के आधार पर **सागर नितल प्रसरण सिद्धांत** दिया।
- **1967 में मैकेंज़ी, पार्कर और मॉर्गन** ने इन सभी विचारों को मिलाकर **प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत** प्रस्तुत किया।

सुपरकांटिनेंट पैंजिया का विघटन

- लगभग **300–200 मिलियन वर्ष पहले**, सभी महाद्वीप मिलकर **पैंजिया** नामक एक विशाल भूभाग बनाते थे, जिसके चारों ओर **पैंथालासा महासागर** था।
- बाद में पैंजिया दो भागों में विभाजित हुआ — **लॉरेशिया** और **गोंडवानालैंड**, जिनके बीच **टेथिस सागर** स्थित था।
- **अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका** क्रिटेशस काल के दौरान अलग हुए, जिससे **अटलांटिक महासागर** का निर्माण हुआ।
- वर्तमान अफ्रीकी रिफ्टिंग प्रक्रिया, पहले हुए महाद्वीपीय विभाजनों की ही पुनरावृत्ति को दर्शाती है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न. पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट प्रणाली (East African Rift System – EARS) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह उस क्षेत्र को दर्शाता है जहाँ अपसारी प्लेट गति के कारण महाद्वीपीय भूपर्पटी पतली हो रही है।
2. यह पश्चिम एशिया के जॉर्डन से लेकर दक्षिणी अफ्रीका के मोज़ाम्बिक तक फैला हुआ है।
3. भूवैज्ञानिक समय के साथ इसके महासागरीय बेसिन में परिवर्तित होने की संभावना है।
4. यह मुख्यतः ट्रांसफॉर्म प्लेट सीमाओं से संबंधित है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1, 2 और 3 (b) केवल 1 और 4

(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (द)

जेमिनिड्स उल्का वर्षा

चर्चा में क्यों: जेमिनिड्स उल्का वर्षा को पृथ्वी से देखी जाने वाली सबसे शक्तिशाली और सबसे विश्वसनीय वार्षिक उल्का वर्षाओं में से एक माना जाता है। यह हर वर्ष **दिसंबर के मध्य** में होती है और **उत्तरी गोलार्ध** में सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देती है। जेमिनिड्स इसलिए विशिष्ट हैं क्योंकि इनकी उत्पत्ति किसी धूमकेतु से नहीं, बल्कि **एक क्षुद्रग्रह-जैसी वस्तु** से हुई है।

अवधि और चरम

- जेमिनिड्स उल्का वर्षा हर वर्ष **4 दिसंबर से 20 दिसंबर** तक सक्रिय रहती है।
- इसका चरम (Peak) **13 और 14 दिसंबर** की रात को होता है, जो अवलोकन के लिए सबसे उत्तम समय होता है।
- अनुकूल परिस्थितियों में, प्रेक्षक **प्रति घंटे 60 से 120 उल्काएँ** देख सकते हैं।

उर्सिड्स उल्का वर्षा से तुलना

- **उर्सिड्स उल्का वर्षा**, जेमिनिड्स के बाद उत्तरी गोलार्ध में दिखाई देती है।
- उर्सिड्स **17 दिसंबर से 26 दिसंबर** तक सक्रिय रहती है और **20–22 दिसंबर** के बीच चरम पर होती है।
- उर्सिड्स अपेक्षाकृत कमजोर होती है, जिसमें केवल **5 से 10 उल्काएँ प्रति घंटा** दिखाई देती हैं।

उल्का वर्षा क्या होती है?

- उल्काएँ चट्टान और बर्फ के छोटे टुकड़े होते हैं, जो **धूमकेतुओं या क्षुद्रग्रहों** से निकलते हैं।
- जब पृथ्वी इन खगोलीय पिंडों द्वारा छोड़े गए मलबे के मार्ग से गुजरती है, तब **उल्का वर्षा** होती है।
- जैसे ही ये कण पृथ्वी के वायुमंडल में तेज़ गति से प्रवेश करते हैं, घर्षण के कारण चमकते हैं और **प्रकाश की धाराएँ** बनाते हैं।
- **नासा (National Aeronautics and Space Administration)** के अनुसार, हर वर्ष **30 से अधिक उल्का वर्षाएँ** होती हैं।

जेमिनिड्स की उत्पत्ति

- जेमिनिड्स की उत्पत्ति **क्षुद्रग्रह 3200 फेथॉन (Phaethon)** से हुई है, न कि किसी धूमकेतु से।
- इस क्षुद्रग्रह की खोज **11 अक्टूबर 1983** को हुई थी।
- इसका व्यास **5 किलोमीटर से अधिक** है और इसका नाम ग्रीक पौराणिक पात्र *फेथॉन* के नाम पर रखा गया है।
- वैज्ञानिकों का मानना है कि यह संभवतः एक **निष्क्रिय धूमकेतु या शैल-धूमकेतु (rock comet)** हो सकता है।

3200 Phaethon की कक्षीय विशेषताएँ

- यह क्षुद्रग्रह सूर्य के चारों ओर **अत्यधिक दीर्घवृत्ताकार कक्षा** में घूमता है।
- इसकी कक्षा इसे **बुध से भी अधिक पास** और **मंगल से भी अधिक दूर** ले जाती है।
- यह सूर्य की एक परिक्रमा लगभग **1.4 वर्ष** में पूरी करता है।
- अत्यधिक **तापमान में उतार–चढ़ाव** के कारण इसकी सतह पर दरारें पड़ती हैं और मलबा अंतरिक्ष में निकल जाता है।
- यह मलबा एक घना प्रवाह बनाता है, जिससे पृथ्वी हर वर्ष दिसंबर में गुजरती है।

गति और चमक

- जेमिनिड उल्काएँ लगभग **35 किलोमीटर प्रति सेकंड** की गति से चलती हैं।
- यह गति चीता, कार या बुलेट से भी कहीं अधिक होती है।
- जेमिनिड्स अपनी **तेज़ चमक (फायरबॉल)** और **लंबे समय तक दिखने वाली लकीरों** के लिए प्रसिद्ध हैं, जिससे इन्हें देखना आसान होता है।

जेमिनिड्स का नामकरण

- जेमिनिड उल्का वर्षा का नाम **मिथुन (Gemini) नक्षत्र** के नाम पर रखा गया है।
- उल्काएँ आकाश में मिथुन राशि से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, हालांकि वास्तविक स्रोत वह नक्षत्र नहीं होता।
- जेमिनिड्स पूरी रात आकाश में देखी जा सकती हैं।

देखने के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ

- जेमिनिड्स को **साफ़ आकाश और कम चाँदनी** में सबसे अच्छे से देखा जा सकता है।
- कम प्रकाश और वायु प्रदूषण वाले क्षेत्रों में अवलोकन बेहतर होता है।
- इसे देखने के लिए **किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं** होती।
- आँखों को अंधेरे में अभ्यस्त करने के लिए **लगभग 30 मिनट** दें और तेज़ स्क्रीन देखने से बचें।

वैज्ञानिक महत्व

- जेमिनिड्स इस धारणा को चुनौती देती हैं कि उल्का वर्षाएँ केवल धूमकेतुओं से ही उत्पन्न होती हैं।
- यह **पृथ्वी के पास स्थित क्षुद्रग्रहों** (Near-Earth Asteroids) के अध्ययन के महत्व को दर्शाती है।
- यह घटना **क्षुद्रग्रह व्यवहार, अंतरिक्ष मलबे और ग्रहों की सुरक्षा** (planetary defence) से जुड़े शोध में सहायक है।

निष्कर्ष

जेमिनिड उल्का वर्षा अपनी **क्षुद्रग्रह जनित उत्पत्ति, उच्च उल्का दर, अधिक चमक** और **निरंतरता** के कारण विशेष मानी जाती है। यह न केवल एक अद्भुत खगोलीय दृश्य है, बल्कि वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

दक्षिणी महासागर कार्बन 'विसंगति'

चर्चा में क्यों: दक्षिणी महासागर, जो अंटार्कटिका को घेरता है, पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करने में असमान रूप से बड़ी भूमिका निभाता है। यद्यपि यह वैश्विक महासागरीय क्षेत्र का केवल 25–30% हिस्सा घेरता है, फिर भी यह महासागरों द्वारा अवशोषित किए गए कुल **कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 40%** अवशोषित करता है। हाल के अवलोकनों से एक **कार्बन अपटेक एनोमली** (असंगति) सामने आई है — जो लंबे समय से चले आ रहे जलवायु मॉडल अनुमानों के विपरीत है — और इससे **जलवायु मॉडलिंग की सीमाओं** तथा **भविष्य के वैश्विक कार्बन सिंक** को लेकर महत्वपूर्ण प्रश्न उठे हैं।

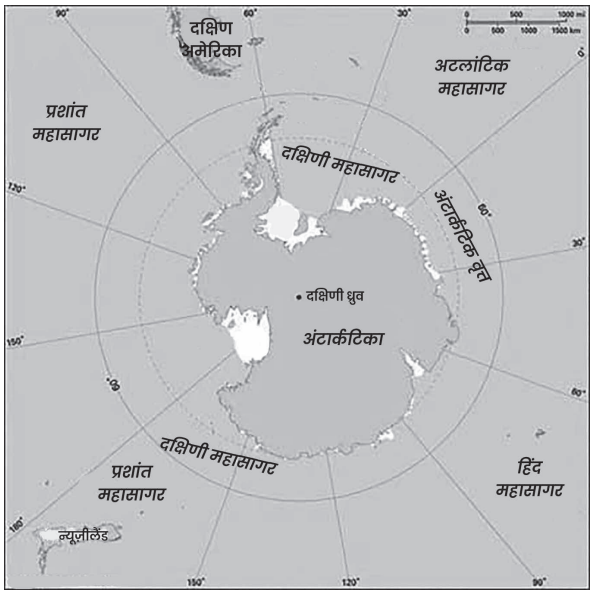

दक्षिणी महासागर का महत्व

- दक्षिणी महासागर एक **प्रमुख वैश्विक कार्बन सिंक** के रूप में कार्य करता है, जो वायुमंडल से बड़ी मात्रा में **मानव-उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड** को अवशोषित करता है।
- ठंडे और अपेक्षाकृत ताजे सतही जल की उपस्थिति एक **स्तरीकृत महासागरीय संरचना** बनाती है, जो गहरे स्तरों से कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को सीमित करती है।
- **स्तरीकरण, महासागरीय परिसंचरण, पवन पैटर्न या मीठे पानी के प्रवाह** में छोटे-छोटे परिवर्तन भी यह तय कर सकते हैं कि महासागर **कार्बन सिंक** के रूप में कार्य करेगा या **कार्बन स्रोत** के रूप में।

जलवायु मॉडल पूर्वानुमान

- जलवायु मॉडलों ने अनुमान लगाया था कि बढ़ती **ग्रीनहाउस गैसों की सांद्रता** और **ओज़ोन क्षरण** से दक्षिणी गोलार्ध में **पश्चिमी पवनों** की तीव्रता बढ़ेगी।
- अधिक मजबूत पश्चिमी पवनों से दक्षिणी महासागर में **कार्बन-समृद्ध गहरे जल के उत्लवण** में वृद्धि होने की संभावना जताई गई थी।
- गहरे जल और वायुमंडल के बीच बढ़े हुए संपर्क से **कार्बन डाइऑक्साइड के अधिक उत्सर्जन** (outgassing) की आशंका थी।
- परिणामस्वरूप, मॉडलों ने **दक्षिणी महासागर के कार्बन सिंक के कमजोर होने** की भविष्यवाणी की थी, जिससे **वैश्विक तापन** बढ़ सकता था।

देखी गई कार्बन अवशोषण (Carbon Uptake) विसंगति

- 2000 के दशक की शुरुआत से प्राप्त प्रेक्षणीय आंकड़ों से पता चलता है कि दक्षिणी महासागर ने मॉडलों की अपेक्षा **अधिक कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित किया है**।
- **हाइड्रोग्राफिक मापनों** से ज्ञात हुआ है कि **परिध्रुवीय डीप वाटर लगभग 40 मीटर ऊपर** उठ चुका है (1990 के दशक से)।
- गहरे जल के ऊपर उठने से **उपसतही CO_2 दबाव** में लगभग **10 माइक्रोएटमॉस्फियर** की वृद्धि हुई है।
- इन परिवर्तनों के बावजूद, महासागर की सतह से वायुमंडल में **CO_2 उत्सर्जन में समानुपाती वृद्धि नहीं हुई है।**

जलवायु मॉडलों में अनुपस्थित प्रक्रियाएँ

- इस असामान्यता को महासागर की सतह पर बनी **कम सघन मीठे पानी की परत** से समझाया गया है।
- अधिक **वर्षा, समुद्री बर्फ का परिवहन**, और **अंटार्कटिक हिमनदों के पिघलने** से दक्षिणी महासागर की सतह पर ताजे पानी की मात्रा बढ़ी है।
- ताजा सतही जल कम घनत्व वाला होता है, जिससे **ऊर्ध्वाधर स्तरीकरण** मजबूत होता है और **ऊर्ध्वाधर मिश्रण** सीमित हो जाता है।
- परिणामस्वरूप, **कार्बन-समृद्ध गहरा जल 100–200 मीटर की गहराई में अवरुद्ध रहता है,** जिससे CO_2 का वायुमंडल में उत्सर्जन रुक जाता है।
- जलवायु मॉडल इस प्रक्रिया का सही अनुकरण नहीं कर पाते क्योंकि **मेसोस्केल एडीज़** (mesoscale eddies) और **आइस-शेल्फ कैविटी डायनेमिक्स** अत्यंत जटिल हैं।
- **लगातार, वर्ष-भर के अवलोकनों की कमी** भी मॉडलों की सटीकता को कम करती है।

विसंगति (एनोमली) का अस्थायी स्वरूप

- हाल के अवलोकनों से संकेत मिलता है कि **2010 के शुरुआती वर्षों से सतही स्तरीकरण कमजोर पड़ने लगा है।**
- दक्षिणी महासागर के कुछ हिस्सों में **सतही लवणता** बढ़ने से संकेत मिलता है कि ताजे पानी की परत क्षीण हो रही है।
- **मजबूत पश्चिमी पवनें** जल्द ही गहराई तक प्रवेश कर सकती हैं और **गर्म, लवणीय, कार्बन-समृद्ध जल** को सतह से मिला सकती हैं।
- यदि ऐसा हुआ, तो दक्षिणी महासागर **कार्बन सिंक से कार्बन स्रोत** में परिवर्तित हो सकता है।

जलवायु विज्ञान और नीति के लिए महत्व

- ये निष्कर्ष **जलवायु मॉडलों को गलत सिद्ध नहीं करते,** बल्कि महासागरीय प्रक्रियाओं के **बेहतर निरूपण** की आवश्यकता को दर्शाते हैं।
- जलवायु मॉडल अब भी **प्रणालीगत कमजोरियों की पहचान** और **नीति-निर्माण हेतु प्रासंगिक पूर्वानुमान** देने के लिए आवश्यक हैं।

- **मॉडल पूर्वानुमानों और वास्तविक अवलोकनों के बीच अंतःक्रिया** भविष्य के जलवायु अनुमानों को अधिक सटीक बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- **दक्षिणी महासागर की सतत निगरानी** वैश्विक कार्बन चक्र में दीर्घकालिक परिवर्तनों को समझने के लिए अनिवार्य है।

निष्कर्ष

दक्षिणी महासागर की कार्बन विसंगति यह दर्शाती है कि **जटिल फीडबैक तंत्र** किस प्रकार अस्थायी रूप से अंतर्निहित **जलवायु कमजोरियों** को छिपा सकते हैं। हालाँकि मॉडलों ने **गहरे जल के उत्स्रवण** की सही भविष्यवाणी की थी, लेकिन उन्होंने **मीठे पानी से प्रेरित स्तरीकरण** की भूमिका को कम आँका। जैसे-जैसे यह स्थिरकारी परत कमजोर होगी, **कार्बन सिंक की क्षमता में अपेक्षित गिरावट** पुनः उभर सकती है, जिसके **वैश्विक जलवायु स्थिरता** पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेंगे।

सुबनसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना

चर्चा में क्यों: केंद्रीय विद्युत, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल ने 2000 मेगावाट की सुबनसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना की यूनिट–2 (250 मेगावाट) का वाणिज्यिक संचालन उद्घाटित किया। यह भारत के नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास तथा नेट ज़ीरो लक्ष्यों की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस परियोजना को NHPC लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है और यह भारत की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना है।

सुबनसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना के बारे में

- सुबनसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना की कुल स्थापित क्षमता **2000 मेगावाट** है, जिसमें **250 मेगावाट की 8 इकाइयाँ** शामिल हैं।
- यह एक **रन-ऑफ-द-रिवर (RoR)** योजना के रूप में डिज़ाइन की गई है, जिसमें छोटा जलाशय है, जिससे न्यूनतम डूब क्षेत्र सुनिश्चित होता है और विद्युत उत्पादन संभव होता है।
- यह परियोजना **सुबनसिरी नदी** पर स्थित है, जो **ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी** है, और **अरुणाचल प्रदेश तथा असम** में फैली हुई है।
- पूर्ण रूप से चालू होने पर यह परियोजना प्रतिवर्ष लगभग **7,422 मिलियन यूनिट (MU)** नवीकरणीय बिजली का उत्पादन करेगी।

स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु लक्ष्यों के लिए महत्व

- यह परियोजना **नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाकर** भारत के स्वच्छ और सतत ऊर्जा पोर्टफोलियो को सुदृढ़ बनाती है।
- यह **जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन पर निर्भरता घटाकर** भारत की **नेट ज़ीरो उत्सर्जन** प्रतिबद्धता को समर्थन देती है।
- जलविद्युत परियोजना **विश्वसनीय बेस-लोड नवीकरणीय ऊर्जा** प्रदान कर ग्रिड स्थिरता में योगदान देती है।
- यह भारत के ऊर्जा मिश्रण में विविधता लाकर **ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़** करती है।

इंजीनियरिंग और तकनीकी विशेषताएँ

- इस परियोजना में **पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बांध** शामिल है — **116 मीटर ऊँचा कंक्रीट ग्रैविटी डैम**।
- बिजली उत्पादन हेतु इसमें **आठ हेड रेस टनल (HRTs)** का उपयोग किया गया है।
- परियोजना में **भारत के सबसे बड़े हाइड्रो जनरेटर रोटर, सबसे बड़े स्टेटर**, और **सबसे बड़े मेन इनलेट वाल्व** लगाए गए हैं।
- इसमें **भारत का सबसे बड़ा एग्रीगेट प्रोसेसिंग प्लांट, सबसे अधिक क्षमता वाला बैचिंग प्लांट**, तथा बांध निर्माण के लिए **Rotec की टावर बेल्ट तकनीक का पहली बार उपयोग** किया गया है।

बाढ़ नियंत्रण और जल प्रबंधन

- सुबनसिरी लोअर परियोजना **सुबनसिरी नदी पर पहला कैस्केडेड बांध** है।
- यह **442 मिलियन घन मीटर** की बाढ़ अवरोध क्षमता प्रदान करता है, जिससे डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में बाढ़ की तीव्रता कम होती है।
- बांध में **1,365 मिलियन घन मीटर** का सकल जलाशय भंडारण है, जिसमें से लगभग **एक-तिहाई हिस्सा बाढ़ के समय अतिरिक्त जल को समाहित करने हेतु खाली रखा जाता है**।
- ये विशेषताएँ **बाढ़ नियंत्रण, जल विनियमन और नदी बेसिन प्रबंधन** को सुदृढ़ बनाती हैं।

उत्तर-पूर्व के लिए सामाजिक-आर्थिक लाभ

- यह परियोजना **उत्तर-पूर्व में बिजली उपलब्धता को सुदृढ़ करती है**, जिसमें से **1,000 मेगावाट** क्षेत्र के लिए आवंटित है।
- यह **अरुणाचल प्रदेश और असम को निःशुल्क बिजली आवंटन** प्रदान करती है।
- निर्माण अवधि के दौरान परियोजना से प्रतिदिन लगभग **7,000 स्थानीय लोगों को रोजगार** मिला, जिससे रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर सृजित हुए।
- विश्वसनीय बिजली की उपलब्धता से **लघु उद्योगों को बढ़ावा, पलायन में कमी**, और **क्षेत्रीय आर्थिक विकास** को गति मिलने की संभावना है।
- यह परियोजना **पर्यटन को बढ़ावा देने** और **नदी नौवहन में सुधार** करने में भी सहायक होगी।

नदी संरक्षण और पर्यावरणीय उपाय

- NHPC ने सुबनसिरी नदी के किनारे **व्यापक तट संरक्षण और कटाव नियंत्रण कार्य** किए हैं।
- संरक्षण उपायों को **30 किमी डाउनस्ट्रीम तक पूरा किया गया है**, तथा इन्हें **60 किमी तक विस्तारित किया गया है**, जिसमें लगभग **₹522 करोड़** का निवेश किया गया है।
- इन उपायों से पिछले **पाँच वर्षों से अधिक समय से नदी तट स्थिर बने हुए हैं**, जिससे **पर्यावरणीय स्थिरता और समुदाय की सुरक्षा** सुनिश्चित हुई है।

समुदाय विकास और CSR पहल

- NHPC ने अरुणाचल प्रदेश और असम में **कॉरपोरेट सोशल उत्तरदायित्व (CSR)** गतिविधियों के तहत लगभग **₹155 करोड़** का निवेश किया है।
- प्रमुख पहलों में **स्वच्छ विद्यालय अभियान** के अंतर्गत **3,129 शौचालयों का निर्माण** शामिल है।
- **विवेकानंद केंद्र विद्यालय** डोलुंगमुख में स्थापित किया गया है, जिससे **250 विद्यार्थियों** को लाभ हुआ है।
- **1,841 स्थानों** पर सुरक्षित पेयजल सुविधाएँ प्रदान की गई हैं, साथ ही आरओ जल और स्वच्छता सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं।
- **पशुपालन, रेशम उत्पादन और हथकरघा** से जुड़े आजीविका कार्यक्रम IRMA के सहयोग से विकसित किए गए हैं, जिससे लगभग **5,000 महिला किसानों** को लाभ मिला है।

विद्युत वितरण और राष्ट्रीय ग्रिड पर प्रभाव

- इस परियोजना से उत्पादित बिजली भारत के **16 लाभार्थी राज्यों** को आपूर्ति की जाएगी।
- यह परियोजना **राष्ट्रीय ग्रिड की मजबूती** और **क्षेत्रीय बिजली हस्तांतरण क्षमता** को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगी।
- उत्तर-पूर्व को राष्ट्रीय पावर ग्रिड से जोड़कर यह **संतुलित क्षेत्रीय विकास** को बढ़ावा देती है।

भारत के ऊर्जा संक्रमण में NHPC की भूमिका

- NHPC की स्थापित क्षमता **30 विद्युत स्टेशनों से 8,333 मेगावाट** है।
- इसके **14 प्रोजेक्ट (9,704 मेगावाट)** वर्तमान में निर्माणाधीन हैं।
- NHPC ने **सौर, पवन और ग्रीन हाइड्रोजन** क्षेत्रों में विविधीकरण किया है, जिससे यह **100% ग्रीन एनर्जी कंपनी** के रूप में उभर रही है।
- सुबनसिरी लोअर परियोजना **कठिन और पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों** में परियोजनाओं के क्रियान्वयन में NHPC की विशेषज्ञता को दर्शाती है।

समुदाय विकास और CSR पहल

- NHPC ने अरुणाचल प्रदेश और असम में **कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR)** गतिविधियों के तहत लगभग **₹155 करोड़** का निवेश किया है।
- प्रमुख पहलों में **स्वच्छ विद्यालय अभियान** के अंतर्गत **3,129 शौचालयों का निर्माण** शामिल है।
- **विवेकानंद केंद्र विद्यालय** डोलुंगमुख में स्थापित किया गया है, जिससे **250 विद्यार्थियों** को लाभ हुआ है।
- **1,841 स्थानों** पर सुरक्षित पेयजल सुविधाएँ प्रदान की गई हैं, साथ ही आरओ जल और स्वच्छता सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं।
- **पशुपालन, रेशम उत्पादन (sericulture) और हथकरघा** से जुड़े आजीविका कार्यक्रम IRMA के सहयोग से विकसित किए गए हैं, जिससे लगभग **5,000 महिला किसानों** को लाभ मिला है।

विद्युत वितरण और राष्ट्रीय ग्रिड पर प्रभाव

- इस परियोजना से उत्पादित बिजली भारत के **16 लाभार्थी राज्यों** को आपूर्ति की जाएगी।
- यह परियोजना **राष्ट्रीय ग्रिड की मजबूती** और **क्षेत्रीय बिजली हस्तांतरण क्षमता** को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगी।
- उत्तर-पूर्व को राष्ट्रीय पावर ग्रिड से जोड़कर यह **संतुलित क्षेत्रीय विकास** को बढ़ावा देती है।

भारत के ऊर्जा संक्रमण में NHPC की भूमिका

- NHPC की स्थापित क्षमता **30 विद्युत स्टेशनों से 8,333 मेगावाट** है।
- इसके **14 प्रोजेक्ट (9,704 मेगावाट)** वर्तमान में निर्माणाधीन हैं।
- NHPC ने **सौर, पवन और ग्रीन हाइड्रोजन** क्षेत्रों में विविधीकरण किया है, जिससे यह **100% ग्रीन एनर्जी कंपनी** के रूप में उभर रही है।
- सुबनसिरी लोअर परियोजना **कठिन और पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों** में परियोजनाओं के क्रियान्वयन में NHPC की विशेषज्ञता को दर्शाती है।

निष्कर्ष

सुबनसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना की यूनिट–2 का संचालन प्रारंभ होना भारत की **नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता**, **उत्तर-पूर्व के विकास**, और **जलवायु प्रतिबद्धताओं** को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण और समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास को एक साथ जोड़ते हुए, यह परियोजना **सतत अवसंरचना विकास का एक समग्र मॉडल** प्रस्तुत करती है, जो भारत के दीर्घकालिक ऊर्जा और पर्यावरणीय लक्ष्यों के अनुरूप है।

इकाई 5

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

DHRUV64

चर्चा में क्यों: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY) ने स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर DHRUV64 के लॉन्च की घोषणा की है।

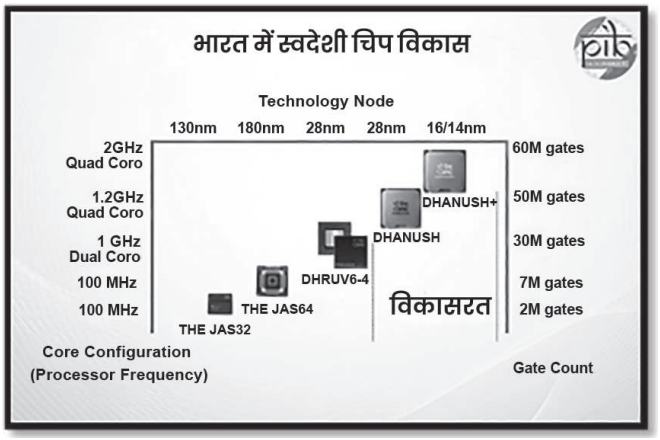

DHRUV64 क्या है?

- DHRUV64 एक पूर्णतः स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर है, जिसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (C-DAC) द्वारा MEITY के माइक्रोप्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत विकसित किया गया है।
- इसे एक सामान्य-उद्देश्य प्रोसेसर के रूप में डिजाइन किया गया है, जो उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर औद्योगिक स्वचालन तक के अनुप्रयोगों को सपोर्ट करता है।
- यह प्रोसेसर भारत के स्वदेशी प्रोसेसर इकोसिस्टम को मजबूत करने में एक प्रमुख घटक के रूप में स्थापित किया गया है।

DHRUV64 की प्रमुख तकनीकी विशेषताएँ

- DHRUV64 एक 64-बिट, ड्यूल-कोर प्रोसेसर है, जो 1 GHz की क्लॉक स्पीड पर कार्य करता है।
- यह प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने में सक्षम है, साथ ही एम्बेडेड सिस्टम डिप्लॉयमेंट के लिए भी ऊर्जा-कुशल है।
- इसकी आर्किटेक्चर इसे साधारण कंट्रोल चिप्स से ऊपर लेकिन स्मार्टफोन और लैपटॉप में उपयोग होने वाले हाई-एंड कंज़्यूमर प्रोसेसर से नीचे स्थान देती है।

64-बिट आर्किटेक्चर का महत्व

- 64-बिट प्रोसेसर डिजाइन आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम और समकालीन सॉफ्टवेयर स्टैक्स को सपोर्ट करने की अनुमति देता है।
- ऐसे प्रोसेसर सामान्यतः मल्टीटास्किंग, मेमोरी-इंटेंसिव ऑपरेशंस और दीर्घकालिक सॉफ्टवेयर सपोर्ट से जुड़े अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक होते हैं।
- इसलिए, DHRUV64 का लक्ष्य उपभोक्ता फ्लैगशिप डिवाइसेज़ की बजाय औद्योगिक-ग्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर-आधारित अनुप्रयोग हैं।

वैश्विक स्तर पर DHRUV64 की तुलना कैसे की जाती है?

- वैश्विक टॉप-टियर प्रोसेसरों की तुलना में DHRUV64 का प्रदर्शन मध्यम है, जिनमें उच्च क्लॉक स्पीड, मल्टीपल कोर और GPU व AI एक्सेलेरेटर जैसी विशेष यूनिट्स होती हैं।
- हालांकि, दूरसंचार, औद्योगिक नियंत्रक, राउटर्स और ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पीक परफॉर्मेंस की बजाय विश्वसनीयता, स्थिरता और हार्डवेयर-सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन को प्राथमिकता दी जाती है।
- ये क्षेत्र DHRUV64 के लिए प्राथमिक लक्ष्य बाजार का प्रतिनिधित्व करते हैं।

स्वदेशी प्रोसेसरों का रणनीतिक महत्व

- प्रोसेसर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का आधार होते हैं, जो टेलीकॉम नेटवर्क से लेकर औद्योगिक नियंत्रण प्रणालियों तक फैले होते हैं।
- प्रोसेसर डिजाइन, टूलचेन और अपडेट मैकेनिज़्म पर नियंत्रण सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा और जियोपॉलिटिकल व्यवधानों या निर्यात प्रतिबंधों के प्रति लचीलापन सुनिश्चित करता है।
- DHRUV64 इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत के रणनीतिक आत्मनिर्भरता के लक्ष्य में योगदान देता है।

भारत का स्वदेशी प्रोसेसर इकोसिस्टम

- DHRUV64, MEITY द्वारा समर्थित व्यापक भारतीय प्रोसेसर इकोसिस्टम का हिस्सा है।
- अन्य स्वदेशी प्रोसेसरों में SHAKTI (IIT Madras), AJIT (IIT Bombay), VIKRAM (ISRO-SCL) और THEJAS64 (C-DAC) शामिल हैं।
- ये प्रोसेसर रणनीतिक प्रणालियों, अंतरिक्ष अनुप्रयोगों, फैक्ट्री ऑटोमेशन और महत्वपूर्ण अवसंरचना की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

डिजिटल इंडिया RISC-V (DIR-V) प्रोग्राम

- DHRUV64 को डिजिटल इंडिया RISC-V (DIR-V) प्रोग्राम के अंतर्गत विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य पोर्टफोलियो आधारित RISC-V प्रोसेसर तैयार करना है।
- THEJAS32 पहला DIR-V चिप था जिसे विदेश में निर्मित किया गया, जबकि THEJAS64 का निर्माण SCL मोहाली में किया गया।
- DHRUV64 इस श्रृंखला का तीसरा प्रोसेसर है, हालांकि इसके निर्माण स्थान (fabrication location) से संबंधित विवरण सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।

RISC-V क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है?

- RISC-V एक ओपन-सोर्स इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर (ISA) है, जो यह परिभाषित करता है कि प्रोसेसर कमांड्स को कैसे निष्पादित करते हैं।
- प्रोप्राइटरी ISA के विपरीत, RISC-V में लाइसेंस शुल्क की आवश्यकता नहीं होती, जिससे यह सरकारों, अकादमिक संस्थानों और स्टार्टअप्स के लिए आकर्षक बनता है।
- इसका मॉड्यूलर डिज़ाइन अलग-अलग उपयोग मामलों के अनुसार

कस्टमाइज़ेशन की अनुमति देता है, जबकि एक समान बेस आर्किटेक्चर बनाए रखता है।

- यह ओपननेस नवाचार, लागत में कमी और दीर्घकालिक संप्रभुता को समर्थन देती है।

भविष्य की रूपरेखा: DHANUSH और DHANUSH+

- C-DAC अगली पीढ़ी के प्रोसेसर विकसित कर रहा है, जिनका नाम DHANUSH और DHANUSH+ है।
- DHANUSH से 1.2 GHz क्वाड-कोर प्रोसेसर होने की संभावना है, जबकि DHANUSH+ के 2 GHz पर चार कोर के साथ काम करने का अनुमान है।
- रिपोर्ट्स के अनुसार, DHANUSH में 28 nm प्रोसेस नोड का उपयोग हो सकता है, जबकि DHANUSH+ 14 या 16 nm टेक्नोलॉजी पर जा सकता है।
- हालांकि, MEITY ने आधिकारिक रूप से यह स्पष्ट नहीं किया है कि ये प्रोसेसर DHRUV64 से किस प्रकार बेहतर होंगे।

सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को समर्थन देने वाली पहलें

- भारत ने सेमीकंडक्टर डिजाइन और इनोवेशन को समर्थन देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।
- Chips to Startup (C2S) प्रोग्राम का उद्देश्य पाँच वर्षों में ₹250 करोड़ के परिव्यय से प्रतिभा को प्रशिक्षित करना है।
- डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव (DLI) योजना घरेलू चिप डिजाइन कंपनियों को समर्थन देती है।
- INUP-i2i पहल नैनोफैब्रिकेशन सुविधाओं तक पहुंच में सुधार करती है।
- इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत, छह राज्यों में 10 परियोजनाओं को ₹1.6 लाख करोड़ के निवेश के साथ स्वीकृति दी गई है।

आगे की राह

- DHRUV64 के लिए सरकार की रणनीति सिस्टम-ऑन-चिप (SoC) फैमिली के निर्माण, सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम को बेहतर बनाने और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग व टेस्टिंग क्षमता को मजबूत करने पर केंद्रित है।
- दीर्घकालिक उद्देश्य यह है कि भारतीय उपभोक्ता और उद्योग बिना अत्यधिक लागत या तकनीकी जोखिम के भारतीय चिप्स को अपनाएं।
- DHRUV64 एक महत्वपूर्ण आधारभूत कदम है, लेकिन निरंतर प्रगति इकोसिस्टम विकास, पारदर्शिता और बाजार में स्वीकृति पर निर्भर करेगी।

डॉप्लर वेदर रडार (DWRs)

चर्चा में क्यों: भारत में चक्रवात, बादल फटना, भारी वर्षा, हिमपात और आंधी-तूफान जैसी चरम मौसम घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ रही है। इस संदर्भ में, पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने शीतकालीन सत्र के दौरान संसद को बताया कि वर्तमान में भारत में 47 डॉप्लर वेदर रडार (DWRs) स्थापित हैं, जो देश के 87% भौगोलिक क्षेत्र को कवर करते हैं।

भारत में डॉप्लर वेदर रडार की वर्तमान स्थिति

- भारत में वर्तमान में मौसम निगरानी और पूर्वानुमान के लिए 47 **डॉप्लर वेदर रडार (DWRs)** संचालित किए जा रहे हैं।
- इन रडारों का प्रबंधन मुख्य रूप से **भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD)** द्वारा किया जाता है।
- सरकार ने **पूर्ण राष्ट्रीय कवरेज** प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त DWRs स्थापित करने की योजना की घोषणा की है।

पहाड़ी और हिमालयी क्षेत्रों में निगरानी को मजबूत करना

- हाल के वर्षों में **पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों** में अवलोकन और निगरानी नेटवर्क को काफी मजबूत किया गया है।
- **पश्चिमी हिमालयी राज्यों** में 10 डॉप्लर वेदर रडार स्थापित किए गए हैं, जिनमें श्रीनगर, जम्मू, बनिहाल टॉप, मुक्तेश्वर, सुरकंडा देवी, लैंसडाउन, लेह, कुफरी, जोत और मुरारी देवी शामिल हैं।
- ये रडार पूरी तरह से कार्यरत हैं और **रीयल-टाइम मॉनिटरिंग** तथा **नाउकास्टिंग (nowcasting)** को सपोर्ट करते हैं, जो कुछ घंटों की अल्पकालिक भविष्यवाणी को दर्शाता है।
- ये भारी वर्षा, हिमपात, क्लाउडबर्स्ट और अन्य चरम मौसम घटनाओं की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

डॉप्लर वेदर रडार (DWRs) क्या हैं?

- डॉप्लर वेदर रडार उन्नत मौसम विज्ञान उपकरण हैं, जिनका उपयोग वर्षा, बादलों की गति और तूफानी प्रणालियों का पता लगाने व ट्रैक करने के लिए किया जाता है।
- ये एंटीना से रेडियो वेव्स उत्सर्जित करते हैं, जो वर्षा की बूंदों, हिमकणों या ओलों जैसी वस्तुओं से टकराकर बिखर जाती हैं।
- इस ऊर्जा का एक भाग वापस रडार तक परावर्तित होता है, जिससे मौसम वैज्ञानिक वायुमंडलीय परिस्थितियों का विश्लेषण कर पाते हैं।

वेदर रडार का मूल कार्य सिद्धांत

- रडार उस समय को मापता है, जो रेडियो वेव को किसी वस्तु तक जाकर वापस आने में लगता है, जिससे रडार से वर्षा की दूरी का पता चलता है।
- लौटने वाले सिग्नल की शक्ति वस्तुओं के आकार और घनत्व पर निर्भर करती है, जिससे वर्षा की तीव्रता का अनुमान लगाया जा सकता है।
- इससे मौसम वैज्ञानिक वायुमंडल में वर्षा के पैटर्न को "देख" सकते हैं।

डॉप्लर वेदर रडार को विशेष क्या बनाता है?

- डॉप्लर वेदर रडार न केवल मौसम प्रणालियों का स्थान बताते हैं, बल्कि उनकी **गति और दिशा** भी निर्धारित करते हैं।
- यह ट्रांसमिट की गई रेडियो वेव और प्राप्त इको (echo) के बीच **फेज़ शिफ्ट** का विश्लेषण करके किया जाता है।
- इस परिवर्तन को मापकर कंप्यूटर यह निर्धारित कर सकते हैं कि वर्षा रडार की ओर आ रही है या उससे दूर जा रही है।
- यह क्षमता तूफान की दिशा, पवन पैटर्न और संभावित तीव्रता की पहचान के लिए अत्यंत आवश्यक है।

डॉप्लर प्रभाव और उसकी भूमिका

- डॉप्लर वेदर रडार का कार्य **डॉप्लर प्रभाव (Doppler Effect)** पर आधारित है, जिसे पहली बार 19वीं शताब्दी के ऑस्ट्रियाई भौतिक विज्ञानी **क्रिश्चियन डॉप्लर** ने समझाया था।
- डॉप्लर प्रभाव यह बताता है कि जब स्रोत या पर्यवेक्षक गतिमान होता है, तो तरंगों की **आवृत्ति (frequency)** या **फेज़ (phase)** में परिवर्तन होता है।
- पास आती वस्तु तरंगों को संकुचित करती है, जिससे आवृत्ति बढ़ जाती है, जबकि दूर जाती वस्तु तरंगों को फैलाती है, जिससे आवृत्ति घट जाती है।
- इसी सिद्धांत का उपयोग DWRs द्वारा वर्षा की बूंदों और तूफानी प्रणालियों के वेग की गणना के लिए किया जाता है।

भारत में उपयोग किए जाने वाले डॉप्लर वेदर रडार के प्रकार

- भारत में निगरानी आवश्यकताओं के अनुसार **S-बैंड, C-बैंड और X-बैंड डॉप्लर वेदर रडार** का उपयोग किया जाता है।
- **S-बैंड रडार** लंबी दूरी की मौसम निगरानी के लिए उपयोग किए जाते हैं और बड़े पैमाने की प्रणालियों को ट्रैक करने में प्रभावी होते हैं।
- **C-बैंड रडार** आमतौर पर चक्रवात निगरानी और वर्षा आकलन के लिए प्रयोग किए जाते हैं।
- **X-बैंड रडार** उच्च-रिज़ॉल्यूशन सिस्टम होते हैं, जिनका उपयोग आंधी-तूफान, बिजली गिरने और अल्पकालिक चरम मौसम घटनाओं का पता लगाने के लिए किया जाता है।

कवरेज और अपडेट की आवृत्ति

- एक डॉप्लर वेदर रडार, भू-आकृति और फ्रीक्वेंसी बैंड के आधार पर, लगभग **500 किमी त्रिज्या** तक क्षेत्र को कवर कर सकता है।
- रडार ऑब्ज़र्वेशन सामान्यतः हर **10 मिनट** में अपडेट किए जाते हैं, जिससे मौसम वैज्ञानिक तेजी से बदलते मौसम तंत्र की निगरानी कर सकें।
- यह तेज़ अपडेटिंग चक्रवात, फ्लैश फ्लड और गंभीर आंधी-तूफानों के दौरान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है।

आपदा प्रबंधन में DWRs का महत्व

- डॉप्लर वेदर रडार आपदा के लिए **अर्ली वार्निंग सिस्टम** में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- ये सटीक अल्पकालिक पूर्वानुमान (short-term forecasting) में मदद करते हैं, जिससे चरम मौसम के दौरान जान-माल के नुकसान को कम किया जा सके।
- DWRs **विमानन, कृषि, शहरी बाढ़ प्रबंधन और आपदा प्रतिक्रिया योजना** जैसे क्षेत्रों को समर्थन प्रदान करते हैं।

आगे की राह

- सरकार का लक्ष्य भारत में **100% रडार कवरेज** प्राप्त करना है, जिसके लिए बिना कवरेज वाले क्षेत्रों में DWRs स्थापित किए जाएंगे।
- DWR डेटा का सैटेलाइट अवलोकन, न्यूमेरिकल वेदर मॉडल और AI-आधारित पूर्वानुमान टूल्स के साथ और अधिक एकीकरण किया जाएगा।
- रडार अवसंरचना को मजबूत करने से भारत की **जलवायु सहनशीलता (climate resilience)**, आपदा तैयारी और सार्वजनिक सुरक्षा में वृद्धि होगी।

ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 संचार उपग्रह

चर्चा में क्यों: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने LVM3-M6 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिसके तहत ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 संचार उपग्रह को निम्न पृथ्वी कक्षा (LEO) में स्थापित किया गया। यह मिशन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि इसमें भारतीय भूमि से अब तक का सबसे भारी उपग्रह प्रक्षेपित किया गया। इसने वैश्विक वाणिज्यिक प्रक्षेपण बाजार में भारत की स्थिति को मजबूत किया और गगनयान तथा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे भविष्य के मिशनों को भी समर्थन दिया।

LVM3-M6 मिशन के बारे में

- LVM3 (लॉन्च व्हीकल मार्क-3), जिसे गगनयान-श्रेणी का प्रक्षेपण यान भी कहा जाता है, ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा के दूसरे लॉन्च पैड से उड़ान भरी।
- रॉकेट ने लगभग 15 मिनट बाद ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 उपग्रह को लगभग 520 किमी ऊँचाई की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया।
- यह LVM3 का नौवाँ सफल मिशन था और श्रीहरिकोटा से किया गया 104वाँ प्रक्षेपण था।

ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 उपग्रह की प्रमुख विशेषताएँ

- लगभग **6,100 किलोग्राम** वज़न वाला ब्लूबर्ड ब्लॉक-2, अब तक ISRO द्वारा लॉन्च किया गया सबसे भारी पेलोड है।
- इसे **AST SpaceMobile (USA)** द्वारा विकसित किया गया है और यह एक वैश्विक **लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) कॉन्स्टेलेशन** का हिस्सा है।
- इस उपग्रह में **223 वर्ग मीटर का फेज़्ड-एरे एंटीना** लगा है, जो इसे LEO में तैनात अब तक का सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह बनाता है।

डायरेक्ट-टू-मोबाइल कनेक्टिविटी: इसका महत्व

- पारंपरिक उपग्रहों के विपरीत, जो ग्राउंड स्टेशनों पर निर्भर होते हैं, ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 कॉन्स्टेलेशन **डायरेक्ट-टू-मोबाइल कनेक्टिविटी** प्रदान करता है।
- यह सामान्य स्मार्टफोनों को बिना किसी विशेष हार्डवेयर के सीधे उपग्रह से जुड़ने की सुविधा देता है।
- यह नेटवर्क **4G और 5G वॉयस कॉल, वीडियो कॉल, टेक्स्ट मैसेज, डेटा सेवाएँ और स्ट्रीमिंग** को सपोर्ट करेगा, जिससे "हर जगह, हर समय, सभी के लिए" कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी।

ISRO के लिए इस मिशन का महत्व

- यह मिशन LVM3 के माध्यम से ISRO का **तीसरा वाणिज्यिक हेवी-लिफ्ट मिशन** है, जो 2022 और 2023 में हुए OneWeb उपग्रह प्रक्षेपणों के बाद आया है।
- यह प्रतिस्पर्धी लागत पर भारी उपग्रह लॉन्च करने की ISRO की क्षमता को दर्शाता है, जिससे यह SpaceX के Falcon-9 और ESA की Ariane श्रृंखला का एक मजबूत विकल्प बनता है।
- यह मिशन ISRO की तेज़ मिशन-तैयारी क्षमता को भी दर्शाता है, क्योंकि 52 दिनों के भीतर दो LVM3 प्रक्षेपण किए गए।

रिकॉर्ड तोड़ उपलब्धियाँ

- इस मिशन ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए कई रिकॉर्ड स्थापित किए।
- इसने अब तक का सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह LEO में स्थापित किया।
- यह भारतीय प्रक्षेपण यान द्वारा भारतीय धरती से लॉन्च किया गया अब तक का सबसे भारी उपग्रह था।
- ISRO ने दो किलोमीटर से भी कम की कक्षा सटीकता (orbit accuracy) हासिल की, जो वैश्विक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में से एक है।

भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम में LVM3 की भूमिका

- LVM3 को मूल रूप से जियोसिंक्रोनस मिशनों के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन बाद में इसे LEO और मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशनों के लिए उन्नत किया गया।
- यह गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिए निर्धारित लॉन्च वाहन है।
- इस वाहन को क्रू सेफ्टी, रिडंडेंसी सिस्टम और अधिक पेलोड क्षमता के लिए और अधिक अनुकूलित किया जा रहा है।

इंजन अनुकूलन और भविष्य के उन्नयन

- ISRO क्रायोजेनिक अपर स्टेज (C25) की थ्रस्ट क्षमता बढ़ाने पर काम कर रहा है, जो वर्तमान में 28,000 किलोग्राम प्रोपेलेंट से 20 टन थ्रस्ट उत्पन्न करता है।
- एक नया C32 क्रायोजेनिक स्टेज विकसित किया जा रहा है, जो 32,000 किलोग्राम ईंधन वहन करेगा और 22 टन थ्रस्ट उत्पन्न करेगा।
- एजेंसी एक सेमी-क्रायोजेनिक इंजन भी विकसित कर रही है, जो रिफाइंड केरोसिन और लिक्विड ऑक्सीजन का उपयोग करेगा तथा वर्तमान लिक्विड-प्रोपेलेंट सेकंड स्टेज का स्थान लेगा।

बूटस्ट्रैप रीइग्निशन टेक्नोलॉजी

- ISRO क्रायोजेनिक इंजनों के लिए **बूटस्ट्रैप रीइग्निशन क्षमता** विकसित कर रहा है।
- यह तकनीक अपर स्टेज इंजन को बिना हीलियम जैसी बाहरी गैसों के पुनः चालू करने की अनुमति देती है।
- इससे ईंधन दक्षता बढ़ती है, वाहन का भार कम होता है और विभिन्न कक्षाओं में कई उपग्रह तैनात करने की क्षमता बढ़ती है, जो विशेष रूप से LEO कॉन्स्टेलेशन के लिए उपयोगी है।

वाणिज्यिक और रणनीतिक महत्व

- यह LVM3 का उपयोग करते हुए किसी अमेरिकी ग्राहक के लिए किया गया पहला समर्पित वाणिज्यिक प्रक्षेपण था।
- इस मिशन के साथ, ISRO अब तक 34 देशों के लिए 434 उपग्रह लॉन्च कर चुका है, जिससे अंतरिक्ष कूटनीति और वाणिज्यिक अंतरिक्ष सेवाओं में भारत की भूमिका मजबूत हुई है।
- यह मिशन आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के अनुरूप है और वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने में सहायक है।

आगे की राह (Way Forward)

- LVM3 आने वाले मिशनों में केंद्रीय भूमिका निभाएगा, जिनमें मानवरहित और मानवयुक्त गगनयान मिशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मॉड्यूल की तैनाती, और विस्तारित वाणिज्यिक उपग्रह प्रक्षेपण शामिल हैं।
- इंजन उन्नयन और पेलोड क्षमता में वृद्धि भारत को वैश्विक स्तर पर एक प्रतिस्पर्धी **हेवी-लिफ्ट लॉन्च सेवा प्रदाता** बनाएगी।
- यह मिशन भारत के एक क्षेत्रीय अंतरिक्ष शक्ति से वैश्विक अंतरिक्ष नेता बनने की दिशा में परिवर्तन को दर्शाता है।

अलकनंदा गैलेक्सी

चर्चा में क्यों: भारतीय खगोलविदों ने **जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST)** का उपयोग करते हुए अलकनंदा नामक आकाशगंगा की खोज की है, जो अब तक ज्ञात सबसे प्राचीन और सबसे दूर स्थित सर्पिल (spiral) आकाशगंगाओं में से एक है। यह आकाशगंगा उस समय अस्तित्व में थी जब ब्रह्मांड की आयु केवल लगभग **1.5 अरब वर्ष** थी, एक ऐसा समय जब आकाशगंगाओं को अव्यवस्थित, अशांत और कम संरचित माना जाता है।

अलकनंदा की खोज

- इस आकाशगंगा की पहचान **UNCOVER सर्वे** के तहत उपलब्ध सार्वजनिक JWST डेटा के विश्लेषण के दौरान की गई।
- इस सर्वे में लगभग **70,000 खगोलीय पिंड** शामिल हैं।
- अलकनंदा विशेष रूप से इसलिए अलग दिखी क्योंकि इसमें **पूरी तरह सममित सर्पिल भुजाएँ** पाई गईं, जो इतने प्रारंभिक ब्रह्मांड में दुर्लभ मानी जाती हैं।
- यह खोज आकस्मिक (serendipitous) थी और उच्च-रिज़ॉल्यूशन JWST डेटा तथा सूक्ष्म मॉर्फोलॉजिकल विश्लेषण की क्षमता को दर्शाती है।

अलकनंदा की प्रमुख भौतिक विशेषताएँ

- अलकनंदा में एक सुविकसित डिस्क, दो स्पष्ट सर्पिल भुजाएँ और एक छोटा केंद्रीय उभार (bulge) है।
- इस आकाशगंगा का व्यास लगभग **30,000 प्रकाश-वर्ष** है, जो संरचना में आकाशगंगा के समान है।
- इसकी सर्पिल भुजाओं में तीव्र तारा निर्माण हो रहा है, जिसकी दर लगभग **60 सौर द्रव्यमान प्रति वर्ष** है, जो इसे एक पूर्ण विकसित सर्पिल आकाशगंगा सिद्ध करता है।

अलकनंदा मौजूदा आकाशगंगा निर्माण मॉडलों को क्यों चुनौती देती है

- वर्तमान ब्रह्मांडीय मॉडल के अनुसार, स्थिर घूर्णन डिस्क और सर्पिल भुजाओं के निर्माण में कई अरब वर्ष लगते हैं।
- लेकिन अलकनंदा उस समय बनी थी जब ब्रह्मांड की आयु केवल **1.5 अरब वर्ष** थी, जो लगभग $z \approx 4$ रेडशिफ्ट के अनुरूप है।
- यह मौजूदा सिमुलेशनों के विपरीत है, क्योंकि वे इतनी प्रारंभिक अवस्था में अत्यधिक संरचित सर्पिल आकाशगंगाओं का निर्माण नहीं दर्शाते।

अलकनंदा के प्रारंभिक निर्माण के संभावित कारण

- एक व्याख्या यह है कि अलकनंदा ने ठंडी गैस को धीरे-धीरे संचित किया, जिससे वह एक **स्थिर घूर्णन डिस्क** में विकसित हो गई, जहाँ घनत्व तरंगों से सर्पिल भुजाएँ बनीं।
- एक अन्य संभावना यह है कि आकाशगंगा ने किसी **छोटी सहायक आकाशगंगा** के साथ अंतःक्रिया की या उसका विलय हुआ, जिससे सर्पिल भुजाओं का निर्माण हुआ।
- खगोलविदों का मानना है कि कुछ **अज्ञात त्वरक कारकों** ने इसकी संरचना के तीव्र विकास में भूमिका निभाई हो सकती है।

रेडशिफ्ट ($z \approx 4$) का वैज्ञानिक महत्व

- रेडशिफ्ट (z) यह मापता है कि ब्रह्मांड के विस्तार के कारण प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी बढ़ गई है।
- लगभग $z \approx 4$ का रेडशिफ्ट दर्शाता है कि यह आकाशगंगा हमें **12 अरब वर्ष से अधिक पहले** की अवस्था में दिखाई देती है।
- ऐसे अवलोकन वैज्ञानिकों को प्रारंभिक आकाशगंगा विकास का अध्ययन करने और ब्रह्मांडीय सिमुलेशनों की जाँच करने में सहायता करते हैं।

अध्ययन में प्रयुक्त कार्यप्रणाली

- शोधकर्ताओं ने **फोटोमेट्रिक विश्लेषण** का उपयोग किया, जिसमें विभिन्न तरंगदैर्घ्यों पर आकाशगंगा की चमक को मापा गया।
- इन आँकड़ों के आधार पर आकाशगंगा का **ऊर्जा वितरण** पुनर्निर्मित किया गया, जिससे रेडशिफ्ट, तारकीय द्रव्यमान और तारा-निर्माण इतिहास का अनुमान लगाया गया।
- निष्कर्षों को मजबूत माना गया क्योंकि टीम ने **तीन स्वतंत्र रेडशिफ्ट मापन** किए।

भविष्य के अवलोकनों की आवश्यकता

- विशेषज्ञों ने अलकनंदा की सर्पिल प्रकृति की पुष्टि के लिए **स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा**, जैसे JWST का **इंटीग्रल फील्ड यूनिट (IFU)**, उपयोग करने का सुझाव दिया है।
- भविष्य में JWST या **अटाकामा लार्ज मिलीमीटर/सबमिलीमीटर एरे**

(ALMA) से किए जाने वाले अवलोकन इसकी सर्पिल भुजाओं के निर्माण तंत्र को समझने में मदद कर सकते हैं।

- ऐसे अध्ययन आकाशगंगा निर्माण के मॉडलों को और अधिक सटीक बनाने में सहायक होंगे।

भारतीय खगोल विज्ञान के लिए महत्व

- यह खोज वैश्विक स्तर के खगोल विज्ञान अनुसंधान में **भारतीय वैज्ञानिकों के महत्वपूर्ण योगदान** को दर्शाती है।
- अब तक भारत की भागीदारी अपेक्षाकृत सीमित रही है, जिसका कारण कम शोध जनशक्ति, कम फंडिंग और बड़े अंतरराष्ट्रीय सहयोगों की कमी रहा है।
- इसे दूर करने के लिए भारत **दो-स्तरीय रणनीति** अपना रहा है, जिसमें हानले में प्रस्तावित **10-मीटर ऑप्टिकल टेलीस्कोप** जैसे घरेलू बुनियादी ढाँचे का विकास और **SKA तथा LIGO** जैसी वैश्विक परियोजनाओं में भागीदारी शामिल है।

जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST): प्रमुख तथ्य

- JWST का प्रक्षेपण 25 दिसंबर 2021 को किया गया था और इसे NASA, ESA और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।
- यह ब्रह्मांड का अध्ययन बिग बैंग से लेकर आकाशगंगाओं, तारों और ग्रह प्रणालियों के निर्माण तक करता है।
- JWST ने अब तक की सबसे प्राचीन आकाशगंगाओं में से कुछ का पता लगाकर हमारी समझ को पूरी तरह बदल दिया है।

आगे की राह

- अलकनंदा की खोज प्रारंभिक ब्रह्मांडीय गतिशीलता और सर्पिल आकाशगंगाओं के विकास को समझने में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है।
- अवलोकनों और सिमुलेशनों के बीच पाए गए अंतर वैज्ञानिकों को ब्रह्मांडीय मॉडलों को और अधिक परिष्कृत करने संकेत देते हैं।
- यह खोज अग्रिम पंक्ति के खगोलीय अनुसंधान में भारत की बढ़ती भूमिका को और मजबूत करती है।

स्पॉन्ज से जुड़े सूक्ष्मजीव (Sponge-Associated Microbes)

चर्चा में क्यों: मीठे पानी के स्पॉन्ज, जो बहुकोशिकीय जीवों में सबसे प्राचीन माने जाते हैं, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बोस इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए हालिया शोध में यह सामने आया है कि ये स्पॉन्ज आर्सेनिक, सीसा और कैडमियम जैसी विषैली धातुओं के लिए **बायोइंडिकेटर** और **बायोरिमेडिएटर** दोनों के रूप में कार्य कर सकते हैं, विशेष रूप से सुंदरबन डेल्टा जैसे प्रदूषण-प्रवण क्षेत्रों में।

मुख्य निष्कर्ष

1. धातुओं का जैव-संचय:

- स्पॉन्ज में आसपास के जल की तुलना में विषैली धातुओं की कहीं अधिक मात्रा पाई गई।
- भारी धातुओं को संचित करने की उनकी क्षमता उन्हें प्रदूषित मीठे पानी की प्रणालियों में प्रभावी **जैविक निस्यंदक (फिल्टर)** बनाती है।

2. सूक्ष्मजीवी सहजीवों की भूमिका:

- स्पॉन्ज से जुड़े सूक्ष्मजीवी समुदाय कार्यात्मक रूप से ऐसे जीनों से समृद्ध पाए गए जो निम्न से संबंधित हैं:
  - ➢ धातु आयन परिवहन
  - ➢ धातु प्रतिरोध
  - ➢ एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध
- ये सूक्ष्मजीव सक्रिय रूप से जल का निर्विषीकरण (detoxification) करते हैं और स्पॉन्ज को धातु-प्रदूषित पर्यावासों में जीवित रहने में सहायता करते हैं।

3. विशिष्ट सूक्ष्मजीवी विविधता:

- स्पॉन्ज में पाए जाने वाले बैक्टीरियल समुदाय आसपास के जल से भिन्न थे और यह अंतर प्रजाति तथा पर्यावास पर निर्भर था।
- यह सुंदरबन क्षेत्र के मीठे पानी के स्पॉन्ज में बैक्टीरियल विविधता पर **पहली रिपोर्ट** है, जो नए पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण प्रदान करती है।

4. पारिस्थितिक और व्यावहारिक महत्व:

- स्पॉन्ज जल गुणवत्ता और प्रदूषण स्तर की निगरानी के लिए जैव-संकेतक (बायोइंडिकेटर) के रूप में कार्य कर सकते हैं।
- ये विशेष रूप से गंगा के मैदान की धातु-प्रदूषित नदियों में जैव-उपचार (बायोरिमेडिएशन) के लिए एक आशाजनक और संधारणीय समाधान प्रदान करते हैं।

निष्कर्ष

यह अध्ययन जल गुणवत्ता बनाए रखने और प्रदूषण से निपटने में **स्पॉन्ज–सूक्ष्मजीव संघ (sponge-microbe consortia)** के पारिस्थितिक महत्व को रेखांकित करता है। स्पॉन्ज की **जैव-संचय और विषहरण क्षमता** का उपयोग करके जल प्रबंधन और बायोरिमेडिएशन के लिए संधारणीय रणनीतियाँ विकसित की जा सकती हैं।

शुष्कन (डाइबैक)

चर्चा में क्यों: हैदराबाद और तेलंगाना के कई जिलों में नीम के पेड़ों *(Azadirachta indica)* में बड़े पैमाने पर डाइबैक रोग की जानकारी मिली है।

नीम डाइबैक क्या है

- नीम डाइबैक एक पादप रोग है, जिसमें ऊपरी शाखाओं का सूखना, छत्र (कैनोपी) का पतला होना तथा फूल और फल में कमी देखी जाती है।

- संक्रमण पेड़ के शीर्ष से शुरू होता है और नीचे की ओर बढ़ता है, तथा मानसून के बाद दिखाई देता है।

पहचाना गया कारण

- यह रोग एक कवक जनित रोगजनक *Phomopsis azadirachtae* के कारण होता है।
- यह कवक मानसूनोत्तर और शीत ऋतु (अक्टूबर–फरवरी) में सक्रिय हो जाता है।

मौसमी प्रकृति

- अधिकांश नीम के पेड़ों में मार्च तक प्राकृतिक रूप से सुधार दिखाई देता है, जो देशज प्रजाति के रूप में नीम की उच्च सहनशीलता को दर्शाता है।
- यह रोग मौसमी है, स्थायी नहीं।

पारिस्थितिक प्रभाव

- नीम डाइबैक के कारण फूल और फल कम लगते हैं, जिससे बीज उत्पादन में गिरावट आती है।
- बीजों की कम उपलब्धता से पक्षियों द्वारा होने वाले बीज प्रसार पर असर पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप नीम का प्राकृतिक पुनर्जनन कमजोर हो जाता है।

मानव स्वास्थ्य से संबंधित पहलू

- इस रोग का मानव स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
- नीम औषधीय और पारंपरिक उपयोग के लिए सुरक्षित बना रहता है।

सहनशील नीम के पेड़

- लगभग दस से बीस प्रतिशत नीम के पेड़ अप्रभावित रहते हैं।
- इन पेड़ों का अध्ययन ऊतक संवर्धन और सूक्ष्म प्रवर्धन के माध्यम से रोग-प्रतिरोधी रोपण सामग्री विकसित करने के लिए किया जा रहा है।

प्रबंधन उपाय (निवारक)

- बीज उपचार आवश्यक है, क्योंकि रोगजनक बीज-जनित और बीज-प्रसारित होता है।
- निवारक कवकनाशी या जैव-नियंत्रण कारक (जैसे ट्राइकोडर्मा) प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं।
- संक्रमित टहनियों की छंटाई और सुरक्षित निपटान से रोग के आगे फैलाव को रोका जा सकता है।

इकाई 6

रक्षा एवं सुरक्षा

अभ्यास एकुवेरिन – भारत–मालदीव

चर्चा में क्यों: अभ्यास एकुवेरिन भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बलों के बीच आयोजित एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। इसका संस्करण तिरुवनंतपुरम में संयुक्त सत्यापन अभ्यास के साथ संपन्न हुआ, जिससे दो सप्ताह के गहन प्रशिक्षण का सफल समापन हुआ।

मुख्य बिंदु:

- यह अभ्यास उप-पारंपरिक युद्ध परिदृश्यों में उग्रवाद-रोधी और आतंकवाद-रोधी अभियानों पर केंद्रित था।
- प्रमुख उद्देश्य दोनों बलों के बीच अंतर-संचालन क्षमता, परिचालन समन्वय और सामरिक तालमेल को बढ़ाना था।
- प्रशिक्षण में घेराबंदी और तलाशी अभियान, निकट दूरी युद्ध अभ्यास, छोटे दल की रणनीतियाँ, वास्तविक गोलीबारी अभ्यास तथा उभयचर अभियान शामिल थे।
- खुफिया जानकारी आधारित अभियानों और संयुक्त मिशन योजना पर विशेष बल दिया गया।
- इस अभ्यास ने भारत–मालदीव रक्षा सहयोग को सुदृढ़ किया और हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा एवं स्थिरता में योगदान दिया।

अभ्यास डेज़र्ट साइक्लोन

चर्चा में क्यों: भारत–संयुक्त अरब अमीरात का संयुक्त सैन्य अभ्यास **डेज़र्ट साइक्लोन** का दूसरा संस्करण अबू धाबी के अल-हमरा प्रशिक्षण नगर में संपन्न हुआ, जिसने भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच गहराते रक्षा साझेदारी को प्रदर्शित किया।

मुख्य बिंदु:

- अभ्यास **डेज़र्ट साइक्लोन–द्वितीय** 18 दिसंबर से 30 दिसंबर तक अल-हमरा प्रशिक्षण नगर, अबू धाबी में आयोजित किया गया।
- इस अभ्यास में भारतीय सेना के मशीनीकृत पैदल सेना रेजिमेंट के कर्मी तथा संयुक्त अरब अमीरात थल सेनाओं की मशीनीकृत पैदल सेना बटालियन के सैनिक शामिल थे।
- मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के अधिदेश के अंतर्गत शहरी और उप-पारंपरिक अभियानों के लिए अंतर-संचालन क्षमता, पारस्परिक विश्वास और परिचालन तत्परता को बढ़ाना था।
- प्रशिक्षण में शहरी युद्ध, तात्कालिक विस्फोटक उपकरणों की पहचान, प्राथमिक उपचार और मिशन योजना पर कक्षा शिक्षण शामिल था, जिसे क्षेत्र अभ्यासों जैसे कक्षों में हस्तक्षेप, इमारतों की सफाई, हेलीकॉप्टर द्वारा संचालन और हवाई आक्रमण अभियानों के साथ जोड़ा गया।
- इस अभ्यास से दोनों सेनाओं को शहरी अभियानों में एकीकृत आक्रामक और रक्षात्मक कार्रवाइयों का अभ्यास करते हुए रणनीतियों, तकनीकों और प्रक्रियाओं का मानकीकरण करने में सहायता मिली।
- **डेज़र्ट साइक्लोन–द्वितीय** ने भारतीय सेना और संयुक्त अरब अमीरात की थल सेनाओं के बीच पेशेवर संबंधों को मजबूत किया और भविष्य के बहुराष्ट्रीय अभियानों को संचालित करने की उनकी क्षमता को बेहतर बनाया।

भारतीय तटरक्षक जहाज़ सार्थक की ईरान के चाबहार बंदरगाह पर पहली ऐतिहासिक यात्रा

चर्चा में क्यों: भारतीय तटरक्षक (आईसीजी) का अपतटीय गश्ती पोत **सार्थक** हाल ही में ईरान के चाबहार बंदरगाह पर पहुँचा। यह किसी भारतीय तटरक्षक जहाज़ की इस रणनीतिक बंदरगाह पर पहली यात्रा है।

इस यात्रा के दौरान, तटरक्षक जहाज़ सार्थक द्वारा शिष्टाचार भेंट और पेशेवर संवाद किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य संस्थागत संबंधों को सुदृढ़ करना तथा समुद्री सुरक्षा और संरक्षा के क्षेत्र में पारस्परिक समझ को बढ़ाना है। प्रमुख गतिविधियाँ इस प्रकार हैं:

- समुद्री खोज एवं बचाव, समुद्री कानून प्रवर्तन तथा समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया में संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास।
- चाबहार बंदरगाह में समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया का प्रदर्शन, जिसमें तेल रिसाव तथा खतरनाक और विषाक्त पदार्थों से जुड़ी घटनाओं पर समन्वित प्रतिक्रिया तंत्र को प्रदर्शित किया गया।

सामुदायिक और पर्यावरणीय पहल

यह यात्रा सामुदायिक सहभागिता और पर्यावरणीय जागरूकता को भी सम्मिलित करती है, जिनमें शामिल हैं:

- जहाज़ पर सवार राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों की भागीदारी के साथ खेल गतिविधियाँ और समुद्र तट पर पदयात्रा।
- भारत के **पुनीत सागर अभियान** के अनुरूप गतिविधियाँ, जिनका उद्देश्य समुद्री पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और तटीय स्वच्छता को प्रोत्साहित करना है।

रणनीतिक महत्व

ओमान की खाड़ी के उत्तरी किनारे पर स्थित चाबहार बंदरगाह भारत को ईरान, स्थल-रुद्ध अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए एक गहरे पानी वाला समुद्री प्रवेश द्वार प्रदान करता है, जिससे पाकिस्तान होकर जाने वाले पारंपरिक मार्गों को दरकिनार किया जा सकता है। इस बंदरगाह की रणनीतिक स्थिति भारत को निम्नलिखित में सक्षम बनाती है:

- क्षेत्र में आर्थिक प्रभाव को सुदृढ़ करना।
- अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए व्यापार तथा आपूर्ति मार्गों को सुरक्षित करना।
- भारत की सागर (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) और महासागर परिकल्पनाओं को बढ़ावा देना, जिनमें सुरक्षित और सहयोगात्मक समुद्री सहभागिता पर जोर दिया गया है।

यह यात्रा तटरक्षक जहाज़ सार्थक की कुवैत में पूर्व सहभागिता के बाद हुई है, जो क्षेत्रीय साझेदारों के साथ भारत की बढ़ती समुद्री उपस्थिति और रचनात्मक सहभागिता को दर्शाती है। चाबहार बंदरगाह पर यह आगमन भारत की रणनीतिक नौसैनिक पहुँच को रेखांकित करता है तथा क्षेत्रीय सुरक्षा, व्यापार सुविधा और पर्यावरणीय सहयोग में उसकी भूमिका को मजबूत करता है।

भारतीय सेना ने एएच–64ई अपाचे आक्रमण हेलीकॉप्टरों की अंतिम खेप शामिल की

चर्चा में क्यों: भारतीय सेना को एएच–64ई अपाचे आक्रमण हेलीकॉप्टरों की अंतिम खेप के रूप में तीन हेलीकॉप्टर प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही राजस्थान के जोधपुर में स्थित 451 सेना विमानन स्क्वाड्रन में छह हेलीकॉप्टरों की पूरी इकाई का गठन पूरा हो गया है। सेना में शामिल किए जाने से पहले इन हेलीकॉप्टरों को गाजियाबाद स्थित हिंडन वायुसेना स्टेशन पर उतारा गया था।

पृष्ठभूमि और अधिग्रहण:

अपाचे हेलीकॉप्टरों का अधिग्रहण संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ छह सौ मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते के तहत किया गया था, जिस पर फरवरी में अनुबंध हुआ था। तीन हेलीकॉप्टरों की पहली खेप इसी वर्ष पहले ही प्राप्त हो चुकी थी। अंतिम खेप के आगमन से भारत के समर्पित अपाचे स्क्वाड्रन का पूर्ण संचालन संभव हो गया है, जिसे पश्चिमी मोर्चे पर परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मार्च में गठित किया गया था।

परिचालन महत्व:

- सभी छह एएच–64ई हेलीकॉप्टर जोधपुर में तैनात किए जाएंगे, जिससे पाकिस्तान की ओर वाले पश्चिमी क्षेत्र में आक्रमण और टोही क्षमताएँ सुदृढ़ होंगी।
- उन्नत एवियोनिक्स, सेंसर और बहु-भूमिका हथियार प्रणालियों से लैस अपाचे को विश्व का सबसे उन्नत आक्रमण हेलीकॉप्टर माना जाता है, जो सभी मौसम और भौगोलिक परिस्थितियों में संचालन में सक्षम है।
- इन हेलीकॉप्टरों की तैनाती से भारतीय सेना की आक्रामक क्षमता और प्रतिरोधक स्थिति मजबूत होगी, तथा सीमा रक्षा और त्वरित प्रतिक्रिया अभियानों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षमता प्राप्त होगी।

आईएनएएस 335 (ऑस्प्रे)

चर्चा में क्यों: हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने दूसरे एमएच–60आर हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन **आईएनएएस 335 (ऑस्प्रे)** को आईएनएस हंसा, गोवा में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी की उपस्थिति में कमीशन किया। यह आयोजन भारतीय नौसैनिक विमानन के आधुनिकीकरण और क्षमता वृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

आईएनएएस 335 (ऑस्प्रे) के बारे में:

- आईएनएएस 335 भारतीय नौसेना में शामिल एमएच–60आर सीहॉक हेलीकॉप्टरों का दूसरा स्क्वाड्रन है।
- इस स्क्वाड्रन का उपनाम "ऑस्प्रे" रखा गया है, जो मछली पकड़ने वाले शिकारी पक्षी के नाम पर आधारित है।
- पहला एमएच–60आर स्क्वाड्रन, आईएनएएस 334, कोच्चि स्थित आईएनएस गरुड़ में मार्च में कमीशन किया गया था।
- इस कमीशनिंग के साथ एमएच–60आर हेलीकॉप्टरों को बेड़े के अभियानों में पूर्ण रूप से एकीकृत कर दिया गया है।

एमएच–60आर सीहॉक हेलीकॉप्टरों के बारे में:

- एमएच–60आर सीहॉक संयुक्त राज्य अमेरिका का बहु-भूमिका समुद्री हेलीकॉप्टर है, जिसे अमेरिकी नौसेना के लिए सिकोरस्की (लॉकहीड मार्टिन) ने विकसित किया है।
- यह ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का समुद्री संस्करण है और वी–22 ऑस्प्रे विमान से भिन्न है।
- भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका से पंद्रह हजार करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के समझौते के तहत चौबीस एमएच–60आर हेलीकॉप्टर खरीदे हैं।
- ये हेलीकॉप्टर ब्रिटिश मूल के पुराने सी किंग हेलीकॉप्टरों का स्थान ले रहे हैं।

मुख्य विशेषताएँ और प्रौद्योगिकी

- एमएच–60आर उन्नत एवियोनिक्स, हथियारों और सेंसरों से सुसज्जित है।
- इसके डिजिटल सेंसर सूट में शामिल हैं:
  - मल्टी-मोड रडार
  - डिपिंग सोनार और सोनाबॉय
  - इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स (ESM)
  - इंफ्रारेड कैमरे

- सुरक्षित डेटा लिंक
- विमान सर्वाइवेबिलिटी सिस्टम

- ऑनबोर्ड मिशन सिस्टम सतही और जल के भीतर खतरों की वास्तविक समय स्थिति तस्वीर तैयार करता है।
- इस हेलीकॉप्टर को टॉरपीडो, एयर-टू-ग्राउंड मिसाइल, रॉकेट और ऑनबोर्ड गन से लैस किया जा सकता है।

परिचालन भूमिकाएँ

- एमएच–60आर विभिन्न प्रकार के मिशनों को अंजाम देने में सक्षम है, जिनमें शामिल हैं:
  - पनडुब्बी-रोधी युद्ध (ASW)
  - सतह-रोधी युद्ध (ASuW)
  - निगरानी और टोही
  - खोज और बचाव (SAR)
  - चिकित्सा निकासी (MEDEVAC)
  - नौसैनिक लॉजिस्टिक्स के लिए वर्टिकल रीप्लेनिशमेंट (VERTREP)
- यह तटीय अड्डों, विमानवाहक पोतों और अन्य बड़े नौसैनिक प्लेटफॉर्म से संचालन कर सकता है।

खतरों का मुकाबला करने में भूमिका

पारंपरिक खतरे

- दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाना, उनका पीछा करना और उन्हें नष्ट करना।
- शत्रुतापूर्ण सतही जहाज़ों को निशाना बनाना और युद्धपोतों की स्ट्राइक रेंज को बढ़ाना।
- समुद्री निषेध और गहरे समुद्र (ब्लू-वॉटर) अभियानों में भागीदारी।

असममित खतरे

- समुद्री आतंकवाद, समुद्री डकैती, तस्करी और समुद्री मार्ग से घुसपैठ का मुकाबला करना।
- गैर-राज्य तत्वों द्वारा मछली पकड़ने वाले और नागरिक जहाज़ों के दुरुपयोग की निगरानी।
- बंदरगाहों, अपतटीय परिसंपत्तियों और समुद्री आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुरक्षा।
- ड्रोन और मानवरहित प्लेटफॉर्म जैसे उभरते खतरों से निपटना।

रणनीतिक महत्व

- इस शामिलीकरण से भारतीय नौसेना की समग्र नौसैनिक विमानन क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि होती है।
- परिचालन पहुँच और सहनशक्ति बढ़ाकर यह भारत की ब्लू-वॉटर नौसेना प्रोफ़ाइल को सुदृढ़ करता है।
- हिंद महासागर क्षेत्र में तैनाती से भारत की समुद्री उपस्थिति मजबूत होगी और संभावित विरोधियों के लिए प्रतिरोधक के रूप में कार्य करेगी।
- यह शामिलीकरण असममित और प्रौद्योगिकी-आधारित समुद्री युद्ध के अनुरूप ढलने पर नौसेना के फोकस के साथ मेल खाता है।

सततता और लॉजिस्टिक्स समर्थन

- रक्षा मंत्रालय ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ लगभग सात हजार नौ सौ पचानवे करोड़ रुपये मूल्य के पाँच वर्षीय सतत समर्थन समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।
- इस पैकेज में शामिल हैं:
  - स्पेयर और सहायक उपकरण
  - प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता
  - भारत में मरम्मत और रखरखाव सुविधाएँ
  - मध्यम स्तर के घटक मरम्मत अवसंरचना
- इससे एमएच–60आर बेड़े की उच्च परिचालन उपलब्धता और दीर्घकालिक रखरखाव क्षमता सुनिश्चित होती है।

आकाश-एनजी

चर्चा में क्यों: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) ने आकाश–न्यू जनरेशन (आकाश-एनजी) सतह-से-वायु मिसाइल प्रणाली के उपयोगकर्ता मूल्यांकन परीक्षण (यूईटी) सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिए हैं।

आकाश मिसाइल प्रणाली की पृष्ठभूमि

- आकाश मिसाइल कार्यक्रम की शुरुआत उन्नीस सौ अस्सी के दशक के अंत में एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (आईजीएमडीपी) के अंतर्गत डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के नेतृत्व में की गई थी।
- आकाश एक अल्प से मध्यम दूरी की सतह-से-वायु मिसाइल (एसएएम) है, जिसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- यह प्रणाली स्वायत्त और समूह मोड दोनों में एक साथ कई हवाई लक्ष्यों को भेद सकती है।
- इसमें शत्रु के इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और छलावे का मुकाबला करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक काउंटर-काउंटर मेजर्स (ईसीसीएम) शामिल हैं।
- आकाश को भारतीय वायुसेना में और भारतीय सेना में शामिल किया गया।
- इस मिसाइल प्रणाली में लगभग छियानवे प्रतिशत स्वदेशी सामग्री है।
- दिसंबर में मंत्रिमंडल ने संशोधित निर्यात संस्करण के साथ आकाश के निर्यात को स्वीकृति दी।

आकाश-एनजी की आवश्यकता

- मूल आकाश की मारक क्षमता लगभग सत्ताईस से तीस किलोमीटर और ऊँचाई क्षमता लगभग अठारह किलोमीटर है।
- अत्यधिक गतिशील विमान और कम रडार क्रॉस-सेक्शन (आरसीएस) वाले लक्ष्यों जैसे उभरते खतरों के कारण उन्नत प्रणाली की आवश्यकता हुई।
- आकाश-एनजी का विकास मध्य दो हजार दस के दशक में, मूल आकाश के समावेशन के साथ-साथ शुरू हुआ।

आकाश-एनजी की प्रमुख विशेषताएँ

- आकाश-एनजी की उन्नत परिचालन मारक क्षमता 70 किलोमीटर तक है।
- मिसाइल का डिज़ाइन अधिक स्लीकर और हल्का है, जिससे गतिशीलता और तैनाती की गति में सुधार होता है।
- इसमें कैनिस्टराइज़्ड लॉन्चर का उपयोग किया गया है, जो भंडारण अवधि, परिवहन सुरक्षा और परिचालन तत्परता को बढ़ाता है।
- इस प्रणाली का ग्राउंड सिस्टम फ़ुटप्रिंट बहुत छोटा है, जिससे विविध भौगोलिक क्षेत्रों में तैनाती आसान होती है।
- यह उच्च सटीकता के लिए स्वदेशी रूप से विकसित रेडियो फ्रीक्वेंसी (आरएफ) सीकर से सुसज्जित है।
- यह मिसाइल कम आरसीएस और उच्च-गति वाले हवाई खतरों को अवरोधित करने में सक्षम है।
- लॉन्चर, मल्टी-फंक्शन रडार (एमएफआर), कमांड, कंट्रोल और कम्युनिकेशन सिस्टम (सी३) जैसे प्रमुख उपतंत्र स्वदेशी रूप से विकसित हैं।

आकाश प्राइम

- आकाश प्राइम मूल आकाश की समान रेंज वाला एक और उन्नत संस्करण है।
- इसमें स्वदेशी एक्टिव आरएफ सीकर लगाया गया है, जो हवाई लक्ष्यों के विरुद्ध हिट प्रायिकता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाता है।

यूज़र इवैल्यूएशन ट्रायल्स (UET)

- आकाश-एनजी की पहली परीक्षण उड़ान जनवरी को ओडिशा स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से की गई थी।
- कम ऊँचाई पर उच्च-गति वाले मानवरहित हवाई लक्ष्य के विरुद्ध एक सफल परीक्षण जनवरी को किया गया।
- दिसंबर में किए गए यूईटी ने सभी प्रोविजनल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स (पीएसक्यूआर) को पूरा किया।
- मिसाइल ने विभिन्न रेंज और ऊँचाइयों पर लक्ष्यों को सफलतापूर्वक अवरोधित किया, जिनमें कम-ऊँचाई सीमा क्षेत्र तथा लंबी दूरी के उच्च-ऊँचाई परिदृश्य शामिल हैं।

सफल यूईटी का महत्व

- सफल यूईटी सशस्त्र बलों में शामिल किए जाने से पहले का अंतिम चरण दर्शाते हैं।
- इससे भारतीय वायुसेना को अधिग्रहण के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ़ नेसेसिटी (एओएन) जारी करने में सहायता मिलती है।
- आकाश-एनजी का समावेशन भारत के स्तरीकृत वायु रक्षा नेटवर्क को मजबूत करेगा।
- यह परियोजना उन्नत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए आत्मनिर्भर भारत को सुदृढ़ करती है।

इकाई 7

सामाजिक मुद्दे

गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिक

चर्चा में क्यों: **स्वैगी**, **ज़ोमैटो**, **ब्लिंकिट**, **अमेज़न** और **फ्लिपकार्ट** सहित त्वरित वाणिज्य प्लेटफार्मों के गिग श्रमिक 31 दिसंबर को देशव्यापी हड़ताल पर रहे।

देशव्यापी हड़ताल के कारण

- गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों ने डिजिटल प्लेटफार्मों द्वारा थोपी गई असुरक्षित, अल्प-वेतनभोगी और अत्यधिक शोषणकारी कार्य स्थितियों के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन हेतु इस हड़ताल का आयोजन किया।
- श्रमिकों ने घटते और अपारदर्शी पारिश्रमिक के विरुद्ध विरोध व्यक्त किया, जो बुनियादी जीवन निर्वाह व्यय को पूर्ण करने में विफल रहा।
- श्रमिकों ने मनमानी 'आईडी निष्क्रियता' (ID deactivation) का विरोध किया, जिसने बिना किसी स्पष्टीकरण या उचित प्रक्रिया के उनकी आजीविका को बाधित कर दिया।
- श्रमिकों ने असुरक्षित "10-मिनट की डिलीवरी" मॉडल को समाप्त करने की मांग की, जो सवारों पर अत्यधिक शारीरिक जोखिम उत्पन्न करता है।
- श्रमिकों ने काम के अत्यधिक घंटों और पर्याप्त विश्राम अवधि के अभाव की ओर ध्यान आकर्षित किया।
- श्रमिकों ने सामाजिक सुरक्षा, गरिमा और 'डिस्पोजेबल कॉन्ट्रैक्टर्स' के बजाय कानूनी रूप से 'श्रमिक' के रूप में मान्यता की मांग की।

कार्य स्थितियाँ

"प्रिज़नर्स ऑन व्हील्स" शीर्षक वाले 'पैगाम' (PAIGAM) अध्ययन के अनुभवजन्य साक्ष्य, जिसमें 10,000 से अधिक ऐप-आधारित श्रमिकों का सर्वेक्षण किया गया, प्रणालीगत शोषण को प्रकट करते हैं:

- 80% से अधिक श्रमिकों ने नियमित रूप से प्रतिदिन 10 घंटे से अधिक कार्य करने की सूचना दी।
- 30% से अधिक श्रमिकों ने अपनी आय बनाए रखने हेतु प्रतिदिन 14 घंटे से अधिक कार्य करने की बात कही।
- अधिकांश ड्राइवरों ने ₹15,000 प्रति माह से कम अर्जित किया, जबकि अधिकांश डिलीवरी श्रमिकों की आय ₹10,000 प्रति माह से नीचे रही।
- वित्तीय दबाव के कारण लगभग आधे श्रमिक साप्ताहिक अवकाश लेने में भी असमर्थ थे।
- 99% से अधिक श्रमिकों ने अपनी कार्य स्थितियों से जुड़ी शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की सूचना दी।
- लगभग 50% श्रमिकों ने कार्य के दौरान कार्यस्थल पर हिंसा या उत्पीड़न का अनुभव किया।
- लगभग 90% श्रमिकों ने 10-मिनट के डिलीवरी मॉडल को असुरक्षित और अमानवीय मानकर अस्वीकार कर दिया।

प्लेटफॉर्म नियंत्रण की प्रकृति

- प्लेटफॉर्म अपारदर्शी एल्गोरिदम के माध्यम से मूल्य निर्धारण, प्रोत्साहन और ऑर्डर आवंटन को नियंत्रित करते हैं।
- प्लेटफॉर्म सख्त वितरण समय-सीमा और दंड आरोपित करते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ता है।
- प्लेटफॉर्म रेटिंग और आईडी सक्रियण प्रणालियों के माध्यम से कार्य तक पहुंच को विनियमित करते हैं, जिससे निरंतर असुरक्षा बनी रहती है।
- गति-आधारित लक्ष्य शहरों को यातायात, प्रदूषण और चरम मौसम के संपर्क में आने वाले खतरनाक कार्यस्थलों में रूपांतरित कर देते हैं।

प्लेटफार्मों के विरुद्ध यूनियन के आरोप

- प्लेटफार्मों पर कथित रूप से हड़ताली श्रमिकों और यूनियन समर्थकों की निगरानी करने का आरोप लगाया गया।
- प्लेटफार्मों पर विरोध प्रदर्शनों में सहभागिता करने हेतु श्रमिक आईडी को ब्लॉक करने का आरोप लगाया गया।
- श्रमिकों ने प्रदर्शनों के दौरान पुलिस उत्पीड़न की घटनाओं की सूचना दी।
- प्लेटफार्मों ने अस्थायी प्रोत्साहन वृद्धि और प्रचार भुगतान की पेशकश करके हड़ताल को कमजोर करने का प्रयास किया।

गिग श्रमिकों की प्रमुख मांगें (छह-सूत्रीय चार्टर)

'इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप-बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स' (IFAT) सहित गिग वर्कर यूनियनों ने मांगों का एक संरचित समुच्चय प्रस्तुत किया:

1. श्रमिकों ने श्रम कानूनों के तहत प्लेटफॉर्म कंपनियों के औपचारिक विनियमन की मांग की।
2. श्रमिकों ने असुरक्षित 10-मिनट डिलीवरी मॉडल पर पूर्ण प्रतिबंध का आह्वान किया।
3. श्रमिकों ने मनमाने ढंग से आईडी ब्लॉक करने और अन्यायपूर्ण दंड को समाप्त करने की मांग की।
4. श्रमिकों ने उचित, पारदर्शी और न्यूनतम वेतन गारंटी की मांग की।
5. श्रमिकों ने स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना कवर और पेंशन सहित सामाजिक सुरक्षा कवरेज की मांग की।
6. श्रमिकों ने संगठित होने, संघ बनाने और सामूहिक रूप से सौदेबाजी करने के अपने अधिकार पर बल दिया।

भारत में कानूनी और नीतिगत ढांचा

केंद्रीय स्तर के उपाय:

- 'सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020' ने औपचारिक रूप से भारतीय श्रम कानून के तहत गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को मान्यता प्रदान की।
- कानून ने दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य लाभ, मातृत्व लाभ और वृद्धावस्था संरक्षण तक पहुंच का वचन दिया।
- केंद्रीय बजट 2025-26 ने 'ई-श्रम' पंजीकरण, पहचान पत्र और 'आयुष्मान भारत' स्वास्थ्य कवरेज की घोषणा की, किंतु क्रियान्वयन अभी भी लंबित है।

राज्य स्तर की पहल:

- **तेलंगाना** ने 'गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिक अधिनियम, 2025' अधिनियमित किया, जिसमें पंजीकरण और कल्याण बोर्डों का प्रावधान है।
- इस अधिनियम ने विशिष्ट श्रमिक आईडी और एक 'सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कोष' की शुरुआत की।
- कर्नाटक ने 'प्लेटफॉर्म-आधारित गिग वर्कर अध्यादेश, 2025' प्रख्यापित किया, जिससे एक श्रमिक डेटाबेस और कल्याणकारी तंत्र का निर्माण हुआ।
- इन प्रयासों के बावजूद, आय सुरक्षा और प्रवर्तनीय श्रम मानक अभी भी अपर्याप्त बने हुए हैं।

आगे की राह

- **कानूनी मान्यता और संरक्षण:** गिग श्रमिकों को प्लेटफार्मों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले नियंत्रण को मान्यता देते हुए एक स्पष्ट कानूनी स्थिति दी जानी चाहिए, जबकि लचीलेपन को बनाए रखते हुए बुनियादी श्रम संरक्षण का विस्तार किया जाना चाहिए।
- **अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कवरेज:** सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के प्रावधानों को अनिवार्य और प्रवर्तनीय बनाया जाना चाहिए, जिससे सभी पंजीकृत गिग श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना कवर और पेंशन सुनिश्चित हो सके।
- **उचित वेतन और आय स्थिरता:** प्लेटफार्मों को पारदर्शी वेतन संरचना सुनिश्चित करनी चाहिए, श्रमिकों को मनमानी दर कटौती से बचाना चाहिए और आय की अस्थिरता को कम करने हेतु न्यूनतम स्तर की कमाई की गारंटी देनी चाहिए।
- **एल्गोरिथम पारदर्शिता और उचित प्रक्रिया:** प्लेटफार्मों को एल्गोरिदम-संचालित निर्णयों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, जिसमें स्पष्टीकरण का अधिकार, अपील तंत्र और अचानक आईडी निष्क्रियता के विरुद्ध सुरक्षा उपाय सम्मिलित हों।
- **श्रमिक सुरक्षा और मानवीय वितरण मानक:** 10-20 मिनट की डिलीवरी प्रणाली जैसे उच्च-दबाव वाले मॉडलों को सड़क सुरक्षा, उचित समय-सीमा और श्रमिकों के लिए सुरक्षात्मक उपकरणों को प्राथमिकता देने हेतु विनियमित किया जाना चाहिए।
- **सामूहिक स्वर और शिकायत निवारण:** गिग श्रमिकों को संघ बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिसे समयबद्ध शिकायत निवारण तंत्र और राज्य को सम्मिलित करने वाले त्रिपक्षीय संवाद का समर्थन प्राप्त हो।
- **रोजगार के अवसरों का विविधीकरण:** दीर्घकालिक सुरक्षा हेतु कौशल और पुन: कौशल पहल के साथ-साथ विनिर्माण, निर्माण, वस्त्र और कृषि जैसे श्रम-गहन क्षेत्रों में रोजगार सृजन की आवश्यकता है।

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) दिवस

चर्चा में क्यों: 12 दिसंबर को 'सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज' (यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज-UHC) दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2025 का विषय : "अफोर्डेबल हेल्थ कॉस्ट्स? वी आर सिक ऑफ इट!" स्वास्थ्य देखभाल की बढ़ती लागतों पर चिंताओं को रेखांकित करता है।

यह दिवस 'यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज' और 'यूनिवर्सल हेल्थकेयर' के मध्य सुस्पष्ट अंतर करने की आवश्यकता पर बल देता है।

यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (UHC) बनाम यूनिवर्सल हेल्थकेयर

- **यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज** (UHC) मुख्य रूप से बीमा तंत्र के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी व्ययों के विरुद्ध 'वित्तीय सुरक्षा' पर ध्यान केंद्रित करता है।
- **यूनिवर्सल हेल्थकेयर** बीमा से परे जाकर निवारक, प्रवर्धक, उपचारात्मक, पुनर्वास और प्रशामक देखभाल सहित व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल तक न्यायसंगत पहुंच सुनिश्चित करता है।

वैश्विक नियामक ढांचा

- UHC की जड़ें 'स्वास्थ्य के अधिकार' में निहित हैं, जिसे अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों में मान्यता प्राप्त है और WHO के **अल्मा-अता घोषणा (1978)** द्वारा इसकी पुष्टि की गई है।
- WHO की 'विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट (2010)' ने UHC के मुख्य मार्ग के रूप में वित्तीय सुधार और जोखिम संरक्षण की ओर बल दिया।
- तत्पश्चात, UHC को संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा समर्थन दिया गया और इसे 'सतत विकास लक्ष्यों' (SDGs) में सम्मिलित किया गया।

बीमा-आधारित UHC मॉडलों के साथ समस्याएँ

- **भारत** सहित कई देशों ने प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सुदृढ़ीकरण के स्थान पर सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा को प्राथमिकता दी है।
- ये योजनाएं मुख्य रूप से अस्पताल में भर्ती होने के व्यय को कवर करती हैं और रोग-आधारित पैकेजों का उपयोग करती हैं।
- साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि अपवर्जित सेवाओं, अपर्याप्त पैकेज कवरेज और प्रदाताओं द्वारा किए जाने वाले दुरुपयोग के कारण 'आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय' (OOPE) निरंतर बना हुआ है।

अंतर्राष्ट्रीय अनुभव: पूर्वी एशिया

- पूर्वी एशियाई देशों ने प्रारंभ में बीमा-आधारित UHC को अपनाया, किंतु बाद में प्राथमिक और माध्यमिक देखभाल को 'द्वारपाल' के रूप में सुदृढ़ किया।
- **चीन** और **दक्षिण कोरिया** ने लगभग सार्वभौमिक बीमा कवरेज प्राप्त किया, किंतु उन्हें उच्च राजकोषीय लागतों का सामना करना पड़ा।
- परिणामस्वरूप, **चीन** ने अपना ध्यान लागत नियंत्रण, रोकथाम, प्रारंभिक पहचान और जनसंख्या आउटरीच के साथ-साथ मानव संसाधनों में निवेश की ओर केंद्रित किया।

सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों की भूमिका

- प्रभावी UHC हेतु पर्याप्त सार्वजनिक व्यय वाली सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियाँ अपरिहार्य हैं।
- एक सशक्त सार्वजनिक क्षेत्र गुणवत्ता और लागत के संदर्भ में निजी क्षेत्र को विनियमित करने में सहायता करता है, यद्यपि नीति पर निजी प्रभाव अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है।

भारत की स्वास्थ्य नीति का प्रक्षेपवक्र

- **भोर समिति (1946)** ने 'यूनिवर्सल हेल्थकेयर' की परिकल्पना की थी और एक सुदृढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल आधार के बिना बीमा योजनाओं को प्रारंभ करने के प्रति सचेत किया था।
- प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के निरंतर अल्प-वित्तपोषण ने सार्वजनिक प्रावधान को दुर्बल कर दिया और निजी स्वास्थ्य देखभाल पर निर्भरता बढ़ा दी।
- 'राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण' (NSS) के आंकड़े बताते हैं कि निर्धन वर्ग की महंगी निजी देखभाल पर निर्भरता बढ़ रही है, जो घरेलू ऋणग्रस्तता में योगदान दे रही है।

भारत में स्वास्थ्य सुधार

- 'राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन' (NRHM/NHM) जैसी पहलों का उद्देश्य पहुंच के अंतराल को संबोधित करना था, किंतु इन्हें प्रणालीगत दुर्बलताओं का सामना करना पड़ा।

- 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (2008)' और 'आयुष्मान भारत–PMJAY' ने बीमा-आधारित UHC दृष्टिकोण को संस्थागत रूप प्रदान किया।

कोविड-19 से प्राप्त शिक्षा

- कोविड-19 महामारी ने बीमा कवरेज की असमानताओं और केवल 'कवरेज-आधारित' मॉडलों की सीमाओं को उजागर किया।
- इसने UHC से 'यूनिवर्सल हेल्थकेयर' की ओर स्थानांतरित होने की आवश्यकता को पुष्ट किया, जो व्यापक प्राथमिक देखभाल और स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों पर केंद्रित हो।

आगे की राह

- **भारत** को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में सार्वजनिक निवेश बढ़ाना चाहिए, निवारक एवं प्रवर्धक सेवाओं को सुदृढ़ करना चाहिए और स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों को संबोधित करना चाहिए।
- वित्तीय कठिनाइयों को कम करने और स्वास्थ्य समानता सुनिश्चित करने हेतु बीमा-केंद्रित UHC से 'अधिकार-आधारित यूनिवर्सल हेल्थकेयर' की ओर संक्रमण आवश्यक है।

बाल तस्करी पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय

चर्चा में क्यों: भारत के उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय में इस तथ्य को रेखांकित किया है कि सुरक्षात्मक कानूनों की उपस्थिति के उपरांत भी बाल तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण **भारत** में एक अत्यंत चिंताजनक और गहरी जड़ें जमा चुकी वास्तविकता बनी हुई है। यह निर्णय न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति जोयमल बागची की पीठ द्वारा एक नाबालिग बालिका की तस्करी और यौन शोषण में संलिप्त एक पुरुष और उसकी पत्नी की दोषसिद्धि को यथावत रखते हुए सुनाया गया।

उच्चतम न्यायालय के मुख्य अवलोकन

- न्यायालय ने अवलोकन किया कि बाल तस्करी के मामले एकाकी घटनाएं नहीं हैं, अपितु शोषण के एक व्यवस्थित और संगठित स्वरूप का अंश हैं।
- न्यायालय ने प्रतिपादित किया कि ऐसे अपराध मानवीय गरिमा, शारीरिक अखंडता और बच्चों को शोषण एवं परित्याग से बचाने के राज्य के संवैधानिक कर्तव्य के मूल पर प्रहार करते हैं।
- न्यायालय ने बाल तस्करी को नाबालिगों के "नैतिक और भौतिक परित्याग" की ओर ले जाने वाला कारक बताया।

संगठित बाल तस्करी की प्रकृति

- न्यायालय ने स्वीकार किया कि बाल तस्करी के नेटवर्क भर्ती, परिवहन, आश्रय और शोषण से युक्त जटिल एवं बहुस्तरीय संरचनाओं के माध्यम से संचालित होते हैं।
- यह संज्ञान लिया गया कि ये नेटवर्क प्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्र इकाइयों के रूप में कार्य करते हैं, जिन्हें छल और कपट के माध्यम से जानबूझकर गुप्त रखा जाता है।
- इस प्रकार के विसरित संचालन के कारण पीड़ितों के लिए घटनाओं का सूक्ष्मता के साथ वर्णन करना अत्यंत दुष्कर हो जाता है।

पीड़ित के साक्ष्य का मूल्यांकन

- उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि यदि किसी तस्करी की गई नाबालिग का एकमात्र साक्ष्य विश्वसनीय और ठोस प्रतीत होता है, तो वह दोषसिद्धि हेतु पर्याप्त है।
- एक तस्करी किए गए बच्चे, विशेष रूप से नाबालिग को 'सह-अपराधी' नहीं माना जाना चाहिए, अपितु उसके साक्ष्य को एक 'आहत साक्षी' का स्तर दिया जाना चाहिए।
- न्यायालयों को पीड़ित के कथन को लघु विसंगतियों या विरोध में हुए विलंब के आधार पर अस्वीकार नहीं करना चाहिए।

न्यायिक मूल्यांकन में संवेदनशीलता

- न्यायालय ने बल दिया कि न्यायिक मूल्यांकन में नाबालिग पीड़ितों, विशेषकर हाशिए के या पिछड़े समुदायों से संबंधित बच्चों की सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक सुभेद्यता को ध्यान में रखना चाहिए।
- यह स्वीकार किया गया कि अधिकारियों के समक्ष यौन शोषण का पुन: वर्णन करना प्राय: पीड़ितों के लिए 'द्वितीयक पीड़ितावस्था' का कारण बनता है।
- न्यायालयों को ऐसे साक्ष्यों का आकलन करते समय यथार्थवादी, संवेदनशील और मानवीय दृष्टिकोण अपनाने का परामर्श दिया गया।

कानूनी प्रावधानों का अनुपालन

- न्यायालय ने माना कि अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 15(2) के तहत प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का मूलतः अनुपालन किया गया था।
- न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने साक्ष्यों का सही मूल्यांकन किया था, जिससे दोषसिद्धि पर संदेह का कोई आधार नहीं रह जाता।

संबंधित कानूनी प्रावधान

- अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 366A (नाबालिग लड़की का प्रापण), 373 (वेश्यावृत्ति के लिए नाबालिग को खरीदना) और 34 (समान आशय) के साथ-साथ अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया गया था।

बाल तस्करी पर संस्थागत प्रतिक्रिया

- 'राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग' (NCPCR) ने सूचित किया कि उसके 'एंटी-चाइल्ड ट्रैफिकिंग सेल' के गठन के पश्चात से अब तक 964 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है।
- आयोग ने 'किशोर न्याय अधिनियम, 2015', 'पोक्सो (POCSO) अधिनियम, 2012' और 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009' जैसे कानूनों के तहत बाल संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुन: दोहराया।

निर्णय का महत्व

- यह निर्णय बाल तस्करी के मामलों के निपटान हेतु स्पष्ट न्यायिक दिशा-निर्देश प्रदान करता है।
- यह पीड़ित-केंद्रित न्यायशास्त्र को सुदृढ़ करता है और बच्चों की रक्षा के राज्य के संवैधानिक उत्तरदायित्व को बल प्रदान करता है।
- यह व्यवस्था दोषसिद्धि दर में सुधार करने और तस्करी किए गए नाबालिगों से संबंधित मामलों में संवेदनशील न्यायनिर्णयन सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण है।

इकाई 8

इतिहास एवं संस्कृति

रुद्रेश्वर (रामप्पा) मंदिर

चर्चा में क्यों: हाल ही में, यूनेस्को-पेरिस में **भारत** के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि ने रुद्रेश्वर (रामप्पा) मंदिर का भ्रमण किया। यह यात्रा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और **तेलंगाना** राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे संरक्षण और परिरक्षण कार्यों की समीक्षा हेतु आयोजित की गई थी।

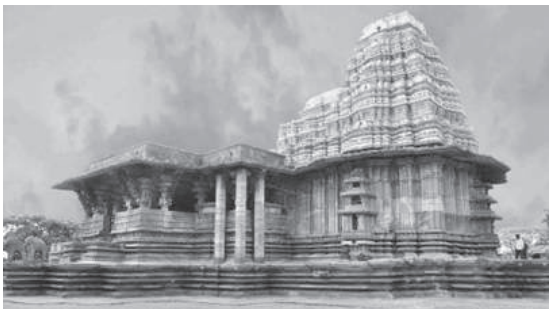

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- रामप्पा मंदिर **वारंगल** के समीप, **तेलंगाना** के **मुलुगु** जनपद के **पालमपेट** ग्राम में स्थित है।
- इस मंदिर का निर्माण काकतीय राजवंश के शासनकाल के दौरान 1213 ईस्वी में किया गया था।
- इसका निर्माण काकतीय शासक गणपति देव के सेनापति रेचार्ला रुद्र रेड्डी द्वारा करवाया गया था।
- एक शिलालेख के अनुसार मंदिर की तिथि 1135 संवत-शक (12 जनवरी 1214) निर्धारित है।
- इस मंदिर का नाम इसके वास्तुकार 'रामप्पा' के नाम पर रखा गया है, जो भारतीय मंदिर परंपरा में एक दुर्लभ विशेषता है।

धार्मिक महत्व

- मंदिर के अधिष्ठाता देवता रामलिंगेश्वर स्वामी हैं, जो भगवान शिव का एक स्वरूप हैं।
- रामप्पा एक विशाल प्राचीर युक्त मंदिर परिसर के भीतर मुख्य शिव मंदिर है।

वास्तुशिल्प विन्यास और रूपरेखा

- यह मंदिर छह फुट ऊंचे 'नक्षत्र-आकार' (star-shaped) के मंच पर स्थित है।
- परिसर में सहायक मंदिर और संबद्ध संरचनाएं भी सम्मिलित हैं।
- इसके प्रवेश द्वार दक्कन क्षेत्र की विशिष्ट काकतीय स्थापत्य शैली को प्रदर्शित करते हैं।

निर्माण सामग्री और तकनीक

- मंदिर का निर्माण बलुआ पत्थर से किया गया है, जबकि इसके बीम और स्तंभ ग्रेनाइट एवं डोलराइट (बेसाल्ट) के हैं।
- संरचना का निचला भाग लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है।
- इसका श्वेत गोपुरम और गर्भगृह हल्के छिद्रयुक्त ईंटों का उपयोग करके बनाया गया है, जिनके विषय में कहा जाता है कि वे जल पर तैर सकती हैं।

सैंडबॉक्स तकनीक

- इसकी नींव में 'सैंडबॉक्स तकनीक' का उपयोग किया गया है, जो एक उन्नत निर्माण विधि है।
- नींव हेतु खोदे गए गड्ढे को रेत, चूना, गुड़ और करक्काया (काली हरड़) के मिश्रण से भरा गया था।
- यह रेत से भरी नींव भूकंप के समय 'शॉक एब्जॉर्बर' के रूप में कार्य करती है।
- भूकंपीय कंपन मुख्य संरचना तक पहुँचने से पूर्व रेत से गुजरते समय दुर्बल हो जाते हैं।

मूर्तिकला और कलात्मक उत्कृष्टता

- मंदिर की दीवारों, स्तंभों और छतों पर जटिल नक्काशी की गई है।
- यहाँ की 'ब्रैकेट आकृतियाँ' (bracket figures) विशेष रूप से अपने अनुग्रह और विस्तृत शिल्प कौशल के लिए प्रसिद्ध हैं।
- ये मूर्तियाँ आज भी अपनी मूल कांति (lustre) को बनाए हुए हैं, जो काकतीय शिल्पकारों के कौशल को प्रतिबिंबित करती हैं।
- यूरोपीय यात्रियों ने इस मंदिर की प्रशंसा करते हुए इसे "मध्यकालीन दक्कन के मंदिरों में सबसे चमकीला तारा" कहा था।

वर्ष 2021 में, इस मंदिर को "**काकतीय रुद्रेश्वर (रामप्पा) मंदिर, तेलंगाना**" के रूप में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में सम्मिलित किया गया था।

यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल

- यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल वे स्थल या क्षेत्र हैं जो अपने उत्कृष्ट सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या प्राकृतिक महत्व के लिए पहचाने जाते हैं।
- ये स्थल यूनेस्को द्वारा प्रशासित एक अंतरराष्ट्रीय संधि के तहत संरक्षित हैं।
- चयन प्रक्रिया अत्यंत कठोर होती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि केवल 'अद्वितीय वैश्विक मूल्य' वाले स्थलों को ही इसमें सम्मिलित किया जाए।
- ऐसे स्थल किसी एक राष्ट्र के बजाय मानवता की साझा विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में प्राचीन खंडहर, स्मारक, भवन, शहर, वन, पर्वत या वन्य क्षेत्र सम्मिलित हो सकते हैं।
- इन्हें व्यापक रूप से सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित स्थलों में वर्गीकृत किया गया है।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) के 100 वर्ष

चर्चा में क्यों: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) ने वर्ष 2025 में अपने स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण किए हैं। इसकी स्थापना का आधार 26 दिसंबर, 1925 को आयोजित

कानपुर सम्मेलन को माना जाता है। मार्क्सवाद और 1917 की रूसी क्रांति से प्रभावित होकर, भाकपा (**भारत** की कम्युनिस्ट पार्टी) **भारत** के साम्राज्य विरोधी संघर्ष में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरी।

वैश्विक वैचारिक पृष्ठभूमि

- 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप में दक्षिणपंथी-वामपंथी राजनीतिक विभाजन की नींव रखी।
- कार्ल मार्क्स ने साम्यवादी विचारधारा का विकास किया, जिसका तर्क था कि पूंजीवाद अपने आंतरिक अंतर्विरोधों के कारण ध्वस्त हो जाएगा और उसका स्थान समाजवाद ले लेगा।
- व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में 1917 की रूसी क्रांति ने **भारत** सहित औपनिवेशिक देशों में साम्यवादी आंदोलनों को प्रेरित किया।

भाकपा (CPI) के गठन के पीछे तीन राजनीतिक धाराएं:

1. क्रांतिकारी प्रवासी साम्यवादी:

- एम. एन. रॉय ने 1920 में 'कम्युनिस्ट इंटरनेशनल' (कॉमिन्टर्न) में भारतीय क्रांतिकारियों का प्रतिनिधित्व करने में प्रमुख भूमिका निभाई।
- कॉमिन्टर्न ने उपनिवेशों के साम्यवादियों को साम्राज्य विरोधी संघर्ष को प्राथमिकता देने का परामर्श दिया।
- भारतीय क्रांतिकारी **बर्लिन**, **काबुल** और मध्य एशिया में भी सक्रिय थे।

2. भारत में स्वदेशी वामपंथी समूह: स्वतंत्र साम्यवादी समूह निम्नलिखित स्थानों पर उभरे:

- **बंबई** (एस. ए. डांगे)
- **कलकत्ता** (मुजफ्फर अहमद)
- **मद्रास** (सिंगारावेलु चेट्टियार)
- **लाहौर** (गुलाम हुसैन)

ये समूह प्रभावी राजनीतिक कार्यवाही हेतु राष्ट्रीय समन्वय की मांग कर रहे थे।

3. श्रमिक और किसान संगठन:

- 1920 में 'अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस' (AITUC) के गठन ने श्रमिक वर्ग की लामबंदी को सुदृढ़ किया।
- श्रमिक और किसान आंदोलनों ने भारतीय साम्यवाद को एक व्यापक जन आधार प्रदान किया।

ताशकंद बनाम कानपुर वाद-विवाद

ताशकंद (1920):

- कॉमिन्टर्न के अनुमोदन से **ताशकंद** में एक प्रवासी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया था।
- तथापि, इसमें **भारत** के भीतर जन आंदोलनों के साथ संपर्कों का अभाव था।

कानपुर (1925):

- **कानपुर** सम्मेलन ने औपचारिक रूप से 'भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी' की घोषणा की।
- भाकपा का लक्ष्य श्रमिकों और किसानों के गणराज्य की स्थापना करना, ब्रिटिश शासन को समाप्त करना और उत्पादन के साधनों का समाजीकरण करना था।
- भाकपा (CPI) **कानपुर** (1925) को अपना स्थापना वर्ष मानती है, जबकि माकपा (CPI-M) **ताशकंद** (1920) को प्रारंभिक बिंदु मानती है।

साम्राज्य विरोधी आंदोलन में साम्यवादी

- स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साम्यवादियों ने ट्रेड यूनियन और किसान संघर्षों में सक्रिय रूप से सहभागिता की।
- उन्हें औपनिवेशिक कानूनों के तहत लक्षित किया गया, विशेष रूप से **कानपुर** बोल्शेविक षड्यंत्र मामला (1923) और **मेरठ** षड्यंत्र मामला (1929)।
- 1930 के दशक में, साम्यवादियों ने 'यूनाइटेड फ्रंट' में 'कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी' (CSP) के साथ सहयोग किया।

स्वतंत्रता के दौरान और पश्चात भूमिका

- 1942-45 के दौरान, साम्यवादियों ने 'भारत छोड़ो आंदोलन' के स्थान पर वैश्विक फासीवाद विरोधी संघर्ष को प्राथमिकता दी।
- उन्होंने प्रमुख किसान आंदोलनों का नेतृत्व किया, जैसे:
  - तेभागा आंदोलन (बंगाल)
  - तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष
- स्वतंत्रता के पश्चात, यह आंदोलन विद्रोही राजनीति और संसदीय लोकतांत्रिक मार्ग के मध्य विभाजित हो गया।
- साम्यवादियों ने **केरल**, **पश्चिम बंगाल** और **त्रिपुरा** में निर्वाचित सरकारों का गठन किया।

सोलापुर में 2,000 वर्ष प्राचीन भारत के सबसे बड़े वृत्ताकार चक्रव्यूह/भूलभुलैया (Labyrinth) की खोज

चर्चा में क्यों: पुरातत्वविदों ने **महाराष्ट्र** के **सोलापुर** स्थित **बोरामणि** घास के मैदानों में **भारत** के सबसे बड़े वृत्ताकार पाषाण चक्रव्यूह/भूलभुलैया (labyrinth) की खोज की है, जो 2,000 वर्ष से अधिक पुराना है। यह खोज प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग, व्यापार नेटवर्क और सांस्कृतिक परिष्कार, विशेष रूप से सातवाहन काल के दौरान, नवीन अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।

अवस्थिति और खोज

यह चक्रव्यूह एक दूरस्थ घास के मैदान के पारिस्थितिकी तंत्र में पाया गया और इसकी खोज आकस्मिक रूप से हुई। यह स्थल **महाराष्ट्र** के **सोलापुर** जनपद के **बोरामणि** घास के मैदानों में स्थित है।

चक्रव्यूह की भौतिक विशेषताएं

- इस संरचना में सटीकता के साथ तराशे गए 15 संकेंद्रित वृत्ताकार पाषाण पथ सम्मिलित हैं।
- इस चक्रव्यूह का माप लगभग 50 फीट × 50 फीट है, जो इसे **भारत** का सबसे बड़ा वृत्ताकार चक्रव्यूह बनाता है।
- इसकी पूर्ण वृत्ताकार रूपरेखा अद्वितीय है, क्योंकि इससे पूर्व ज्ञात भारतीय चक्रव्यूह वर्गाकार या अनियमित आकार के थे।
- पाषाण निर्मित यह भूलभुलैया दो सहस्राब्दियों से अधिक समय से सुरक्षित है, जो उन्नत निर्माण कौशल को दर्शाती है।

ऐतिहासिक कालक्रम और निर्माता

- विशेषज्ञों का मानना है कि यह चक्रव्यूह सातवाहन राजवंश के काल का है, जो लगभग 2,000 वर्ष पूर्व फला-फूला था।
- सातवाहन वंश प्रायद्वीपीय **भारत** में व्यापार, शहरीकरण और सांस्कृतिक विनिमय को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है।

भारत-रोमन व्यापार से संबंध

- चक्रव्यूह की रूपरेखा प्राचीन रोमन सिक्कों पर पाए जाने वाले प्रतिरूपों के सदृश है, जो भारत-रोमन सांस्कृतिक प्रभाव का संकेत देती है।

- पुरातत्वविदों का मानना है कि इसने रोमन व्यापारियों के लिए एक दिशा-सूचक या नौवहन चिह्न के रूप में कार्य किया होगा।
- यह संरचना संभवतः **भारत के पश्चिमी तटीय व्यापार मार्गों** से अंतर्देशीय यात्रा करने वाले व्यापारियों का मार्गदर्शन करती थी।
- यह खोज प्राचीन भारत में **सक्रिय भारत-रोमन व्यापार नेटवर्क** के प्रमाणों को सुदृढ़ करती है।

पुरातत्व और सांस्कृतिक महत्व

- यह चक्रव्यूह/ भूलभुलैया प्राचीन भारतीय समाजों की अभियांत्रिकी सटीकता और नियोजन क्षमताओं को उजागर करता है।
- यह सुझाव देता है कि प्राचीन **भारत** में शहरी और वाणिज्यिक परिष्कार का स्तर अत्यंत उच्च था।
- यह स्थल **भारत** और दूरस्थ सभ्यताओं, विशेष रूप से रोमन जगत के मध्य सांस्कृतिक विनिमय को प्रतिबिंबित करता है।

संरक्षण और भविष्य का अनुसंधान

- पुरातत्वविद इस स्थल के दस्तावेजीकरण, अध्ययन और संरक्षण हेतु प्रयासरत हैं।
- यह खोज घास के मैदानों के पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करने के महत्व को रेखांकित करती है, जो प्रायः पुरातात्विक संपदाओं को छिपाए रखते हैं।
- आगामी शोध **भारत** के प्राचीन व्यापार और सांस्कृतिक इतिहास के पहलुओं को पुनर्परिभाषित कर सकते हैं।

पेरुम्बिडुगु मुथारैयार II (सुवरन मारन)

चर्चा में क्यों: हाल ही में, उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने सम्राट पेरुम्बिडुगु मुथारैयार II (सुवरन मारन) के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। यह डाक टिकट **नई दिल्ली** स्थित उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में जारी किया गया। यह पहल प्राचीन **भारत**, विशेष रूप से **तमिलनाडु** के गुमनाम शासकों को पहचानने और उन्हें सम्मानित करने के केंद्र सरकार के प्रयासों का एक भाग है।

पेरुम्बिडुगु मुथारैयार II के विषय में

- पेरुम्बिडुगु मुथारैयार II, जिन्हें 'सुवरन मारन' के नाम से भी जाना जाता है, ने 705 ईस्वी से 745 ईस्वी के मध्य शासन किया।
- वे मुथारैयार राजवंश से संबंधित थे, जिसने मध्य **तमिलनाडु** के कुछ हिस्सों पर शासन किया था।
- मुथारैयार पल्लव राजवंश के सामंत थे।
- जैसे-जैसे पल्लवों की शक्ति क्षीण हुई, पेरुम्बिडुगु मुथारैयार जैसे शासकों ने अधिक स्वायत्तता और प्रमुखता प्राप्त की।

प्रादेशिक विस्तार

- मुथारैयार राजवंश ने **तंजावुर, पुदुक्कोट्टई, पेरम्बलुर, तिरुचिरापल्ली** और **कावेरी** नदी बेसिन के क्षेत्रों को नियंत्रित किया।
- माना जाता है कि पेरुम्बिडुगु मुथारैयार ने लगभग चार दशकों तक **तिरुचिरापल्ली** से शासन किया था।

राजनीतिक और सैन्य भूमिका

- पेरुम्बिडुगु मुथारैयार ने कई युद्धों में पल्लव राजा नंदीवर्मन के साथ मिलकर युद्ध लड़ा।
- उन्होंने एक साहसी योद्धा और सक्षम प्रशासक के रूप में ख्याति अर्जित की।
- उन्हें 'शत्रु भयंकर' की उपाधि से भी जाना जाता था, जिसका अर्थ है - "शत्रुओं के मन में भय उत्पन्न करने वाला"।

प्रशासनिक और सांस्कृतिक योगदान

- उनका शासनकाल प्रशासनिक स्थिरता, क्षेत्रीय विस्तार और सैन्य शक्ति के लिए जाना जाता था।
- पूरे **तमिलनाडु** में प्राप्त शिलालेख उनके निम्नलिखित योगदानों की पुष्टि करते हैं:
  - ➢ मंदिरों हेतु बंदोबस्त
  - ➢ सिंचाई कार्य
  - ➢ तमिल साहित्य को संरक्षण
- मुथारैयार प्रमुख मंदिर निर्माता थे, जिन्होंने पल्लव काल के दौरान हिंदू धर्म के धार्मिक पुनरुद्धार में योगदान दिया।

धार्मिक और बौद्धिक जीवन

- पल्लव काल में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के पतन के मध्य शैव धर्म का पुनरुद्धार देखा गया।
- सुवरन मारन ने शैव विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया।
- अभिलेखों के अनुसार, एक जैन भिक्षु 'विमलचंद्र' ने शैव, बौद्ध, पाशुपत और कापालिक विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करने हेतु उनके दरबार का भ्रमण किया था।
- यह बौद्धिक विमर्श और धार्मिक सहिष्णुता की परंपरा को प्रतिबिंबित करता है।

मंदिर वास्तुकला में योगदान

- दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला के विकास में मुथारैयार राजवंश ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- इतिहासकार के. वी. सुंदर राजन के अनुसार, उन्होंने प्रारंभिक चोल वास्तुकला को प्रभावित किया।
- प्रारंभ में, उन्होंने गुफा मंदिरों और सरल संरचनात्मक मंदिरों का निर्माण किया।
- कालांतर में, उन्होंने विजयालय चोलों के उत्थान से पूर्व ही जटिल पाषाण मंदिरों का निर्माण किया।
- वे 9वीं शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ तक मंदिर निर्माण में सक्रिय रहे।

मुथारैयार शक्ति का पतन

- अंततः मुथारैयार विजयालय चोल से पराजित हुए, जिसने **तंजावुर** पर अधिकार कर लिया।
- इसने **तमिलनाडु** में 'शाही चोलों' के उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया।

संथाली भाषा में भारत का संविधान

चर्चा में क्यों: **भारत** की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 'ओल चिकी' लिपि में लिखित संथाली भाषा में **भारत** के संविधान का विमोचन किया, जो भाषाई और संवैधानिक समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण चरण है। यह पहल संथाली और आदिवासी समुदायों की अपनी मातृभाषा में संविधान तक पहुंच की दीर्घकालिक मांग को पूर्ण करती है। यह आयोजन 'ओल चिकी' लिपि के शताब्दी वर्ष (1925-2025) के अवसर पर हुआ, जो इसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व प्रदान करता है।

मुख्य बिंदु:

- संथाल **भारत** का तीसरा सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है, जिसकी जनसंख्या 70 लाख से अधिक है।
- इतनी विशाल जनसंख्या के उपरांत भी, संथाली को वर्ष 2003 में ही आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था।
- **ओडिशा** में मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान द्रौपदी मुर्मू ने संथाली को आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने की प्रबल वकालत की थी।
- संविधान सभा के एक आदिवासी सदस्य जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान के प्रारूपण के दौरान जनजातीय भाषाओं और पहचान को मान्यता देने की मांग की थी।
- संथाली में संविधान के प्रकाशन से संवैधानिक साक्षरता में सुधार होगा और संथाली भाषियों को अपने अधिकारों को बेहतर ढंग से समझने और उनकी रक्षा करने में सहायता मिलेगी।
- यह कदम अनुच्छेद 29 (सांस्कृतिक और भाषाई अधिकारों का संरक्षण) और अनुच्छेद 350A (मातृभाषा में शिक्षा) को सुदृढ़ करता है।
- वर्ष 1925 में रघुनाथ मुर्मू द्वारा आविष्कृत 'ओल चिकी' लिपि को मान्यता देना, शासन और ज्ञान प्रणालियों में जनजातीय लिपियों की वैधता की पुष्टि करता है।
- यह पहल उन भाषाई पदानुक्रमों (language hierarchies) को संबोधित करती है जो प्रायः लोकतांत्रिक भागीदारी में जनजातीय समुदायों को हाशिए पर धकेल देते हैं।
- यह इस विचार को पुष्ट करता है कि भाषा पहचान, गरिमा और न्याय तक पहुंच के लिए केंद्रीय है।
- यह कदम संवैधानिक और कानूनी पाठों को अन्य जनजातीय भाषाओं और लिपियों में अनुवादित करने हेतु एक मिसाल स्थापित करता है।

हड़प्पा स्थल राखीगढ़ी के विकास हेतु केंद्र द्वारा ₹500 करोड़ का आवंटन

चर्चा में क्यों: केंद्र सरकार ने हड़प्पा (सिंधु-सरस्वती) सभ्यता के एक प्रमुख स्थल **राखीगढ़ी** के विकास हेतु केंद्रीय बजट में ₹500 करोड़ आवंटित किए हैं। **हरियाणा** के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने द्वितीय राज्य स्तरीय 'राखीगढ़ी महोत्सव' के दौरान इसकी घोषणा की। इसका उद्देश्य **राखीगढ़ी** को ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पुरातात्विक महत्व के एक वैश्विक लैंडमार्क के रूप में रूपांतरित करना है।

मुख्य बिंदु:

- **हरियाणा** में स्थित **राखीगढ़ी**, हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े और सबसे उन्नत शहरी केंद्रों में से एक है।
- इस परियोजना का लक्ष्य **राखीगढ़ी** को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर प्रमुखता से स्थापित करना है।
- योजनाओं में एक विश्व स्तरीय पुरातात्विक संग्रहालय और एक समर्पित अनुसंधान संस्थान का विकास सम्मिलित है।
- सरकार स्थल के चारों ओर पर्यटक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे में सुधार पर भी ध्यान केंद्रित करेगी।
- इस पहल से स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलने और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ होने की अपेक्षा है।
- सिंधु-सरस्वती सभ्यता के प्रति सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने हेतु 'हड़प्पा ज्ञान केंद्र' का उद्घाटन किया गया।
- उत्खनन से प्राचीन **राखीगढ़ी** में उन्नत नगर नियोजन, स्वच्छता, जल प्रबंधन और औद्योगिक गतिविधियों का पता चलता है।
- पुरातात्विक निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि हड़प्पा समाज में महिलाओं को सम्मान और समान दर्जा प्राप्त था।
- **हरियाणा** सरकार ने **राखीगढ़ी** और राखी शाहपुर गाँवों के विकास हेतु प्रत्येक को ₹21 लाख के अनुदान की घोषणा की।
- **हरियाणा** में **फरमाना**, **मिताथल**, **बालू** और **बनावली** सहित लगभग 100 महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल हैं।
- **राखीगढ़ी** को यूनेस्को (UNESCO) की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित करने हेतु प्रयास जारी हैं।
- **राखीगढ़ी** में ₹22 करोड़ की लागत से एक आधुनिक संग्रहालय का निर्माण पहले ही किया जा चुका है।
- यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में **भारत** के सभ्यतागत विरासत पुनरुद्धार के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है।

इकाई 9

सरकारी योजनाएं

शक्ति (SHAKTI) स्कॉलर्स फेलोशिप

चर्चा में क्यों: राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने पूरे भारत में महिला-केंद्रित विषयों पर नीति-उन्मुख अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'शक्ति स्कॉलर्स: NCW यंग रिसर्च फेलोशिप' का शुभारंभ किया है, जिसका मुख्य केंद्र शैक्षणिक अंतर्दृष्टि को व्यावहारिक शासन परिणामों में परिवर्तित करना है।

शक्ति (SHAKTI) स्कॉलर्स फेलोशिप के विषय में

- **शुभारंभकर्ता:** राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW)
- **प्रकृति:** अल्पकालिक शोध फेलोशिप
- **लक्षित समूह:** छात्र और युवा शोधकर्ता
- **केंद्र बिंदु:** महिला संबंधी विषयों पर बहुविषयक और नीति-प्रासंगिक अनुसंधान

इस फेलोशिप का उद्देश्य शैक्षणिक अनुसंधान और सार्वजनिक नीति-निर्माण के मध्य की दूरी को कम करना है, विशेष रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण, सुरक्षा और अधिकारों से संबंधित क्षेत्रों में।

फेलोशिप के उद्देश्य

- महिलाओं से संबंधित नीति-निर्माण हेतु साक्ष्य-आधारित शोध इनपुट उत्पन्न करना।
- युवा विद्वानों को वास्तविक जगत की लैंगिक चुनौतियों से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करना।
- भारत में महिला संबंधी विषयों पर संस्थागत अनुसंधान क्षमता को सुदृढ़ करना।
- महिलाओं के संरक्षण, सहभागिता और सशक्तिकरण के क्षेत्रों में नीतिगत नवाचार का समर्थन करना।

अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्र

यह फेलोशिप निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुसंधान का समर्थन करती है:

सुरक्षा और विधिक सशक्तिकरण

1. महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा
2. लैंगिक आधारित हिंसा की रोकथाम
3. महिलाओं के विधिक अधिकार और न्याय तक पहुँच
4. POSH अधिनियम का कार्यान्वयन

डिजिटल और साइबर आयाम

1. महिलाओं की साइबर सुरक्षा
2. ऑनलाइन उत्पीड़न और डिजिटल अधिकार

सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक सहभागिता

- महिलाओं का नेतृत्व और राजनीतिक सहभागिता
- श्रम बल सहभागिता और कार्य-जीवन संतुलन
- आर्थिक सशक्तिकरण और कौशल विकास

मानव विकास

- महिलाओं का स्वास्थ्य और पोषण
- शिक्षा और क्षमता निर्माण
- लैंगिक समानता को प्रभावित करने वाली सामाजिक-सांस्कृतिक प्रथाएं

पात्रता मानदंड

- भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है
- **आयु:** 21 से 30 वर्ष
- **न्यूनतम अर्हता:** मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक
- वरीयता:
  - स्नातकोत्तर छात्र
  - रिसर्च स्कॉलर
  - पूर्व शोध अनुभव वाले अभ्यर्थी
- प्रमाणित शोध क्षमता वाले स्वतंत्र शोधकर्ता भी पात्र हैं।

फेलोशिप की अवधि और वित्तीय सहायता

- **अवधि:** 6 माह
- वित्तीय सहायता:
  - प्रति फेलो ₹1 लाख का शोध अनुदान (ग्रांट)
- इस अनुदान का उद्देश्य डेटा संग्रहण, क्षेत्रीय कार्य और शोध संबंधी व्यय में सहायता करना है।

चयन प्रक्रिया

- राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा आवेदनों का मूल्यांकन किया जाएगा।
- चयनित संभावनावारों को ऑनलाइन संवाद हेतु आमंत्रित किया जाएगा।
- अंतिम चयन निम्नलिखित पर आधारित होगा:
  - शोध प्रस्ताव की गुणवत्ता
  - नीतिगत प्रासंगिकता
  - शैक्षणिक और शोध संबंधी प्रत्यय (क्रेडेंशियल्स)

पहल का महत्व

- महिला-संबंधित शासन में साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण को बढ़ावा देना।
- राष्ट्रीय लैंगिक विमर्श में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- ज्ञान-संचालित वैधानिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका को सुदृढ़ करना।
- लैंगिक न्याय और समानता के संवैधानिक आदर्शों के साथ संरेखण।
- सतत विकास लक्ष्य 5 (SDG 5 - लैंगिक समानता) के अंतर्गत भारत की प्रतिबद्धताओं का समर्थन करना।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: 'शक्ति स्कॉलर्स: NCW यंग रिसर्च फेलोशिप' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह फेलोशिप राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा महिला संबंधी विषयों पर नीति-उन्मुख अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई है।
2. यह चयनित फेलो को एक वर्ष की अवधि के लिए मासिक वजीफे के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
3. फेलोशिप के अंतर्गत अनुसंधान क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, विधिक अधिकार और आर्थिक सशक्तिकरण सम्मिलित हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सत्य हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) सभी तीन (d) कोई नहीं

उत्तर: (b) केवल दो (केवल 1 और 3)

आदि संस्कृति डिजिटल प्लेटफॉर्म

चर्चा में क्यों: जनजातीय कार्य मंत्रालय ने **"आदि संस्कृति"** डिजिटल प्लेटफॉर्म का **बीटा संस्करण** लॉन्च किया है। यह एक प्रमुख डिजिटल पहल है जिसका उद्देश्य भारत की **जनजातीय कला रूपों** और जीवंत **सांस्कृतिक परंपराओं** का व्यवस्थित प्रलेखन, संरक्षण, संवर्धन और मुद्रीकरण करना है।

आदि संस्कृति डिजिटल प्लेटफॉर्म के विषय में

आदि संस्कृति एक **एकीकृत डिजिटल ज्ञान, शिक्षण और विपणन मंच** है जिसे डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाकर जनजातीय समुदायों और वैश्विक दर्शकों के मध्य की दूरी को कम करने के लिए निर्मित किया गया है।

- **नोडल मंत्रालय:** जनजातीय कार्य मंत्रालय
- **प्रकृति:** राष्ट्रीय स्तर का डिजिटल सांस्कृतिक मंच
- **लक्षित लाभार्थी:** जनजातीय शिल्पकार, अभ्यासी, शोधकर्ता, छात्र और उपभोक्ता
- **बाजार एकीकरण:** ब्रांडिंग, विपणन और निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित करने के लिए इसे **ट्राइफेड** (भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ लिमिटेड) के साथ जोड़ा गया है।
- यह पहल **डिजिटल इंडिया**, **आत्मनिर्भर भारत** और समावेशी विकास के ढांचे के अनुरूप है।

उद्देश्य

- विविध जनजातीय कला रूपों, शिल्पों, मौखिक परंपराओं, अनुष्ठानों और सामाजिक-सांस्कृतिक प्रथाओं का डिजिटल रूप से **मानचित्रण**, **प्रलेखन** और **अभिलेखीकरण** करना।
- संकटग्रस्त और अल्पज्ञात जनजातीय ज्ञान प्रणालियों को संरक्षित कर **सांस्कृतिक क्षरण** को रोकना।
- प्रत्यक्ष डिजिटल बाजार पहुंच के माध्यम से **स्थायी आजीविका** के अवसर सृजित करना।
- संरचित डिजिटल शिक्षण मॉड्यूल के माध्यम से **क्षमता निर्माण** और कौशल हस्तांतरण को सक्षम बनाना।
- जनजातीय सांस्कृतिक सामग्री के नैतिक प्रतिनिधित्व और सामुदायिक स्वामित्व को बढ़ावा देना।
- भारत की जनजातीय विरासत को वैश्विक **सांस्कृतिक कूटनीति** के एक घटक के रूप में स्थापित करना।

प्लेटफॉर्म के प्रमुख घटक

- **आदि विश्वविद्यालय (डिजिटल अकादमी)**
  - यह एक समर्पित ई-लर्निंग वर्टिकल है जो 45 गहन और संवादात्मक पाठ्यक्रम प्रदान करता है।
  - इसमें जनजातीय दृश्य कला, हस्तशिल्प, लोक संगीत, नृत्य रूप, कहानी सुनाना और **स्वदेशी ज्ञान प्रणालियाँ** सम्मिलित हैं।
  - यह जनजातीय समुदायों के भीतर **अंतर-पीढ़ीगत ज्ञान हस्तांतरण** का समर्थन करता है।
  - इसका 'ओपन-एक्सेस' मॉडल जनजातीय और गैर-जनजातीय दोनों शिक्षार्थियों के लिए सीखने के अवसर सुनिश्चित करता है।
- **आदि संपदा (डिजिटल सांस्कृतिक भंडार)**
  - यह एक व्यापक डिजिटल आर्काइव है जिसमें लगभग 3,000 क्यूरेटेड संसाधन उपलब्ध हैं।
  - इसमें पांडुलिपियां, दृश्य-श्रव्य रिकॉर्ड, नृवंशविज्ञान प्रलेखन, लोककथाएं और ऐतिहासिक वृत्तांत सम्मिलित हैं।
  - यह शैक्षणिक अनुसंधान, नीति नियोजन और सांस्कृतिक शिक्षा के लिए **आधारभूत ज्ञान कोष** के रूप में कार्य करता है।
  - यह **यूनेस्को** अभिसमयों के अनुरूप, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में सहायता करता है।
- **आदि हाट (ऑनलाइन मार्केटप्लेस)**
  - यह एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो जनजातीय शिल्पकारों और **स्वयं सहायता समूहों** (SHGs) को प्रत्यक्ष बाजार संपर्क प्रदान करता है।
  - यह ट्राइफेड के डिजिटल मार्केटिंग इकोसिस्टम के साथ एकीकृत है ताकि निम्नलिखित सुनिश्चित किया जा सके:
    - उचित मूल्य निर्धारण
    - गुणवत्ता प्रमाणन
    - ब्रांडिंग और दृश्यता
- यह मध्यस्थों पर निर्भरता को कम करता है, जिससे आय सुरक्षा और **आर्थिक स्वायत्तता** में वृद्धि होती है।

कार्यान्वयन ढांचा

- सहभागी और समुदाय-आधारित दृष्टिकोण:
  - सामग्री निर्माण में **जनजातीय अनुसंधान संस्थान** (TRIs), विषय विशेषज्ञ और राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त जनजातीय कलाकार सम्मिलित हैं।

- **चरणबद्ध और विस्तार योग्य रोलआउट:**
  - शिक्षण मॉड्यूल, संवर्धनात्मक सामग्री और अभिलेखीय सामग्रियों का क्रमिक रूप से संवर्धन।
- **प्रामाणिकता और गुणवत्ता नियंत्रण:**
  - सांस्कृतिक अखंडता बनाए रखने के लिए सभी सामग्रियों का जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (TRIs) द्वारा संस्थागत सत्यापन किया जाता है।
- **डिजिटल समावेशन पर ध्यान:**
  - जनजातीय भागीदारी को अधिकतम करने के लिए इसे कम बैंडविड्थ वाले उपकरणों पर भी सुलभ होने हेतु डिज़ाइन किया गया है।

भावी कार्ययोजना: TribalEx

- अगले चरण में, 'आदि संस्कृति' को उन्नत कर '**TribalEx**' के रूप में पुनः ब्रांड किया जाएगा।
- **TribalEx** एक उन्नत ई-लर्निंग और सांस्कृतिक विनिमय मंच के रूप में कार्य करेगा।
- नियोजित विशेषताओं में सम्मिलित हैं:
  - विस्तारित पाठ्यक्रम सूची
  - बहुभाषी सामग्री
  - संवादात्मक शिक्षण उपकरण
- इसका उद्देश्य राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर जनजातीय ज्ञान को संस्थागत बनाना है।

महत्व

- स्वदेशी और जनजातीय ज्ञान प्रणालियों के **डिजिटल संरक्षण** को सुदृढ़ करता है।
- संस्कृति को वाणिज्य के साथ एकीकृत करता है, जिससे आजीविका विविधीकरण सक्षम होता है।
- प्रौद्योगिकी-संचालित समावेशन के माध्यम से जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाता है।
- **अनुच्छेद 46, पांचवीं अनुसूची** और **छठी अनुसूची** के अंतर्गत संवैधानिक प्रतिबद्धताओं को बल प्रदान करता है।
- सतत विकास SDG 8 (सम्मानजनक कार्य), SDG 10 (असमानताओं में कमी) और SDG 11 (सांस्कृतिक विरासत संरक्षण) में योगदान देता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: 'आदि संस्कृति' डिजिटल प्लेटफॉर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह जनजातीय कार्य मंत्रालय की एक पहल है जिसका उद्देश्य डिजिटल माध्यमों से जनजातीय कला रूपों और सामाजिक-सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना है।
2. यह प्लेटफॉर्म भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ (TRIFED) के साथ एकीकृत होकर जनजातीय शिल्पकारों को प्रत्यक्ष बाजार संपर्क प्रदान करता है।
3. यह प्लेटफॉर्म विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति के परिवारों के लिए नकद हस्तांतरण कल्याण योजना के रूप में कार्यान्वित किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सत्य हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) सभी तीन (d) कोई नहीं

उत्तर: (b) केवल दो (कथन 1 और 2)

ASPIRE योजना: ग्रामीण नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहन

चर्चा में क्यों: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ग्रामीण भारत में उद्यमिता, नवाचार और आजीविका सृजन को सुदृढ़ करने के लिए, विशेष रूप से सूक्ष्म उद्यमों और इन्क्यूबेशन सहायता के माध्यम से, ASPIRE योजना (नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु एक योजना) का कार्यान्वयन कर रहा है।

ASPIRE योजना के विषय में

- **पूर्ण रूप:** नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु एक योजना
- **कार्यान्वयन मंत्रालय:** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
- **लक्षित क्षेत्र:** ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्र
- **प्रकृति:** उद्यमिता और आजीविका संवर्धन योजना

ASPIRE योजना का उद्देश्य नवाचार, कौशल विकास और व्यावसायिक इन्क्यूबेशन को एकीकृत करके ग्रामीण उद्यम विकास हेतु एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।

ASPIRE योजना के उद्देश्य

- ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देना।
- सूक्ष्म उद्यमों के माध्यम से स्थायी आजीविका के अवसर उत्पन्न करना।
- ग्रामीण औद्योगिक गतिविधियों के माध्यम से मजदूरी रोजगार और स्वरोजगार का समर्थन करना।
- इच्छुक उद्यमियों को इन्क्यूबेशन, परामर्श और मार्गदर्शन प्रदान करना।
- कौशल को व्यवहार्य व्यावसायिक मॉडलों में परिवर्तित करके ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ करना।

ASPIRE योजना की प्रमुख विशेषताएं

- पूरे ग्रामीण भारत में **आजीविका व्यावसायिक इनक्यूबेटर (Livelihood Business Incubators - LBIs)** की स्थापना।
- LBIs निम्नलिखित प्रदान करते हैं:
  - कौशल प्रशिक्षण
  - व्यावसायिक परामर्श (मेंटरिंग)
  - उद्यम विकास सहायता
- नवाचार-संचालित ग्रामीण उद्योगों पर विशेष ध्यान।
- कौशल प्राप्ति से उद्यम सृजन की ओर संक्रमण को प्रोत्साहित करना।
- नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रव्यापी **109** आजीविका व्यावसायिक इनक्यूबेटर अनुमोदित किए गए हैं।
- ये इनक्यूबेटर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थानीय उद्यमिता केंद्रों के रूप में कार्य करते हैं।

संस्थागत और नीतिगत जुड़ाव

- यह **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम** (PMEGP) का पूरक है, जो स्वरोजगार के लिए क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी प्रदान करता है।
- यह MSME **चैंपियंस योजना** के साथ संरेखित है, जिसका उद्देश्य है:
  - ➢ उद्यम आधुनिकीकरण
  - ➢ प्रतिस्पर्धात्मकता संवर्धन
  - ➢ नवाचार और प्रौद्योगिकी को अपनाना

ASPIRE योजना का महत्व

- स्थानीय उद्यम विकास को बढ़ावा देकर ग्रामीण बेरोजगारी का समाधान करना।
- जमीनी स्तर पर नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करना।
- ग्रामीण युवाओं को MSME पारिस्थितिकी तंत्र में एकीकृत करके समावेशी विकास का समर्थन करना।
- ग्राम-स्तरीय आजीविका को सुदृढ़ करके संकटपूर्ण प्रवास (distress migration) को कम करना।
- **आत्मनिर्भर भारत** और **मेक इन इंडिया** के उद्देश्यों में योगदान देना।

निष्कर्ष

ASPIRE योजना नवाचार, कौशल विकास और सूक्ष्म उद्यम निर्माण के लिए एक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करके ग्रामीण उद्यमिता और रोजगार सृजन को सुदृढ़ करने में एक निर्णायक भूमिका निभाती है। **आजीविका व्यावसायिक इनक्यूबेटरों (LBIs)** के माध्यम से, यह योजना कौशल और स्थायी आजीविका के मध्य की दूरी को कम करती है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की प्रमुख पहलों की पूरक बनती है, तथा **समावेशी विकास**, **आत्मनिर्भर भारत** और संतुलित क्षेत्रीय विकास में योगदान देती है। ग्रामीण युवाओं को सशक्त बनाकर और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देकर, एस्पायर योजना ग्रामीण भारत में दीर्घकालिक **आर्थिक लचीलेपन** का समर्थन करती है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: ASPIRE योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. ASPIRE योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित की जाती है।
2. यह योजना लाभार्थियों को आवधिक नकद हस्तांतरण के माध्यम से प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (a)

NUDGE पहल: स्वैच्छिक कर अनुपालन हेतु डेटा एनालिटिक्स का उपयोग

चर्चा में क्यों: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए **सूचनाओं के स्वचालित विनिमय** (AEOI) डेटा का विश्लेषण करने के पश्चात NUDGE पहल के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य करदाताओं द्वारा विदेशी संपत्ति और विदेशी आय के स्वैच्छिक प्रकटीकरण में सुधार करना है।

NUDGE पहल क्या है?

1. **पूर्ण रूप:** मार्गदर्शन और सक्षम करने हेतु डेटा का गैर-दखलकारी उपयोग
2. **कार्यान्वयन प्राधिकारी:** केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT)
3. **नोडल मंत्रालय:** वित्त मंत्रालय
4. **प्रकृति:** व्यवहारपरक और डेटा-संचालित कर अनुपालन कार्यक्रम

यह पहल तत्काल प्रवर्तन कार्रवाई के बिना आयकर रिटर्न में अशुद्धियों को स्व-सुधारने हेतु करदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक **गैर-प्रतिकूल** और प्रौद्योगिकी-सक्षम दृष्टिकोण अपनाती है।

NUDGE पहल के उद्देश्य

- डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके **स्वैच्छिक कर अनुपालन** को बढ़ावा देना।
- प्रकटीकरण सटीकता में सुधार करते हुए दमनकारी प्रवर्तन को न्यूनतम करना।
- करदाताओं को निम्नलिखित की सही रिपोर्टिंग करने में सहायता करना:
  - ➢ विदेशी संपत्ति
  - ➢ विदेशी स्रोत आय (FSI)
- कर पारदर्शिता और **विश्वास-आधारित शासन** को सुदृढ़ करना।

पहल के मुख्य क्षेत्र

- **सूचनाओं के स्वचालित विनिमय** (AEOI) डेटा और आयकर रिटर्न (ITR) के मध्य विसंगतियों की पहचान करना।
- एसएमएस (SMS) और ई-मेल अलर्ट के माध्यम से समय पर संचार।
- दंड अधिरोपित होने से पूर्व रिटर्न के संशोधन को प्रोत्साहित करना।
- निम्नलिखित के अनुपालन को सुनिश्चित करना:
  - ➢ आयकर अधिनियम, 1961
  - ➢ काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) अधिनियम, 2015

प्रथम NUDGE अभियान (नवंबर 2024) के परिणाम

प्रारंभिक चरण ने उन करदाताओं को लक्षित किया जिन्हें निर्धारण वर्ष 2024-25 में विदेशी संपत्तियों के गैर-प्रकटीकरण के लिए AEOI डेटा के अंतर्गत चिह्नित किया गया था।

- **प्रमुख परिणाम:**
  - ➢ **24,678** करदाताओं ने स्वेच्छा से अपने रिटर्न को संशोधित किया।
  - ➢ **₹29,208 करोड़** मूल्य की विदेशी संपत्तियों का प्रकटीकरण।
  - ➢ **₹1,089.88 करोड़** की विदेशी स्रोत आय के रूप में घोषणा।
- इसने कर प्रशासन में 'पुलिसिंग' (कठोर निगरानी) के स्थान पर 'Nudging' (सकारात्मक प्रोत्साहन) की प्रभावशीलता को सिद्ध किया।

द्वितीय NUDGE अभियान (नवंबर 2025): प्रमुख विशेषताएं

- उन करदाताओं को लक्षित करता है जिनकी:
  - ➢ विदेशी संपत्ति AEOI डेटा में दिखाई देती है।
  - ➢ किंतु निर्धारण वर्ष (AY) 2025-26 के लिए ITR में अघोषित रहती है।

- करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे:
  - रिटर्न की समीक्षा करें और संशोधन करें।
  - **31 दिसंबर 2025** को या उससे पूर्व प्रकटीकरण पूर्ण करें।
- निम्नलिखित में सटीक रिपोर्टिंग पर बल:
  - शेड्यूल FA
  - शेड्यूल FSI
- यह दृष्टिकोण स्वैच्छिक अनुपालन को सक्षम बनाकर दंडात्मक परिणामों को रोकने का उद्देश्य रखता है।

विधिक और वैधानिक समर्थन

विदेशी संपत्ति और आय का सटीक प्रकटीकरण निम्नलिखित के अंतर्गत अनिवार्य है:

- आयकर अधिनियम, 1961
- काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015

गैर-अनुपालन पर कठोर दंड और अभियोजन हो सकता है, जो इस पहल के महत्व को पुष्ट करता है।

सूचनाओं का स्वचालित विनिमय (AEOI) क्या है?

- कर अधिकारियों के मध्य वित्तीय खाता डेटा के व्यवस्थित साझाकरण हेतु एक वैश्विक ढांचा।
- OECD (आर्थिक सहयोग और विकास संगठन) के तत्वावधान में विकसित।
- **उद्देश्य:**
  - वैश्विक कर पारदर्शिता को बढ़ाना।
  - सीमा पार कर चोरी का मुकाबला करना।
  - निवासियों की विदेशी वित्तीय होल्डिंग्स को ट्रैक करना।

प्रमुख AEOI ढांचे

- **सामान्य रिपोर्टिंग मानक (CRS):**
  - वित्तीय संस्थानों के लिए विदेशी खाते के विवरण की रिपोर्ट करना अनिवार्य है।
  - प्रतिभागी क्षेत्रों के मध्य वार्षिक रूप से डेटा साझा किया जाता है।
- **विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (FATCA):**
  - अमेरिकी व्यक्तियों के वित्तीय खातों की रिपोर्टिंग हेतु अमेरिका के नेतृत्व वाला ढांचा।
  - अंतर-सरकारी समझौतों के माध्यम से संचालित होता है।

भारत के लिए AEOI का महत्व

- अघोषित विदेशी संपत्तियों का पता लगाने में सहायता करता है।
- लुप्त कर राजस्व की वसूली सक्षम करता है।
- जोखिम-आधारित मूल्यांकन और अनुपालन रणनीति को सुदृढ़ करता है।
- विश्वसनीय तृतीय-पक्ष डेटा प्रदान करके NUDGE जैसी पहलों का समर्थन करता है।

NUDGE पहल का शासन संबंधी महत्व

- प्रौद्योगिकी-संचालित कर प्रशासन की ओर परिवर्तन को प्रतिबिंबित करता है।
- विश्वास-आधारित और सहकारी अनुपालन को प्रोत्साहित करता है।
- मुकदमेबाजी और प्रशासनिक बोझ को कम करता है।
- भारत के 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

इकाई 10

महत्वपूर्ण रिपोर्ट

जल शक्ति मंत्रालय ने 'गतिशील भूजल संसाधन मूल्यांकन प्रतिवेदन 2025' जारी किया

चर्चा में क्यों: 'भारत के गतिशील भूजल संसाधन, 2025' का मूल्यांकन भूजल की स्थिति, चुनौतियों और नीतिगत प्रतिक्रियाओं का एक अद्यतन चित्रण प्रस्तुत करता है।

भूजल उपलब्धता एवं निष्कर्षण (2025)

- **भारत** में कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण का अनुमान 448.52 बिलियन क्यूबिक मीटर (BCM) लगाया गया है।
- वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधन 407.75 BCM का आकलन किया गया है।
- सभी उपयोगों हेतु कुल वार्षिक भूजल निष्कर्षण 247.22 BCM के स्तर पर है।
- देश हेतु 'भूजल निष्कर्षण की अवस्था' (SoE) 60.63% है, जो राष्ट्रीय स्तर पर मध्यम तनाव को इंगित करती है।

मूल्यांकन इकाइयों का वर्गीकरण

- **भारत** की 6,762 मूल्यांकन इकाइयों में से 730 इकाइयाँ (10.80%) 'अति-शोषित' (over-exploited) के रूप में वर्गीकृत हैं, जहाँ निष्कर्षण पुनर्भरण से अधिक है।
- 201 इकाइयाँ (2.97%) 'गंभीर' श्रेणी के अंतर्गत आती हैं।
- 758 इकाइयाँ (11.21%) 'अर्ध-गंभीर' के रूप में वर्गीकृत हैं।
- 4,946 इकाइयाँ (73.14%) 'सुरक्षित' श्रेणी में बनी हुई हैं।
- 127 इकाइयाँ (1.88%) लवणता से प्रभावित हैं।

भूजल गुणवत्ता की स्थिति

- केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) की निगरानी इंगित करती है कि **भारत** में भूजल मुख्य रूप से पेयजल योग्य है, जिसमें पृथक क्षेत्रों में स्थानीय संदूषण देखा गया है।
- पहचाने गए प्रमुख प्रदूषकों में आर्सेनिक, फ्लोराइड, नाइट्रेट और भारी धातुएं सम्मिलित हैं, जो विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न हैं।
- समय पर सुधारात्मक कार्यवाही हेतु वार्षिक और आवधिक भूजल गुणवत्ता प्रतिवेदन जारी किए जाते हैं।

एक्विफर मानचित्रण और वैज्ञानिक अध्ययन

- राष्ट्रीय एक्विफर मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम (NAQUIM) के अंतर्गत, लगभग 25 लाख वर्ग किमी के संपूर्ण मानचित्रण योग्य क्षेत्र को कवर किया गया है।
- 654 जनपदों हेतु जनपद-वार एक्विफर मानचित्र और प्रबंधन योजनाएं तैयार की गई हैं, जिनमें 14 प्रधान एक्विफर और 42 प्रमुख एक्विफर सम्मिलित हैं।
- इन योजनाओं में आपूर्ति-पक्ष और मांग-पक्ष दोनों के उपाय सम्मिलित हैं और इन्हें राज्य एवं जनपद प्रशासनों के साथ साझा किया गया है।

कृत्रिम पुनर्भरण और संरक्षण नियोजन

- 'भूजल हेतु कृत्रिम पुनर्भरण की मास्टर प्लान-2020' लगभग 1.42 करोड़ पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण का प्रस्ताव करती है।
- इस योजना में लगभग 185 BCM जल संचयन की क्षमता है, जो राज्यों के लिए एक वृहद-स्तरीय तकनीकी मार्गदर्शिका प्रदान करती है।

प्रमुख सरकारी पहलें

- जल शक्ति अभियान (JSA), जो 2019 से प्रतिवर्ष क्रियान्वित है, जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देने हेतु कई योजनाओं के वित्त का अभिसरण करता है।
- JSA के अंतर्गत, विगत चार वर्षों में लगभग 1.21 करोड़ जल संरक्षण और पुनर्भरण कार्य पूर्ण किए गए हैं।
- समुदाय-संचालित वर्षा जल संचयन और स्थानीय जल समाधानों को बढ़ावा देने हेतु 'जल संचय जन भागीदारी' (JSJB) का शुभारंभ किया गया।
- अटल भूजल योजना ने 7 राज्यों के 80 जल-तनावग्रस्त जनपदों में सहभागी भूजल प्रबंधन का प्रदर्शन किया, जिससे व्यापक स्तर पर पुनर्भरण कार्य और सिंचाई दक्षता में सुधार हुआ।
- मिशन अमृत सरोवर के माध्यम से लगभग 69,000 जल निकायों का निर्माण या जीर्णोद्धार किया गया, जिससे भूजल पुनर्भरण संवर्धित हुआ।

भूजल निष्कर्षण का विनियमन

- केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (CGWA) 2020 में अधिसूचित अखिल भारतीय दिशा-निर्देशों के माध्यम से भूजल निष्कर्षण को विनियमित करता है।
- उपायों में अनिवार्य अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC), पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति शुल्क, अवैध निष्कर्षण हेतु दंड और अति-शोषित क्षेत्रों में नए उद्योगों पर प्रतिबंध सम्मिलित हैं।

भूजल गुणवत्ता और पेयजल सुरक्षा

- CGWB नियमित रूप से भूजल गुणवत्ता पर वार्षिक प्रतिवेदन, अर्ध-वार्षिक बुलेटिन और सतर्कता संदेश जारी करता है।
- आर्सेनिक और फ्लोराइड-सुरक्षित कुओं के निर्माण की तकनीकें विकसित की गई हैं और राज्यों के साथ साझा की गई हैं।
- जल जीवन मिशन (JJM) ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल तक पहुंच का समर्थन करता है।

संरक्षण उपायों का प्रभाव

- मानसून-पश्चात 2024 के भूजल स्तर के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि निगरानी किए गए 54.4% कुओं में 2019-23 के औसत की तुलना में जल स्तर में वृद्धि दर्ज की गई है।
- **पालघर** (**महाराष्ट्र**) में 80% कुओं में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई।
- **नबरंगपुर** (**ओडिशा**) में 25% कुओं में सुधार दर्ज किया गया।
- **पाली** और **जोधपुर** जनपदों (**राजस्थान**) में क्रमशः 68.9% और 81.25% कुओं में भूजल स्तर में वृद्धि देखी गई।

निष्कर्ष

2025 का मूल्यांकन इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि यद्यपि राष्ट्रीय भूजल तनाव मध्यम स्तर पर है, तथापि क्षेत्रीय अति-शोषण और गुणवत्ता संबंधी समस्याएं निरंतर बनी हुई हैं। **भारत** में दीर्घकालिक भूजल स्थिरता हेतु एकीकृत नियोजन, सशक्त सार्वजनिक निवेश, सामुदायिक भागीदारी और विनियमन अपरिहार्य हैं

जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (CCPI) 2026

चर्चा में क्यों: CCPI 2026 की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि कोई भी देश खतरनाक जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहा है, जो वैश्विक शासन और कार्यान्वयन के अंतराल को उजागर करता है। ये निष्कर्ष संयुक्त राष्ट्र COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान जारी किए गए। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (CCPI) 2026 इस बात का मूल्यांकन करता है कि देश जलवायु परिवर्तन के शमन और पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने में कितने प्रभावी हैं।

प्रमुख वैश्विक निष्कर्ष

- शीर्ष तीन स्थान रिक्त रहे, क्योंकि किसी भी देश ने "अत्यंत उच्च" जलवायु प्रदर्शन रेटिंग प्राप्त नहीं की।
- **डेनमार्क** 80.52 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रहा, जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले देश के रूप में उभरा।
- **यूनाइटेड किंगडम** 70.80 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर रहा, जिसके पश्चात **मोरक्को** 70.75 अंकों के साथ छठे स्थान पर रहा।
- **चिली**, **लक्ज़मबर्ग**, **लिथुआनिया** और **नीदरलैंड** शीर्ष 10 प्रदर्शन करने वाले देशों में सम्मिलित थे।
- **चीन** और **संयुक्त राज्य अमेरिका** निरंतर सबसे बड़े वैश्विक उत्सर्जक बने हुए हैं, जो जलवायु शमन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।
- **सऊदी अरब** 11.9 के स्कोर के साथ 67वें (अंतिम) स्थान पर रहा, जबकि **ईरान** 66वें स्थान पर रहा, जो इनके दुर्बल जलवायु प्रदर्शन को दर्शाता है।

CCPI 2026 में भारत का प्रदर्शन

- **भारत** 23वें स्थान पर रहा, जो अपनी पिछली 10वीं रैंक से 13 स्थान नीचे गिर गया है।
- **भारत** का कुल स्कोर 61.31 था, जो इसे "मध्यम प्रदर्शन" की श्रेणी में रखता है।
- रिपोर्ट में **भारत** को कोयला, तेल और गैस के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक के रूप में चिन्हित किया गया, जिसने इसकी रैंकिंग को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया।
- **भारत** ने ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन, जलवायु नीति और ऊर्जा उपयोग में "मध्यम" अंक प्राप्त किए।
- नवीकरणीय ऊर्जा प्रदर्शन में **भारत** का स्कोर "निम्न" रहा, जो तीव्र ऊर्जा संक्रमण की आवश्यकता का संकेत देता है।

जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (CCPI) के विषय में

- CCPI एक स्वतंत्र निगरानी उपकरण है जो 63 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु शमन प्रयासों का आकलन करता है।
- यह वर्ष 2005 से प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जा रहा है।
- यह सूचकांक 'जर्मनवाच', 'न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट' और 'क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क (CAN) इंटरनेशनल' द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाता है।
- CCPI चार भारित संकेतकों के आधार पर देशों का मूल्यांकन करता है:
  - ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन – 40%
  - नवीकरणीय ऊर्जा – 20%
  - ऊर्जा उपयोग – 20%
  - जलवायु नीति – 20%
- यह सूचकांक मापता है कि क्या देश पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त कदम उठा रहे हैं।

संबद्ध रिपोर्ट: जलवायु जोखिम सूचकांक (CRI)

- COP30 के दौरान 'जर्मनवाच' द्वारा 'जलवायु जोखिम सूचकांक' (CRI) जारी किया गया।
- CRI चरम मौसम की घटनाओं के मानवीय और आर्थिक प्रभावों का आकलन करता है।
- विगत 30 वर्षों (1995-2024) में जलवायु संबंधी आपदाओं से सर्वाधिक प्रभावित देशों में **भारत** 9वें स्थान पर रहा।
- **भारत** ने 430 चरम मौसम की घटनाओं, 170 बिलियन डॉलर की आर्थिक हानि और लगभग 80,000 मृत्यु दर्ज कीं।
- इस अवधि के दौरान जलवायु संबंधी आपदाओं के कारण होने वाली वैश्विक मृत्यु में **भारत** की हिस्सेदारी लगभग 9.6% रही।

भारत की रोजगार संभावनाएं: रोजगार के मार्ग (NCAER 2025)

चर्चा में क्यों: दिसंबर 2025 में "भारत की रोजगार संभावनाएं: रोजगार के मार्ग" शीर्षक वाली रिपोर्ट 'नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च' द्वारा निर्मुक्त की गई। यह रिपोर्ट परीक्षण करती है कि क्या **भारत**, विशेष रूप से युवाओं और महिलाओं के लिए, अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग करने हेतु पर्याप्त, स्थिर और उत्पादक रोजगार सृजित कर रहा है।

1956 में स्थापित NCAER, **भारत** का प्राचीनतम आर्थिक नीति अनुसंधान संस्थान है, जो इसके निष्कर्षों को विश्वसनीयता प्रदान करता है।

रिपोर्ट का महत्व

- रिपोर्ट चेतावनी देती है कि **भारत** अपनी तीव्र गति से विस्तृत होती कार्यशील आयु वाली जनसंख्या के लिए पर्याप्त गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजित नहीं कर रहा है।
- यह सतर्क करती है कि त्वरित सुधारों के बिना, **भारत** 2040 के दशक तक अपने जनसांख्यिकीय लाभांश को खोने के जोखिम में है।

राजनीतिक विमर्श बनाम श्रम-बाजार की वास्तविकता

- राजनीतिक विमर्श बारंबार **भारत** की युवा जनसंख्या को एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में चित्रित करता है।
- रिपोर्ट, वाकपटुता और वास्तविकता के मध्य के विच्छेद को उजागर करती है, और संज्ञान लेती है कि रोजगार सृजन जनसंख्या वृद्धि की तुलना में पिछड़ गया है।
- विगत सात वर्षों में, **भारत** ने कार्यशील आयु वाली जनसंख्या में 90 मिलियन लोगों को जोड़ा, किंतु केवल 60 मिलियन रोजगार सृजित किए, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष लगभग 5 मिलियन नौकरियों का अभाव हुआ।
- श्रम बल भागीदारी दर लगभग 50% पर स्थिर बनी हुई है, जबकि महिलाओं की भागीदारी, विशेषकर युवा महिलाओं में, वैश्विक औसत से बहुत नीचे है।

- रिपोर्ट उल्लेख करती है कि जनसांख्यिकीय वातायन 2040 के दशक के उत्तरार्ध के बाद संकुचित होना प्रारंभ हो जाएगा, जिससे नीतिगत सुधार हेतु सीमित समय बचेगा।

संवृद्धि में उत्थान, नियुक्तियों में गिरावट: मांग-पक्ष की बाधाएं

- रिपोर्ट सकल घरेलू उत्पाद संवृद्धि और रोजगार संवृद्धि के मध्य एक संरचनात्मक विच्छेद की पहचान करती है।
- विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की फर्में उत्तरोत्तर 'पूंजी-प्रधान' हो रही हैं, जो श्रम की तुलना में स्वचालन और मशीनरी को प्राथमिकता दे रही हैं।
- **भारत** का श्रम-पूंजी अनुपात समान आय स्तर वाले अन्य देशों की तुलना में निम्न है।
- पारंपरिक रूप से श्रम-प्रधान क्षेत्र जैसे वस्त्र, परिधान और इलेक्ट्रॉनिक्स भी स्वचालित उत्पादन की ओर विस्थापित हो रहे हैं।
- सेवा क्षेत्र, यद्यपि सबसे बड़ा नियोक्ता है, वहां श्रम गहनता में गिरावट देखी जा रही है।
- कृषि अभी भी कार्यबल के लगभग 45% हिस्से को नियोजित करती है, जबकि सकल मूल्य वर्धित में इसका योगदान केवल 15% है, जो निरंतर संरचनात्मक विकृति को प्रतिबिंबित करता है।
- NCAER इस प्रतिरूप को 'असामयिक विऔद्योगीकरण' के रूप में वर्णित करता है।

दुर्बल कौशल पाइपलाइन: आपूर्ति-पक्ष की चुनौतियां

- केवल 4% भारतीय कार्यबल ने औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है।
- अनौपचारिक शिक्षुता सामान्य है, किंतु यह विरल ही स्थिर, कुशल या ऊर्ध्वगामी गतिशील रोजगार की ओर ले जाती है।
- अंतर्राष्ट्रीय तुलना दर्शाती है कि समान प्रशिक्षण कवरेज वाले देश उच्च कौशल-आधारित रोजगार प्राप्त करते हैं, जो **भारत** के कौशल पारिस्थितिकी तंत्र में गुणवत्ता और प्रासंगिकता के मुद्दों को इंगित करते हैं।
- रिपोर्ट रिक्त प्रशिक्षक पदों, कमजोर उद्योग संपर्कों और निम्न नियोजन परिणामों को प्रणालीगत कमजोरियों के रूप में उजागर करती है।
- निम्न कौशल स्तर **भारत** की तुलनात्मक रूप से निम्न उत्पादकता में योगदान करते हैं, विशेष रूप से **चीन** और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में।

रोजगार सृजन के संभावित स्रोत

- NCAER का प्रक्षेपण है कि यदि विनिर्माण 8.2% और सेवाएं 9% की दर से संवृद्धि करती हैं, तो **भारत** 2030 तक 8% GVA संवृद्धि बनाए रख सकता है।
- इस परिदृश्य के अंतर्गत:
  - ➢ विनिर्माण क्षेत्र प्रतिवर्ष लगभग 71,543 रोजगार सृजित कर सकता है।
  - ➢ सेवा क्षेत्र प्रतिवर्ष लगभग 279,130 रोजगार सृजित कर सकता है।
- लक्षित सहायता के साथ, रोजगार में निम्नलिखित वृद्धि हो सकती है:
  - ➢ वस्त्र, परिधान और पादत्राण में 53%।
  - ➢ व्यापार, होटल और रेस्तरां में 79%।
- औपचारिक रूप से प्रशिक्षित श्रमिकों में 9 प्रतिशत अंकों की वृद्धि से 2030 तक 9.3 मिलियन अतिरिक्त रोजगार सृजित हो सकते हैं।
- 12 प्रतिशत अंकों की वृद्धि श्रम-प्रधान क्षेत्रों में रोजगार को 13% तक बढ़ा सकती है।

रोजगार इंजन के रूप में सूक्ष्म-उद्यम

- **भारत** में छह करोड़ से अधिक गैर-कृषि सूक्ष्म-उद्यम हैं, जिनमें से अधिकांश 'स्व-लेखा उद्यम' (OAEs) हैं जो केवल एक व्यक्ति को नियोजित करते हैं।
- डिजिटल तकनीक का उपयोग करने वाले सूक्ष्म-उद्यम, गैर-तकनीकी उपयोगकर्ताओं की तुलना में 78% अधिक श्रमिकों को नियोजित करते हैं।
- ऋण पहुंच में 1% की वृद्धि से नियुक्त श्रमिकों में 45% की वृद्धि होती है।
- रिपोर्ट स्व-लेखा उद्यम(OAE) को 'नियोजित श्रमिक उद्यमों' (HWEs) में परिवर्तित करने हेतु सक्षम बनाने के महत्व पर बल देती है।
- यह संक्रमण ऋण तक बेहतर पहुंच, प्रौद्योगिकी अंगीकरण, बाजार संपर्क और सरलीकृत अनुपालन की अपेक्षा करता है।

नीतिगत अनुशंसाएं: एक दोहरी रणनीति

- रिपोर्ट का तर्क है कि कोई भी एकल सुधार **भारत** के रोजगार संकट का समाधान नहीं कर सकता।
- यह श्रम मांग और श्रम आपूर्ति पर केंद्रित एक 'दोहरी रणनीति' की अनुशंसा करती है।

मांग पक्ष पर, रिपोर्ट अनुशंसा करती है:

- उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजनाओं को श्रम-प्रधान क्षेत्रों की ओर पुनर्निर्देशित करना।
- MSME के लिए ऋण पहुंच में सुधार करना।
- **तमिलनाडु** के मॉडल से औद्योगिक क्लस्टर और टेक्सटाइल पार्क विकसित करना।
- रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन (ELI) का परिचय देना जो न केवल नियुक्ति के लिए, बल्कि श्रमिक प्रतिधारण और निष्पादन हेतु पुरस्कृत करना।

आपूर्ति पक्ष पर, रिपोर्ट अनुशंसा करती है:

- NEP 2020 के अंतर्गत स्कूली पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करना।
- व्यावसायिक और उच्च शिक्षा के मध्य गतिशीलता सक्षम करने हेतु 'नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क' को क्रियान्वित करना।
- राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों का आधुनिकीकरण करना।
- प्रशिक्षकों के रिक्त पदों को भरना और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से शिक्षुता का विस्तार करना।
- पाठ्यक्रम अभिकल्प और मूल्यांकन में उद्योग की भागीदारी सुनिश्चित करना।

निष्कर्ष

रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि रोजगार के परिणाम नीतिगत विकल्पों से निर्मित होते हैं, न कि केवल जनसांख्यिकीय नियति से। भारत के पास अब भी अपने जनसांख्यिकीय लाभांश को उत्पादक रोजगार और उच्च विकास में बदलने का अवसर है, लेकिन यह अवसर तेजी से समाप्त हो रहा है। समय पर सुधारों के अभाव में भारत पर्याप्त रोजगार सृजन के बिना ही विकास का जोखिम उठाता है, जिससे सामाजिक स्थिरता और दीर्घकालिक विकास कमजोर पड़ सकते हैं।

स्वच्छ सर्वेक्षण का 10वां संस्करण

चर्चा में क्यों: आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (SBM-U) के अंतर्गत विश्व के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण के एक दशक पूर्ण होने के उपलक्ष्य में स्वच्छ सर्वेक्षण 2025–26 का 10वां संस्करण प्रारंभ किया है। यह पहल नागरिक भागीदारी, पारदर्शिता और संस्थागत उत्तरदायित्व को सुदृढ़ करके कचरा मुक्त शहरों के विजन को गति प्रदान करने का लक्ष्य रखती है।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2025–26 का विषय

- स्वच्छ सर्वेक्षण 2025–26 का विषय "स्वच्छता की नई पहल – बढ़ाएं हाथ,

करें सफाई साथ" है, जो सामूहिक उत्तरदायित्व और नागरिक-नेतृत्व वाली स्वच्छता पर बल देता है।

10वें संस्करण की प्रमुख विशेषताएं

- स्वच्छ सर्वेक्षण एक वार्षिक रैंकिंग अभ्यास से विकसित होकर शहरी स्वच्छता हेतु एक सतत प्रबंधन और शासन उपकरण के रूप में विकसित हुआ है ।
- सर्वेक्षण का दायरा 2016 में 73 शहरी स्थानीय निकायों से बढ़कर 2024 में लगभग 4,900 शहरी स्थानीय निकायों तक विस्तृत हो गया है, जो इसके बढ़ते पैमाने और प्रभाव को परिलक्षित करता है।
- मूल्यांकन ढांचे में नागरिक धारणा और सहभागिता को महत्वपूर्ण रूप से उच्च अधिभार प्रदान किया गया है।

नागरिक स्वर का सुदृढ़ीकरण

- नागरिक अब वर्ष भर प्रतिपुष्टि प्रदान कर सकते हैं, जिससे भागीदारी कार्यक्रम-आधारित होने के बजाय निरंतर बन गई है।
- 'वोट फॉर माई सिटी' ऐप और पोर्टल, MyGov ऐप, स्वच्छता ऐप और क्यूआर कोड जैसे बहुविध डिजिटल मंचों को एकीकृत किया गया है।
- नागरिक सत्यापन अंकों में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है, जो शहरी शासन में प्रमुख हितधारकों के रूप में लोगों की भूमिका को सुदृढ़ करती है।

विस्तृत भौगोलिक दायरा

- मूल्यांकन में अब **भारत** के सभी नदी-तटीय शहरों को सम्मिलित किया जाएगा, जिसका विस्तार केवल गंगा-तटीय शहरों से आगे बढ़ाया गया है।
- तटीय शहरों के लिए एक पृथक मूल्यांकन मैट्रिक्स प्रस्तुत किया गया है, जिससे उन्हें औपचारिक रूप से स्वच्छ सर्वेक्षण ढांचे के अंतर्गत लाया जा सके।

नवीन पुरस्कार श्रेणियां और परामर्श ढांचा

- 'स्वच्छ शहर जोड़ी' के लिए एक नवीन पुरस्कार श्रेणी प्रारंभ की गई है, जो परामर्शदाता–परामर्शग्राही शहर युग्मों को मान्यता प्रदान करती है।
- स्वच्छ शहर जोड़ी कार्यक्रम के अंतर्गत, 72 परामर्शदाता शहरों और 200 परामर्शग्राही शहरों ने सहकर्मी शिक्षण और सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुकरण को बढ़ावा देने हेतु समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।
- पुरस्कार विभिन्न जनसंख्या श्रेणियों में शहर युग्मों के औसत प्रदर्शन पर आधारित होंगे।

सुदृढ़ और पारदर्शी मूल्यांकन प्रणाली

- गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने हेतु एक कड़ाई से नियंत्रित, प्रोटोकॉल-संचालित मूल्यांकन ढांचा प्रस्तुत किया गया है।
- एक राष्ट्रीय निगरानी टीम और प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक समर्पित एकल-संपर्क अधिकारी इस प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करेंगे।
- 3,000 से अधिक प्रशिक्षित क्षेत्रीय मूल्यांकनकर्ता सभी शहरी स्थानीय निकायों में 45 दिवसीय, जीपीएस-सक्षम, धरातलीय सर्वेक्षण करेंगे।
- संपूर्ण प्रक्रिया पूर्णतः डिजिटल है, जिसमें साक्ष्य प्रस्तुतिकरण, सत्यापन और गुणवत्ता जांच सम्मिलित है।

महत्व

- स्वच्छ सर्वेक्षण जन आंदोलन की भावना को साकार करता है, जो स्वच्छता को एक साझा राष्ट्रीय आकांक्षा में परिवर्तित करता है।
- एक सुदृढ़ सार्वजनिक प्रतिपुष्टि और शिकायत निवारण पारिस्थितिकी तंत्र उत्तरदायित्व और नागरिक गौरव को संवर्धित करता है।
- यह पहल "स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता" को सुदृढ़ करती है, जिससे स्वच्छता को एक बार के अभियान के बजाय एक निरंतर व्यवहारिक अभ्यास बनाया जा सके।

इकाई 11

समाचारों में चर्चित व्यक्तित्व

सरदार वल्लभभाई पटेल

चर्चा में क्यों: **प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी** ने भारत के '**लौह पुरुष**' के रूप में विख्यात सरदार वल्लभभाई पटेल की **75वीं पुण्यतिथि** पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पटेल की विरासत भारत की राजनीतिक एकता, प्रशासनिक ढांचे और संघीय स्वरूप को निरंतर आकार दे रही है।

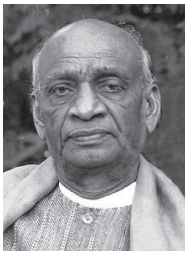

प्रारंभिक जीवन और राजनीतिक भूमिका

- जन्म: 31 अक्टूबर 1875
- मृत्यु: 15 दिसंबर 1950
- धारित पद:
  - भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री,
  - प्रथम केंद्रीय गृह मंत्री।
- सरदार पटेल ने स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय संघ के सुदृढ़ीकरण में निर्णायक भूमिका निभाई और उन्हें भारत के राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया में एक आधारभूत व्यक्तित्व माना जाता है।

संविधान निर्माण में भूमिका

- सरदार वल्लभभाई पटेल ने संविधान सभा की कई महत्वपूर्ण समितियों की अध्यक्षता की, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:
  - मौलिक अधिकारों पर परामर्शदात्री समिति
  - अल्पसंख्यकों पर समिति
  - जनजातीय, अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों पर समिति
  - प्रांतीय संविधान समिति
- उनके दृष्टिकोण ने संवैधानिक ढांचे में **एकता, विविधता और प्रशासनिक दक्षता** के मध्य संतुलन सुनिश्चित किया।

आधुनिक सिविल सेवा में योगदान

- पटेल को अखिल भारतीय सेवाओं, विशेषकर **भारतीय प्रशासनिक सेवा** (IAS) का मुख्य वास्तुकार माना जाता है।
- वे सिविल सेवकों को "**भारत के स्टील फ्रेम**" के रूप में देखते थे, जो प्रशासनिक निरंतरता और राष्ट्रीय अखंडता बनाए रखने के लिए अनिवार्य हैं।
- उनके विजन ने एक नव स्वतंत्र राष्ट्र के लिए **योग्यता-आधारित और राजनीतिक रूप से तटस्थ नौकरशाही** सुनिश्चित की।

भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका

- **खेड़ा सत्याग्रह (1917):**
  - गुजरात में फसल के नुकसान होने के समय अनुचित भू-राजस्व मांगों के विरुद्ध किसानों को संगठित करने में महात्मा गांधी का समर्थन किया।
  - इसने भूमिगत स्तर के नेतृत्व और किसान प्रतिरोध को सुदृढ़ किया।
- **असहयोग आंदोलन (1920–22):**
  - व्यापक स्तर पर जन लामबंदी का आयोजन किया।
  - बहिष्कार:
    - विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और
    - आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए खादी के संवर्धन का समर्थन किया।
  - कांग्रेस के जनाधार को विस्तृत करने में प्रमुख भूमिका निभाई।
- **बारदोली सत्याग्रह (1928):**
  - अत्यधिक भू-राजस्व वृद्धि के विरुद्ध एक सफल 'कर-नहीं' अभियान का नेतृत्व किया।
  - 'सरदार' की उपाधि प्राप्त की, जो उनके नेतृत्व और जीवंतता का प्रतीक बनी।
- **सविनय अवज्ञा आंदोलन (1930–34):**
  - नमक सत्याग्रह में भाग लिया और नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार को चुनौती दी।
  - अहिंसक जन प्रतिरोध की रणनीति को बल प्रदान किया।
- **भारत छोड़ो आंदोलन (1942):**
- विभिन्न क्षेत्रों में हड़ताल, विरोध प्रदर्शन और सविनय अवज्ञा का आयोजन किया।
- उनके भाषणों ने जनता को
  - ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार,
  - कर भुगतान से इनकार
  - औपनिवेशिक प्रशासन को बाधित करने के लिए ऊर्जावान बनाया।

स्वतंत्रता के पश्चात योगदान

- कूटनीति और दृढ़ता के माध्यम से 560 से अधिक रियासतों का भारतीय संघ में एकीकरण किया।
- राजनीतिक स्थिरता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए प्रशासनिक आधारशिला रखी।

सम्मान और विरासत

- 1991 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित।
- उनके आदर्श भारत के शासन और एकता का निरंतर मार्गदर्शन करते हैं।

स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती

चर्चा में क्यों: केंद्रीय गृह मंत्री ने **स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती के बलिदान दिवस** (23 दिसंबर) पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें एक स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद् और समाज सुधारक के रूप में स्मरण किया, जिन्होंने आध्यात्मिकता का राष्ट्रवाद के साथ सहज समन्वय किया।

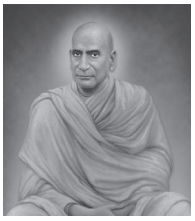

स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती कौन थे?

- स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती (1856–1926) एक प्रतिष्ठित भारतीय राष्ट्रवादी, आर्य समाज के नेता और समाज सुधारक थे, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम, शैक्षिक सुधार और सामाजिक समानता में स्थायी योगदान दिया।
- **जन्म**: 1856, जन्मस्थान: तलवान ग्राम, जालंधर जिला, पंजाब।
- **मूल नाम**: मुंशी राम।
- **अन्य नाम**: महात्मा मुंशी राम, स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती।
- **मृत्यु**: 23 दिसंबर 1926 को दिल्ली में हत्या।

शैक्षिक सुधार में भूमिका

- स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती की सबसे स्थायी विरासतों में से एक राष्ट्रवादी शिक्षा का क्षेत्र है।
- 1902 में, उन्होंने हरिद्वार के निकट **कांगड़ी में गुरुकुल की स्थापना** की।
- यह संस्थान कालांतर में गुरुकुल **कांगड़ी विश्वविद्यालय के रूप में** विकसित हुआ, जो आधुनिक भारत में स्वदेशी शिक्षा के प्रारंभिक केंद्रों में से एक था।
- गुरुकुल मॉडल ने:
  - चरित्र निर्माण,
  - नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों,
  - शारीरिक प्रशिक्षण
  - आधुनिक शिक्षा के साथ वैदिक ज्ञान के एकीकरण पर बल दिया।

समाज सुधार और शुद्धि आंदोलन

- स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में आर्य समाज की समाज सुधार पहलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- वे 1920 के दशक के शुद्धि आंदोलन के प्रमुख व्यक्तित्व थे।
- इस आंदोलन का उद्देश्य था:
  - हिंदू धर्म त्याग चुके व्यक्तियों का पुनः धर्मांतरण
  - सामाजिक एकीकरण और उत्थान,
  - धार्मिक विखंडन का प्रतिकार।
- उनका कार्य टकराव के बजाय समाज के भीतर से सामाजिक समानता, एकता और सुधार पर केंद्रित था।

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान

- स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने औपनिवेशिक विरोधी संघर्ष में सक्रिय रूप से भाग लिया और स्वयं को व्यापक राष्ट्रीय आंदोलन के साथ संरेखित किया।
- दमनकारी औपनिवेशिक कानूनों के विरुद्ध रौलट सत्याग्रह (1919) में भाग लिया।
- महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किए गए असहयोग आंदोलन (1920–22) का सक्रिय समर्थन किया।
- उन्होंने जनता को लामबंद करने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया:
  - सार्वजनिक भाषणों,
  - राष्ट्रवादी लेखों
  - रचनात्मक सामाजिक कार्यों के माध्यम से
- उनका मानना था कि राजनीतिक स्वतंत्रता, सामाजिक और नैतिक पुनरुद्धार से अविभाज्य है।

बलिदान और विरासत

- स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती की 23 दिसंबर 1926 को दिल्ली में हत्या कर दी गई थी।
- उन्हें एक कर्मयोगी के रूप में स्मरण किया जाता है, जिन्होंने अपना जीवन
  - राष्ट्रीय सेवा,
  - समाज सुधार और
  - शैक्षिक परिवर्तन के लिए समर्पित कर दिया।

प्रमुख मूल्य और आदर्श

- सामाजिक समानता और न्याय
- नैतिक मूल्यों पर आधारित राष्ट्रवाद
- स्वदेशी संस्थानों के माध्यम से शैक्षिक सुधार
- धर्म और सामाजिक प्रगति के बीच सामंजस्य

महत्व

- स्वतंत्रता संग्राम में धार्मिक सुधारकों की भूमिका को चिन्हित करता है।
- राष्ट्र निर्माण के एक उपकरण के रूप में शिक्षा के महत्व को रेखांकित करता है।
- सामाजिक सुधार, राष्ट्रवाद और नैतिकता के जुड़ाव को प्रदर्शित है।

डॉ. राजेंद्र प्रसाद

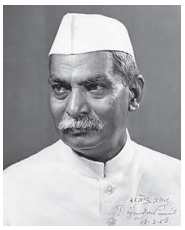

चर्चा में क्यों: भारत के उपराष्ट्रपति, **श्री सी. पी. राधाकृष्णन** ने भारत के प्रथम **राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद** की जयंती (3 दिसंबर) के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और भारत के स्वतंत्रता संग्राम तथा संवैधानिक शासन में उनके योगदान का स्मरण किया।

प्रारंभिक जीवन और शिक्षा

- **जन्म**: 3 दिसंबर 1884।
- **स्थान**: जीरादेई, बिहार।
- डॉ. राजेंद्र प्रसाद अल्पायु से ही अपनी शैक्षणिक प्रतिभा और अनुशासित स्वभाव के लिए विख्यात थे।
- उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की, जहाँ उन्होंने विधि और मानविकी में उत्कृष्टता प्राप्त की।

व्यावसायिक जीवन और सार्वजनिक जीवन में प्रवेश

- डॉ. प्रसाद ने एक अधिवक्ता के रूप में अपना करियर प्रारंभ किया और अपनी तीक्ष्ण विधिक सूझबूझ और सत्यनिष्ठा के लिए ख्याति अर्जित की।
- भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित होकर, उन्होंने स्वतंत्रता के उद्देश्य हेतु अपनी समृद्ध विधिक वृत्ति का परित्याग कर दिया।
- महात्मा गांधी के साथ उनके वैचारिक जुड़ाव ने सत्य, सादगी और जन लामबंदी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को आकार दिया।

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका

- गांधीजी के निकट सहयोगी के रूप में, डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने निम्नलिखित में सक्रिय रूप से भाग लिया:
  - असहयोग आंदोलन।
  - सविनय अवज्ञा आंदोलन।
- 1906 में, उन्होंने **बिहारी छात्र सम्मेलन** की स्थापना में अग्रणी भूमिका निभाई, जो बाद में पूर्वी भारत में राष्ट्रवादी लामबंदी के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा।
- उन्होंने कई बार कारावास सहन किया, जो स्वतंत्रता संग्राम के प्रति उनके त्याग और समर्पण को दर्शाता है।

संविधान सभा में नेतृत्व

- स्वतंत्रता के पश्चात, डॉ. राजेंद्र प्रसाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए।
- पीठासीन अधिकारी के रूप में, उन्होंने:
  - व्यवस्थित विचार-विमर्श और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सुनिश्चित किया।
  - विविध वैचारिक दृष्टिकोणों के मध्य आम सहमति बनाने को प्रोत्साहित किया।
- उन्होंने खाद्य और कृषि समिति के अध्यक्ष के रूप में भी सेवा की, जिससे खाद्य सुरक्षा और कृषि सुधारों पर प्रारंभिक नीतिगत चर्चाओं में योगदान मिला।
- उनके नेतृत्व ने संविधान की वैधता, समावेशिता और नैतिक अधिकार को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

भारत के प्रथम राष्ट्रपति (1950–1962)

- 26 जनवरी 1950 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया।
- उनके राष्ट्रपति पद की प्रमुख विशेषताएं:
  - संवैधानिक पद की गरिमा और तटस्थता को बनाए रखा।
  - राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य एक सूक्ष्म संतुलन बनाए रखा।
  - एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के बजाय एक संवैधानिक संरक्षक के रूप में कार्य किया।
- वे भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिन्होंने दो पूर्ण कार्यकाल पूरे किए हैं।
- उनका 12 वर्षीय कार्यकाल (1950–1962) भारतीय इतिहास में सबसे लंबा राष्ट्रपति कार्यकाल है।

अंतिम जीवन और विरासत

- पदमुक्त होने के पश्चात, डॉ. प्रसाद सार्वजनिक जीवन से दूर हो गए और सदाकत आश्रम, पटना में निवास किया।
- 28 फरवरी 1963 को उनका स्वर्गवास हो गया।
- उनका जीवन निम्नलिखित मूल्यों को प्रेरित करता है:
  - संवैधानिक नैतिकता।
  - विनम्रता के साथ सार्वजनिक सेवा।
  - नैतिक नेतृत्व।

ऐतिहासिक और संवैधानिक महत्व

- स्वतंत्रता संग्राम और संवैधानिक शासन के मध्य निरंतरता का प्रतीक बने।
- राष्ट्रपति की गैर-पक्षपाती भूमिका के लिए प्रारंभिक परंपराएं स्थापित कीं।
- राष्ट्र-निर्माण के महत्वपूर्ण चरण के दौरान भारत की लोकतांत्रिक नींव को सुदृढ़ किया।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: डॉ. राजेंद्र प्रसाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. उन्होंने भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।
2. वे भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने पद पर दो पूर्ण कार्यकाल पूरे किए।
3. उन्होंने भारतीय संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता की।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सत्य हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) सभी तीन (d) कोई नहीं

उत्तर: (c)

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: "डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम और इसके संवैधानिक लोकतंत्र के मध्य निरंतरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।" एक राष्ट्रवादी नेता और भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में उनके योगदानों की चर्चा कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)

विनोद कुमार शुक्ल

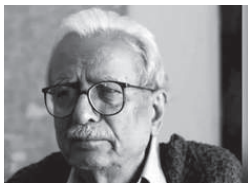

चर्चा में क्यों: प्रसिद्ध हिंदी लेखक और कवि विनोद कुमार शुक्ल का 88 वर्ष की आयु में रायपुर, छत्तीसगढ़ में निधन हो गया।

प्रमुख बिंदु

- विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी, 1937 को राजनांदगांव (अब छत्तीसगढ़ में) में हुआ था।
- उनका साहित्यिक जीवन पांच दशकों से अधिक विस्तृत था, जिसमें कविता, लघु कथाएँ, उपन्यास और निबंध सम्मिलित थे।
- उनकी लेखन शैली साधारण और हाशिए के लोगों पर केंद्रित थी, जो दैनिक अनुभवों को दार्शनिक गहनता प्रदान करती थी।
- उनके प्रथम कविता संग्रह, 'लगभग जय हिंद' (1971) ने उस समय के प्रमुख राष्ट्रवादी विमर्श से पृथक पहचान बनाई।
- उनके उपन्यास 'नौकर की कमीज' (1979) ने वर्ग, गरिमा और सामाजिक पदानुक्रम के विषयों का अन्वेषण किया और इस पर मणि कौल द्वारा एक चलचित्र (फिल्म) भी निर्मित किया गया।
- उनकी सर्वाधिक प्रशंसित कृति, 'दीवार में एक खिड़की रहती थी' ने 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता।
- उनकी रचनाओं में आंतरिक जीवन और सामाजिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने हेतु दीवारों, खिड़कियों, कमरों और सड़कों का रूपकों के रूप में बारंबार प्रयोग किया गया।
- शुक्ल जी के पात्र प्रायः गैर-नायक थे, जो प्रत्यक्ष विद्रोह के स्थान पर सहनशीलता और शांत प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करते थे।
- वे मुख्य रूप से प्रमुख साहित्यिक केंद्रों से दूर **छत्तीसगढ़** में रहे और कार्य किया, जिसने उनके धरातलीय और पारिस्थितिक दृष्टिकोण को आकार दिया।
- वर्ष 2023 में, वे 'पेन/नाबोकोव लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड' प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय लेखक बने।

इकाई 12

विविध

बॉन्डी बीच

चर्चा में क्यों: **सिडनी** में स्थित **बॉन्डी बीच**, जो **ऑस्ट्रेलिया** के सबसे प्रतिष्ठित स्थलों में से एक है, हनुक्का के प्रथम दिन एक भीषण आक्रमण का स्थल बन गया, जब दो बंदूकधारियों ने एक यहूदी सभा पर अंधाधुंध गोलीबारी की।

प्रमुख बिंदु:

- **बॉन्डी बीच सिडनी** में एक विश्व प्रसिद्ध समुद्री तट और उपनगर है, जो अपनी सर्फ संस्कृति, पर्यटन और सार्वजनिक मनोरंजन के लिए विख्यात है।
- यह **सिडनी** के केंद्रीय व्यापारिक जिले से 7 किमी पूर्व में, वेवर्ली काउंसिल स्थानीय सरकारी क्षेत्र के भीतर स्थित है।
- यह तट अर्धचंद्राकार है, **तस्मान सागर** की ओर उन्मुख है, और सर्फिंग तथा तैराकी के लिए लोकप्रिय है।
- **बॉन्डी बीच** की सांस्कृतिक प्रमुखता है, और इसे **बॉन्डी रेस्क्यू** तथा **बॉन्डी वेट** जैसे वैश्विक टीवी धारावाहिकों में प्रदर्शित किया गया है।
- इस क्षेत्र में ऐतिहासिक रूप से बहुसांस्कृतिक जनसंख्या निवास करती है, जिसमें एक सशक्त यहूदी समुदाय और प्रवासी विरासत सम्मिलित है।
- यह बिजीगल, बिर्राबिर्रागल और गाडीगल आदिवासी लोगों की पारंपरिक भूमि का भाग है।
- "बॉन्डी" नाम धरावल भाषा से आया है, जिसका अर्थ है एक तीव्र धमक, जो चट्टानों से टकराने वाली तरंगों को संदर्भित करता है।

वीर बाल दिवस

चर्चा में क्यों: सिखों के दसवें गुरु, गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे पुत्रों, साहिबजादा जोरावर सिंह (9 वर्ष) और साहिबजादा फतेह सिंह (7 वर्ष) के सर्वोच्च बलिदान को सम्मान देने हेतु प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को 'वीर बाल दिवस' मनाया जाता है। **भारत** सरकार ने उनके साहस, विश्वास और शहादत की स्मृति में वर्ष 2022 में इस दिवस की घोषणा की थी।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- 1705 में, मुगल सेना ने **आनंदपुर साहिब** की घेराबंदी की थी।
- गुरु गोबिंद सिंह जी को अपने परिवार और अनुयायियों के साथ किला छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा।
- इस अराजकता की अवधि के दौरान, उनके दो छोटे पुत्रों को मुगल अधिकारियों द्वारा बंदी बना लिया गया और **सरहिंद** के मुगल गवर्नर वजीर खान के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
- साहिबजादों पर इस्लाम धर्म स्वीकार करने हेतु दबाव डाला गया, जिसे उन्होंने वीरतापूर्वक अस्वीकार कर दिया।
- दंडस्वरूप, उन्हें 26 दिसंबर 1705 के आसपास **सरहिंद** में जीवित ही दीवारों में चुनवा दिया गया।
- उनकी शहादत धार्मिक स्वतंत्रता, नैतिक साहस और बलिदान के सबसे शक्तिशाली उदाहरणों में से एक है, विशेष रूप से इतनी अल्प आयु में।

वीर बाल दिवस का महत्व

- **साहस और विश्वास का प्रतीक:** साहिबजादों ने अपने विश्वास को त्यागने के स्थान पर शहादत को चुना, जो पीढ़ियों को प्रेरित करता है।
- **धार्मिक स्वतंत्रता का संरक्षण:** बलपूर्वक धर्म परिवर्तन के विरुद्ध प्रतिरोध को रेखांकित करता है।
- **युवाओं हेतु प्रेरणा:** इस बात पर बल देता है कि साहस, अखंडता और नैतिक शक्ति के लिए आयु कोई बाधा नहीं है।
- **सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकीकरण:** भारत की स्वतंत्रता, मूल्यों और बहुलवादी लोकाचार में सिख योगदान को सुदृढ़ करता है।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार

चर्चा में क्यों: दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा **नई दिल्ली** में 'प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार' प्रदान किए गए।

- ये पुरस्कार वीर बाल दिवस (26 दिसंबर) के अवसर पर दिए गए, जो गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादों के साहस और बलिदान का सम्मान करता है।
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार उन बच्चों की असाधारण उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करता है जो प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद साहस, करुणा, नवाचार और उत्कृष्टता का प्रदर्शन करते हैं।
- इस कार्यक्रम ने समाज में बच्चों की भूमिका को केवल कल्याण के लाभार्थियों के रूप में नहीं, बल्कि सक्रिय योगदानकर्ताओं के रूप में रेखांकित किया।

प्रमुख बिंदु

- 5-18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया जाता है।
- यह पुरस्कार छह श्रेणियों में दिया जाता है: वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति, और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी।

- वर्ष 2025 में, देश के विभिन्न भागों से 20 बच्चों को अनुकरणीय उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया।
- ये पुरस्कार कठिन व्यक्तिगत और सामाजिक परिस्थितियों में भी सामाजिक परिवर्तन के एजेंट के रूप में बच्चों की भूमिका पर बल देते हैं।
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भारत के गरिमा, समानता और मानवीय क्षमता के संवैधानिक मूल्यों के साथ-साथ बाल-केंद्रित शासन के अनुरूप है।
- यह पहल पीड़ित होने के बजाय सशक्तिकरण के विमर्श को बढ़ावा देती है, जो राष्ट्र निर्माण में युवा भागीदारी को प्रोत्साहित करती है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा INS वाग्शीर पर भ्रमण

चर्चा में क्यों: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने **भारत** के पश्चिमी तट पर **आई.एन.एस. वाग्शीर** (INS Vaghsheer) पर सवार होकर एक परिचालन पनडुब्बी यात्रा संपन्न की। इसके साथ ही, वह 2006 में डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के पश्चात पनडुब्बी यात्रा का अनुभव करने वाली **भारत** की दूसरी राष्ट्रपति बन गई हैं।

प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारतीय सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर हैं।
- उन्होंने **कारवार** नौसेना बेस, **कर्नाटक** से कलवरी-श्रेणी की पनडुब्बी **आई.एन.एस. वाग्शीर** पर प्रस्थान किया।
- **आई.एन.एस. वाग्शीर** प्रोजेक्ट-75 स्कॉर्पीन कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित की गई छठी और अंतिम पनडुब्बी है।
- इस पनडुब्बी को जनवरी 2025 में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था।
- कलवरी-श्रेणी की पनडुब्बियाँ **भारत** की जलमग्न युद्ध क्षमता का एक प्रमुख भाग हैं।
- **आई.एन.एस. वाग्शीर** वायर-गाइडेड टॉरपीडो, पोत-रोधी मिसाइलों और उन्नत सोनार प्रणालियों से सुसज्जित है।
- प्रोजेक्ट-75 कार्यक्रम स्वदेशी रक्षा विनिर्माण और नौसैनिक आधुनिकीकरण का समर्थन करता है।
- यह आयोजन भारत की समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक निवारण के सुदृढ़ीकरण का प्रतीक है।

पंजाब ने अमृतसर, आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो को 'पवित्र शहर' का दर्जा प्रदान किया

चर्चा में क्यों: **पंजाब** सरकार ने एक आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से **अमृतसर**, **आनंदपुर साहिब** और **तलवंडी साबो** को "पवित्र शहर" का दर्जा प्रदान किया है।

- यह निर्णय **पंजाब** विधानसभा द्वारा **आनंदपुर साहिब** में एक विशेष सत्र के दौरान सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के पश्चात लिया गया है।
- यह सत्र नौवें सिख गुरु, गुरु तेग बहादुर के 350वें शहादत दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था।
- **पंजाब** के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य इन शहरों को सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्रों के रूप में विकसित करना है।

प्रमुख बिंदु

- ये तीन शहर पांच सिख तख्तों में से तीन की मेजबानी करते हैं, जो इन्हें सिख धार्मिक जीवन के लिए केंद्रीय बनाते हैं।
- अमृतसर में अकाल तख्त स्थित है, जो सिखों की सर्वोच्च लौकिक सत्ता है, जिसे 1606 में गुरु हरगोबिंद द्वारा स्थापित किया गया था।
- आनंदपुर साहिब तख्त केशगढ़ साहिब का निवास स्थान है, जहाँ गुरु गोबिंद सिंह ने 1699 में खालसा की स्थापना की थी।
- तलवंडी साबो में तख्त दमदमा साहिब स्थित है, जहाँ गुरु गोबिंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब का संशोधित संस्करण तैयार किया था।
- शेष तख्त, तख्त पटना साहिब (बिहार) और तख्त हजूर साहिब (महाराष्ट्र) हैं।
- पवित्र शहर का दर्जा निर्दिष्ट नगर निगम सीमाओं के भीतर मदिरा, तंबाकू, सिगरेट और मांस की बिक्री को प्रतिबंधित करता है।

ईसाइयों के कथित उत्पीड़न पर नाइजीरिया में अमेरिका के प्रहार

चर्चा में क्यों: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने उत्तर-पश्चिमी **नाइजीरिया** में अमेरिकी हवाई प्रहारों की घोषणा की। ये प्रहार इस्लामिक स्टेट से जुड़े उग्रवादियों (ISWAP) को लक्षित करके किए गए थे और इन्हें ईसाइयों के उत्पीड़न के आरोपों के आधार पर न्यायोचित ठहराया गया था।

नाइजीरिया एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसमें लगभग 53% मुस्लिम, 45% ईसाई और एक लघु जनसंख्या पारंपरिक धर्मों का पालन करने वाली है।

प्रमुख बिंदु:

- **नाइजर** पश्चिमी **अफ्रीका** में एक स्थल-रुद्ध देश है।
- यह उत्तर-पश्चिम में **अल्जीरिया**, उत्तर-पूर्व में **लीबिया**, पूर्व में **चाड**, दक्षिण में **नाइजीरिया** और **बेनिन**, तथा पश्चिम में **बुर्किना फासो** और **माली** द्वारा घिरा हुआ है।
- **नाइजर** की राजधानी **नियामी** है।
- इस देश का नाम **नाइजर नदी** के नाम पर रखा गया है, जो इसके दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र से प्रवाहित होती है।

सोमालीलैंड को इजराइल की मान्यता

चर्चा में क्यों: इजराइल, सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला प्रथम देश बन गया है।

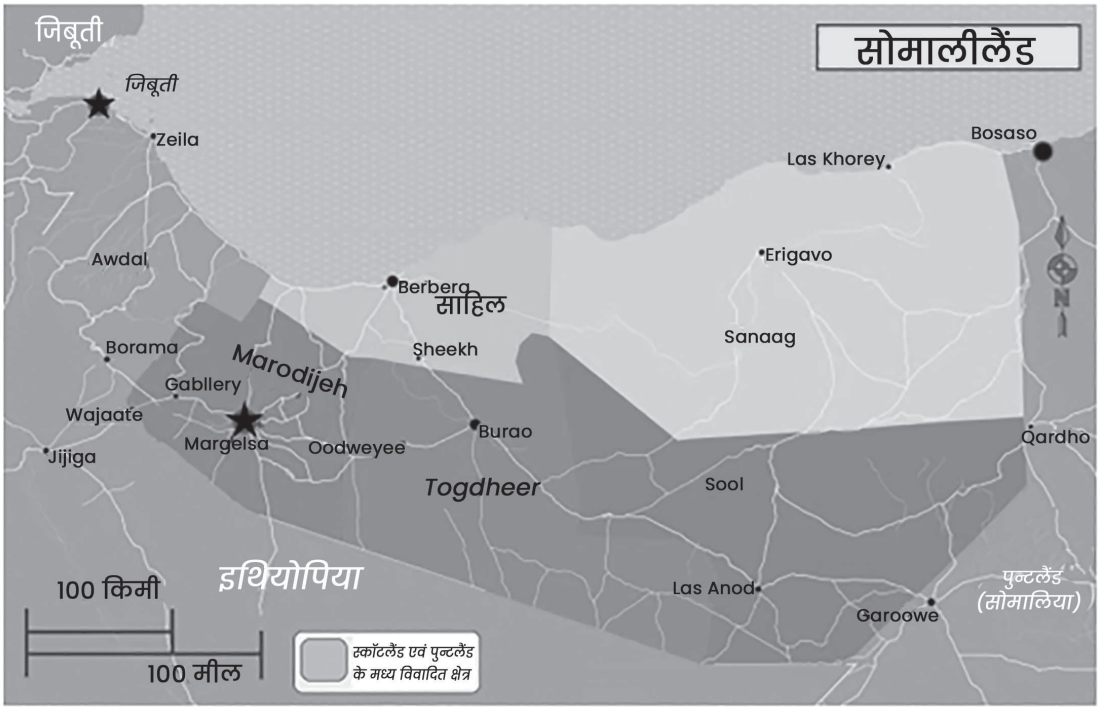

प्रमुख बिंदु

- **सोमालीलैंड** एक स्व-घोषित गणराज्य है जो 1991 में **सोमालिया** के पतन के पश्चात उभरा।
- यह ब्रिटिश सोमालीलैंड के साथ निरंतरता का दावा करता है, जो 1960 में **सोमालिया** के साथ विलय से पूर्व अल्पकाल के लिए एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में था।
- **सोमालीलैंड** की जनसंख्या लगभग साठ लाख है और यह अपनी स्वयं की मुद्रा, पारपत्र (पासपोर्ट), पुलिस और प्रशासन बनाए रखता है।
- **सोमालिया** की तुलना में राजनीतिक स्थिरता के बावजूद, **इजराइल** के इस कदम तक इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं थी।
- **इजराइल** इस मान्यता को अब्राहम समझौते की भावना के अनुरूप देखता है, जो मुस्लिम-बहुल क्षेत्रों के साथ संबंधों को सामान्य बनाने का प्रयास करता है।
- अदन की खाड़ी के निकट इस क्षेत्र की रणनीतिक स्थिति इसे भू-राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती है।
- बरबरा बंदरगाह, जो लाल सागर-अरब सागर संगम के निकट स्थित है, एक महत्वपूर्ण वैश्विक शिपिंग मार्ग पर स्थित है।
- **संयुक्त अरब अमीरात** पहले से ही **बरबरा** में एक सैन्य बंदरगाह और हवाई पट्टी का संचालन करता है, जो इसके सुरक्षा महत्व को रेखांकित करता है।
- **यमन** और हूती-नियंत्रित क्षेत्रों से **सोमालीलैंड** की निकटता इसे खुफिया और सुरक्षा संचालनों के लिए मूल्यवान बनाती है।
- इजराइली रणनीतिक आकलन बताते हैं कि **सोमालीलैंड** हूती गतिविधियों और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा की निगरानी के लिए एक अग्रिम आधार के रूप में कार्य कर सकता है।
- यह मान्यता **इजराइल** और उसके सहयोगियों को **अफ्रीका** में **चीन** के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने में भी सहायता कर सकती है, विशेष रूप से **जिबूती** में **चीन** के सैन्य आधार को देखते हुए।
- **सोमालीलैंड** द्वारा **ताइवान** को दी गई मान्यता इसे **चीन** की 'वन चाइना' नीति के प्रतिकूल खड़ा करती है, जो इसकी भू-राजनीतिक प्रासंगिकता को बढ़ाती है।
- यह निर्णय क्षेत्रीय अस्थिरता का जोखिम उत्पन्न करता है, क्योंकि **सोमालिया**, **सोमालीलैंड** को अपने क्षेत्र का अभिन्न अंग मानता है।
- यह कदम रेखांकित करता है कि कैसे गैर-मान्यता प्राप्त राज्य वैश्विक भू-राजनीति में रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के अखाड़े बन सकते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस IDPD 2025

चर्चा में क्यों: दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को 'अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस' मनाया जाता है।

प्रमुख बिंदु

- संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 47/3 के अनुसरण में यह दिवस प्रथम बार 1992 में मनाया गया था, जो दिव्यांगता अधिकारों को बढ़ावा देने हेतु वैश्विक प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता है।
- दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर अभिसमय (CRPD) 2006, दिव्यांगजनों की समानता, गैर-भेदभाव और पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय ढांचा प्रदान करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस सभी के लिए समावेशी, न्यायसंगत और सतत विकास पर बल देकर 2030 के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के कार्यान्वयन का समर्थन करता है।
- वर्ष 2025 में, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस बुधवार, 3 दिसंबर को था ।
- इस दिवस का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के अनुभवों को रेखांकित करना और उनके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक समावेशन को बढ़ावा देना है।
- 2006 का अभिसमय दिव्यांगजनों के संरक्षण और अधिकारिता हेतु एक कानूनी और अधिकार-आधारित ढांचा प्रदान करता है।

- वर्ष 2025 का विषय "सामाजिक प्रगति को आगे बढ़ाने हेतु दिव्यांगता-समावेशी समाजों को बढ़ावा देना" है, जो समाज के सभी पहलुओं में दिव्यांग व्यक्तियों के एकीकरण पर बल देता है।
- इस दिवस का आयोजन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वैश्विक और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर जागरूकता, नीतिगत सुधार, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास को प्रोत्साहित करता है।

तमिलनाडु के पांच उत्पादों को जी.आई. टैग प्राप्त हुआ

चर्चा में क्यों: तमिलनाडु के पांच उत्पादों — उरैयूर सूती साड़ी, कविंदापडी नाटू शक्करई, नमक्कल मक्कल पाथिरांगल (सोपस्टोन कुकवेयर), थुयामल्ली चावल, और अंबासमुद्रम चोप्पू सामान (लकड़ी के खिलौने) — को भौगोलिक संकेतक (जी. आई.) टैग प्रदान किया गया है, जो राज्य की समृद्ध शिल्प कौशल और कृषि विरासत को रेखांकित करता है। इन परिवर्धनों के साथ, **तमिलनाडु** के पास अब कुल 74 जी.आई.-टैग प्राप्त उत्पाद हैं, जो इसकी विविध पारंपरिक कौशल और क्षेत्रीय विशिष्टताओं को प्रतिबिंबित करते हैं।

जी.आई. टैग उन उत्पादों को प्रदान किए जाते हैं जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल होता है और जिनमें उस स्थान के कारण अद्वितीय गुण, प्रतिष्ठा या विशेषताएं होती हैं।

प्रमुख बिंदु

- **उरैयूर सूती साड़ी:** ये साड़ियाँ **तिरुचि** के मनमेडु में बुनी जाती हैं, जिनमें **कोयंबटूर** और **राजपालयम** के सूती धागे तथा जयमकोंडम के रंगों का उपयोग किया जाता है। ये अपने विशिष्ट शिल्प कौशल और गुणवत्ता के लिए जानी जाती हैं।
- **कविंदापडी नाटू शक्करई:** इरोड जिले का यह गुड़ पाउडर गन्ने को यंत्रवत पीसकर और रस को धीरे-धीरे वाष्पित करके बनाया जाता है। इस क्षेत्र को लोअर भवानी प्रोजेक्ट कैनाल से लाभ मिलता है, जो इसके गन्ने के खेतों की सिंचाई करती है।
- **थुयामल्ली चावल:** सांबा-सीजन की एक पारंपरिक चावल की किस्म, थुयामल्ली को उगने में 135–140 दिन लगते हैं। इसे इसकी प्रीमियम गुणवत्ता और सुगंध के लिए पहचाना जाता है, जिसे **तमिलनाडु** राज्य कृषि विपणन बोर्ड और नाबार्ड (NABARD) से जी.आई. पंजीकरण हेतु समर्थन प्राप्त है।
- **नमक्कल मक्कल पाथिरांगल (सोपस्टोन कुकवेयर):** स्थानीय रूप से 'कलचट्टी' के रूप में प्रसिद्ध, यह सोपस्टोन कुकवेयर पीढ़ियों से दक्षिण भारतीय रसोई का मुख्य हिस्सा रहा है। यह शिल्प प्राचीन काल से चला आ रहा है।
- **अंबासमुद्रम चोप्पू सामान:** ये लकड़ी के खिलौने, जिनमें लघु रसोई के बर्तन, मेज और कुर्सियाँ सम्मिलित हैं, **तिरुनेलवेली** जिले के **अंबासमुद्रम** में हस्तनिर्मित होते हैं। यह शिल्प 18वीं शताब्दी का है, जिसमें पीला कदंब, सागौन और शीशम जैसी स्वदेशी लकड़ियों का उपयोग किया जाता है।

100 गांव सुनामी-तैयार होंगे

चर्चा में क्यों: भारत अपनी तटरेखा पर यूनेस्को-अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग (IOC) के 'सुनामी रेडी' कार्यक्रम का विस्तार कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में सुनामी और अन्य तटीय खतरों के विरुद्ध समुदाय-स्तरीय तत्परता को सुदृढ़ करना है। इस कदम के साथ, भारत हिंद महासागर क्षेत्र में 100 से अधिक सुनामी-तैयार गांवों वाला प्रथम देश बन जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- सुनामी रेडी यूनेस्को-आई.ओ.सी. द्वारा समन्वित एक स्वैच्छिक, समुदाय-आधारित तत्परता कार्यक्रम है।
- यह कार्यक्रम सार्वजनिक जागरूकता, संकट तत्परता, निकास योजना और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों पर केंद्रित है।
- सुनामी-तैयार गांवों को कुछ मानदंडों के आधार पर प्रमाणित किया जाता है जैसे:
  - सुनामी जोखिमों के बारे में उच्च सामुदायिक जागरूकता।
  - संकट मानचित्रण और सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित निकास मानचित्र।
  - कार्यात्मक 24-घंटे सुनामी चेतावनी प्रणाली।
  - मॉक ड्रिल और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रशिक्षण में नियमित भागीदारी।
- प्रमाणन यूनेस्को के अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग (IOC) द्वारा प्रदान किया जाता है।
- भारत में वर्तमान में छह तटीय जिलों में 24 प्रमाणित सुनामी-तैयार गांव हैं।
- ओडिशा की योजना 72 और गांवों को जोड़ने की है, जिससे भारत की कुल संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी।
- **गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश** और **अंडमान और निकोबार द्वीप समूह** जैसे अन्य तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने समावेश हेतु गांवों की पहचान की है।
- **केरल** ने नौ तटीय गांवों का प्रस्ताव दिया है, जिनका प्रमाणन मार्च-अप्रैल 2026 तक अपेक्षित है।
- **भारत** में इस पहल का समन्वय भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS), **हैदराबाद** द्वारा किया जाता है।
- INCOIS भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र (ITEWC) का संचालन करता है, जो वैश्विक भूकंपों की निगरानी करता है और हिंद महासागर क्षेत्र के लिए सुनामी चेतावनी जारी करता है।
- यह पहल केवल सुनामी ही नहीं, बल्कि चक्रवात और इसी तरह के तटीय खतरों के लिए भी तत्परता को बढ़ाती है।
- यह पहल आपदा जोखिम न्यूनीकरण में सामुदायिक भागीदारी और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश सरकारों की सक्रिय भूमिका के महत्व को रेखांकित करती है।

इकाई 17

दिसम्बर 2025 - 'द हिन्दू' व 'इंडियन एक्सप्रेस' से दैनिक अभ्यास प्रश्न

दैनिक वस्तुनिष्ठ अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: उपमुख्यमंत्री के पद का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं किया गया है।

कथन 2: उपमुख्यमंत्री की नियुक्ति विशुद्ध रूप से राजनीतिक कारणों से की जाती है, जो सामान्यतः गठबंधन संतुलन या अंतर-पार्टी सत्ता-समन्वय बनाए रखने के लिए होती है।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है?

(a) कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या करता है।

(b) कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है।

(c) कथन 1 सत्य है, किंतु कथन 2 असत्य है।

(d) कथन 2 सत्य है, किंतु कथन 1 असत्य है।

प्रश्न 2. संघ राज्य क्षेत्र (केंद्र शासित प्रदेश) के उपराज्यपाल (LG) की नियुक्ति कौन करता है?

(a) प्रधानमंत्री (b) भारत के मुख्य न्यायाधीश

(c) भारत के राष्ट्रपति (d) संसद

प्रश्न 3. वित्त वर्ष 2024-25 की द्वितीय तिमाही (Q2) के दौरान भारत में क्षेत्रीय प्रदर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

1. वित्तीय, अचल संपत्ति (रियल एस्टेट) और व्यावसायिक सेवाएं सेवा-क्षेत्र के विस्तार में मुख्य योगदानकर्ता थीं।
2. सरकारी उपभोग व्यय ने वर्ष की पहली छमाही में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि को धीमा कर दिया।
3. इस अवधि के दौरान निजी उपभोग और निवेश में उल्लेखनीय कमी आई।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन I: भारत में रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) मुख्य रूप से अस्पतालों में प्रतिजैविकों के अत्यधिक और दुरुपयोग के कारण बढ़ रहा है।

कथन II: एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण में पाया गया कि अस्पताल में भर्ती लगभग 75% रोगियों को प्रतिजैविक दवाएं दी गईं, जिनमें से आधे से अधिक निवारक थीं।

कथन III: भारतीय अस्पतालों में निर्धारित अधिकांश प्रतिजैविक WHO की "एक्सेस" श्रेणी के हैं, जो AMR के लिए न्यूनतम जोखिम उत्पन्न करते हैं।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है?

(a) कथन II और कथन III दोनों सत्य हैं और दोनों कथन I की व्याख्या करते हैं।

(b) कथन II और कथन III दोनों सत्य हैं, किंतु उनमें से केवल एक कथन I की व्याख्या करता है।

(c) कथन II और III में से केवल एक सत्य है और वह कथन I की व्याख्या करता है।

(d) न तो कथन II और न ही कथन III सत्य है।

प्रश्न 5. MQ-9 रीपर (Reaper) ड्रोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं?

1. यह एक मध्यम-ऊंचाई, लंबी अवधि (MALE) वाला मानवरहित हवाई वाहन (UAV) है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से खुफिया जानकारी, निगरानी और टोही (ISR) के लिए किया जाता है।
2. यह हेलफायर मिसाइल और लेजर-निर्देशित बमों सहित सटीक-निर्देशित युद्धपोत ले जा सकता है।
3. इसे इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (IAI) द्वारा विकसित किया गया है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 6. निम्नलिखित में से कौन सा PMAY-U (प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी) के अंतर्गत एक वर्टिकल नहीं है?

(a) क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS)

(b) भागीदारी में किफायती आवास (AHP)

(c) यथा-स्थान झुग्गी पुनर्विकास (ISSR)

(d) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)

प्रश्न 8. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की रेपो दर के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

1. रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक धन उधार देता है।

2. रेपो दर में वृद्धि सामान्यतः ऋण लेने को महंगा बनाती है और मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने में सहायता करती है।

3. रेपो दर में कमी से अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में कमी आती है।

उपर्युक्त में से कितने असत्य हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) सभी तीन (d) कोई नहीं

प्रश्न 9. के.एस. पुट्टस्वामी (2017) निर्णय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं?

1. अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निजता के अधिकार को एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया था।

2. निर्णय में यह कहा गया कि आधार असंवैधानिक है और इसे बंद किया जाना चाहिए।

3. न्यायालय ने कहा कि निजता में सूचनात्मक, शारीरिक और निर्णयात्मक स्वायत्तता सम्मिलित है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 10. अरावली पर्वतमाला मुख्य रूप से किन भारतीय राज्यों में स्थित है?

(a) राजस्थान, हरियाणा और गुजरात

(b) राजस्थान और मध्य प्रदेश

(c) गुजरात और महाराष्ट्र

(d) उत्तर प्रदेश और हरियाणा

प्रश्न 11. राष्ट्रीय विधायी सूचकांक (NLI) के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

1. इसका उद्देश्य विधायी उत्पादकता, पारदर्शिता और नवाचार का मूल्यांकन करने के लिए एक राज्य-वार बेंचमार्किंग प्रणाली प्रदान करना है।

2. यह राज्य विधानसभाओं के लिए विधान की सामग्री और नीतिगत प्राथमिकताओं को निर्धारित करता है।

3. यह विधायी कामकाज में डिजिटल प्रथाओं और सहभागी तंत्र को अपनाने को प्रोत्साहित करता है।

4. NLI विधानसभाओं के डिजिटल एकीकरण के लिए "एक राष्ट्र, एक विधायी मंच" के विजन के अनुरूप है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने असत्य हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) सभी चार (d) कोई नहीं

प्रश्न 12. रॉक ईगल आउल (Bubo bengalensis) और इसके संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अंतर्गत एक अनुसूची I की प्रजाति है।

2. यह चट्टानी दरारों और पहाड़ी झाड़ीदार वनों में घोंसला बनाना पसंद करता है।

3. मानवीय हस्तक्षेप, जैसे इसके घोंसले को स्थानांतरित करना, सामान्यतः हतोत्साहित किया जाता है क्योंकि पक्षी अंडों को छोड़ सकता है।

4. इस प्रजाति को IUCN रेड लिस्ट में "ह्रासमान" के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन से सत्य हैं?

(a) केवल 1, 2 और 3 (b) केवल 2, 3 और 4

(c) 1, 2, 3 और 4 (d) केवल 1 और 4

प्रश्न 13. गंगा नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं?

1. गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी के रूप में निकलती है।

2. गंगा ऋषिकेश-हरिद्वार में उत्तर भारत के मैदानों में प्रवेश करती है।

3. बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व गंगा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 14. यूएन-हैबिटेट (UN-Habitat) द्वारा 'सिटी प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स' (CPI) विकसित किया गया था:

(a) सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर देशों को रैंक करने के लिए

(b) शहरों की बहुआयामी समृद्धि को मापने के लिए

(c) राष्ट्रीय गरीबी स्तरों की तुलना करने के लिए

(d) ग्रामीण विकास लक्ष्यों को ट्रैक करने के लिए

प्रश्न 15. चीनी निजी अंतरिक्ष कंपनी लैंडस्पेस के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

1. लैंडस्पेस की स्थापना 2015 में हुई थी और इसका मुख्यालय बीजिंग में है।

2. इसका Zhuque-2 रॉकेट प्रणोदक के रूप में मीथेन और तरल ऑक्सीजन का उपयोग करने वाला विश्व का पहला रॉकेट था।

3. Zhuque-3 रॉकेट ने पूर्ण पुन: प्रयोज्यता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने असत्य हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) सभी तीन (d) कोई नहीं

प्रश्न 16. उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) का उद्देश्य है:

(a) व्यापार संचालन को सुगम बनाने के लिए सभी नियमों को समाप्त करना

(b) व्यवस्थित विकास और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अनुपालन बोझ को कम करना

(c) नीतिगत इनपुट के लिए केवल बड़े उद्यमों पर ध्यान केंद्रित करना

(d) बिना किसी परामर्श प्रक्रिया के औद्योगिक सुधारों को लागू करना

प्रश्न 17. कूनो राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं?

1. इस उद्यान को 2018 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ।

2. यह तेंदुओं, स्लॉथ भालू और भेड़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारा है।

3. यह रणथंभौर टाइगर रिजर्व के निकट स्थित है, जो एक प्राकृतिक वन्यजीव संपर्क बनाता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 18. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) मूल रूप से किस संगठन के अंतर्गत स्थापित किया गया था?

(a) विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (SPE) (b) खुफिया ब्यूरो (IB)

(c) गृह विभाग (d) केंद्रीय सचिवालय

प्रश्न 19. सड़क सुरक्षा पर 'स्टॉकहोम घोषणा', जिसे 2020 में सड़क सुरक्षा पर तीसरे वैश्विक मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में अपनाया गया था, ने सड़क सुरक्षा के लिए वैश्विक लक्ष्य निर्धारित किए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसका उद्देश्य 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु और चोटों को 50% तक कम करना है।

2. इसका उद्देश्य 2030 तक सभी हस्ताक्षरकर्ता देशों में शून्य सड़क मृत्यु प्राप्त करना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 20. हाल ही में खोजी गई आकाशगंगा 'अलकनंदा' के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?

(a) यह एक छोटी, अनियमित आकाशगंगा है जो ब्रह्मांड के इतिहास में देर से बनी।

(b) इसका द्रव्यमान 'मिल्की वे' के तुलनीय है और यह तब अस्तित्व में थी जब ब्रह्मांड अपने वर्तमान आकार का लगभग पांचवां हिस्सा था।

(c) इसके तारे 10 अरब वर्ष से अधिक पुराने हैं, जो संकेत देते हैं कि यह बिग बैंग से पूर्व बनी थी।

(d) यह पूरी तरह से धूल रहित है, जो तारा निर्माण सिद्धांतों के विपरीत है।

प्रश्न 21. भारतीय कोयला भंडार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं?

1. भारत में झारखंड में कोयले का सबसे बड़ा भंडार है।

2. भारत के अधिकांश लिग्नाइट भंडार तमिलनाडु में पाए जाते हैं।

3. गोंडवाना कोयला, तृतीयक कोयले की तुलना में युवा है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 22. कांगो बेसिन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

1. कांगो बेसिन में अमेज़न के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा वर्षावन है।

2. तांगानिका झील पूरी तरह से DRC कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य में अवस्थित है।

3. DRC विषुवतीय जलवायु क्षेत्र के भीतर स्थित है।

उपर्युक्त में से कितने सत्य हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) सभी तीन (d) कोई नहीं

प्रश्न 23. DRDO के हालिया लड़ाकू विमान पायलट इजेक्शन परीक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इस परीक्षण में लड़ाकू विमान पायलटों के लिए आपातकालीन इजेक्शन स्थितियों का अनुकरण करने हेतु एक उच्च गति रॉकेट स्लेड प्रणाली का उपयोग किया गया।

2. यह परीक्षण विशेष रूप से DRDO द्वारा बिना किसी अन्य एजेंसी के सहयोग के आयोजित किया गया था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 24. RBI की हालिया मौद्रिक नीति और भारत में "गोल्डिलॉक्स" (वॉस यो क्षेत्र) चरण के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

1. "गोल्डिलॉक्स" परिदृश्य का तात्पर्य कम मुद्रास्फीति और मजबूत आर्थिक विकास से है।

2. RBI ने निर्धारण वर्ष 2026 की पहली छमाही में मुद्रास्फीति 2.2% और GDP वृद्धि 8% होने का हवाला देते हुए दिसंबर 2025 में रेपो दर को घटाकर 5.25% कर दिया।

3. RBI का नीतिगत रुख मुख्य रूप से इसके मुद्रास्फीति-लक्ष्यीकरण से प्रभावित होता है, जबकि विनिमय दर प्रबंधन इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है।

4. रुपये के तीव्र अवमूल्यन के कारण RBI द्वारा निकट भविष्य में रेपो दर में वृद्धि करने की संभावना है।

उपर्युक्त में से कितने सत्य हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) केवल तीन (d) सभी चार

प्रश्न 25. हालिया RBI मौद्रिक नीति और इसके निहितार्थों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. कम मुद्रास्फीति का लाभ उठाते हुए RBI ने अपने रुख को तटस्थ रखते हुए नीतिगत रेपो दर में कटौती की।
2. वित्त वर्ष 2026 के लिए मुद्रास्फीति 2% रहने का अनुमान है, जिसके वित्त वर्ष 2027 में 4% तक बढ़ने की संभावना है।
3. वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में GDP वृद्धि 8.2% थी, जिसे GST युक्तिकरण, ग्रामीण मांग और अमेरिका को निर्यात के 'फ्रंट-लोडिंग' जैसे कारकों से समर्थन मिला।
4. RBI ने संकेत दिया है कि किसी भी परिस्थिति में आगे दर कटौती की आवश्यकता नहीं है।

उपर्युक्त में से कितने सत्य हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) केवल तीन (d) सभी चार

प्रश्न 26. भारतीय रुपये के हालिया अवमूल्यन के लिए मुख्य रूप से कौन सा कारक उत्तरदायी है?

(a) बढ़ता चालू खाता घाटा (CAD)

(b) FDI और FPI सहित विदेशी पूंजी अंतर्वाह का शुष्कन

(c) सॉफ्टवेयर और सेवाओं के निर्यात में गिरावट

(d) निरंतर राजकोषीय घाटा

प्रश्न 27. अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) के क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं?

1. ICC केवल तभी क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है जब आरोपी किसी पक्षकार राज्य का नागरिक हो।
2. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद मामलों को ICC के पास भेज सकती है।
3. ICC नरसंहार, युद्ध अपराध और मानवता के विरुद्ध अपराधों जैसे मामलों से निपटता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 28. निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को (UNESCO) के अंतर्गत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का क्षेत्र नहीं है?

(a) मौखिक परंपराएं और अभिव्यक्तियां

(b) सामाजिक प्रथाएं और उत्सव

(c) पारंपरिक शिल्प कौशल

(d) वास्तुशिल्प संरक्षण

प्रश्न 29. नागरिकता अधिनियम, 1955 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं?

1. अधिनियम जन्म, वंश, पंजीकरण और प्राकृतिककरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान करता है।
2. अधिनियम केंद्र सरकार को धोखाधड़ी या निष्ठाहीनता के मामलों में नागरिकता समाप्त करने का अधिकार देता है।
3. अधिनियम भारत के विदेशी नागरिकों (OCI) को निवास की एक निश्चित अवधि के पश्चात स्वचालित नागरिकता का दावा करने की अनुमति देता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 30. 'ऑपरेशन सागर बंधु' का मुख्य उद्देश्य क्या प्रदान करना था?

(a) सैन्य सहायता

(b) चुनावी समर्थन

(c) मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR)

(d) समुद्री निगरानी

प्रश्न 31. गोवा में आयोजित सेरेंडिपिटी आर्ट्स फेस्टिवल (SAF) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. SAF पुराने GMC कॉम्प्लेक्स जैसे विरासत स्थलों पर आयोजित किया जाता है और गोवा के औपनिवेशिक अतीत को समकालीन सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के साथ एकीकृत करता है।
2. इस उत्सव में विशेष रूप से केवल गोवा के कलाकार शामिल होते हैं और इसमें भारत के अन्य क्षेत्रों का योगदान सम्मिलित नहीं होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 32. भारत में निजी इक्विटी (PE) और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. FPI बहिर्वाह के बावजूद भारत में निजी इक्विटी निवेश प्रतिवर्ष लगभग $50 बिलियन बना हुआ है।

2. भारत में निजी इक्विटी की घरेलू हिस्सेदारी अब कुल PE निवेश का लगभग 50% हो गई है।

3. कोरिया, जापान और मैक्सिको जैसे बाजारों में उच्च रिटर्न के कारण FPI ने भारत से धन निकाला है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने असत्य हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) सभी तीन (d) कोई नहीं

प्रश्न 33. उपन्यास 'आनंदमठ' के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं?

1. आनंदमठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था और 1880 के दशक की शुरुआत में प्रकाशित हुआ था।

2. आनंदमठ में प्रदर्शित गीत 'वंदे मातरम्' बाद में भारत का राष्ट्रगान बना।

3. यह उपन्यास 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के संन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर आधारित है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 34. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

1. INC की स्थापना 1885 में भारतीयों के बीच नागरिक और राजनीतिक संवाद के लिए एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।

2. एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक, ए.ओ. ह्यूम ने इसके प्रथम सत्र के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

3. INC के प्रथम सत्र की अध्यक्षता बॉम्बे में डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी।

उपर्युक्त में से कितने सत्य हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) सभी तीन (d) कोई नहीं

प्रश्न 35. सुबनसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

1. यह अरुणाचल प्रदेश-असम सीमा पर स्थित है।

2. इस परियोजना की लागत में 300% से अधिक की वृद्धि हुई है।

3. पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में परियोजना के लिए धन जुटाने हेतु NHPC के वन भूमि संपत्ति को कोलेटरल के रूप में उपयोग करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

उपर्युक्त में से कितने सत्य हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) सभी तीन (d) कोई नहीं

प्रश्न 36. संयुक्त राज्य अमेरिका को भारत के चावल निर्यात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत मुख्य रूप से अमेरिका को बासमती जैसी प्रीमियम सुगंधित चावल किस्मों का निर्यात करता है, जो एक लघु चावल आयातक देश है।

2. भारतीय चावल पर संभावित अमेरिकी टैरिफ (शुल्क) से भारत के समग्र चावल निर्यात पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

3. अमेरिका विश्व स्तर पर चावल के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है और उसके पास महत्वपूर्ण घरेलू अधिशेष है।

4. भारतीय बासमती चावल के मुख्य बाजार अमेरिका के बजाय पश्चिम एशियाई और अफ्रीकी देश हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सत्य हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) केवल तीन (d) सभी चार

प्रश्न 37. राष्ट्रीय सम्मान के अपमान का निवारण अधिनियम, 1971 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं?

1. राष्ट्रीय ध्वज या भारत के संविधान का अपविलिकरण इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय है।

2. राष्ट्रगान गाने से रोकना या इसके गायन के दौरान व्यवधान उत्पन्न करना इस अधिनियम के अंतर्गत एक अपराध है।

3. यह अधिनियम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत विरोध के स्वरूप के रूप में राष्ट्रीय ध्वज को जानबूझकर जलाने की अनुमति देता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 38. लोक सभा अध्यक्ष अपना पद कब रिक्त करता है?

(a) राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाने पर

(b) लोक सभा के साधारण बहुमत द्वारा हटाए जाने पर

(c) विशेष बहुमत द्वारा हटाए जाने पर

(d) सत्ताधारी दल बदलने पर स्वतः हटा दिए जाने पर

प्रश्न 39. यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा प्रवासन पर हालिया चर्चाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यूरोपीय राष्ट्र प्रवासन के मामलों में मानवाधिकारों के यूरोपीय न्यायालय के प्रभाव को सीमित करने के तरीकों पर बहस कर रहे हैं।

2. प्रवासियों के सुगम निर्वासन की अनुमति देने के लिए मानवाधिकारों पर यूरोपीय कन्वेंशन में संशोधन किया जा रहा है।

3. यह कदम यूरोप में अवैध सीमा पार करने की घटनाओं में कमी के बीच उठाया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 40. यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (ICH) और भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. दिवाली को 2025 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में अंकित किया गया है।
2. यूनेस्को की ICH सूची में केवल प्रदर्शन कला और पारंपरिक शिल्प कौशल सम्मिलित हैं।
3. दिवाली के समावेश के साथ, अब भारत के 16 तत्व इस सूची में अंकित हैं।
4. किसी तत्व को ICH सूची में तब सम्मिलित किया जा सकता है जब वह समावेशी, समुदाय-आधारित और प्रतिनिधि हो।

उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं?

(a) केवल दो (b) केवल तीन

(c) सभी चार (d) केवल एक

प्रश्न 41. 86वें संविधान संशोधन, 2002 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं?

1. इसने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया।
2. इसने संविधान में अनुच्छेद 21A अंतःस्थापित किया।
3. इसने छह वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने हेतु अनुच्छेद 45 में संशोधन किया।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 42. नासा (NASA) के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

1. नासा फ्लोरिडा में केनेडी स्पेस सेंटर का प्रबंधन करता है।
2. नासा नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों और विमानन अनुसंधान के लिए उत्तरदायी है।
3. नासा का गठन अमेरिकी राष्ट्रपति के एक कार्यकारी आदेश द्वारा किया गया था।

उपर्युक्त में से कितने असत्य हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) सभी तीन (d) कोई नहीं

प्रश्न 43. कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं?

1. CACP प्रमुख कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की सिफारिश करता है।
2. CACP कृषि मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है।
3. MSP की सिफारिश करते समय CACP कृषि की लागत पर विचार करता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 44. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) संवेदनशील वर्गों पर कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए प्रारंभ की गई थी।

कथन 2: इसने खाद्य सुरक्षा, नकद हस्तांतरण और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है?

(a) कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या करता है।

(b) कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है।

(c) कथन 1 सत्य है, किंतु कथन 2 असत्य है।

(d) कथन 2 सत्य है, किंतु कथन 1 असत्य है।

प्रश्न 45. संयुक्त राष्ट्र की ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक-7 (GEO-7) रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. GEO-7 जलवायु परिवर्तन को मानव स्वास्थ्य, खाद्य और जल सुरक्षा, तथा सामाजिक-आर्थिक स्थिरता के साथ जोड़ता है।
2. संयुक्त राज्य अमेरिका ने जीवाश्म ईंधन की चरणबद्ध समाप्ति और नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने पर रिपोर्ट की सिफारिशों का पूर्ण समर्थन किया।
3. पहली बार, प्रमुख उत्सर्जकों के बीच मतभेदों के कारण GEO-7 को सर्वसम्मत सारांश के बिना प्रकाशित किया गया था।
4. रिपोर्ट पेरिस समझौते से अमेरिका के हटने के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप प्रदान करती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 1, 2 और 3

(c) केवल 1, 3 और 4 (d) केवल 1 और 4

प्रश्न 46. विभिन्न देशों और क्षेत्रों में सार्वजनिक शिक्षा व्यय में भिन्नता वैश्विक आय और धन असमानता को कैसे प्रभावित करती है?

(a) उच्च आय वाले क्षेत्रों में कम सार्वजनिक शिक्षा व्यय वैश्विक असमानता का प्राथमिक कारण है।

(b) आय असमानता पर सार्वजनिक शिक्षा व्यय का बहुत कम प्रभाव पड़ता है; कराधान के माध्यम से धन का पुनर्वितरण अधिक प्रभावी है।

(c) असमानता पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधन संपन्नता से निर्धारित होती है, और सार्वजनिक शिक्षा व्यय की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है।

(d) उच्च आय वाले क्षेत्रों में उच्च सार्वजनिक शिक्षा व्यय उन क्षेत्रों के भीतर आय के अंतर को कम करता है, जबकि निम्न आय वाले क्षेत्रों में कम व्यय असमानता को बनाए रखता है।

प्रश्न 47. क्राउन प्रिंस एमबीएस (MBS) की वाशिंगटन यात्रा के पश्चात हालिया अमेरिका-सऊदी संबंधों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. सऊदी अरब को एक प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी (MNNA) नामित किया गया और उसे F-35 विमान सहित अमेरिकी सैन्य तकनीक तक पहुंच प्राप्त हुई।
2. अमेरिका ने सऊदी अरब से कुल $1 ट्रिलियन का दीर्घकालिक प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त किया।
3. सऊदी अरब ने इस क्षेत्र में चीन के साथ संबंधों को सीमित करने पर सहमत होते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर्स में रणनीतिक सहयोग प्राप्त किया।
4. इज़राइल के साथ संबंधों के सामान्यीकरण को पूर्ण अमेरिका-सऊदी रक्षा संधि के लिए एक पूर्व शर्त बनाया गया था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन से सत्य हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1, 3 और 4

(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2, 3 और 4

प्रश्न 48. कम कर वाले क्षेत्राधिकारों के माध्यम से निवेश भेजकर 'दोहरे कराधान परिहार समझौते' (DTAA) के प्रावधानों के दुरुपयोग को क्या कहा जाता है?

(a) ट्रांसफर प्राइसिंग (b) बेस इरोजन

(c) ट्रीटी शॉपिंग (d) टैक्स कास्केड

प्रश्न 49. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है।

कथन 2: अनुच्छेद 19(2) राज्य को केवल संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित आधारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है?

(a) कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या करता है।

(b) कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है।

(c) कथन 1 सत्य है, किंतु कथन 2 असत्य है।

(d) कथन 2 सत्य है, किंतु कथन 1 असत्य है।

प्रश्न 50. भारत के केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

1. केंद्रीय बजट भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है।
2. रेल बजट अब अलग से प्रस्तुत नहीं किया जाता है और इसका केंद्रीय बजट में विलय कर दिया गया है।
3. लेखानुदान सरकार को पूरे वित्तीय वर्ष के लिए खर्च करने की अनुमति देता है।

उपर्युक्त में से कितने सत्य हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) सभी तीन (d) कोई नहीं

प्रश्न 51. थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

1. WPI थोक स्तर पर मूल्य परिवर्तन को मापता है और उपभोक्ताओं के बजाय उत्पादकों द्वारा सामना की जाने वाली मुद्रास्फीति को दर्शाता है।
2. प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन एवं बिजली, और विनिर्मित उत्पाद थूक मूल्य सूचकांक के तीन प्रमुख घटक हैं।
3. WPI का उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति के मुख्य लक्ष्य के रूप में किया जाता है।

उपर्युक्त में से कितने सत्य हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) सभी तीन (d) कोई नहीं

प्रश्न 52. कंधमाल की पहाड़ियाँ भारत के किस प्रमुख भौतिक विभाग का हिस्सा हैं?

(a) पश्चिमी घाट (b) पूर्वी घाट

(c) मध्य उच्चभूमि (d) अरावली पर्वतमाला

प्रश्न 53. 'भारत के रूपांतरण हेतु परमाणु ऊर्जा के सतत दोहन और उन्नति' (SHANTI) विधेयक, 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह निजी कंपनियों और उनके संयुक्त उद्यमों को भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की अनुमति देता है।
2. यह "राइट ऑफ रिकोर्स" प्रावधान को हटा देता है, जिससे परमाणु दुर्घटना के मामले में आपूर्तिकर्ताओं की देयता सीमित हो जाती है।
3. यह रेडियोधर्मी पदार्थों के संवर्धन सहित परमाणु से संबंधित सभी गतिविधियों को विशेष रूप से केंद्र सरकार के नियंत्रण में केंद्रित करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 54. निम्नलिखित में से कौन सा कथन 'यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज' (UHC) और 'यूनिवर्सल हेल्थ केयर' के बीच अंतर और उन्हें प्राप्त करने में भारत की चुनौतियों को सही ढंग से दर्शाता है?

(a) UHC व्यापक प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल तक न्यायसंगत पहुंच पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि यूनिवर्सल हेल्थ केयर मुख्य रूप से बीमा के माध्यम से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है।

(b) भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली प्राथमिक देखभाल स्तर पर मजबूत है, जिसने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के सफल कार्यान्वयन को सक्षम बनाया है।

(c) साक्ष्य बताते हैं कि प्राथमिक देखभाल को मजबूत किए बिना केवल बीमा योजनाओं के माध्यम से प्राप्त UHC अक्सर उच्च 'आउट-ऑफ-पॉकेट' (जेब से) खर्च की ओर ले जाता है।

(d) भोर समिति ने मजबूत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्थापित करने से पहले सार्वजनिक बीमा योजनाओं को शुरू करने की सिफारिश की थी।

प्रश्न 55. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: क्यूबा की क्रांति के परिणामस्वरूप 1959 में फुल्गेन्सियो बतिस्ता की तानाशाही का तख्तापलट हुआ और फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में एक समाजवादी सरकार की स्थापना हुई।

कथन 2: क्रांति मुख्य रूप से इसलिए सफल हुई क्योंकि इसे गुरिल्ला चरण के दौरान सोवियत संघ से प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप और सैनिक प्राप्त हुए थे।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है?

(a) कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या करता है।

(b) कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है।

(c) कथन 1 सत्य है, किंतु कथन 2 असत्य है।

(d) कथन 2 सत्य है, किंतु कथन 1 असत्य है।

प्रश्न 56. निम्नलिखित में से कौन सा मूल 'ब्रेटन वुड्स' संस्थान नहीं था?

(a) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)

(b) पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक (IBRD)

(c) विश्व व्यापार संगठन (WTO)

(d) उपर्युक्त सभी ब्रेटन वुड्स का हिस्सा थे।

प्रश्न 57. UCLA में अध्ययन की गई 'डार्क-आइड जंको' पक्षी की आबादी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. लॉस एंजिल्स शहर में बसने वाले डार्क-आइड जंको ने अपने जंगली समकक्षों की तुलना में छोटे पंख और ठूंठदार चोंच विकसित की।

2. कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान, शहरी जंको की चोंच अस्थायी रूप से अपने जंगली आकार में वापस आ गई।

3. चोंच की आकृति विज्ञान में देखे गए परिवर्तन तीव्र, अनुकूलनवादी विकास का निश्चित प्रमाण हैं।

उपर्युक्त में से कितने कथन असत्य हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) सभी तीन (d) कोई नहीं

प्रश्न 58. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) आधार वर्ष 2022-23 के साथ भारत की GDP श्रृंखला को संशोधित करने की योजना बना रहा है। निम्नलिखित में से कौन से उपाय इस संशोधन का हिस्सा हैं?

(a) उत्पादन और व्यय दृष्टिकोणों के बीच 'विसंगति' घटक को समाप्त करना

(b) फरवरी 2027 तक पूर्ण जीडीपी 'बैक सीरीज' प्रकाशित करना

(c) प्रारंभिक अनुमानों में त्रुटियों को कम करने के लिए 'आपूर्ति और उपयोग तालिकाओं' (SUT) को एकीकृत करना

(d) उपर्युक्त सभी

प्रश्न 59. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: सिंधु-गंगा के मैदान भारत के सबसे उर्वर कृषि क्षेत्रों में से हैं।

कथन 2: यह उच्च उर्वरता मुख्य रूप से लंबी भूगर्भीय अवधियों में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणालियों द्वारा जलोढ़ मृदा के व्यापक निक्षेपण के कारण है।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है?

(a) कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या करता है।

(b) कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है।

(c) कथन 1 सत्य है, किंतु कथन 2 असत्य है।

(d) कथन 2 सत्य है, किंतु कथन 1 असत्य है।

प्रश्न 60. निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित नहीं किया जाता है?

(a) लोक सभा चुनाव (b) राज्य विधानसभा चुनाव

(c) राष्ट्रपति चुनाव (d) नगरपालिका चुनाव

प्रश्न 61. भारत में गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (QCOs) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. QCOs भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा अधिसूचित उत्पादों के अनिवार्य प्रमाणन का आदेश देते हैं।
2. QCOs मूल रूप से केवल उपभोक्ता-उन्मुख और सुरक्षा-महत्वपूर्ण उत्पादों के लिए शुरू किए गए थे।
3. हाल ही में QCOs की वापसी कुछ औद्योगिक कच्चे माल पर लागू होती है जिनका उपयोग मध्यवर्ती इनपुट के रूप में किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 62. भारतीय नौसेना में MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टरों का शामिल होना मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत की क्षमता को बढ़ाता है?

(a) रणनीतिक परमाणु निवारण और बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा

(b) पनडुब्बी रोधी युद्ध और 'ब्लू-वाटर' समुद्री संचालन

(c) भूमि आधारित सैन्य अभियानों के लिए सामरिक हवाई सहायता

(d) अंतरिक्ष आधारित समुद्री डोमेन जागरूकता

प्रश्न 63. निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए:

1. बहरीन 2. ओमान
3. कतर 4. सऊदी अरब

उपर्युक्त में से कौन से खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के सदस्य हैं?

(a) केवल 1, 2 और 3 (b) केवल 2, 3 और 4

(c) केवल 1, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

प्रश्न 64. भारत में भारत स्टेज (BS) उत्सर्जन मानकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. 1 अप्रैल 2020 को या उसके पश्चात पंजीकृत सभी निजी वाहन BS-VI अनुपालन वाले हैं।
2. BS-VI मानक उन्नत उत्सर्जन-नियंत्रण प्रौद्योगिकियों को सक्षम करने के लिए ईंधन में कम सल्फर सामग्री को अनिवार्य करते हैं।
3. BS-VI मानकों के अंतर्गत, डीजल वाहनों के लिए नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) उत्सर्जन सीमा BS-IV मानकों की तुलना में मामूली रूप से कम है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन से सत्य हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 65. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: G-20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का एक अनौपचारिक मंच है जो वैश्विक आर्थिक स्थिरता और विकास के मुद्दों को संबोधित करता है।

कथन 2: अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एशियाई वित्तीय संकट के जवाब में 1999 में G-20 की स्थापना की गई थी।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है?

(a) कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या करता है।

(b) कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है।

(c) कथन 1 सत्य है, किंतु कथन 2 असत्य है।

(d) कथन 2 सत्य है, किंतु कथन 1 असत्य है।

प्रश्न 66. परमाणु क्षति के लिए नागरिक देयता अधिनियम, 2010 के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

1. यह अधिनियम भारत में परमाणु क्षति के पीड़ितों के लिए मुआवजे का कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
2. यह दोष के बावजूद, परमाणु संयंत्र संचालक पर विशेष दायित्व डालता है।
3. यह अधिनियम उपकरण आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध संचालक के 'राइट ऑफ रिकोर्स' को पूरी तरह से प्रतिबंधित करता है।

उपर्युक्त में से कितने असत्य हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) सभी तीन (d) कोई नहीं

प्रश्न 67. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन I: ग्राम पंचायतें भारत में ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की संस्थाएँ हैं।

कथन II: उन्हें संविधान के भाग IX के अंतर्गत संवैधानिक मान्यता दी गई है, जिसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा शामिल किया गया था।

कथन III: वे अनुच्छेद 356 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा सीधे नियंत्रित और भंग की जाती हैं।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है?

(a) कथन II और कथन III दोनों सत्य हैं और वे दोनों कथन I की व्याख्या करते हैं।

(b) कथन II और कथन III दोनों सत्य हैं, किंतु उनमें से केवल एक कथन I की व्याख्या करता है।

(c) कथन II और III में से केवल एक सत्य है और वह कथन I की व्याख्या करता है।

(d) न तो कथन II और न ही कथन III सत्य है।

प्रश्न 68. निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं?

(a) पश्चिम बंगाल, नगालैंड, मेघालय, मिजोरम

(b) पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम

(c) पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, त्रिपुरा

(d) असम, नगालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश

प्रश्न 69. निम्नलिखित में से कौन सा कथन हिमाचल प्रदेश में 'चिट्टा' (सिंथेटिक ड्रग) के खतरे से प्रभावित क्षेत्रों का सही वर्णन करता है?

(a) केवल शिमला जिले को चिट्टा से अत्यधिक प्रभावित के रूप में पहचाना गया है।

(b) पंजाब की सीमा से लगे क्षेत्रों सहित हिमाचल प्रदेश की लगभग 234 ग्राम पंचायतें अत्यधिक प्रभावित हैं, जहाँ कुछ क्षेत्रों में समुदाय-आधारित हस्तक्षेप किए गए हैं।

(c) बिलासपुर जिले में हाल के वर्षों में कोई NDPS मामले दर्ज नहीं किए गए हैं।

(d) नशीली दवाओं से संबंधित मुद्दे शहरी क्षेत्रों तक सीमित हैं, ग्रामीण या अर्ध-शहरी क्षेत्रों पर कोई प्रभाव नहीं है।

प्रश्न 70. भारत में आजीवन कारावास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. सत्र न्यायालय जघन्य अपराधों से जुड़े मामलों में बिना छूट के आजीवन कारावास की सजा सुना सकते हैं।

2. केवल उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय ही बिना छूट के आजीवन कारावास अधिरोपित कर सकते हैं, जबकि अनुच्छेद 72 और 161 के अंतर्गत छूट या लघुकरण की शक्ति को किसी निचली अदालत द्वारा कम नहीं किया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 71. भारत में, विगत वर्षों में सुदृढ़ सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि के उपरांत भी, निजी निगमित निवेश में समानुपातिक वृद्धि परिलक्षित नहीं हुई है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: अनेक उद्योग नवीन भौतिक क्षमता में निवेश नहीं करते क्योंकि विद्यमान उत्पादन क्षमता मांग की आपूर्ति हेतु पर्याप्त है।

कथन 2: उच्च क्षमता उपयोग और सुदृढ़ घरेलू मांग ने उद्योगों को उत्पादन क्षमता विस्तार हेतु निरंतर प्रोत्साहित किया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

प्रश्न 72. निम्नलिखित राष्ट्रों पर विचार कीजिए:

1. लेबनान 2. सीरिया

3. जॉर्डन 4. इराक

5. मिस्र

उपर्युक्त में से कितने राष्ट्र इस्राइल के साथ थल सीमा साझा करते हैं?

(a) केवल दो (b) केवल तीन

(c) केवल चार (d) सभी पांच

प्रश्न 73. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्ति हेतु उद्यम पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है।

कथन 2: उद्यम पंजीकरण स्व-घोषणा पर आधारित है और इसमें प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों को अपलोड करना आवश्यक नहीं है।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है?

(a) कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या करता है।

(b) कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है।

(c) कथन 1 सत्य है, किंतु कथन 2 असत्य है।

(d) कथन 2 सत्य है, किंतु कथन 1 असत्य है।

प्रश्न 74. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन I: राज्य सभा के सभापति कार्यवाही के व्यवस्थित संचालन और सदन के निष्पक्ष कार्यकरण को सुनिश्चित करने में निर्णायक भूमिका का निर्वहन करते हैं।

कथन II: राज्य सभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है, जो राज्य सभा का सदस्य नहीं होता।

कथन III: सभापति सत्रों की अध्यक्षता करने, अनुशासन अनुरक्षित करने और विधेयकों को संसदीय समितियों के पास प्रेषित करने जैसी शक्तियों का प्रयोग करते हैं।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है?

(a) कथन II और कथन III दोनों सत्य हैं और वे दोनों कथन I की व्याख्या करते हैं।

(b) कथन II और कथन III दोनों सत्य हैं, किंतु उनमें से केवल एक कथन I की व्याख्या करता है।

(c) कथन II और III में से केवल एक सत्य है और वह कथन I की व्याख्या करता है।

(d) न तो कथन II और न ही कथन III सत्य है।

प्रश्न 75. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को पर्यावास विनाश, आखेट और विद्युत पारेषण रेखाओं के साथ संघट्ट के कारण IUCN द्वारा गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

कथन 2: इनके निवास योग्य घास के मैदान और अर्ध-शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र भारत के सर्वाधिक उपेक्षित और तीव्र गति से क्षय होते पर्यावासों में से हैं।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है?

(a) कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या करता है।

(b) कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है।

(c) कथन 1 सत्य है, किंतु कथन 2 असत्य है।

(d) कथन 2 सत्य है, किंतु कथन 1 असत्य है।

प्रश्न 76. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन I: राजकोषीय अनुशासन, व्यापक आर्थिक स्थिरता और सार्वजनिक वित्त के विवेकपूर्ण प्रबंधन को सुनिश्चित करने हेतु FRBM अधिनियम, 2003 अधिनियमित किया गया था।

कथन II: यह अधिनियम केंद्र सरकार को एक निर्दिष्ट समयावधि के भीतर राजकोषीय घाटे को न्यून करने का आदेश देता है।

कथन III: यह अधिनियम सरकार को संसद के समक्ष मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य बनाता है।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है?

(a) कथन II और कथन III दोनों सत्य हैं और वे दोनों कथन I की व्याख्या करते हैं।

(b) कथन II और कथन III दोनों सत्य हैं, किंतु उनमें से केवल एक कथन I की व्याख्या करता है।

(c) कथन II और III में से केवल एक सत्य है और वह कथन I की व्याख्या करता है।

(d) न तो कथन II और न ही कथन III सत्य है।

प्रश्न 77. ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. TOD का उद्देश्य निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने हेतु सार्वजनिक परिवहन केंद्रों के चारों ओर सघन, उच्च-घनत्व और मिश्रित-उपयोग वाले शहरी विकास को बढ़ावा देना है।

2. संशोधित प्रारूप TOD नीति आनुपातिक बुनियादी ढांचे के विकास को सुनिश्चित करने हेतु स्थानीय क्षेत्र योजनाओं (LAPs) की तैयारी को अनिवार्य बनाती है।

3. नई प्रारूप TOD नीति के अंतर्गत, परियोजनाओं को स्वीकृत माना जा सकता है यदि नामित समिति एक निश्चित समय सीमा के भीतर निर्णय नहीं लेती है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) सभी तीन (d) कोई नहीं

प्रश्न 78. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित अरावली पर्वतमाला की नवीन परिभाषा के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?

(a) स्थानीय धरातल से न्यूनतम 100 मीटर उच्च भू-आकृतियों को अरावली के अंश के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(b) 500 मीटर से अल्प दूरी वाली दो अर्हक पहाड़ियों के मध्य की भूमि को भी अरावली श्रृंखला का अंश माना जाता है।

(c) अरावली की ऊंचाई राज्य के निम्नतम उत्थान जैसे मानकीकृत आधार रेखा से मापी जाती है।

(d) राष्ट्रीय उद्यानों या पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित क्षेत्र नवीन परिभाषा के उपरांत भी संरक्षित रहेंगे।

प्रश्न 79. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित खुले बाजार परिचालन (OMO) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं?

1. OMO अर्थव्यवस्था में तरलता को विनियमित करने हेतु RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय को संदर्भित करता है।

2. OMO के अंतर्गत RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय से बैंकिंग प्रणाली में तरलता में वृद्धि होती है।

3. OMO लेनदेन प्रत्यक्ष रूप से नीतिगत रेपो दर को निर्धारित करते हैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 80. निम्नलिखित में से कौन सा 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना का घटक नहीं है?

(a) लिंग-पक्षपाती लिंग चयन का प्रतिषेध

(b) बालिका के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करना

(c) बालिका की शिक्षा को प्रोत्साहित करना

(d) समस्त बालिकाओं को प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण प्रदान करना

प्रश्न 81. भारतीय विधिक प्रणाली में, 'विधि की सम्यक प्रक्रिया' का सिद्धांत मुख्य रूप से सुनिश्चित करता है कि:

(a) कार्यपालिका अपने विवेक से अभियोजन प्रत्याहृत/वापस कर सकती है

(b) अभियुक्त व्यक्तियों को निष्पक्ष और विधिक प्रक्रियाओं के पश्चात ही दंडित किया जाए

(c) न्यायालय साक्ष्य के स्थान पर लोकमत को प्रधानता दे सकते हैं

(d) राज्य अधिकारी राजनीतिक रूप से संवेदनशील प्रकरणों में साक्ष्य की उपेक्षा कर सकते हैं

प्रश्न 82. रेडियो सीलोन और इसके ऐतिहासिक महत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. रेडियो सीलोन एशिया का प्रथम रेडियो प्रसारक था और इसने उपमहाद्वीप में क्षेत्रीय संचार माध्यमों हेतु एक प्रतिमान स्थापित किया।

2. द्वितीय विश्व युद्ध के कालखंड में, धुरी राष्ट्रों के दुष्प्रचार का प्रतिकार करने और मित्र राष्ट्रों की संचार आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इसे 'रेडियो SEAC' के रूप में पुनरुद्देश्यित किया गया था।

3. इसके बहुभाषी कार्यक्रमों ने भाषा और राजनीति द्वारा विभाजित क्षेत्र में एक साझा सांस्कृतिक अस्मिता निर्मित करने में सहायता की।

4. इसकी लोकप्रियता श्रीलंका (सीलोन) की सीमाओं के परे विस्तृत थी, जिसने भारत के कोटि-कोटि श्रोताओं तक अपनी पहुँच सुदृढ़ की।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

प्रश्न 83. आकाश-एनजी प्रक्षेपास्त्र प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसमें एक कैनिस्टराइज्ड लांचर है जो इसकी तैनाती क्षमता को प्रवर्धित करता है।

2. यह न्यून रडार क्रॉस-सेक्शन वाले हवाई लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है।

3. यह अपने मार्गदर्शन और रडार तंत्र हेतु पूर्णतः आयातित घटकों पर आश्रित है।

उपर्युक्त में से कितने कथन असत्य हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) सभी तीन (d) कोई नहीं

प्रश्न 84. भारत के LVM3 प्रक्षेपण यान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. LVM3 भारत का सर्वाधिक गुरुत्वीय प्रक्षेपण यान है और पेलोड को GTO एवं LEO में स्थापित कर सकता है।

2. गगनयान अभियान हेतु इसका एक मानव-रेटेड संस्करण विकसित किया जा रहा है।

3. इसका उपयोग अनन्य रूप से ISRO के घरेलू उपग्रहों हेतु किया गया है, न कि अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक प्रक्षेपणों हेतु।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 85. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य विधिक परामर्शदाता होता है और न्यायालयों के समक्ष संघ का प्रतिनिधित्व करता है।

कथन 2: भारत का सॉलिसिटर जनरल महान्यायवादी की सहायता करता है और विधि अधिकारी नियमों के अंतर्गत संघ सरकार की ओर से न्यायालयों में उपस्थित होता है।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है?

(a) कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या करता है।

(b) कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है।

(c) कथन 1 सत्य है, किंतु कथन 2 असत्य है।

(d) कथन 2 सत्य है, किंतु कथन 1 असत्य है।

प्रश्न 86. मोनाजाइट के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

1. मोनाजाइट खनिज दुर्लभ मृदा तत्वों जैसे सीरियम और नियोडिमियम का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।

2. भारत में मोनाजाइट रेत मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु और ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में प्राप्त होती है।

3. मोनाजाइट में थोरियम होता है, जिससे इसका खनन और प्रसंस्करण परमाणु ऊर्जा नियमों के अधीन है।

उपर्युक्त में से कितने असत्य हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) सभी तीन (d) कोई नहीं

प्रश्न 87. पीएम मित्र (PM MITRA) पार्क योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं?

1. इसका उद्देश्य वस्त्र क्षेत्र हेतु विश्व स्तरीय औद्योगिक आधारभूत संरचना विकसित कर एकीकृत वस्त्र मूल्य श्रृंखला निर्मित करना है।

2. यह योजना वस्त्र मंत्रालय द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य साझा वित्तीय सहायता से क्रियान्वित की जाती है।

3. पीएम मित्र पार्क को एक 'प्लग-एंड-प्ले' सुविधा के रूप में विकसित करने की योजना है, जिसके अंतर्गत कताई, बुनाई, प्रसंस्करण, रंगाई और वस्त्र निर्माण सम्मिलित हैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 88. NATGRID किसके प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करता है?

(a) रक्षा मंत्रालय (b) इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय

(c) गृह मंत्रालय (d) मंत्रिमंडल सचिवालय

प्रश्न 89. "Handing down values in a time of no hand-me-downs" लेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. पारंपरिक मूल्य जैसे ज्येष्ठों के प्रति आदर और धैर्य मुख्य रूप से अभाव के ढांचे के माध्यम से सिखाए गए थे।

2. लेखक के अनुसार, बालकों को उन वस्तुओं से कृत्रिम रूप से वंचित करना जिन्हें वे वहन कर सकते हैं, वर्तमान समय में मूल्य शिक्षण का प्रभावी मार्ग है।

3. आनुभविक अधिगम जैसे पालतू जीवों की परिचर्या करना अथवा लघु उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना, स्थायी मूल्यों के हस्तांतरण में अभाव की तुलना में अधिक प्रभावी है।

उपर्युक्त में से कितने कथन असत्य हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) सभी तीन (d) कोई नहीं

प्रश्न 90. सार्वजनिक संस्थानों में उत्कृष्टता की प्रतिकृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. कुशल कार्मिकों का अभाव और आधिकारिक विलंब किसी प्रमुख संस्थान की सफलता की पुनरावृत्ति करने में मुख्य चुनौतियां हैं।
2. संस्थागत गुणवत्ता और सेवा के समान स्तर को सुनिश्चित करने हेतु केवल भौतिक आधारभूत संरचना की प्रतिकृति निर्मित करना ही पर्याप्त है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 91. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 बाल विवाह को बालक के विकल्प पर शून्यकरणीय घोषित करता है।

कथन 2: अधिनियम उस बालक को वयस्क होने से पूर्व न्यायालय के माध्यम से विवाह विलोपन की मांग करने का अधिकार प्रदान करता है।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है?

(a) कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या करता है।

(b) कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है।

(c) कथन 1 सत्य है, किंतु कथन 2 असत्य है।

(d) कथन 2 सत्य है, किंतु कथन 1 असत्य है।

प्रश्न 92. निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A का सर्वोत्तम वर्णन करता है?

(a) यह पर्यावरण संरक्षण को न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय एक मौलिक अधिकार बनाता है

(b) यह राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा वनों और वन्यजीवों की रक्षा करने का निर्देश देता है

(c) यह पर्यावरणीय क्षति हेतु नागरिकों पर दंडात्मक उत्तरदायित्व अधिरोपित करता है

(d) यह अनन्य रूप से स्थानीय सरकारों को पर्यावरण विधिक अधिकार देता है

प्रश्न 93. सिंधु नदी प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. चिनाब नदी सिंधु नदी की एक सहायक नदी है और पाकिस्तान में प्रवेश करने से पूर्व जम्मू और कश्मीर से होकर बहती है।
2. रावी, ब्यास और सतलज नदियाँ सिंधु जल संधि, 1960 के अनुसार भारत के नियंत्रण में हैं।
3. संधि के प्रावधानों के अंतर्गत जलविद्युत परियोजनाओं हेतु झेलम नदी पूर्णतः भारत द्वारा नियंत्रित है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सत्य हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) सभी तीन (d) कोई नहीं

प्रश्न 94. ग्रेफाइट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. ग्रेफाइट का उपयोग लिथियम-आयन बैटरी एनोड, औद्योगिक ताप-रोधी लेपन और सैन्य वाहनों हेतु स्नेहक में किया जाता है।
2. संयुक्त राज्य अमेरिका वर्तमान में घरेलू ग्रेफाइट खानों के ऐतिहासिक बंद होने के कारण अपने ग्रेफाइट का एक महत्वपूर्ण भाग चीन से आयात करता है।
3. कृत्रिम ग्रेफाइट प्राकृतिक ग्रेफाइट की तुलना में अधिक खर्चीला है परंतु अधिक शुद्ध होता है और बैटरियों हेतु प्राकृतिक ग्रेफाइट के साथ मिश्रण में उपयोग किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 95. आतंकी घटनाओं से निपटने हेतु मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं?

1. SOPs का उद्देश्य स्पष्ट आदेश पदानुक्रम और प्रतिक्रिया देने वाली संस्थाओं हेतु परिभाषित भूमिकाएं सुनिश्चित करना है।
2. SOPs प्रारंभिक प्रतिक्रिया चरण के दौरान संशय और प्रयासों की पुनरावृत्ति को न्यून करने में सहायक हैं।
3. SOPs न्यायपालिका को वास्तविक समय के परिचालन निर्णयों में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप की अनुमति देते हैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 96. भारत में चुनावी ट्रस्ट मुख्य रूप से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे:

(a) राजनीतिक दलों को निगमित दान को पूर्णतः गुमनाम कर देते हैं

(b) दाता-दल संबंधों के सार्वजनिक प्रकटीकरण को अनिवार्य बनाते हैं

(c) निगमित राजनीतिक वित्तपोषण हेतु विनियमित मध्यस्थों के रूप में कार्य करते हैं

(d) प्रत्यक्ष रूप से भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा प्रशासित होते हैं

प्रश्न 97. आईएनएस वागीर (INS Vagsheer) के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह कलवरी श्रेणी की डीजल-इलेक्ट्रिक आक्रामक पनडुब्बी है।
2. इसका निर्माण फ्रांस से तकनीकी हस्तांतरण के साथ प्रोजेक्ट-75 के अंतर्गत किया गया था।
3. यह एक परमाणु प्रणोदन प्रणाली द्वारा संचालित है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 98. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: ऋग्वेद 'सभा' और 'समिति' जैसी प्रारंभिक राजनीतिक संस्थाओं का साक्ष्य प्रस्तुत करता है।

कथन 2: ये संस्थाएं सहभागी जनजातीय सभाओं की उपस्थिति का संकेत देती हैं।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है?

(a) कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या करता है।

(b) कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है।

(c) कथन 1 सत्य है, किंतु कथन 2 असत्य है।

(d) कथन 2 सत्य है, किंतु कथन 1 असत्य है।

प्रश्न 99. कश्मीर में बौद्ध धर्म के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?

(a) कश्मीर ने भारत से मध्य एशिया तक बौद्ध धर्म के प्रसार हेतु एक प्रमुख मार्ग के रूप में कार्य किया।

(b) सम्राट कनिष्क ने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति बुलाई, जिसने महायान बौद्ध धर्म को व्यवस्थित करने में सहायता की।

(c) कश्मीर में बौद्ध सहभागिता विशुद्ध रूप से भक्तिपूर्ण थी, जिसमें बहुत कम बौद्धिक या दार्शनिक विकास हुआ।

(d) ज़ेहरीपोरा उत्खनन जैसे पुरातात्विक साक्ष्य बौद्ध अध्ययन में कश्मीर के ऐतिहासिक महत्व की पुष्टि करते हैं।

प्रश्न 100. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. औद्योगिक विकास विनिर्माण प्रदर्शन और समग्र क्षेत्रीय उत्पादन जैसे कारकों से प्रभावित हो सकता है।
2. अनुकूल आधार प्रभाव मौसमी मांग और पुनर्भंडारण जैसे अल्पकालिक चालक औद्योगिक उत्पादन में अस्थायी वृद्धि का कारण बन सकते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 101. निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) से संबंधित नहीं है?

(a) ई-बिडिंग और रिवर्स ऑक्शन

(b) प्रत्यक्ष ऑनलाइन भुगतान प्रणाली

(c) हस्तचालित निविदा प्रक्रिया

(d) विक्रेता मूल्यांकन और क्रेता प्रतिपुष्टि

प्रश्न 102. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. नाइजीरिया मुख्य रूप से नाइजर-बेनुए नदी प्रणाली द्वारा अपवाहित होता है, जो लोकोजा में मिलती है।
2. नाइजर डेल्टा शुष्क जलवायु और कम वर्षा के कारण विरल वनस्पति द्वारा अभिलक्षित है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 103. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन I: एक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) सहभागी देशों के मध्य टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम या समाप्त करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है।

कथन II: FTAs सदस्य देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं की पारस्परिक रूप से सहमत सूची पर सीमा शुल्क कम करके अधिमान्य बाजार पहुंच प्रदान करते हैं।

कथन III: FTAs के लिए घरेलू कर नीतियों के पूर्ण सामंजस्य और गैर-सदस्य देशों के विरुद्ध एक साझा बाहरी टैरिफ की आवश्यकता होती है।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है?

(a) कथन II और कथन III दोनों सत्य हैं और वे दोनों कथन I की व्याख्या करते हैं।

(b) कथन II और कथन III दोनों सत्य हैं, किंतु उनमें से केवल एक कथन I की व्याख्या करता है।

(c) केवल एक कथन सत्य है और वह कथन I की व्याख्या करता है।

(d) न तो कथन II और न ही कथन III सत्य है।

प्रश्न 104. निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) की मुख्य विशेषता है?

(a) सामान्य बाह्य टैरिफ (b) पूर्ण श्रम विधि सामंजस्य

(c) क्रमिक टैरिफ कटौती (d) एकल मुद्रा

प्रश्न 105. भारत में जनजातीय समुदायों के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. शिक्षा जनजातीय जनसंख्या के मध्य समावेशी विकास और सामाजिक न्याय हेतु एक प्रमुख उपकरण है।
2. भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर सरकारी योजनाओं का लक्ष्य जनजातीय समुदायों को आवास, सड़क, स्कूल और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 106. भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पहल एक खंडित वैश्विक व्यवस्था में उसकी रणनीति को दर्शाती है, जैसा कि 2025 में रेखांकित किया गया है?

(a) डॉलर पर निर्भरता न्यून करने हेतु रुपया निपटान तंत्र को प्रोत्साहित करना

(b) क्षेत्रीय सुरक्षा संवादों का नेतृत्व करते हुए रक्षा अधिग्रहण में विविधीकरण लाना

(c) अक्षय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि करना और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नेतृत्व करना

(d) उपर्युक्त सभी

उत्तर कुंजी									
प्रश्न 1.	a	प्रश्न 2.	c	प्रश्न 3.	a	प्रश्न 4.	c	प्रश्न 5.	a
प्रश्न 6.	d	प्रश्न 7.	a	प्रश्न 8.	a (3 केवल)	प्रश्न 9.	c	प्रश्न 10.	a
प्रश्न 11.	a (2 केवल)	प्रश्न 12.	c	प्रश्न 13.	d	प्रश्न 14.	b	प्रश्न 15.	a (3 केवल)
प्रश्न 16.	b	प्रश्न 17.	d	प्रश्न 18.	a	प्रश्न 19.	a	प्रश्न 20.	b
प्रश्न 21.	a	प्रश्न 22.	b (1 और 3 केवल)	प्रश्न 23.	a	प्रश्न 24.	c (1, 2 और 3 केवल)	प्रश्न 25.	c
प्रश्न 26.	b	प्रश्न 27.	b	प्रश्न 28.	d	प्रश्न 29.	a	प्रश्न 30.	c
प्रश्न 31.	a	प्रश्न 32.	a (2 केवल)	प्रश्न 33.	c	प्रश्न 34.	c	प्रश्न 35.	b
प्रश्न 36.	c (1, 2 और 4 केवल)	प्रश्न 37.	a	प्रश्न 38.	b	प्रश्न 39.	b	प्रश्न 40.	b
प्रश्न 41.	d	प्रश्न 42.	a (3 केवल)	प्रश्न 43.	c	प्रश्न 44.	a	प्रश्न 45.	a
प्रश्न 46.	d	प्रश्न 47.	b	प्रश्न 48.	c	प्रश्न 49.	a	प्रश्न 50.	b (1 और 2 केवल)
प्रश्न 51.	b (1 and 2 केवल)	प्रश्न 52.	b	प्रश्न 53.	a (1 और 2 केवल)	प्रश्न 54.	c	प्रश्न 55.	c
प्रश्न 56.	c	प्रश्न 57.	a	प्रश्न 58.	d	प्रश्न 59.	a	प्रश्न 60.	d
प्रश्न 61.	d	प्रश्न 62.	b	प्रश्न 63.	d	प्रश्न 64.	a	प्रश्न 65.	a
प्रश्न 66.	a (3 केवल)	प्रश्न 67.	c	प्रश्न 68.	b	प्रश्न 69.	b	प्रश्न 70.	b
प्रश्न 71.	a	प्रश्न 72.	c (1, 2, 3 और 5 केवल)	प्रश्न 73.	b	प्रश्न 74.	a	प्रश्न 75.	a
प्रश्न 76.	a	प्रश्न 77.	b (1 और 3 केवल)	प्रश्न 78.	c	प्रश्न 79.	a	प्रश्न 80.	d
प्रश्न 81.	b	प्रश्न 82.	d	प्रश्न 83.	a	प्रश्न 84.	a	प्रश्न 85.	b
प्रश्न 86.	d	प्रश्न 87.	d	प्रश्न 88.	c	प्रश्न 89.	a (2 केवल)	प्रश्न 90.	a
प्रश्न 91.	a	प्रश्न 92.	b	प्रश्न 93.	b (1 और 2 केवल)	प्रश्न 94.	d	प्रश्न 95.	a
प्रश्न 96.	c	प्रश्न 97.	a	प्रश्न 98.	a	प्रश्न 99.	c	प्रश्न 100.	c
प्रश्न 101.	c	प्रश्न 102.	a	प्रश्न 103.	c	प्रश्न 104.	c	प्रश्न 105.	c
प्रश्न 106.	d								

चहल एकेडमी द्वारा
ब्लू बुक सीरीज

हमारी "ब्लू बुक" सीरीज की पुस्तकें

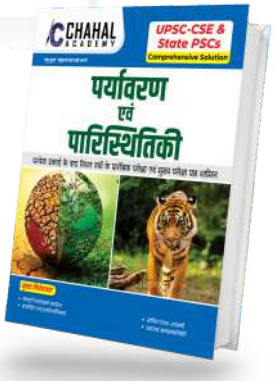

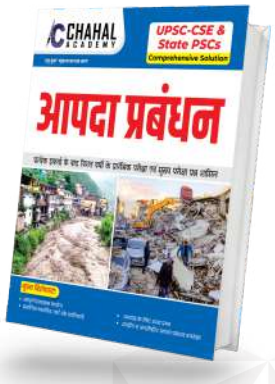

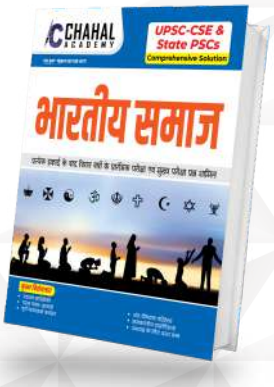

किसी भी जानकारी या ऑर्डर करने के लिए 9205927650

CHAHAL ACADEMY
(Chahal Academy Pvt. Ltd.)
www.chahalacademy.com
Follow Us

MRP. ₹120.00